HINDEE VERSION
OF
THE INDIAN PENAL CODE

ताजीरातहिन्द

अर्थात्

हिन्दुस्थान का दण्डसंग्रह

ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०



श्रीमन्महाराजाधिराज पश्चिमोत्तरीय देशाधि-
कारी श्रीयुतनव्वाबलफ्टिनेंटगवर्नरप्रतापीकी
आज्ञानुसार

एलनआक्टेवियनह्यूम साहिब मेजिस्ट्रेट
औरराजालक्ष्मणसिंहसी० एस० आईडिपटी
मेजिस्ट्रेट ज़िले बुलन्दशहर ने उल्था किया
जो बमूजिब हुक्म उक्त गवर्न्नमेण्ट मग़रबी
शिमाली के छापीगई थी

वही

लखनऊ

मुंशी नवलकिशोर के छापेख़ाने में छपी
अक्टूबर सन् १८८५ ई०

सूचीपत्र ॥

अध्याय १

संक्षेप

सूचीपत्र ॥

अध्याय १

संक्षेप

जोसबने मिलकर कियाहोउसीयोग्य होगामानो केवल उसीने वहकाम किया

३५ जबऐसाकोईकामइसीहेतुसे अपराधहोकिकुज्ञान अथवा कुप्रयोजन से कियागया

३६परिणामजोकुछतौकरनेसेऔकुछचूकनेसेकरायाजाय

३७ अपराधकेअनेककामोंमेंसेएककोकरकेसाझीहोना

३८ अनेकमनुष्य जोकिसी अपराधकोकरें अलग अलग अपराधोंके करन्ता हो सकेंगे

३९ जान बूझकर

४० अपराध

४१ विशेष क़ानून

४२ देश विशेषी क़ानून

४३ क़ानून बिरुद्ध

तथा क़ानून अनुसार अवश्य

४४ हानि

४५ जीव

४६ मृत्यु

४७ पशु

४८ जहाज़

४९ बरस

५० दफ़ा

५१ सौगन्द

५२ शुद्धभाव

३ अध्याय—दण्डोंके विषयमें

५३ दण्ड

तथा अपराधीके मरजाने से उसका माल मिलकियत छूट न जायगा

७१ अवधि उस अपराध के दण्ड की जो कई अपराध मिल कर बनता हो

७२ दंडकिसी मनुष्यकोजो अनेक अपराधोंमेंसेएकका अपराधी ठहरे और हाकिमको तजवीजमें लिखाहोकि निश्चय नहींहै किइन अपराधों मेंसे किस काअपराधी है

७३ एकान्त बंधि

७४ एकान्त बंधि की अवधि

७५ दण्ड उनमनुष्योंको जोएक बेरअपराधी ठहरकर फिर किसी ऐसे अपराध के अपराधी ठहरें जिसकादण्ड तीन बरस की क़ैद हो

४ अध्याय—साधारण छूट

७६ वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करेजिसपर उसका करना अवश्यहो अथवा जो वृत्तान्तकोयथार्थन समझ लेनेसे अपने ऊपर उसका करना क़ानून अनुसार अवश्य जानता हो

७७कामकिसीहाकिमकाजबकिवहन्यायकरनेकोबैठाहो

७८ काम जो किसीअदालत की तजवीजअथवाआज्ञानुसार किया जाय

७९ कामकियाहुआकिसी ऐसेमनुष्यकाजिसकोउसके करनेका अधिकारहो अथवा जो वृत्तान्त अशुद्धसमझने सेउसकामके करनेका अधिकारीअपने को समझताहो

८० नीति पूर्वक कामके करने में दैवयोग से कुछ से कुछ होजाना

८१ कामजिससेकुछज्यानहोनाअतिसंभवितहोपरंतुकु प्रयोजनके बिनादूसरेज्यानकेरोकनेकेलियेकियागयाहो

८२ काम सात बरससे नीचे की अवस्थाके बालकका

८३ काम सात बरससे ऊपरऔरबारह बरससेनीचे की अवस्थाके बालकका जिसकी समझ यथोचितपकीनहो

८४ काम सिड़ी मनुष्य का

८५ काम किसी मनुष्य का जोअपनी इच्छाकेबिरुद्ध दिएहुए नशेके कारण बिचार करने को असमर्थहो

८६ जिस अपराधके लियेकोईबिशेषज्ञानअथवाप्रयो- जनअवश्यहोउसकोकदाचित्कोईमनुष्यनशेकीअवस्था मेंकरे

८७ कामजोबिनाप्रयोजनअथवाबिनाजाने इसबातके कि इससे किसीमनुष्यको मृत्युअथवा भारीदुःखहोना अति सम्भवित है उसी मनुष्य की राजीसे किया जाय

८८ काम जो मृत्यु करनेकेप्रयोजन बिनाशुद्धभावसे किसी मनुष्यकी राजी सेउसके भलेकेलिये कियाजाय

८९ कामजोशुद्धभावसेकिसीबालकयासिड़ीमनुष्यकेभ लेके लियेउसकेरक्षककीओरसेअथवाराजीसेकियाजाय

९० राजीजो जान लीजाय किभय अथवाधोखेसेदीगई तथा राजी किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य की

९१ कामजो इसबातको छोड़करभीकिराजीदेनेवाले मनुष्यको उससेज्यान पहुंचाआपहीअपराधहोदफ़ा८७ और ८८ और ८९ की छूटोंमें गिन्ती न होंगे

९२ कामजो शुद्धभाव से किसीमनुष्य के भलेके लिये बिना राजी के किया जाय

तथा नियम
९३ शुद्धभाव से कुछ कह देना
९४ काम जिसके करने के लिये कोई मनुष्य धमकी के द्वारा बेबस किया जाय
९५ कोई काम जिससे कुछ तुच्छ ज्यान हो
निज रक्षाका अधिकार
९६ कोई काम जो निज रक्षा के लिये किया जाय अपराध न होगा
९७ तनु और धनकी रक्षाका अधिकार
९८निजरक्षाकाअधिकारसिड़ीइत्यादिमनुष्योंकेकामसे
९९ जिनकामों के रोकने के लिये निजरक्षाका अधिकार न होगा
तथा इस अधिकार के बर्त्तने की अवधि
१०० तनुकी निज रक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा
१०१ यह अधिकार मृत्यु को छोड़कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचाने तक कब होसकेगा
१०२ तनुकी निज रक्षाका आदि अन्त
१०३ धनकी निज रक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब होसकेगा
१०४ यह अधिकार मृत्युको छोड़कर दूसरा कोई ज्यान करदेने तक कब हो सकेगा
१०५ धनकी निजरक्षा के अधिकार का आदि अन्त
१०६ निजरक्षाका अधिकारमृत्युकारक उठैया रोकने को उस अवस्था में जबकिसीअन अपराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचने की जोखिम हो

५ अध्याय—सहायता के बिषय में

१०७ सहायता किसी कामकी

१०८ सहायी

१०९ दंडसहायताकाकदाचित्वहकामजिसकोसहायता हुई उसी सहायता के कारण कियागया हो औरउसके दंड का कोई स्पष्ट लेख न हो

११० दंड सहायता काकदाचित् सहायता पानेवाला मनुष्य अपराध के कामको सहायता करनेवालेकेप्रयो-जन के सिवाय किसी और प्रयोजन से करे

१११ दंड सहायताकरनेवाले को जबकि एककाम में सहायतापहुंचाईजाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम होजाय

११२ सहायीकबइसयोग्यहोगाकि जिसकाममेंउसने सहायता की औरजो कामकिया गया दोनोंकादंडपावे

११३ दंड सहायी कोउसपरिणाम के बदले जोउसके प्रयोजन कियेहुये परिणाम से भिन्न हो

११४ मौजूद होना सहायी का अपराध होनेकेसमय

११५ सहायता किसी ऐसे अपराधमें जिसका दंडबध अथवा जन्मभर का देश निकालाहो कदाचित् वह अप-राध सहायता के कारण न किया जाय

तथा कदाचित् कोई काम जिससे ज्यानहोताहोसहा-यता के कारण होजाय

११६ सहायता किसी अपराधमें जोक़ैदके दंडयोग्यहो कदाचित् वहअपराधउससहायताके कारणनकियाजाय

तथा कदाचित् सहायी अथवा सहायता पानेवाला मनुष्य कोई ऐसा सर्वसम्बन्धी नौकर हो जिसका काम उस अपराध का रोकना हो

११७ सहायता पहुंचाना किसी अपराध करने में सबके द्वारा अथवा दशसे अधिक मनुष्यों के द्वारा

११८ गुप्त रखना किसी ऐसे अपराधके उद्योगका जो बध अथवा जन्मभरके देशनिकालेके दंडयोग्य हो

तथा कदाचित् अपराध होजाय

तथा कदाचित् अपराध हो न जाय

११९ कोई सर्वसम्बन्धी नौकर जो किसीऐसे अपराध के होनेकेउद्योगको जिसकोरोकनाउसकाकामहो छुपावे

तथा कदाचित् अपराध बध इत्यादि के दंड योग्य हो

तथा जब अपराध हो न जाय

१२० छुपाना उद्योगका जो क़ैदके दंड योग्य किसी अपराध के करने के लिये हो

तथा कदाचित् अपराध हो जाय

२ अध्याय—राज्य बिरोधी अपराधों के विषय में

तथा कदाचित् अपराध हो न जाय

१२१ श्रीमतीमहारानीके दरबारके साथयुद्धकरना या युद्धकरनेकाउद्योगकरनाअथवायुद्धकरनेमेंसहायतादेना

१२२ श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्धकरने के प्रयोजन से हथियार इत्यादि इकट्ठे करना

१२३ सुगमताके प्रयोजनसे युद्धके उद्योगको छुपाना

१२४ उठैया करना गवर्नरजनरल अथवा लफ्टनेंट

गवर्नर इत्यादिपर किसी नीतिपूर्वक अधिकारकोदबाकर बर्त्तवाने अथवा बर्त्तने से रोक देने के प्रयोजन से

१२५ युद्धकरना किसी दरबार के साथ जो महाद्वीप एशियामें श्रीमती महारानी का हितकारी हो

१२६ लूटमार करना किसी ऐसे अधिपतिके राज्य में जो श्रीमती महारानी के दरबारकेसाथ सन्धिरखताहो

१२७ रखलेना ऐसे मालका जो दफ़ा १२५ व १२६में वर्णनकियेहुये युद्ध अथवा लूटमारकेद्वारा प्राप्तिहुआहो

१२८ सर्वसम्बन्धी नौकर जो जानबूझकर किसीराज्य बिरोधी अपराधके क़ैदीको अथवा युद्धकेक़ैदीको अपनी चौकसी में से भाग जानेदे

१२९ सर्वसम्बन्धीनौकर जो असावधानीसे राज्यबिरोधी अथवा युद्धकेक़ैदीको अपनीचौकसीमेंसे भागजानेदे

१३० ऐसे क़ैदी को भागनेमें सहायता देना अथवा छुड़ालेना अथवा आश्रय देना

३ अध्याय—जंगी अथवा जहाज़ीसेना संबन्धी अपराधोंके विषयमें

१३१ बगावतमेंसहायतादेनाअथवाकिसीसिपाही या जहाजीकेवटको उसकेकाममें बहकानेकाउद्योगकरना

१३२ सहायता करना बगावतमें जब कि वहबगावत उसी सहायता के कारण होजाय

१३३ सहायता देना किसी उठैयेमें जो कोईसिपाही अथवा केवट अपने ऊपर के अफ़सर पर जब कि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो करे

१३४ सहायता ऐसेउठैयेमें कदाचित् वहउठैयाहोजाय

१३५ सहायता देना किसी सिपाही या केवटके भागनेमें

१३६ नौकरी से भागे हुए को आश्रयदेना

१३७ नौकरीसे भागाहुआमनुष्य जो किसीसौदागरी जहाजमें उसकेनाव पतिकीअसावधानीसे छुपायाजाय

१३८ किसी सिपाही अथवा केवट को आज्ञा भंग के काममें सहायता देनी

१३९ जोमनुष्यजंगी क़ानून के आधीन हैं इससंग्रह के अनुसारदंड दियेजाने के योग्य न होंगे

१४० पहरना सिपाही की वर्दी का

८ अध्या.यसर्वसंबंधीकुशलतामेंविघ्नडालनेवालेअपराधोंकेविषयमें

१४१ अनीति जमाव

१४२ साझी होना किसी अनीति जमाव में

१४३ दंड

१४४ साझी होनाकिसी अनीति जमाव मेंकोईमृत्यु कारक हथियार बांधकर

१४५ मिलना अथवा बनारहनाकिसी अनीतिजमाव में यह बातजान बूझकर कि उसके फैलफूट होने के लिये आज्ञा होचुकी है

१४६ बलजो सबसाझियों के मतलब के प्राप्ति होने के लिये एक साझी की ओर से बर्त्तीजाय

१४७ दंगा करने के लिये दंड

१४८ मृत्यु कारी हथियार बांधकर दंगा करना

१४९ हर एक साझी किसी अनीति जमाव का अपराधी उस अपराध का गिना जायगा जो सब साझियों के मतलब प्राप्ति होने के लिये किया जाय

१५० किसी अनीतिजमावमें मिलने के लियेमनुष्यों को नौकर रखना अथवानौकररखनेमें आनाकानीदेना

१५१ जान बूझकर मिलना अथवा बनारहना पांच अथवा पांचसे अधिकमनुष्यों के किसी जमाव में पीछे इस्से कि उसकेफैलफूट होनेकी आज्ञा होचुकी हो

१५२ सर्वसम्बन्धीनौकरपरउठैया करनाअथवाउसको रोकना जबकिवह दंगे इत्यादिका होना बन्दकरता हो

१५३ बिनाबात क्रोध करानेका काम करना दंगाहोने के प्रयोजन से

तथा कदाचित् दंगा होजाय

तथा कदाचित् न हो

१५४ मालिक अथवा काबिज धरती का जिस पर अनीति जमाव जुड़े

१५५ दंड योग्य होना उस मनुष्य काजिसके भलेके लिये दंगा किया जाय

१५६ दंड योग्य होना उसमालिक अथवा काबिज़ के कारिन्दे का जिसकेभले के लिये दंगाकिया गया हो

१५७ आश्रय देना उनमनुष्योंको जो किसी अनीति जमाव के लिये नौकर रक्खे गये हों

१५८ किसी अनीति जमावअथवा दंगे में साझाकरने के लिये नौकर होना

तथा अथवा हथियार बांध कर फिरना

१५९ खानेजंगी

१६० खाने जंगी करने का दंड

९ अध्याय—अपराध जो सर्वसंबन्धी नौकरोंकी ओरसे किये जायं अथवा जो उनसे संबन्ध रक्खें

१६१ सर्वसम्बन्धी नौकर जो अपने ओहदेके किसी कामके मद्दे सिवाय क़ानून अनुसार चाकरी के कुछ घूस की भांति ले

१६२ लेना घूसका किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को बुरे अथवा क़ानून बिरुद्ध उपायसे फुसलाने के निमित्त

१६३ लेना घूस का किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को निजकी सिपारस करने के लिये

१६४ ऊपर बर्णन कियेहुये अपराधोंमें सर्वसम्बन्धी नौकरकी ओरसे सहायता होने के लिये दंड

१६५ सर्वसम्बन्धी नौकर जो कुछ मोलदार वस्तु बिना बदलादिये किसी मनुष्यसे ले जिसका कुछ स्वार्थ उस सर्वसम्बन्धी नौकर के कियेहुये किसी मुक़द्दमे अथवा काम में हो

१६६ सर्वसम्बन्धी नौकर जो किसी मनुष्य को हानि पहुंचानेके प्रयोजनसे क़ानूनकी आज्ञाको उल्लंघन करे

१६७ सर्वसम्बन्धी नौकर जो हानि पहुंचाने के प्रयोजन से कुछ अशुद्ध लिखतम बनावे

१६८ सर्वसम्बन्धी नौकर जो क़ानून की आज्ञाकेबि-रुद्ध व्यापार करे

१६९ सर्वसम्बन्धी नौकर जो क़ानूनकी आज्ञाकेबिरु-द्ध कुछ वस्तु मोल ले अथवा लेनेके लिये बोली बोले

१७० सर्वसम्बन्धी नौकर का भिस करना

१७१ सर्वसम्बन्धी नौकरकी वर्दी पहरना अथवा चिह्न रखना छल छिद्र के प्रयोजन से

१० अध्याय—सर्वसंबन्धी नौकरोंके नीतिपूर्वक अधिकार का अपमान करने के विषय में

१७२ सर्वसम्बन्धीनौकरकेजारीकियेहुयेसम्मनयाऔर किसी आज्ञापत्र जारीहोनेसे बचनेकेलियेरूपोश होना

१७३ रोकना किसीसम्मन अथवा और प्रकारके हुक्म-नामेका जारीहोनेसे अथवा प्रकट किये जाने से

१७४ सर्वसम्बन्धी नौकरकी आज्ञाके अनुसार हाज़िरी होने में चूकना

१७५ किसी सर्वसम्बन्धी नौकरके सामने कोई लि-खतम पेशकरनेसे चूकना किसी ऐसे मनष्य का जिस पर उस लिखतम का पेशकरना अवश्य हो

१७६ किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को इत्तलादेने अथवा खबर पहुंचाने से चूकना किसी ऐसे मनुष्यका जिस पर उस इत्तला अथवा खबर का पहुंचाना क़ानून अनुसार अवश्य हो

१७७झूंठी इत्तला देनी

१७८ सौगंद करनेसे नटना उससमय जब कि कोई सर्वसम्बन्धी नौकर सौगंद करने की आज्ञा दे

१७६ उत्तर न देना किसी ऐसे सर्वसम्बन्धी नौकरके प्रश्नका जिसको प्रश्न करने का अधिकार हो

१८० इज़हार पर दस्तख़त करने से नाहीं करना

१८१ सौगन्दकरके झूठा इज़हारदेना किसी सर्वसंब-

न्धीनौकर अथवा उसमनुष्यके सामने जो क़ानून अनुसार सौगन्द करानेका अधिकारीहो ॥

१८२ झूठी खबरदेना इसप्रयोजनसे कि कोई सर्वसंबन्धी नौकर अपना क़ानून अनुसार अधिकारकाम में लावेऔर उससे दूसरे मनुष्यकोहानिपहुंचे ॥

१८३ सामनाकरना किसीवस्तुकेलिये जानेमें जोकिसी सर्वसम्बन्धीनौकरकीनीतिपूर्वक आज्ञासेलीजाय ॥

१८४ रोकनाकिसीऐसीवस्तुके नीलामका जोकिसीसर्वसम्बन्धीनौकरकी नीतिपूर्वकआज्ञासे नीलामपरचढ़ीहो

१८५ क़ानूनविरुद्धमाललेना अथवा मोललेनेकोबोली बोलनाकिसी ऐसीवस्तुकेलिये जो किसी सर्वसम्बन्धी नौकरको आज्ञासे नीलामपर चढ़ी हो ॥

१८६ किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को अपनीनौकरीका काम भुगतानेमें रोकना

१८७ किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को सहायता देनेसे चूकना उस अवस्था में जबकि सहायता देना क़ानून अनुसार अवश्यहो ॥

१८८ न मानना किसीआज्ञाको जो किसीसर्वसम्बन्धी नौकर ने यथोचित दी हो

१८९ सर्वसम्बन्धी नौकरको हानिपहुंचानेकी धमकी

१९० हानिपहुंचानेकी धमकी इसलियेकिकोईमनुष्य किसीसर्वसम्बन्धीनौकरसे रक्षामाँगनेसेरुकजाय

११ अध्याय—झूठीगवाही और सर्व सम्बन्धी न्यायमें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषय में

१९१ झूठीगवाही देना

१६२ झूठी गवाही बनाना

१६३ झूठीगवाहीके बदलेदंड

१६४ झूठीगवाहीदेनाअथवा झूठासबूत बनाना किसी परऐसा अपराधसाबितकरनेकेलिये जिसका दंडबधहो तथा कदाचित् निरापराधीमनुष्यको उसगवाही अथवा सबूतकेकारणअपराधी साबितहोकरदंडबधका होजाय

१६५ झूठीगवाहीदेना अथवा झूठासबूत बनाना इस प्रयोजन से कि किसी पर ऐसा अपराध साबित हो जिसका दंड देशनिकाला अथवा क़ैदहै

१६६ काममें लाना ऐसेसबूतका जो जानलियागया हो कि झूठाहै

१६७ जारीकरनाअथवादस्तखत लिखनाझूठे सारटी-फिकटपर

१६८ काममेंलानासच्चेसार्टीफिकटकीभांतिकिसीसा र्टीफिकटकाजोकिमुख्यबातमें झूठाजानलियागयाहो

१६६ झूठा वर्णन किसीऐसे इज़हारमें जोक़ानूनअनु-सार सबूतकी भांति लियाजासक्ताहो

२०० काममें लाना सच्चेकी भांति ऐसे किसीइज़हार को जो जानलियागयाहो कि झूठाहै

२०१ अपराधीके बचानेके लिये लोपकरदेना अपराध के सबूतको अथवा देना झूठी खबरकाउसकेमद्दे

तथा कदाचित् अपराधबधके दंडयोग्यहो

तथा कदाचित् देशनिकाले के दंडयोग्यहो

तथा कदाचित् दशबरससेकमतीम्यादकीक़ैदकेदंडयोगहो

२०२ जानबूझकर किसीअपराधकीखबरदेनेसेचूकना किसी मनुष्यका जिसपर खबरदेना अवश्यहो

२०३ देनाझूठोखबरकाकिसीअपराधकेमद्दे जोहोगयाहो

२०४ नष्टकरदेना किसी लिखतम का इसलिये कि वह सबूत में पेश न होसके

२०५ किसी मुकद्दमेमेंकुछ कामअथवाकारवाई करने के लिये दूसरे मनुष्यका रूप धरना

२०६ छलछिद्रसे उठालेजाना अथवा छुपादेनाकिसी वस्तुका इसप्रयोजनसेकिज़ब्ती में अथवाइजरायडिक्री में उसका लिया जाना रुकजाय

२०७ छलछिद्रसे दावाकरना किसीवस्तुपर इसप्रयोजनसे कि उसका लियाजाना ज़ब्तीमें अथवा इजराय डिक्रीमें रुकजाय

२०८ छलछिद्रसे अपनेऊपर लेनाकिसी डिक्रीकाजिसका रुपया वाजिबी न हो

२०९ अदालत में झूठादावा

२१० छलछिद्रसेप्राप्तिकरनी कोईडिक्रीजिसकारुपया वाजिबी न हो

२११ हानिपहुंचानेकेप्रयोजनसेझूठमूठअपराधलगाना

२१२ आश्रयदेना किसी अपराधीको

तथा कदाचित् अपराध बधके दंडयोग्य हो

तथा कदाचित् अपराध जन्मभरके देशनिकाले अथवा क़ैदके दंडयोग्य हो

२१३ किसी अपराधीको दंडकेबचाने के बदलेइनाम इत्यादि लेना

तथा कदाचित् अपराध वधके दंडयोग्य हो
तथा कदाचित् अपराध जन्मभरके देशनिकाले अथवा क़ैदके योग्य हो

२१४ अपराधी को दंडसे बचानेके बदलेइनाम देना अथवा कुछवस्तु फेरदेनी

तथा कदाचित् अपराध बधके दंडयोग्य हो
तथा कदाचित् अपराधजन्मभरके देशनिकाले अथवा क़ैदके दंडयोग्य हो

२१५ इनाम लेना चोरी इत्यादिका मालनिकालनेमें सहायता देनेके बदले

२१६ आश्रयदेना किसीअपराधीकोजोबंधिसेभागगया हो अथवाजिसकेपकड़ेजानेकीआज्ञाहोचुकीहो

तथा कदाचित् अपराध बधके दंडयोग्यहो
तथा कदाचित् अपराध जन्मभरके देशनिकाले अथवा क़ैदके योग्य हो

२१७ सर्वसम्बन्धी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे अथवा किसीमालको ज़ब्ती से बचाने के प्रयोजन से किसीनीतिपूर्वक आज्ञा को न माने

२१८ सर्बसम्बन्धी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे अथवा मालको ज़ब्तीसे बचानेके प्रयोजनसे कि कोई लिखतम अशुद्ध बनावे अथवा लिखे

२१९ सर्बसंबंधीनौकरजो कुप्रयोजनसे किसीन्यायसंबंधी काररवाईमें कोई ऐसीआज्ञा अथवारिपोर्टइत्यादि करे जिसकोवहजानताहोकिक़ानूनसे बिरुद्धहै

२२०जोकोईमनुष्यअधिकारपाकरकिसीमनुष्यकोबंधि

में रक्खे अथवा तजवीज़ के लिये ऊपर के हाकिमको सौंपे यह जानबूझकर किमैं क़ानून के विरुद्ध करताहूं

२२१ जिस सर्व सम्बन्धी नौकर पर किसी को पकड़ना क़ानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जानबूझकर चूकहोनी

२२२ जिस सर्व सम्बन्धी नौकर पर पकड़ना किसी मनुष्य को जिसपर दण्ड की आज्ञा किसी अदालत से होचुकीहो क़ानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जानबूझकर चूकहोनी

२२३ जो सर्व सम्बन्धी नौकर अपनी असावधानी से किसीको बन्धिसे भागजानेदे

२२४ अपनेनीतिपूर्वक पकड़ेजाने में किसीकीओरसे सामना अथवा रोकहोनी

२२५ किसीदूसरे मनुष्य के नीति पूर्वक पकड़ेजाने में सामना अथवा रोककरना

२२६ अनीति रीतिसे देश निकालेसे लौटआना

२२७ दंडकीमाफ़ी के क़ौलक़रारको तोड़ना

२२८ जानबूझकर अपमानकरना किसी सर्वसम्बन्धी नौकरका अथवा विघ्नडालना उसके काममें जबकिवह किसी न्यायके मामलेकी किसीअवस्थामेंउपस्थितहो

२२९ झूठा मिस करके पंच अथवा असेसरबनना

१२ अध्या —सिक्कोंओरगवर्नमेंटकेस्टाम्पसंबंधीअपराधोंके विषयमें

२३० सिक्का

तथा श्रीमतीमहारानी का सिक्का

२३१ खोटा सिक्का बनाना

२३२ श्रीमतीमहारानी का खोटा सिक्का बनाना

२३३ खोटासिक्काबनानेकेलियेऔजारबनानायाबेचना

२३४ श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनाने के लिये औजार बनाना अथवा बेचना

२३५ पासरखना औजार अथवा सामान का इसप्रयोजनसे कि खोटा सिक्काबनाने के लियेकामआवे

२३६ हिन्दुस्थान के बाहर खोटा सिक्का बनानेकेलिये हिन्दुस्थान में सहायतादेनी

२३७ खोटे सिक्के को हिन्दुस्थान के अंगरेज़ी राज्य में बाहर भेजना अथवा भीतरलाना

२३८ श्रीमतीमहारानीके खोटसिक्केको हिन्दुस्थानके अंगरेज़ी राज्य से बाहर लेजाना अथवाभीतरलाना

२३९ देना किसी मनुष्यको कोई सिक्का जो खोटा जानबूझकर पास रक्खागयाहो

२४० देना श्रीमती महारानीके सिक्के का जो खोटा जानबूझकर पासरक्खा गयाहो

२४१ खरेसिक्केकीभांतिदेनाकिसीमनुष्यकोकोईसिक्काजिसकोदेनेवालेने अपनेपास आनेकेसमयखोटान जानाहो

२४२ खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य के पासजिसनेअपने पासआनेकेसमयउसको खोटा जानलियाहो

२४३ श्रीमतीमहारानीका खोटा सिक्का होना किसी मनुष्यके पास जिसने अपनेपास आनेके समयउसको खोटा जानलियाहो ॥

२४४ जो मनुष्य टकशाल में नौकर होकर कोई सिक्का क़ानून अनुसार ठहराई हुई तौल अथवा धातु से दूसरी तौल अथवा धातु का बनवावे

२४५ अनीति रीति से ले जाना किसी टकशाल से सिक्का बनाने का कोई औजार

२४६ छल छिद्र से सिक्के की तौल घटाना अथवा धातु बदलना

२४७ छल छिद्र से श्रीमती महारानी के सिक्के की तौल घटना अथवा धातु बदलना

२४८ रूप बदलना किसी सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलाया जाय

२४९ रूप बदलना श्रीमती महारानी के सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलाया जाय

२५० देना दूसरे को कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि बदला हुआ है

२५१ देना किसी मनुष्य को श्रीमती महारानी का कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि बदला हुआ है

२५२ होना बदले हुये सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसे जान लिया हो कि बदला हुआ है

२५३ होना श्रीमती महारानी के बदले हुये सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसे जान लिया हो कि बदला हुआ है

२५४ खरे सिक्के की भांति देना किसी को कोई ऐसा

सिक्का जिसको देनेवाले ने अपने पास आनेके समय बदला हुआ न जानाहो

२५५ गवर्नमेंट का स्टाम्प खोटा बनाना

२५६ गवर्नमेंटका खोटास्टाम्पबनानेके लिये औजार अथवा सामान पास रखना

२५७ बनाना अथवा बेचना औजार का कोई गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प बनाने के निमित्त

२५८ गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प बेचना

२५९ गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प पास रखना

२६० सच्चेस्टाम्पकी भांति काम में लाना गवर्नमेंट के किसी स्टाम्प को जो जान लियागयाहो कि झूठाहै

२६१ गवर्नमेंटका नुकसान करनेके प्रयोजनसे मिटाना किसी लेखको किसी वस्तुसे जिसपर गवर्नमेंटका कोई स्टाम्प लगाहो अथवादूरकरनाकिसी लिखतम से किसी स्टाम्प को जो उसके लिये लगाया गयाहो

२६२ काम में लाना गवर्नमेंटके किसी स्टाम्प को जो जानलिया गया हो कि आगे काम में आचुकाहै

२६३ मिटाना किसीचिह्नका जिस से जानाजाय कि स्टाम्प काम में आचुका है

१३ अध्याय—नापतौलसंबन्धी अपराधोंके विषय में

२६४ छल छिद्रसे काम में लाना तौलने के किसी झूठे औजार को

२६५ छल छिद्रसे काम में लाना किसी झूठे बाट अथवा नापको

२६६ झूठ बाट अथवा नाप पास रखने

२६७ झूठेबाट अथवा नाप बनाने अथवा बेचने

१४ अध्याय—सर्वसंबंधी आरोग्यता और कुशलता और सुलज्जता और सज्जनता और सुशीलतामें विघ्नडालने वाले अपराधोंके विषयमें

२६८ सर्व सम्बन्धी बाधा

२६९ असावधानी किसी काममें जिस्से फैलना किसी जीवजोखिमके रोगका अति सम्भवित हो

२७० दुर्भावका काम जिस्से फैलना जीवजोखिमके रोग का अति सम्भवित हो

२७१ किसी कारनटीन आज्ञाको न मानना

२७२ खाने अथवा पीनेकी वस्तुमें जो बेचनेके लिये हो उसमें मिलावट करनी

२७३ बेचना खाने अथवा पीनेकी बस्तुका जो ज्यानपहुंचने वाली हो

२७४ औषधि में मिलावट करनी

२७५ मिलावट की हुई औषधिको बेचना

२७६ बेचना किसी औषधिको दूसरी औषधिके नामसे

२७७ बिगाड़ना किसी सर्वसम्बन्धी कूपकुंडइत्यादि के पानीका

२७८ पवनका आरोग्यताके अयोग्य करना

२७९ सबके चलनेकी गैलमें गाड़ी घोड़ा इत्यादि सवारी को बेसुध दौड़ाना

२८० नावको बेसुध चलाना

२८१ झूठा उजेला अथवा चिह्न दिखलाना

२८२ पानीके रस्ते पहुंचाना किसी मनुष्यको भाड़ेके लि-

येकिसीऐसीनावमेंजो अतिबोझी अथवा जोखिमकीहो
२८३ जोखिम अथवारोकडालना किसीसर्व सम्बन्धी गैलमें अथवा नावके मार्ग में
२८४ विषकी किसीवस्तुकेमद्धे असावधानी करनी
२८५ अग्नियाजलनेवालीवस्तुकेमद्धेअसावधानीकरना
२८६ अग्निकी भांति उड़नेवाली वस्तुके मद्धेअसावधानी करना
२८७ किसी कलकेमद्धे जोअपराधी केअधिकारअथवा चौकसी में हो असावधानी करना
२८८ मकानको गिराने अथवामरम्मत करानेकेविषय में असावधानी करना
२८९ किसी पशुके मद्धे असावधानी करना
२९० सर्व दुःखदायी काम का दंड
२९१ बंद करनेकी आज्ञा पानेसे पीछेकिसीसर्वदुःखदायी कामको करते रहना
२९२ बेचनाइत्यादि निर्लज्जताकी पुस्तकोंका
२९३ बेचने अथवा दिखलानेकेलिये निर्लज्जता की पुस्तक पास रखना
२९४ निर्लज्जताके गीत

१५ अध्याय—मतसम्बन्धी अपराधों के विषयमें

२९५ किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दाके प्रयोजन से पूजाकेकिसीस्थानको ज्यानपहुंचाना या अपवित्रकरना
२९६ किसी मतसम्बन्धी समाजको छेड़ना

२९७ कबरस्थान इत्यादिपर मुदाखलत बेजा करनी

२९८ किसी मनुष्यके अन्तःकरण को मतके विषयमें जानबूझकर दुःखदेनेके प्रयोजनसे कुछकहना इत्यादि

१६ अध्याय—मनुष्यके तनुसंबन्धी अपराधों के विषय में

जीव संबन्धी अपराध

२९९ ज्ञातवत्‌घात

३०० ज्ञातघात

तथा ज्ञातवत्‌घातकिसअवस्थामेंज्ञातघातगिनीजायगी

३०१ ज्ञातवत्‌घात किसी ऐसे मनुष्यकी मृत्युकरनेसे जोउसमनुष्यसेजिसकेमारडालनेकाप्रयोजनथाभिन्नहो

३०२ ज्ञातघात का दंड

३०३ दंड उस ज्ञातवत्‌घात का जो कोई जन्मम्यादी बंधुआ करडाले

३०४ दंड ऐसी ज्ञातवत्‌घातका जो ज्ञातघातकेतुल्यनहो

३०५ बालक अथवा सिड़ी मनुष्यको अपघात करने में सहायता पहुंचानी

३०६ अपघात में सहायता देनी

३०७ ज्ञातघात का उद्योग

३०८ ज्ञातवत्‌घात करने का उद्योग

३०९ अपघात करने का उद्योग

३१० ठग

३११ दंड

पेटगिराने और बिनाजन्मे बालकोंकोहानिपहुंचाने औरजन्मे हुये बालकोंका बाहरडालआने और जन्नाछुपानेके विषयमें

३१२ पेट गिराना

३१३ बिना स्त्री की रज़ो पेट गिराना

३१४ मृत्यु जो किसी ऐसे कामकेकरनेसे होजाय जो पेट गिराने के प्रयोजन से किया गया हो

तथा कदाचित् वह काम बिना स्त्री की रज़ो के हो

३१५ कोईकामजोइसप्रयोजनसे कियाजायकिबालक जीताहुआपैदानहोनेपावेअथवा पैदाहोनेसेपीछेमरजाय

३१६ मृत्युकरनी किसी बालककी जो पैदानहुआहो परन्तु गर्भमें जीव पड़गयाहो कुछ ऐसा कामकरके जो ज्ञातघात के समान हो

३१७ बाहर डालआना अथवा छोड़देना बारह बरस से कमती अवस्थाके बालक का उसकेमाबापकीओरसे अथवा और किसीमनुष्यकीओरसे जिसकीरक्षामेंवहहो

३१८ जन्माछुपानाबालककीलोथकोगुपचुपअलगकरके

दुःखके विषय में

३१९ दुःख

३२० भारी दुःख

३२१ जानबूझकर दुःख देना

३२२ जानबूझकर भारी दुःख पहुंचाना

३२३ जानमानकर दुःख पहुंचाने का दंड

३२४ जानमान कर जोखिम के हथियारों से अथवा उपायों से दुःख पहुंचाना

३२५ जान मानकर भारी दुःख पहुंचानेका दंड

३२६ जोखिमके हथियारोंअथवा उपायोंसेजानमान कर भारीदुःख पहुंचानेका दंड

३२७ दबाकर माललेलेनेके लिये अथवादबाकरअनुचितकामलेनेकेलिये जानमानकर दुःखपहुंचाना

३२८ दुःखपहुंचानेइत्यादिके प्रयोजनमें अचेतकरनेवाली औषधि खिलानी

३२९ दबाकर माललेलेनेकेलिये अथवा दबाकरकोई अनुचित कामकरानेके लिये जानमानकर भारी दुःख पहुंचाना

३३० दबाकर इक़रार कराने अथवा दबाकरकुछमाल फेरलेने के लिये जान मानकर दुःखदेना

३३१ दबाकर इक़रार कराने अथवादबाकरकुछमाल फेरलेनेकेलिये जानमानकर भारी दुःख पहुंचाना

३३२ सर्वसम्बन्धीनौकरकोजानमानकरदुःखपहुंचाना इसलिये किवहअपने ओहदेकाकाम करनेसे डरजाय

३३३ सर्वसम्बन्धी नौकरको जानमानकर भारीदुःख पहुंचाना इसलिये कि वह अपनेओहदेकाकाम करनेसे रुक जाय

३३४ क्रोध उत्पन्न करनेवाले कामके कारणजानमानकर दुःख पहुंचाना

३३५ क्रोध दिलाने वाले कामके कारण भारी दुःख पहुंचाना

३३६ दंड ऐसेकामकाजिससे दूसरेके जीवअथवा शारीरक कुशलकी जोखिम हो

३३७ दुःख पहुंचानाकिसीऐसे कामसेजिससे औरोंके जीव अथवा शारीरक कुशलकी जोखिम हो

३३८ भारी दुःख पहुंचानाकिसीऐसे कामसे जिस्से औरोंकेजीव अथवा शारीरक कुशलकी जोखिमहो

अनीति रोक और अनीति बन्धिके विषयमें

३३९ अनीति रोक

३४० अनीति बन्धि

३४१ अनीति रोकका दंड

३४२ अनीति बन्धिकादंड

३४३ तीनदिनतकअथवा उस्सेअधिकदिनतक अनीति बन्धि में रखना

३४४ दशदिनतक अथवाउस्सेअधिक दिनतकअनीति बन्धिमें रखना

३४५ अनीतिबन्धिमेंरखनाऐसेमनुष्यकोजिसके छोड़ देनेके लिये परवाना जारी होचुका हो

३४६ अनीति बन्धिमें गुप्त रखना

३४७ दबाकर माल लेलेने अथवा कोईअनीति काम दबाकर कराने के प्रयोजन से अनीतिबन्धि

३४८ दबाकर इक्रारकरानेअथवा दबाकर मालफिर-वाने के लियेअनीति बन्धि

अनीति बल और उठैया

३४९ बल

३५० अनीति बल

३५१ उठैया

३५२ दंड अनीति बल का सिवाय इसके कि भारी

क्रोध दिलाने वाले काम के कारण किया जाय

३५३ किसी सर्वसम्बन्धी नौकरके साथ अनीतिबल करना इसलिये कि वह अपने ओहदे का कामभुगताने से डरजाय

३५४ किसी स्त्री पर उसकी लज्जा बिगाड़ने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीति बलकरना

३५५ किसी मनुष्यको बेइज्ज़त करने के प्रयोजनसे उठैया अथवा अनीति बल करना सिवाय इसके कि उस मनुष्य के दिलाये हुये एकाएकी और भारीक्रोध में आकर किया जाय

३५६ कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो छीन लेनेका उद्योग करने में उठैया अथवा अनीति बल करना

३५७ अनीति बन्धि में रखने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीति बलकरना

३५८ एकाएकी और भारी क्रोध में आकर उठैयाअथवा बलकरना

जबरदस्तीपकड़लेजाने औरबहकालेजाने औरगुलामीमेंरखने और बेगार कराने के विषय में

३५९ पकड़लेजाना

३६० हिन्दुस्थान के अंगरेज़ीराज्यमें सेपकड़लेजाना

३६१ नीति पूर्वक रक्षा मेंसे पकड़लेजाना

३६२ बहकालेजाना

३६३ पकड़लेजाने का दंड

३६४ मारडालने केलिये पकड़लेजाना अथवाबहका लेजाना

३६५ किसीमनुष्यको छुपाछुपी और अनीति रीति से बन्धि में रखने के प्रयोजन से पकड़लेजाना अथवा बहका लेजाना

३६६ किसो स्त्रीको दबाकर व्याह करानेइत्यादि के लिये पकड़लेजाना अथवा बहकालेजाना

३६७ किसी मनुष्य को भारीदुःख देने अथवागुला- मीमें रखने इत्यादि के लिये पकड़लेजाना अथवा बहकालेजाना

३६८ पकड़ लेगये हुये मनुष्य को छुपाना अथवा बन्धि में रखना

३६९ पकड़लेजाना अथवा बहकालेजाना दश बरस से नीचेके बालकको इस प्रयोजन से कि उसके शरीर पर से कुछ वस्तु लेले

३७० किसी मनुष्य को गुलाम करके बेचना अथवा अलगकरना

३७१ गुलामी का व्यापार

३७२ वेश्यापनइत्यादिकामों के लिये किसीबालक को बेचना अथवा किराये पर देना

३७३ वेश्यापनइत्यादि कामोंके लिये किसीबालक को मोल लेना अथवा अपने पास रखना

३७४ अनीति बेगार

३७५ बल सहित व्यभिचार

३७६ बलसहित व्यभिचार का दंड

अध्याय १७—धन सम्बन्धी अपराधोंके विषय में—चोरी

दबाकरलेने के विषयमें

ब्यापारी अथवा अढ़तियेकी ओरसे दंडयोग्य विश्वासघात

चोरीका माल लेने

४१० चोरीका माल

४११ बेधर्मईसे चोरीका माल लेना

४१२ बेधर्मईसे लेना ऐसे मालका जोडकै तीमें चोरीगया हो

४१३ चोरीके मालका ब्यौहार रखना

४१४ चोरीकामाल छुपानेमें सहायतादेना

४१५ छलना

४१६ दूसरा मनुष्य बनकर छलना

४१७ छलनेका दंड

४१८ छलना यह जानमानकर कि इससे अनीतिहानि उस मनुष्यको होगी जिसके स्वार्थकी रक्षाकरनी उस अपराधी पर अवश्यहै

४१९ दूसरामनुष्य बनकर छलनेकादंड

४२० छलना और बेधर्मईसे मालदिलादेना

छलछिद्रकी लिखतमों और छलछिद्र से मालअलगकरनेके विषयमें

४२१ ब्यौहरोंमें बटजानेसे बचानेके लिये मालको अलग करदेना अथवा छुपाना

४२२ अपनाकोई ऋणअथवा तगादा अपने ब्यौहरोंको मिलनेसे रोकना बेधर्मई करके

४२३ बेधर्मईसे लिखना बयनामे इत्यादि लिखतमका जिसमें मोलकी तादाद झूठी लिखीहो

४२४ मालको बेधर्मईसे अलग करना अथवा छुपाना

४२५ उत्पात

४२६ उत्पात करनेका दंड

४२७ उत्पात करना और उसकेद्वारा पचासरुपयेका नुक्सान पहुंचाना

४२८ दशरुपयेके मोलकेकिसी पशुको मारकरअथवा अंग तोड़कर उत्पात करना

४२९ किसीपोहेइत्यादिको अथवापचासरुपयेकेमोल केकिसीपशुकोमारकरअथवाअंगतोड़करउत्पातकरना

४३० खेतोकेकामइत्यादिकेलिये पानीघटाकरउत्पात करना

४३१ सर्बसम्बन्धीसड़कअथवापुलअथवानदीकोहानि पहुंचाकर उत्पात करना

४३२ अहला करके अथवा पानीका निकास रोककर जिस्से नुकसानहो उत्पात करना

४३३ प्रकाशग्रहको अथवा समुद्रके चिह्नको मिटाकर या हटाकर अथवा उसकाफ़ायदा घटाकर उत्पातकरना

४३४धरतीकेठोहेकोजोसर्बसम्बन्धीअधिकारीकीआज्ञासे बांधागयाहोमिटानेयाहटानेइत्यादिकेद्वाराउत्पातकरना

४३५ आगसेयाआगकीभांतिउड़नेवाली किसीबस्तुसे सौरुपये का नुक्सान करनेके प्रयोजनसे उत्पात करना

४३६ आगसेयाआगकीभांतिउड़नेवालीकिसीबस्तुसेम- कानइत्यादिकोनुकसानकरनेके प्रयोजनसेउत्पातकरना

४३७ पटीहुईनावकोयाबीसटनअर्थात्पांचसौमनबोझ लेजानेवालीनावकोतबाहकरने अथवा ज़ोखिममेंडालने के प्रयोजनसे उत्पात करना

४३८ पिछलीदफ़ामेंबर्णन कियेहुयेउत्पातकादंड जब किवहउत्पातआगकेद्वाराअथवाआगकीभांतिउड़नेवाली किसी बस्तुके द्वारा किया जाय

४३६ टकराना नावको किनारे पर चोरी इत्यादि करने के प्रयोजनसे

४४० मृत्युयादुःखकरनेका सामानकरकेउत्पातकरना

४४१ दंडयोग्य मुदाखलत बेजा

४४२ मकानकी मुदाखलत बेजा

४४३ मकानकीमुदाखलतबेजाकरनेकेलियेघातलगानी

४४४ रातकेसमैमकानकीमुदाखलतबेजाकीघातलगानी

४४५ घर फोड़ना

४४६ रात में घर फोड़ना

४४७ दंड योग्य मुदाखलत बेजा का दंड

४४८ मकान की मुदाखलत बेजा का दंड

४४६ कोई ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड बध हो मकान की मुदाखलत बेजा करनी

४५० जन्मभरके देशनिकालेके दंडयोग्य कोई अपराध करनेकेलिये मकान को मुदाखलत बेजा करनी

४५१ क़ैद के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाखलत बेजा करनी

४५२ किसी मनुष्यको दुःख पहुंचानेका सामानकरके मकान की मुदाखलत बेजा करना

४५३ मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाने अथवा घर फोड़ने का दंड

४५४ क़ैदकेदंडयोग्य कोईअपराध करनेकेलिये मकान की मुदाखलतबेजाकी घातलगाना अथवा घरफोड़ना

४५५ किसीमनुष्यकोदुःखपहुंचानेकासामानकरकेमकानकीमुदाखलत बेजाकीघातलगानी अथवाघरफोड़ना

४५६ रात के समय मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोड़ना

४५७ क़ैदकेदंडयोग्यकोईअपराधकरनेकेलियेरातकेसमयमकानकीमुदाखलतबेजाकी घातलगाना याघरफोड़ना

४५८ किसीमनुष्यकोदुःखपहुंचानेकासामानकरकेमकानकीमुदाखलतबेजाकीघातरातकोलगाना याघरफोड़ना

४५९ मकानकी मुदाखलतबेजाकी घातलगाने अथवा घरफोड़ने में भारी दुःख पहुंचाना

४६० सबमनुष्य जो मकानकी मुदाखलतबेजाइत्यादि करनेमें साझीहों किसी मृत्यु अथवा भारीदुःख के बदले जो उनमेंसे किसीएकनेकियाहो दंडकेयोग्यहोंगे

४६१ बेधर्मईसे किसी बन्द मकान को जिसमें माल भराहो अथवा भरा होने का अनुमान हो तोड़ना

४६२ दंड उसी अपराधका जबकि उसका करनेवाला कोईऐसामनुष्यहोजिसकोमालकी चौकसीसौंपीगईहो

१८ अध्याय उन अपराधों के विषयमें जो लिखतमों और व्यापार के अथवा मालके चिह्नों से संबन्धरखतेहों

४६३ जालसाजी

४६४ झूंठी लिखतम बनाना

४६५ जालसाजी का दंड

४६६ जालसाजी किसी अदालतके काग़ज़की अथवा उस रोज़नामचेकी जिसमेंबालकोंका जन्मलिखाजाता हो अथवा मुख्त्यारनामे इत्यादि की

४६७ जालसाजीकिसीदस्तावेज़की यावसीयतनामेकी

४६८ छलने के लिये जालसाजी

४६९ किसी मनुष्यके यशको ज्यानपहुंचाने के लिये जालसाजी

४७० जाली लिखतम

४७१ छलछिद्रसे किसी जाली लिखतमको सच्चीकी भांति काममें लाना

४७२ दफ़ा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य कोई जालसाजीकरनेके प्रयोजनसे झूठीमोहर इत्यादि बनानी अथवा पास रखनी

४७३ कोई झूठीमोहर अथवा चपरास इत्यादि दूसरी किसी भांति दंडहोने योग्य कोई जालसाजी करने के प्रयोजन से बनाना अथवा पास रखना

४७४ जो कोई लिखतम यह जान बूझ कर कि यह जालसाजीसे बनीहै अपनेपास इस प्रयोजनसे रखनी कि सच्ची की भांति काम में लाई जाय

४७५ जालसाजी से बनाना किसीचिह्न अथवा निशान का जो दफ़ा ४६७ में कहेहुये प्रकारकी लिखतमों की सचाईकेलिये कामआता हो अथवा पासरखना किसी वस्तुको जिसपर झूठा चिह्न लगा हो

४७६ जालसाजीसे बनाना किसीचिह्न अथवा निशान का जो दफ़ा ४६७ में कहीहुई लिखतमों को छोड़कर औरप्रकारकी लिखतमोंकीसचाईकेलियेकाम आताहो अथवापासरखनाकिसीवस्तुकोजिसपरझूठाचिह्नलगाहो

४७७ छलछिद्र से किसी वसीयतनामे को बिगाड़ना नष्ट करना इत्यादि

व्यापार और माल के चिह्नों के विषय में

४७८ व्यापार का चिह्न

४७६ माल का चिह्न
४८० व्यापार का झूठा चिह्न काम में लाना
४८१ माल का चिह्न काम में लाना
४८२ किसीमनुष्यकोधोखादेनेयानुक्सानपहुंचानेकेप्रयोजनसेव्यापारयामालकाझूठाचिह्नकाममें लानेकादंड
४८३ नुक्सान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से व्यापार अथवा माल का कोई ऐसा चिह्न जिसको और कोई काम में लातेहों झूठा बनाना
४८४ मालका कोई ऐसा चिह्न जिसको कोई सर्वसम्बन्धी नौकर काममेंलाताहो अथवा ऐसा चिह्न जिसको वह किसी मालका तैयार होना और गुण इत्यादि प्रकट करनेकेलिये काममें लाताहो झूठाबनाना
४८५ छलछिद्र से बनाना अथवा पास रखना किसी ठप्पे अथवा चपरास अथवा औजार का इसलिये कि कोई चिह्न मालका अथवा व्यापारका चाहे सर्वसम्बन्धीहो चाहे निजका झूठा बनाया जाय
४८६ जानमानकर बेचना किसी मालका जिसपर व्यापार अथवा मालका झूठा चिह्न लगा हो
४८७ छलछिद्रसे किसी बिदरी अथवा माल भरीहुई वस्तुपर झूठा चिह्न लगाना
४८८ ऐसे झूठे चिह्न को काम में लाने का दंड
४८९ बिगाड़ना मालके चिह्नका नुकसानपहुंचाने के प्रयोजन से

२० अध्याय-नौकरीकाक़ौलक़रारदंडयोग्यरीतिसे तोड़नेकेविषयमें

४९० जल अथवा थलके सफरमें नौकरीकेक़ौलक़रार को तोड़ना

४९१ असमर्थ मनुष्योंकी टहल करने और जो वस्तु उनके लिये अवश्य चाहिये उसके पहुंचाने के क़ौलक़रारको तोड़ना

४९२ क़ौलक़रार का दर किसी स्थानपर जहां नौकर मालिक के खर्च से पहुंचाया गया हो

२० अध्याय—विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषयमें

४९३ संभोग जो किसी पुरुषने धोखेसे नीति पूर्वक विवाह होजाने का निश्चय कराकर कियाहो

४९४ जोरू अथवा खसमके जीतेजी औरब्याह करना

४९५ यही अपराध पहिलेब्याहको उससे जिसके साथ पिछलाब्याह हुआ छिपाकर करना

४९६ छलछिद्रके प्रयोजन से विवाहकर्मकरना

४९७ व्यभिचार

४९८ बुरे प्रयोजनसे बहकाना अथवाले जाना अथवा रोक रखना किसी स्त्रीका जिसकाब्याह होगयाहो

अध्याय २१—अपयश लगाने के विषय में

४९९ अपयश लगाना

तथा लगाना किसी सच्चीबातका जो सबके भलेकेलिये लगाई जानी अथवा प्रकटकी जानी उचितहो

तथा सर्वसम्बन्धी नौकरका सर्वसम्बन्धीचलन

तथा किसी मनुष्यका चलन किसी सर्वसंबंधीबातकेमद्दे

तथा अदालतकी कार्रवाईकी खबर छापकर प्रकट करनी

तथा अदालतमें निबड़ेहुये किसी मुक़द्दमे की अवस्था अथवा उस मुकद्दमके गवाहों इत्यादि

तथा किसी सर्वसम्बन्धी कामकी व्यवस्था

तथा शिक्षादोष जो शुद्धभावसे कोई ऐसा मनुष्यदे जिसको क़ानूनकी रीतिसे दूसरे पर अधिकार प्राप्तिहो

तथानालिखकरनाशुद्धभावसेकिसीमनुष्यकेसामनेजि-
सको यथार्थ अधिकार उसके सुननेकाहो

तथा अपनेस्वार्थकी रक्षाकेलिये अथवासबके भलेके
लिये किसीमनुष्यकोशुद्धभावसेकुछबातलगानी

तथा सावधानीकीबातजोउसमनुष्यकेभलेके लियेहो
जिससे वहकहीगईहो अथवा सबके भलेकेलिये

५०० अपयश लगानेका दंड

५०१ छापना अथवाखोदकरलिखनाकिसीबातकायह
जानकर कियह अपयश लगानेवालीहै

५०२ बेचना किसीछपीहुई अथवाखुदीहुई वस्तु का
जिसमें अपयश लगानेवाली बातहो

अध्याय २२—दंडयोग्य धमकीऔर अपमान औरछेड़नेके विषयमें

५०३ दंडयोग्य धमकी

५०४ कुशलतामेंविघ्नकरानेकेप्रयोजनसेअपमानकरना

५०५ बग़ावतकरानेयासर्वसंबंधीकुशलताकेविरुद्धकोअ-
पराधकरानेकेप्रयोजनसेझूठेअफ़वाहइत्यादिकाउड़ाना

५०६ दंडयोग्य धमकी देनेका दंड

तथा कदाचितधमकीमारडालने अथवाभारीदुःखपहुं-
चाने इत्यादि की

५०७ बिनानामकीमुखबरीकेद्वारादंडयोग्यधमकीदेना

५०८ कामजो किसीकोबहकाकरदैवीकोपकानिश्चय
करानेसे किया जाय

५०९ किसीस्त्रीकी लज्जाकाअपमान करनेकेप्रयोजन
से बचन कहना अथवा सैनदेना

५१० कुचलनकिसीनशाकियेहुयेमनुष्यकासबकेसामने

अध्याय २३

५११ अपराध के उद्योगका दंड

समाप्तः

हिन्दुस्तान का दण्ड संग्रह

अर्थात्

ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ई०



हिन्दुस्तान की क़ानून कारक कौंसिल से जारी हुआ और तारीख़ ६ अक्टूबर सन् १८६० ई० को श्रीमान् गवर्नर जनरल प्रतापी ने मंजूर किया ॥

—☽⁑☾—

अध्याय १

भूमिका

जो कि उचित है कि हिन्दुस्तान में सब अंगरेज़ी राज्य भर के लिये एक ही दण्ड-संग्रह बनाया जाय इसलिये आज्ञा हुई कि

इस ऐक्ट का नाम और इसके प्रचार की अवधि

१--इस ऐक्ट का नाम हिन्दुस्तान का दण्ड संग्रह रक्खा जाय और तारीख़ १ [1] मई सन् १८६१ ईसवी को और उससे पीछे सब देशोंमें जो श्रीमती महारानीको अपने राज्यके २१ व २२ वें सम्वत्‌की क़ानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्तान का राज्य प्रबन्ध

---

१ सन् १८६१ के ऐक्ट ६ के अनुसार जारीहोना इसदंडसंग्रह का तारीख़ १ जनवरीसन्१८६२ई० तकरुकगया उससेपीछेजारीहोगा ॥

सुधारने के लिये हुआ था अब प्राप्त है अथवा आगे प्राप्त हों सिवाय सेटिल मेण्ट प्रिंस आफ़् वेल्सके टापू और सिंहिकापुर और मलाकाके सब ठौर जारीहो ॥

दंड अपराधों का जो ऊपर कहेहुये देशों के भीतर किये जांय

२-हर एक मनुष्य केवल इसी ऐक्ट के अनुसार और इससे बिरुद्ध किसी भांति नहीं दण्ड उनकामोंका पावेगा जिनको वह इसके लेख के बिरुद्ध तारीख १ मई सन् १८६१ ई० को अथवा उससे पीछे ऊपर कहेहुये देशों के भीतर करें अथवा करने से चूके ॥

दंड अपराधोंका जो ऊपर कहेहुये देशोंसे बाहर किये जांय परंतु क़ानून अनुसार उनके मुक़द्दमे तजवीज़ उन देशोंके भीतर होसक्ती हो।

३-कोई मनुष्य जिसके मद्धे हिंदुस्तानके कौंसिलस्थ श्रीमान् गवर्नर जनरल प्रतापी की चलाई हुई किसी क़ानून के अनुसार तजवीज़ दण्ड को उस अपराध के लिये जो ऊपर कहे हुये देशोंके बाहर किया जायहो सक्तीहों इसीसंग्रहके लेखों अनुसार दंड उस अपराध का जो वह उन्हीं देशोंके बाहर करे उसी भांति पावेगा मानो वह अपराध उसने उन देशोंके भीतर किया ॥

४-हरएक नौकर श्रीमती महारानी का इसी संग्रह के अनुसार दंड हर एक काम अथवा चूक का जो

१-देखो ऐक्ट नम्बर १ सन् १८४९

वह नौकरी के समयमें इसके लेखोंके विरुद्ध तारीख़

दंड उन अपराधोंका जो श्रीमती महारानीका कोई नौकरकिसी हितकारी दरबार के राज्यमें करे

१ मईसन् १८६१ ई०को अथवा उससे पीछे किसी ऐसे राजा अथवा दरबार के राज्य में करे जिसकी मित्रता श्रीमती महारानी के दरबार के साथ किसीसन्धि पत्र अथवालिखतम के द्वारा हो जो अबसे पहले श्रीमान् ईस्टइंडिया कम्पनीके साथ होचुकीहो अथवा हिन्दुस्तानकीकिसी गवर्नमेण्ट के साथ श्रीमती महारानी के नामसेलिखी गईहो अथवा आगे लिखीजाय॥

५-इस ऐक्टके किसी लेखका प्रयोजन यह नहीं है

किसी किसी क़ानून मेंइस ऐक्ट से कुछ न्यूनता न आवेगी

कि कोई लेख महाराजा वलियम चौथे के राज्य के सम्वत् ३ और ४ को क़ानून के अध्याय ८५ का अथवा पारलियेमेण्ट[1] की दूसरी किसी क़ानून का जो उस क़ानून से पीछे जारी हुई हो और किसी भांति कुछ सम्बन्ध ईस्टइंडिया कम्पनीसे अथवाऊपर कहे हुये देशोंसे अथवा उनकी प्रजासे रखतीहो मेटा अथवा बदला अथवा रोका अथवा न्यून किया जाय और न किसी ऐसी क़ानून के लेखके मिटाने अथवा

१—इंगलिस्तान का राज सभा

बदलने अथवा रोकने अथवा न्यून करने से है जो श्री मती महारानी की अथवा ईस्टइण्डिया कम्पनी की सेना के सिपाहियों और अफसरों को बाग़ी होने अथवा भाग जाने का दण्ड देनेके लिये अथवा हिन्दुस्तान को जहाज़ी सेना का प्रबन्ध रखनेके लिये जारी हुईहो अथवा दूसरे किसी विशेष काम या विशेषस्थान के लिये चलाईगई हो ॥

अध्याय २

साधारण अर्थ प्रकाश ॥

६ इससंग्रह भरमें अपराध का हरएक लक्षण और

लक्षण इस संग्रहमें आधीन दंड का नियम और उस लक्षण छूटों के समझे जायगे अथवा दंडके नियम का हर एक

उदाहरण आधीन उन छूटों के समझा जायगा जोसाधारण छूटों के अध्याय में लिखी हैं यद्यपि वे छूटउस लक्षण अथवा दंडके नियम अथवा उदाहरण के साथ फिरवर्णनभी न हुईहों ॥

उदाहरण ॥

(अ)—इस संग्रह भरमें जिन दफ़ोंमें अपराधों के लक्षणलिखे हैं उनमें यद्यपि यह नहीं लिखा कि सात बरस से कमती अवस्थाके बालक इन अपराधोंके अपराधी न हो सकेंगे फिरभी उन लक्षणों को आधीन उस साधारण छूटके समझना चाहिये

जिसमें यह नियम लिखाहै कि जो कुछ काम सात बरस सेकम
ती अवस्था का कोई बालककरे वह अपराध न गिनाजायगा—
(इ)—देवदत्त एक पुलीस के नौकर ने विष्णु मित्र को जो
अपराधी ज्ञात घातका[1] था विना वारंट[2] के पकड़ा तौ यहांदेव-
दत्तअनीति वन्दिके[3] अपराधका अपराधी नगिना जायगा क्योंकि
क़ानून की आज्ञानुसार विष्णु मित्रका पकड़ना उसपर अवश्य
था और इसलिये यह अवस्था उस साधारण छूट के आधीन
गिनी जायगी जिसमें यह नियम लिखाहै कि जो कुछकामकोई
ऐसा मनुष्यकरे जिसपर उसका करना क़ानून अनुसार अवश्यहै
वह अपराध न गिना जायगा—

७-हर एक वचन जिसका अर्थ इस संग्रह में कहीं
जिस शब्दका संकेत एक **एक ठौर संकेत कर दिया गया**
बार कर दिया गया है **है इस संग्रह भरमें उसीअर्थसे**
वह इस संग्रहभरमें उसी **वर्त्ता गया है**
आशय से वर्त्ता गया है

८-संज्ञा प्रति निधि शब्द वह और उसके कारकहर
लिंग **किसी मनुष्य के लिये चाहे स्त्री**
हो चाहे पुरुष वर्त्ते गयेहैं ॥

९-जब तक कि प्रसंग में कुछ बिरोध न दिखाई दे
संख्या **तब तक एक वचनके अर्थ देने-**
वाले शब्दों में बहु वचन भी समझे जायँगे और बहु

१—अर्थात् जान बूझ कर मारना
२—गिरफ़्तारी का हुक्मनामा
३—देखो अध्याय १६

बचन के अर्थदेने वाले शब्दोंमें एक बचनभी समझा जायगा ॥

स्त्री वा पुरुष

१०-पुरुष शब्दका संकेत किसी अवस्था के मनुष्य जाति के पुल्लिंगसे है और स्त्री शब्द का संकेत किसी अवस्था कीस्त्रीजाति के स्त्रीलिंग से है ॥

मनुष्य

११-मनुष्य शब्दमें हरएक कम्पनी और समाजऔर समुदाय भी समझा जायगा चाहे सनद पाचुका होचाहे नपाचुकाहो॥

सर्व सम्बन्धी

१२-सर्वसम्बन्धी इस शब्द में सब प्रजा का कोईस-मुदाय और किसी एक सम्बन्ध के सब लोग भी गिने जायँगे ॥

श्रीमती महारानी

१३-श्रीमती महारानी इन शब्दोंका संकेत ग्रेटब्रिटन और अयरलेण्ड के संयुक्त राज्यके अधिपति से है जिस समय जो कोई हो ॥

श्रीमती महारानी के नौकर

१४--श्रीमती महारानी के नौकर इन शब्दोंका संकेत सब अहल्कारों अथवा नौकरों से है जो श्रीमती महारानी विक्टोरिया के राज्य के सम्बत् २१ व २२ की क़ानूनके अध्याय १०६के

(१) अर्थात् इंगलेण्ड और स्काटलेण्ड और वेल्स

अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्तान का राज्य प्रबन्ध सुधारनेके लिये हुआथा अथवा गवर्नमेण्ट हिन्द अथवा और किसीगवर्नमेण्टकी आज्ञासे हिन्दुस्तानमें नौकरी पर बनेहों अथवा नियत किये गयेहों अथवा कामपर लगायेगयेहों ॥

१५--हिन्दुस्तान में अंगरेज़ी राज्य इन शब्दों का संकेत उन देशोंसेहै जो श्रीमती महारानी को अपने राज्यके सम्बत् २१ व २२वेंकी क़ानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्तान का राज्य प्रबन्ध सुधारने के लिये हुआ था अब प्राप्त है अथवा आगे प्राप्तहों सिवाय सेटिलमेण्ट प्रिन्स आफ़् वेल्स के टापू और सिंहिकापुर और मलाकाके ॥

हिन्दुस्तान में अंगरेज़ी राज्य

१६--गवर्नमेण्टहिन्द इनशब्दोंका संकेत हिन्दुस्तान के श्रीमान् गवर्नर जनरल कौंसिलस्थ से अथवा जब हिन्दुस्तान के श्रीमान्‌गवर्नर जनरल अपनी कौंसिल से अलग हों तब कौंसिल के सभाधीश कौंसिलस्थ से अथवा केवल श्रीमान् गवर्नर जनरलसे है जैसा जिसका अधिकार क़ानून केअनुसारहो ॥

गवर्नमेण्टहिन्द

१७--गवर्नमेण्ट शब्दका संकेत उस मनुष्य अथवा मनुष्यों से है जिनको क़ानून अनुसार हिन्दुस्तानमें अंगरेज़ी राज्य के किसी खण्ड का राज्य प्रबन्ध बर्त्तनेका अधिकार हो ॥

गवर्नमेण्ट

१८--हाता शब्दका संकेत उन देशोंसे है जो एकही हातेको गवर्नमेण्टके अधीन हों॥

हाता

१६--हाकिम शब्दका संकेत केवल उसी एकमनुष्य से नहीं है जिसके ओहदे की पदवी जज की हो किन्तु हरएक ऐसे मनुष्यसे भी है जिसको क़ानून अनुसार किसी क़ानून सम्बन्धी काररवाई में चाहे दीवानी की हो चाहे माल की चाहे फ़ौजदारी की अधिकार अख़ीर तजवीज़ करने का अथवा ऐसी तजवीज़ करने का हो जो अपील न होनेकी अवस्था में अमिट गिनी जाय अथवा किसी दूसरे हाकिम के यहांसे बहाल रहने पर अमिट समझी जाय अथवा जो मनुष्यों के किसी ऐसे समूह में से हो जिसको क़ानून अनुसार ऊपर लिखे प्रकार की तजवीज़ करने का अधिकार प्राप्त हो ॥

हाकिम

उदाहरण ॥

(अ)--कोईकलेक्टरजबकि ऐक्ट १०सन्१८५६ ई० के अनुसार अधिकार वर्त्तताहो हाकिम गिना जायगा ॥

(इ)—कोईमजिस्ट्रेट जबकिसी ऐसे मुक़द्दमेमें अधिकार बर्त्तताहो जिसमें वह आज्ञा जुर्माने अथवा क़ैदके दंडकी देसक्ताहो हाकिम गिनाजायगा चाहेअपील उसकीतजवीज़ कीहोसके चाहेनहोसके ॥

(उ)—कोई पंच किसी पंचायतका जिसको मन्दराजके क़ानून७सन् १८१६ई०के अनुसार अधिकार नालिशसुनने और तजवीज़ करनेका है हाकिम गिनाजायगा ॥

(ए)—कोईमजिस्ट्रेटजबकिअधिकार किसीऐसेमुक़द्दमेमेंबर्त्तताहो जिसमें वह केवल दूसरीअदालतकी सिपुर्दगीका इख़्तियार रखताहो हाकिम न गिना जायगा ॥

अदालत

२०-अदालत शब्दका संकेत उस हाकिम से है जिस को क़ानून अनुसार अकेले आप हो अधिकार तजवीज़ करने का हो अथवाहाकिमों के उस समाज से है जिसके सब हाकिमों को मिलकर क़ानून अनुसार अधिकार तजवीज़ करने का हो उस समय जब कि वह हाकिम अथवा हाकिमों का समाज न्याय करनेको बैठे ॥

उदाहरण ॥

वह पंचायत जिसको मन्दराजकेक़ानून ७ सन्१८१६ई०के अनुसार अधिकारनालिशसुननेऔरतजवीज़करनेकाहै अदालतगिनीजायगी॥

सर्व सम्बन्धी नौकर

२१-सर्व सम्बन्धी नौकर[१] इन शब्दोंका संकेत उस मनुष्यसेहै जोनीचे लिखेप्रकारोंमें से किसी में हो अर्थात् ॥

१-सर्व सम्बन्धी नौकर को सर्कारी नौकर भी कहते हैं ॥

पहले हरएक प्रतिज्ञा किया हुआ नौकर श्रीमती महारानी का ॥

दूसरे-हर एक कमीशनदार अफसर श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना का जब कि वह गवर्नमेण्ट हिन्द अथवा और किसी गवर्नमेण्ट के आधीन काम करता हो ॥

तीसरे—हरएक हाकिम ॥

चौथे हरएक अहल्कार किसी अदालतका जिसका काम उस अहल्कारी के द्वारा किसी क़ानून सम्बन्धी बात अथवा वृत्तांत के मद्धे तहक़ीक़ात करना अथवा रिपोर्ट भेजना अथवा किसी लिखतम का बनाना अथवा तस्दीक़ करना अथवा रखना अथवा किसी वस्तु को चौकसी में लेना अथवा खर्च करना अथवा अदालत की आज्ञा को जारी करना अथवा सौगन्द दिलाना अथवा उल्था करना अथवा अदालत में बन्दोबस्त रखना हो और भी हरएक मनुष्य जिसको इन कामों में से किसी के करने का अधिकार विशेष करके किसी अदालत से मिला हो ॥

पांचवें-हर एक जूरीमैन अर्थात् पंच अथवा असेसर अथवा सभासद किसी ऐसी पंचायतका जो किसी अदालतको अथवा सर्वसम्बन्धी नौकरको सहायता देतीहो

छठवें—हर एक पंच अथवा और कोई मनुष्य जिस को कोई बात अथवा मामला अकेले आपही तजवीज़ करने अथवा रिपोर्ट लिखनेके लियेकिसी अदालत ने अथवा दूसरे किसी अधिकारी ने सौंपा हो ॥

सातवें-हर एक मनुष्य जो ऐसा ओहदा रखताहो जिसके प्रताप से वह किसी मनुष्य को बन्दिमें भेजने अथवा रखने का अधिकारी हो ॥

आठवें-हरएक अहल्कार गवर्नमेण्ट का जिसका काम उस अहल्कारी के द्वारा यह हो कि अपराधों का होना रोके और अपराधियों की रिपोर्ट करे और अपराधियों को दंड करावे और सर्व सम्बन्धी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता की रक्षा रक्खे ॥

नवें-हरएक अहल्कार जिसका काम उस अहल्कारी के द्वारायह हो कि किसी मालको गवर्नमेण्ट की ओर से दूसरे से ले अथवा उगाहे अथवा चौकसी में रक्खे अथवा खर्च करे अथवा धरतीको नापें अथवा मेज़ लगावे अथवा गवर्नमेण्ट की ओर से क़ौल क़रार करे अथवा सरिश्ते माल का कोई हुकमनामा जारी करे अथवा किसी बातको जिसमें गवर्नमेण्ट का कुछस्वार्थ रुपये के मद्धे होतहक़ीक़ात अथवा रिपोर्ट करे अथवा

किसी लिखतम को जिसमें गवर्नमेण्ट का कुछ स्वार्थ रुपयेके मद्धे हो लिखे अथवा तस्दीक़ करे अथवा चौकसी में रक्खे अथवा रुपये के मद्धे गवर्नमेण्टके किसी स्वार्थ की रक्षा के लिये किसी क़ानून का उल्लंघन होना रोके और हरएक अहल्कार जो गवर्नमेण्ट की नौकरी पर हो अथवा गवर्नमेण्ट से तलब पाता हो अथवा जो किसी सर्व सम्बन्धी काम के भुगताने के बदले फ़ीस अथवा रसूम पाता हो ॥

दसवें-हर एक अहल्क़ार जिसका काम उस अहल्कारीके द्वारा यहहो कि किसी मालको दूसरे से ले अथवा उगाहे अथवा चौकसी में रक्खे अथवा खर्च करे अथवा धरती को नापे अथवा भेद लगावे अथवा किसीगांव अथवा क़स्बे अथवा ज़िले के सर्व सम्बन्धी लौकिक कामकेलिये बाछ्डाले अथवा करबांधे अथवा किसी गांव अथवा क़स्बे अथवा ज़िलेके लोगोंके अधिकार निश्चय करने के लिये कोई लिखतम लिखे अथवा तस्दीक़ करे अथवा चौकसी में रक्खे ॥

उदाहरण ॥

म्युनीसीपल[1] कमिश्नर सर्वसम्बन्धी नौकर गिना जायगा—

१—अर्थात् वह मनुष्य जिसको किसीस्थान की सफ़ाई इत्यादि के बन्दोबस्त रखने का अधिकार दियागया हो—

विवेचन १-जो मनुष्य ऊपर कहे हुये प्रकारों में से किसी में हो सर्ब सम्बन्धी नौकर गिने जायँगे चाहे वे गवर्नमेण्ट ने नौकर रक्खे हों या न हों ॥

विवेचन २-जहां कहों सर्बसम्बन्धी नौकर शब्दआवे वहां उस से हरएक मनुष्य जो किसी सर्ब सम्बन्धी नौकर की जगह पर हो समझा जायगा चाहे उस जगह पर होने के लिये उसके अधिकार में कैसाही क़ानूनी खोटा हो ॥

स्थावर धन

२२-स्थावर धन इन शब्दों का प्रयोजन हरएक प्रकार की मूर्त्तिमान वस्तु से है सिवाय धरती के और धरती से बँधी हुई वस्तुओंके और ऐसी वस्तुओं के जो धरतीसे बँधी हुई किसी वस्तु के साथ सदैव को लगी हों ॥

अनीतिप्राप्ति

२३- अनीति प्राप्ति वह प्राप्ति किसी वस्तुकीहै जिसको अनीति उपाय से कोई ऐसा मनुष्य पावे जो उसके पाने का अधिकारी क़ानून अनुसार न हो ॥

अनीतिहानि

अनीति हानि वह हानि किसी वस्तु की है जो अनीति रीति से किसी ऐसे मनुष्य को हो जाय जिस को क़ानून अनुसार उस वस्तु का अधिकार हो ॥

अनीतिप्राप्तिमें किसीवस्तु का अनीतिसेरखलेना भी गिना जायगा

कोई मनुष्य अनीतिसे प्राप्तिकरनेवाला किसी वस्तु का कहलावेगा जब कि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु को अपने अधिकार में रक्खे और भी जब कि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु को पावे और कोई मनुष्य अनीति से खोने वाला किसी वस्तु का कहलावेगा जब कि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु से बेदखल रक्खा जाय और भी जब कि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु से रहित किया जाय ॥

अनीति हानिमें किसी वस्तुसे अनीतिरीतिसे बेदख़ल रक्खाजाना भी गिनाजायगा

बेधर्मीसे

२४-जो कोई मनुष्य कुछ काम किसी मनुष्य को अनीति प्राप्ति कराने अथवा दूसरे मनुष्य को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजन से करे तो कहलावेगा कि वह काम उसने बे धर्मी से किया ॥

छलछिद्रसे

२५-कोई मनुष्य छलछिद्र से करने वाला किसी काम का कहलावेगा जबकि वह उस काम को छलछिद्र के प्रयोजन से करे परन्तु और किसी भांति नहीं ॥

२६--किसी मनुष्यके पास किसी बातके निश्चय मानने का हेतु कहलावेगा जब कि उस के पास उस बात को प्रतीत करने का अच्छा कारण हो परन्तु और किसी भांति नहीं ॥

निश्चयमानने का हेतु

२७--जब कुछ वस्तु किसी मनुष्यकी जोरू अथवा गुमास्ते अथवा नौकर के अधिकार में उसी मनुष्यकी ओर से हो तो इस संग्रह के अर्थ अनुसार उसी मनुष्य के अधिकार में गिनी जायगी ॥

वस्तु जो जोरू अथवा गुमास्ते अथवा नौकर के अधिकारमें हो

विवेचन-कोई मनुष्य जो थोड़ेही दिनकेलियेअथवा किसी विशेष कामपर गुमास्ते अथवा नौकर के अधिकार पर रक्खा जाय वह भी इस दफ़ा के अर्थ में गुमास्ता अथवा नौकर गिना जायगा ॥

२८--कोई मनुष्य खोटाबनानेवाला कहलावेगाजब कि वह एक वस्तुको दूसरी वस्तु के सदृश इस प्रयोजन से बनावे कि उस सदृशता के द्वारा धोखा देगा अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा धोखा दिया जायगा ॥

खोटा बनाना

विवेचन—खोटा बनानेके लिये यह अवश्य नहींहै कि सदृशता ठीकही ठीकहो ॥

२६--लिखतम शब्द का संकेत किसी अर्थसे है जो किसी वस्तु पर अक्षरों अथवा अंकों अथवा चिह्नों के द्वारा अथवा इन में से एकसे अधिक के द्वारा प्रकट अथवा वर्णन किया जाय चाहे इस प्रयोजनसे हो कि उस अर्थ के सबूत की भांति काम आवे और चाहे ऐसा हो कि सबूत में काम आसके ॥

लिखतम

विवेचन १-इस बातकी कुछ विशेषता नहीं है कि किस वस्तुसे अथवा किस वस्तुपर अक्षर अथवा अंक अथवा चिह्न बनाये जायँ और न इस बात की है कि वह सबूत किसी अदालत में काम आने के प्रयोजन से अथवा काम आनेके योग्यहै या नहीं ॥

उदाहरण ॥

कोई लेख जिसमें नियम किसी क़ौल क़रार के प्रकटहों और जो उस क़ौल क़रारके लिये सबूतकी भांति काममें आसके लिखतम गिना जायगा ॥

चेक अर्थात् रुक्का जो किसी कोठीवालके ऊपर किया जाय लिखतम गिना जायगा—

मुख़्तारनामा लिखतम गिना जायगा—

नक्शा जो सबूतकी भांति काममेंआनेके प्रयोजनसे अथवा काममें आनेके योग्य बनाया जाय लिखतम गिना जायगा—

कोई लेख जिसमें शिक्षा अथवा आज्ञाहो लिखतम गिना जायगा

विवेचन २--जो कुछ आशय अक्षरों अथवा अंकों अथवा चिह्नों से सौदागरी के चलन अनुसार अथवा दूसरे किसी व्यवहार में प्रकट होता हो वही इस दफ़ाके अर्थ में उन अक्षरों अथवा अंकों अथवा चिह्नों से प्रकट होना समझा जायगा यद्यपि वह आशयस्पष्ट प्रकट न भी हो ॥

उदाहरण

देवदत्तने अपनानाम किसी हुक्मयोग्यहुंडी[1] कीपीठपर जिसका रुपया उसको मिलनाथा—लिखदिया और ऐसे लेखका अर्थ साहूकारे के चलनमें यहहै कि जिस किसीके पास वहहुंडीहो वही उसको पटा सक्ताहै तो यह लेख लिखतम समझा जायगा और अर्थ इसका इसी भांति लगेगा मानो देवदत्त केदसख़तके ऊपर यह बात लिखी होती कि इसके धनी को रुपया देदो अथवा इसी आशयके और कुछ शब्द लिखेहोते—

३०--दस्तावेज़ शब्द का संकेत किसी लिखतमसेहैजो लिखतम इस बातकी हो अथवा जिसका प्रयोजन यह हो कि उसके द्वारा कोई क़ानून अनुसार अधिकार उत्पन्न हुआ अथवा बढ़ाया गया

दस्तावेज़

१—हुक्मयोग्यहुंडी वह कहलातीहै जिसका रुपया मालिकके हुक्मके अनुसार किसी मनुष्यको मिलसके—

अथवा एकसे दूसरे को दिया गया अथवा अवधि किया गया अथवा नष्ट किया गया अथवा छोड़ा गया अथवा जिसके द्वारा कोई मनुष्य स्वीकार करे कि मैं फलानी क़ानून अनुसार बात के अधीन हूं अथवा मुझको फलाना क़ानून अनुसार अधिकार नहीं है ॥

उदाहरण

देवदत्तने अपना नाम किसी हुंडीकी पीठपर लिखा तो जब कि आशय इस लेखका यहहै कि उस हुंडीका अधिकार उसी मनुष्यको दिया गया जो नीति पूर्वक धनी उसकाबने इसलिये यह लेख दस्तावेज़ गिना जायगा—

वसीयतनामा — ३१--वसीयतनामा[1] शब्द का संकेत उस लिखतम सेहै जो कोई मनुष्य मरने से पहिले अपने माल मिलकियत के बन्दोबस्त के मद्दे लिखे ॥

करनेके कामोंसम्बन्धी शब्दक़ानूनबिरुद्ध चूकों सेभीसम्बन्धरक्खेंगे — ३२--इस संग्रह के हर एक भाग में सिवाय उन भागों के जहां लेख से उलटा आशय दिखाई पड़ता हो करने के कामों सम्बन्धी शब्द क़ानून विरुद्ध चकों[2] से भी सम्बन्ध रक्खेंगे ॥

काम — ३३--काम शब्द का संकेत एक कामसे भी है और अनेक कामों से भी है और चू-

---

१—अर्थात् मृत्युपत्र—
२—अर्थात् जो काम करनेका है उसको न करना—

कने का संकेत एक चूक से भी है और अनेक चूकों-

चूक से भी है ॥

३४--जब कोई अपराध का काम कई मनुष्यों ने किया हो तो उन मनुष्यों में से हर एक उस काम के लिये उसी योग्य होगा मानों वह काम उसी अकेले ने किया ॥

कईमनुष्योंमेंसे हरएक मनुष्य उसकाम केबदले जोसबनेमिलकरकिया हो उसीयोग्यहोगा मानोंकेवलउसीनेवहकाम किया

३५--जब कभी कोई काम जो केवल इसी हेतु से अपराध गिना जाता हो कि कुज्ञान से अथवा कुप्रयोजन सेकिया गया कई मनुष्योंने मिलकर किया होतो उन मनुष्यों में से हर एक जिसने उसके करने में इस प्रकार के ज्ञान अथवा प्रयोजन से साझा किया उसी योग्य होगा मानों उस अकेले ने वह काम उसी ज्ञान अथवा प्रयोजन से किया ॥

जबऐसा कोई कामइसी हेतुसे अपराधहो कि कुज्ञान अथवाकुप्रयोजनसे किया गया

३६--जब कभी किसी परिणाम का कराना अथवा कराने का उद्योग करना चाहे कुछ काम करने से हो चाहे चूकने से अपराध गिना जाता हो तो

परिणाम जोकुछतौकरनेसे और कुछचूकनेसे कराया जाय

१--अर्थात् कामका फल--

समझाजाय तो कि उस परिणाम को कुछ तो कोई काम करके और कुछ चूक करके कराना भी वही अपराधहै ॥

उदाहरण

देवदत्तने जानबूझकर विष्णुमित्रकी मृत्यु कराई कुछतो उसको आहार देनेमें क़ानून विरुद्ध चूककरके और कुछउसको मारपीट करके तो देवदत्तने घातघात किया--

अपराधके अनेककामों मेंसेएककोकरकेसाझी होना

३७--जब किसी अपराध के होनेके लिये अनेककाम अवश्यहों तो जोकोई मनुष्यजान बूझकर उन कामों में से किसी एकको केवल आपही अथवादूसरे मनुष्य के साझे में करके उस अपराध का भागी होगा वह उसी अपराध का करनेवाला कहलावेगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त और यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को अलग अलग समयपर अलग अलग थोड़ा थोड़ा विष देकर मारडालनेकामता किया और उसी मतके अनुसार देवदत्त और यज्ञदत्तने विष्णु-मित्रको मार डालने के प्रयोजन से विषदिया--विष्णुमित्र उसी विषसे जो कईबार करके उसको इसभांति दिया गया मरगया तो यहां देवदत्त और यज्ञदत्तने जानबूझकर घातघात करनेमें साझाकिया और उनमें से हर एकने वह कामकिया जो विष्णु-मित्रकी मृत्यु का हेतु हुआ इसलिये वे दोनों उस अपराध के करता हुये यद्यपि उनके काम अलग अलगथे--

(इ) देवदत्त और यज्ञदत्त दोनोंसाझेमेंजेलखानेके अधिकारीथे

और उस अधिकार के कारण उनको विष्णुमित्र कैदी की चौकसी अपनी अपनी बारीसे छः छः घंटेकरनी सौंपीगई देवदत्त और यज्ञदत्तने विष्णुमित्रकी मृत्यु कराने के प्रयोजनसे जानबूझकर उस परिणाम के होनेमें साझाकिया इसउपायसे कि हर एक ने अपनी अपनी बारीके समयमें विष्णुमित्रको उस आहारके पहुंचानेमें जो उनको पहुंचानेकेलिये मिलाथा क़ानूनविरुद्ध चूककी और विष्णुमित्र भूखसे मरगया तो देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों विष्णुमित्र के ज्ञातघात के अपराधी हुये—

(उ)—देवदत्त को जो जेलख़ानेका अधिकारीथा विष्णुमित्र कैदीकी चौकसी सौंपीगई देवदत्तने विष्णुमित्रकी मृत्युकरानेके प्रयोजनसे विष्णुमित्रको आहारपहुंचानेमें क़ानूनविरुद्ध चूककी और इससे विष्णुमित्रका बल बहुतघटगया परंतु लंघनऐसा न हुआ कि उसके मरनेका हेतुहोता—देवदत्त अपने अधिकार से छुड़ादियागया और यज्ञदत्तको उसकी जगह मिली—यज्ञदत्तने देवदत्तकी मिलावट अथवा सहायताकेबिना विष्णुमित्रकोआहार पहुंचानेमें क़ानूनविरुद्ध चूककी यह बात जानबूझकर कि इससे विष्णुमित्रकी मृत्युकाहोना अतिसंभवितहै और विष्णुमित्र भूख से मरगया तो यज्ञदत्त ज्ञातघातका अपराधीहुआ परंतुदेवदत्त ने यज्ञदत्तको सहायता नहीं दी इसलिये देवदत्त केवल ज्ञातघात के उद्योग का अपराधी रहा—

अनेकमनुष्य जो किसीअपराधकोकरें अलगअलग अपराधों के कर्त्ता हो सकेंगे

३८--जहां अनेकमनुष्य कुछ अपराधका काम करते हों अथवाउसमें सरोकाररखते हों तो वे उस कामके करनेसे अलग अलगअपराधोंकेअपराधीहोसकेंगे।

उदाहरण

देवदत्तने विष्णुमित्र पर उठैयाक्रिया किसी ऐसे भारीक्रोध करानेवाले कामकी अवस्थामें जबकि उसका विष्णु मित्रको मार डालना केवल ज्ञातवत्[1] घात गिना जाता परंतु ज्ञातघात न गिना जाता—यज्ञदत्तने जिसकी ईर्षा विष्णु मित्रसे थी और जो विष्णुमित्र के मार डालनेका प्रयोजन रखताथा यद्यपि वहकिसी क्रोध दिलानेवाले कामकी अवस्थामें भी न था देवदत्तकोविष्णु मित्रके मार डालनेमें सहारा दिया—यहां देवदत्त और यज्ञदत्त दोनोंने विष्णु मित्रको मारा परंतु यज्ञदत्तका अपराध ज्ञातघात और देवदत्तका केवल ज्ञातवत् घातहुआ—

३९-कोई मनुष्य किसी परिणाम को जानबूझकर जानबूझकर करने वाला कहलावेगा जब कि वह उसको ऐसे उपायोंसे करावे जिनको वह उसपरिणाम के होनेके प्रयोजनसे काममें लावे अथवा जब कि वह परिणाम ऐसे उपायों से किया जाय जिनको करने के समय वह जानताहो अथवा जाननेका हेतु रखता हो कि उनसे उस परिणाम का होना अति संभवित है ॥

१—ज्ञातवत्घात उस घातका नामहै जोजानबूझकर किसी की मृत्यु करने के प्रयोजनसे न कीगईहो परंतु ऐसी अभाव धानीहुईहो कि उसके कारण अपराधी दण्ड के योग्यहो—

उदाहरण।

देवदत्तने रातके समय किसी बड़ेनगरके एकमकानमें जिसमें मनुष्य रहते थे इस प्रयोजन से आग लगाई कि डाका डालना सहज होसके और उस आगसे एकमनुष्य मरगया—यहां यद्यपि देवदत्तने किसीके मारने का प्रयोजनभी न कियाहो और चाहे वह पछताता भी हो कि हाय मेरेकरनेसे इस मनुष्यका मरना हुआ तौभी वह जानबूझकर मारने वाला कहलावेगा कदाचित् उसने जानलियाहो कि मेरे इस कामसे किसीका मरना अति संभवित है—

४०--अपराध शब्दका संकेत किसीकामसेहै जोइस संग्रहमें दण्डके योग्य ठहरादिया गयाहो॥ (अपराध)

४१--विशेष क़ानून वह क़ानून है जो किसी विशेष विषयसे संबन्ध रखतीहो॥ (विशेष क़ानून)

४२--देश विशेषी क़ानून वह क़ानूनहै जो हिन्दुस्ता-नमें अंग्रेज़ी राज्यके केवल किसी एकविशेष खण्डसेसंबन्ध रखतीहो॥ (देशविशेषीक़ानून)

४३--क़ानून विरुद्ध शब्दका संबन्ध हर एक कामसे है जो कि अपराध हो अथवा जो क़ानूनसे वर्जितहो अथवा जिससे दीवानीकी नालिश का कारण निकले और किसीम-नुष्यपर क़ानून अनुसार किसी कामका करना अवश्य (क़ानूनविरुद्ध) (क़ानून अनुसार अवश्य)

तब कहलावेगा जब कि उसकाम को न करना उसके लिये क़ानून बिरुद्धहो ॥

४४--हानि शब्दका संकेत हरएक ज्यानसेहै जोक़ानून विरुद्ध किसी मनुष्यकेतन अथवा मन अथवा यश अथवा धनको पहुंचाया जाय ॥

हानि

४५--जीव शब्दकासंकेत मनुष्यके जीवसे हैसिवाय उसके जहां लेखसे इसके विरुद्ध अर्थ दिखाई दे ॥

जीव

४६--मृत्यु शब्दका संकेत मनुष्यकी मृत्युसेहै सिवाय उसके जहांलेखसेइसकेविरुद्ध अर्थ दिखाईदे ॥

मृत्यु

४७--पशु शब्द का संकेत मनुष्य को छोड़कर हर एक जीवधारी सेहै ॥

पशु

४८--जहाज़ शब्दका संकेत प्रत्येक वस्तुसेहै जोपानी के रस्ता मनुष्यों को अथवा चीज़ बस्तुको उतारनेके लिये बनीहो ॥

जहाज़

४९--जहां कहीं बरस शब्द अथवा महीना शब्दबर्ता गयाहै वहां समझा गयाहै कि बरस अथवा महीना अंग्रेज़ी पत्रेकी गिनतीसे है ॥

बरस

५० दफ़ा शब्द का संकेत इस संग्रह के हरएक अ-
दफ़ा ध्यायके उन भागोंसे है जो सिरे पर
लगेहुये गिनतीके अंकोंसे पहचाने जाते हैं ॥

५१ सौगन्द शब्दमें सत्य बोलनेकी वह प्रतिज्ञा भी
सौगन्द गिनी जायगी जो क़ानून अनुसार
सौगन्दके बदले ठहराईगईहो और और कोई प्रतिज्ञा
भी गिनी जायगी जिस का किसी सर्व संबन्धी नौकर
के सामने किया जाना अथवा सुबूत की भांति चाहे
अदालतमें हो चाहे और कहीं बर्त्ता जाना क़ानून अनु-
सार अवश्य अथवा उचितहो ॥

५२—कोईबात जो यथोचित सावधानी और विचार
शुद्धभाव से न की गई अथवा नमानीगई हो
शुद्धभावसे की गई अथवा मानीगई न कहलावेगी ॥

अध्याय ३

दण्डों के विषय में ॥

५३--जिनदण्डोंके योग्य अपराधी इस संग्रहके लेखों
दण्ड के अनुसार होंगे येहैं

पहला—बध[१]

१—प्रचलित क़ानूनोंके अनुसार यहदंड फांसी से दियाजाताहै—

दूसरा—देशनिकाला[1]

तीसरा—सेवादण्ड[2]

चौथा—क़ैद जिसके दो प्रकार हैं

१—कठिन अर्थात् मशक़्क़त समेत

२—साधारण अर्थात् बिना मशक़्क़त

पांचवां—धनकी ज़ब्ती

छठा—जुरमाना

बधकेदण्डका बदला — ५४—हरएक मुक़द्दमे में जिसमें बध के दण्ड की आज्ञाहुई हो गवर्नमेंट हिन्दकोअथवा उस देशकी गवर्नमेंट को जहां अपराधियोंको दंडकी आज्ञा हुई हो अपराधी की बिना राज़ीके भी उस दण्डके बदले इस संग्रहमें लिखाहुआ कोई दूसरा दंड करनेका अधिकार होगा ॥

जन्मभरके देशनिकाले की क़ैदकेदंड का बदला — ५५—हरएक मुक़द्दमे में जिसमें जन्मभर के देश निकाले के दंड की आज्ञा हुई हो गवर्नमेंट हिन्द को अथवा उस देश की गवर्नमेंट को जहां अपराधी को दण्ड की आज्ञा हुई हो अपराधी की

१-इसको कालापानी भी कहतेहैं और मतलब यहहै किअपराधी अपने देशसे बाहर दंडभुगतनेकेलिये भेजाजाय—

२-गुलामकी भांति क़ैदमें रखकर सेवाकराना—

बिना राज़ी के भी उस दण्ड के बदले दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का दण्ड किसी मिआ़द को जो १४ बरस से अधिक न हो करने का अधिकार होगा ॥

यूरोपियों और अमरीकियों को देश निकाले के बदले से वा दंड हुआ करेगा

५६--जब कभी कोई मनुष्य जो यूरोपी[1] अथवा अमरीकी[2] हो किसी ऐसे अपराध का अपराधी ठहरे जिसका दण्ड इस संग्रह के अनुसार देश निकाला है तो दण्ड करने वाली अ़दालत उस अपराधी को देश निकाले के बदले सन् १८५५ ई॰ के ऐक्ट २४ के अनुसार सेवा दण्ड की आज्ञा देगी ॥

दंड की मिआ़द का विभाग

५७--दण्ड की मिआ़द के विभाग करने में जन्मभर का देश निकाला बीस बरस के देश निकाले के बराबर समझा जायगा ॥

जिन अपराधियों को देश निकाले के दंड की आज्ञा हुई हो वे देश निकाला होने तक किस भांति रक्खे जांयगे

५८—हर एक मुक़द्दमे में जिसमें आज्ञा देश निकाले की हुई हो देश निकाला होने तक अपराधी उसी भांति रक्खा जायगा मानो कठिन क़ैद की आज्ञा उसको हुई है और समझा जायगा कि उस क़ैद के समय में देश निकाले का दण्ड भुगतता है ॥

१—अर्थात् यूरोप देश का बासी—

२—अर्थात् अमेरिका देश का बासी—

५९—हर एक मुक़द्दमे में जिसमें अपराधी ७ बरस
क़ैदके बदलेदेशनिकाला होसकेगा — अथवा उससे अधिक मिआदकी क़ैद के दण्ड योग्य हो दण्ड करनेवाली अदालत को अधिकार होगा कि चाहे तो क़ैद का दण्ड देनेके बदले अपराधी को किसीमिआद केलियेजो ७ बरस से कमती न हो और जितनीमिआद की क़ैद उसको इस संग्रह के अनुसार होसक्ती हो उससे अधिक नहो देश निकालेका दण्ड दे॥

६०—हर एक मुक़द्दमेमें जिसमें अपराधी को दोनों
क़ैदआधीपरधीकठिन अथवा साधारणहोसकेगी — प्रकार की क़ैद में से कोई होसक्ती हो दण्ड करने वाली अदालत को अधिकार होगा कि दण्ड की आज्ञामें यहभी हुकम देदे कि सबक़ैद कठिनहोगी अथवा सब साधारण होगी अथवा इतनी कठिन और बाक़ी साधारण होगी॥

६१—हरएक मुक़द्दमे में जिसमें किसी मनुष्य केऊ-
धनकीजब्तीकादंड — पर कोई ऐसा अपराध साबितहुआ हो जिसके बदले उसके सब माल मिलकियत की जब्ती हो सक्तीहो तो जब तक वह अपराधी उस दण्ड को अथवा उसको जो उस दण्डके पलटेमें ठहरा

दिया गयाहो भुगत नले अथवा माफ़ न करदिया जाय तबतक उसको कुछ माल मिलकियत प्राप्त करने का अधिकार न होगा सिवाय इसके कि जो कुछ प्राप्तकरे गवर्नमेंट को मिले ॥

उदाहरण

देवदत्त जिसके ऊपर गवर्नमेंट हिन्दके विरुद्ध युद्ध करना साबित हुआ अपने सब माल मिलकियतकी जब्तीके योग्य है और दंडकी आज्ञा हो: नेसे पहिले और भुगत जानेसे पहले देवदत्तका बाप मरा और कुछ मिलकियत जो देवदत्तको मिलती कदाचित् जब्ती की आज्ञा उसके मद्धे नहुईहोती छोड़ी इस अवस्थामें वह मिलकियत गवर्नमेंटकी होगी—

६२—जब कभी किसी मनुष्यके ऊपर कोई ऐसा अपराध साबित हो जिसके बदले दंड बध होसक्ता हो तो दंड करने वाली अदालत को अधिकार होगा कि अपराधी का सब धन चाहे अस्थावरहो चाहे स्थावर गवर्नमेंट में जब्तहोने की आज्ञा दे और जब कभी किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध साबितहो जिसकेलिये दंड देशनिकालेका अथवा सात बरस वा सातबरस से अधिक मिआद की क़ैदका हो सक्ता हो तो उस अदालत को अधिकार होगा कि उसके स्थावर धनकेलगान और मुनाफ़ेको देश निकाले

जब्ती ऐसे अपराधियोंके धनकी जो बध अथवा देश निकाले अथवा क़ैदके दंड योग्य हैं।

अथवा क़ैद की मिआ़दतक गवर्नमेंट मेंजब्त रहने की आज्ञादे परन्तु उसमें से अपराधी के परिवार और आसरे वालोंकी आजीविका केलिये उसमिआ़द तकइतना मिलसकेगा जितना गवर्नमेंटकेनज़ीच उचितहो ॥

जुरमाने की तादाद

६३—जहां कहीं जुरमाने की तादाद की अवधि नहीं लिखी वहां तादाद जुरमाने की जो अपराधी के ऊपर होसक्ता है वे अवधि होगी परन्तु अत्यन्त न होगी ॥

क़ैदकादंड जबकि जुरमाना न चुकायाजाय

६४—हरएक मुक़द्दमे में जिसमें किसी अपराधी पर जुरमाने का दण्ड कियाजाय दण्ड करने वालीअ़दालत दण्डके साथ में आज्ञा देसकेगी कि जुरमाना न चुकावेगा तो अपराधी इतनी मिआ़दतक क़ैदभुगतेगा और यह क़ैद उस क़ैद से अधिक होगी जो उस अपराधी को दण्डमें की गई हो अथवा किसी दूसरे दण्डके बदले ठहराई गई हो ॥

जुरमाना न चुकायेजाने केबदलेक़ैदकीमिआ़दकी अवधि जबकि अपराध जुरमाने और क़ैददोनों के योग्यहो

६५—कदाचित् अपराध जुरमाना और क़ैद दोनों दण्डों के योग्य हो तो जुरमाना न चुकाये जाने के बदले जो क़ैद अ़दालत ठहरावेगीउसकी मिआ़द उस अपराध के लिये ठहराई हुई

बढ़तीसे बढ़ती मिआ़दकी चौथाईसे अधिक नहोगी ॥

जुरमाना न चुकनेकेब दलेक़ैदकाप्रकार

६६—क़ैद जो जुरमाना न चुकनेके बदले अदालत ठहरावेगी उसीप्रकारकी होगी जिस के योग्य अपराधी उस अपराध के बदले हो ॥

जुरमानान चुकायेजाने केबदलेक़ैदकी मिआ़द जबकिअपराधकेवलजुरमानेके दंड योग्यहो

६७—कदाचित् अपराध केवल जुरमाने के दंडयोग्य होतो मिआ़द क़ैदकी जिसकीआज्ञा अदालत अपराधी को जुरमाना न चुकाने के बदले देगी नीचे लिखे हिसाबसे अधिक नहोगी अर्थात् दो महीने तक जब कि जुरमाना ५०) रुपयेसे बढ़ती नहो और चारमहीने तक जब कि जुरमाना एकसौ रुपयेसे बढ़ती नहो और छःमहीनेतक बाक़ी सबअवस्थाओंमें ॥

यहक़ैदजुरमाना चुकातेही भुगुत जायगी

६८—क़ैद जो जुरमाना न चुकने के बदले की जाय उसी समय बीत जायगी जब कि वहजुरमाना चुकादिया जायअथवा क़ानूनकी रीतिसे वसूल होजाय ॥

व्यतीत होना इसक़ैद का जबकि जुरमाने का कुछभागचुकादियाजाय

६९—जुर्माना न चुकने के बदले जो मिआ़द क़ैद की ठहराई गईहो उसके बीतने से पहले कदाचित् जुर्माने का कोई ऐसा भाग चकादिया जाय

अथवा वसूल होजाय कि जितनी मिआद भुगतली हो वह बाक़ीबिना चुकेहुये जुरमानेसे समभूत होतो वहक़ैद उसीसमय व्यतीत समझी जायगी ॥

उदाहरण

देवदत्त पर एकसौरुपये जुरमानेका और जुरमाना न चुकने के बदले चार महीनेकी क़ैदका दण्डहुआ यहांकदाचित् क़ैदका एक महीना बीतने से पहले ७५) रुपया जुरमाने का चुकजाय अथवा वसूलहोजाय तोदेवदत्त पहिलामहीनाव्यतीत होतेहीतुरंत छोड़ दियाजायगा और कदाचित्७५) रुपया पहिलामहीनाव्यतीत होनेके समयअथवा उससेपीछे किसी समय जबतक कि देवदत्त क़ैदमें है चुका दियाजाय अथवा वसूल करलियाजाय तो देवदत्त तुरंत छोड़दिया जायगा और कदाचित् ५०)रुपया क़ैदके दो महीने बीतनेसे पहिले चुका दिया जाय अथवा वसूल कर लिया जाय तो दो महीने व्यतीत होतेही देवदत्त छोड़ दिया जायगा और कदाचित् ५०)रुपया दो महीना व्यतीत होने के समय अथवा उससे पीछे जब तक कि देवदत्त क़ैदमें है चुका दिया जाय अथवा वसूल कर लिया जाय तो देवदत्त तुरंत छोड़दिया जायगा—

जुर्मानाछःबरसकेभीतर अथवाक़ैदकीमिआदमेंकिसीसमयवसूल हो सकेगा

७०—जुरमाना अथवा उसका कोई बिनाचुका हुआ भाग दंडकी आज्ञा होनेसे छःबरस केभीतर किसी समयवसूलहोसकेगा और कदाचित् उसदंडकी आज्ञानुसार अपराधी छःबरस से अधिक मिआद को क़ैद हुआ हो ॥

तो उस मिआद के व्यतीत होनेसे पहिले किसीसमय वसूल हो सकेगा और अपराधी के मरजाने से वह

अपराधीकेमरजानेसेउसकामालमिलकियतछूटनजायगा

माल मिलकियत जो उसके मरने से पीछे क़ानून अनुसार उसके ऋण की ज़िम्मेदारी होसक्ती हो ज़िम्मेदारी से छूट न जायगी ॥

७१—जब कोई अपराध कई कामोंसे बनता हो

अवधि उसअपराध के दंडकीजोकई अपराध मिलकर बनता हो

और हर एकउन कामों मेंसे आप भी अपराधी हो तो अपराधी को उन अपराधों में से एक सेअधिक का दण्ड न किया जायगा सिवाय उसके जहां इस विषय में स्पष्ट लेख हो ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने विष्णु मित्रको लकड़ीकी पचासचोटमारी—यहां होसक्ताहै कि देवदत्तने जानबूझकर विष्णु मित्रकोदुःख पहुंचाने का अपराध इस सब मार पीटके द्वारा कियाहो और यह भी कि चाहे उन चोटों मेंसे जिनको मिलाकर वह सब मार पीट गिनी गई हर एकके द्वारा कियाहो—और कदाचित् ऐसाहोता कि देवदत्त हरएक चोटके बदले दंडके योग्य होता तोउसको पचास बरसकी क़ैद अर्थात् प्रत्येक चोटके बदले एक बरसकी क़ैद होसक्ती परंतु ऐसा न होगा उसको सब मारपीटके बदले केवल एकही दंड हो सकेगा ॥

(इ) परंतु जिस समय देवदत्त विष्णु मित्र को मार रहा था

कदाचित् हरमित्र बीचमें बोलता और देवदत्त जान बूझ कर हरमित्रको चोटमारता तो जो चोट हरमित्रके मारी जाती कोई भाग उस काम का न होता जिसके द्वारा देवदत्त जानबूझ कर विष्णु मित्र को दुःख पहुंचा रहाथा इसलिये देवदत्त इस योग्य होगा कि एक तो विष्णु मित्रको जान बूझकर दुःख पहुंचाने के बदले और दूसरे हरमित्रको चोट मारनेके बदले दंड पावे ॥

दंडकिसी मनुष्यकोजो अनेकअपराधोंमेंसेएक का अपराधीठहरेऔर हाकिमकी तजवीजमें लिखाहोकिनिश्चय न होंहैकिइन अपराधोंमें सेकिसका अपराधी है

७२--सब मुक़द्दमों में जिनमें किसी मनुष्य के मद्धे यह तजवीज़ कीजाय कि फलाने फलाने अनेक अपराधों में से किसी एकका अपराधी है परन्तु सन्देह इस बात का है कि उन अपराधों मेंसे कौन से का अपराधीहै और दण्डभी सबका एकसा नहो तो उनअपराधों मेंसे जिस किसीकादंडसबसेकमतीहोगा उसीकादण्ड वह अपराधी पावेगा ॥

एकान्तबन्धि

७३—जब कभीकोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधका अपराधी ठहरे जिस के लिये इस संग्रह के अनुसार अदालत को अधिकार कठिन क़ैद के दण्ड देने का है तो अदालत अपनी तजवीज़ के द्वारा आज्ञा दे सकेगी कि जितनी मिआद अपराधी को हुई है उसके किसी भाग अथवा भागों तक जो तीन महीने से अधिक नहो अपराधी एकान्त बन्धिमें

नीचे लिखे अनुसार रक्खा जाय अर्थात् जब क़ैद की मिआद छः महीने से बढ़ती न हो तो किसी समय तक जो एक महीने से अधिक न होगा और जब क़ैद की मिआद छः महीने से बढ़ती और एक बरस से कमती होगी तो किसी समय तक जो दो महीने से अधिक न हो और जब क़ैद की मिआद एक बरस से बढ़ती हो तो किसी समय तक जो ३ महीने से अधिक न होगा ॥

७४--एकान्त बन्धिका दण्ड करने में यह बन्धिकभी

एकान्तबन्धिकीअवधि एकही बेर चौदह दिनसे अधिक न होगी और दो बेर की एकान्त बन्धि में उतनेही दिन से कमती का अन्तर न होगा और जबकि क़ैद की मिआद तीन महीने से अधिक होतो एकान्त बंधि उस सब मिआद के किसी एक महीनेमें सातदिनसे अधिक न होगी और कमती से कमती इतनाही अन्तर बीचमें छोड़ना पड़ेगा ॥

७५--जोकोई मनुष्य एकबेर अपराधी किसी ऐसे

दंडउनमनुष्योंका जेए कबेरअपराधीठहरकर फिरकिसीऐसेअपराधके अपराधीठहरें जिसका दंडतीनबरसकीक़ैदहो

अपराध का जिस का दण्ड इस संग्रह के अध्याय १२ अथवा १७ के अनुसार दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद तीन बरस अथवा उससे अधिक मिआद तक है ठहर कर फिर अपराधी

किसी अपराध का जिसका दण्ड उन्हीं दोनों अध्याय में से किसी के अनुसार दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद तीन बरस तक अथवा उससे अधिक मित्राद तक होसक्ता हो ठहरे तौ पीछे के हरएक अपराध के बदले वह जन्म भर के देश निकाले अथवा जितना दण्ड उसको उस अपराधके बदले होसक्ता हो उसके दुगुने के योग्य होगा परन्तु दश बरससे अधिक क़ैदके योग्य कभी न होगा ॥

अध्याय ४

साधारण छूट

वहकामजिसकोकोईऐसामनुष्यकरेजिसपरउसकाकरना अवश्यहो अथवाजोवृत्तान्त को यथार्थ न समझलेनेसे अपने ऊपरउसकाकरनाक़ानून अनुसारअवश्यजानता हो

७६--जिस किसी कामको कोई ऐसामनुष्य करेजिस के ऊपर उस का करना क़ानून अनुसार अवश्य हो अथवा जो क़ानून का मतलब अशुद्ध समझने से नहीं किन्तु किसी वृत्तान्त को यथार्थ न समझ लेने के कारण शुद्धभाव से अपने ऊपर क़ानून अनुसार उसका करना अवश्य जानता हो अपराध न होगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त एक सिपाहीने अपने अफ़सरकी क़ानून अनुसार आज्ञासे बहुतसे मनुष्योंकी भीड़पर बन्दूक़ छोड़ी—तो देवदत्त ने कुछअपराध नहीं किया ॥

(इ) देवदत्त किसी अदालतके अहलकारको उस अदालत की आज्ञा हुई कि हरमित्र को पकड़ो और देवदत्तने यथोचित पूछ पाछ करके और विष्णु मित्रको हरमित्र जानकर बिष्णु मित्र को पकड़ा तो देवदत्तने कुछ अपराध नहीं किया ॥

कामकिसीहाकिमकाजबकिवहन्यायकरनेको बैठा हो

७७—कोई काम जिसको कोई हाकिम उस समय करे जब कि वह न्याय करने में किसी क़ानून अनुसार मिले हुये अधिकार को अथवा ऐसे अधिकार को जिसका क़ानून अनुसार मिलना वह शुद्ध भाव से निश्चय मान रहा हो बर्त्तता हो अपराध न होगा ॥

कामजोकिसी अदालत कीतजवीज़ अथवाआज्ञानुसारकियाजाय

७८—कोई काम जिसका करना किसी अदालतकी तजवीज़ अथवा आज्ञा के अनुसार अवश्य अथवा उचित हो अपराध न गिना जायगा कदाचित् ऐसे समय में किया जाय जब कि वह तजवीज़ अथवा आज्ञा प्रचलित हो यद्यपि उस अदालत को उस तजवीज़ के करने अथवा आज्ञा के देने का अधिकार न भी हो परन्तु उस काम का करने वाला मनुष्य शुद्ध भाव से निश्चय मान रहा हो कि उस अदालत को ऐसा अधिकार प्राप्त है ॥

७६--कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जिसको क़ानून अनुसार उसके करने का अधिकार हो अथवा जो अपने तईं शुद्धभाव से वृत्तान्त को यथार्थ न समझने से और न कि क़ानून का मतलब अशुद्ध समझने के कारण उसके करने का अधिकारी क़ानून अनुसार निश्चय मान रहा हो अपराध न गिना जायगा ॥

काम कियाहुआ किसी ऐसे मनुष्यका जिसको उसके करने काअधिकार हो अथवा जो वृत्तान्त अशुद्ध समझनेसे उस कामके करनेका अधिकारी अपनेको समझता हो

उदाहरण

देवदत्तने विष्णु मित्रको कुछ ऐसा काम करते देखा जिस को वह समझा कि ज्ञातघात है और देवदत्तने अपनी बुद्धि को जहांतक होसका शुद्ध भाव से दौड़ाकर उस अधिकारके बर्तने में जो क़ानूनने सब मनुष्योंको दियाहै कि ज्ञातघातके अपराधियोंको जबकि वे उस अपराधको कररहेहों पकड़ विष्णु मित्र को किसी यथोचित अधिकारीके सामने लानेके लिये पकड़ा तो देवदत्तने कुछ अपराधनहीं किया यद्यपि पीछे यहभी साबित होजाय कि विष्णु मित्र वह काम निजरक्षाकेलिये कररहाथा ॥

८०—कोई काम जो बिना कुप्रयोजन अथवा बिना कुज्ञान के किसी नीति पूर्बक काम को नीति पूर्बक भांति और नीति पूर्बक उपाय से यथोचित

नीतिपूर्बककामकेकरने मेदैवयोगसेकुछसे कुछ होजाना

सावधानी और चौकसी सहित करते में दैवयोग से अथवा अभाग्य से होजाय अपराध न गिना जायगा ॥

उदाहरण ॥

देवदत्त कुछकाम कुल्हाड़ीसे कररहाथा बेंटमेंसे कुल्हाड़ी उछटी और एक मनुष्य जो वहाँ पास खड़ा था उससे मरगया यहां कदाचित् देवदत्तकी ओरसे यथोचित सावधानी होने में कुछ कसर न हुई हो तो उसका काम क्षमा करनेके योग्य है और अपराध नहींहै ॥

कामजिससेकुछज्यान हो नाअतिसम्भवितहोपरन्तु कुप्रयोजन के बिना दूसरे ज्यान के रोकने के लिये किया गयाहो

८१--कोई काम केवल इसी कारण अपराधनगिना जायगा कि करनेवाले ने उससे ज्यान का होना अति सम्भवित जान कर उस को किया कदाचित् ज्यान पहुंचाने के किसी कुप्रयोजन से न किया गया हो परन्तु शुद्धभाव से किसीके तन अथवा धनको दूसरे ज्यानसे रोकने अथवा बचाने के प्रयोजन से किया गयाहो ॥

विवेचन--ऐसी अवस्थामें यहबात निश्चय करनी होगी कि जिस ज्यानके रोकने का प्रयोजन किया गया वह इसप्रकारका और ऐसा सम्भवितथा या नथा जिसके कारण उस काम से ज्यान का होना अति सम्भवित जानकर भी उसके करने की जोखिम

उठानी उचित अथवा क्षमा करने के योग्य समझी जाय ॥

उदाहरण

(च) देवदत्त किसी धुयेंकी नावके कप्तानको एकाएकीबिना अपने क़सूर अथवा असावधानीके ऐसा योगआपड़ाकि जबतक अपनी नाव को रोकेही रोके तबतक रामबान नाम नाव को जिसमें बीस अथवा तीस मुसाफिर थे अवश्यटक्कर लगतीजान पड़ी और टक्कर बचाने का केवल यही उपाय था कि देवदत्त अपनी नावका मुंह दूसरी ओर को फेरदेता और मुंह फेरनेसे जोखिम इसबातकीथी कि एक ओर नाव रुद्रशर नामकीजिस में केवल दोही मुसाफिर थे टक्कर लगती परंतु उसकाबच जानाभी संभवित था यहां कदाचित् देवदत्त अपनी नाव का मुंह रुद्रशर नावको टक्कर देनेके प्रयोजन बिना और रामबान नावके मुसाफिरों को टक्कर लगनेकी विपत्तिसे बचानेके निमित्त शुद्धभाव से फेर देता तो किसी अपराधका अपराधी न गिना जाता यद्यपि उसके इस कामसे जिसको वह जानता था कि इससे रुद्रशर नावको टक्कर लगनी अति संभवितहै रुद्रशरको टक्करभी लगजाती कदाचित् यह बात निश्चय पाई जाती कि जिस विपत्तिके बचानेके प्रयोजन से उसने यह कामकिया वह ऐसी थी कि रुद्रशर नावको टक्कर दिलानेकी जोखिम उठानी क्षमाके योग्यहै ॥

(छ) देवदत्तने एक बड़ी भारी आग लगने के समय आगका फैलना रोकनेके लिये घरोंको गिराया और यहकाम उसनेशुद्ध भावसे मनुष्योंका जीव अथवा धन बचानेके प्रयोजन से किया यहां कदाचित् यह बात पाई जाय कि जो ज्यान रोका जाने को था वह इसप्रकार का और इतना सम्भवितथा जिससेदेवदत्तका काम क्षमाके योग्य हुआ तो देवदत्त किसी अपराध का अपराधी न गिना जायगा—

कामसातबरससे नीचे कीअवस्थाकेबालक का

८२—कोई काम जो सात बरस से नीचे की अवस्था के बालक ने किया हो अपराध न होगा ॥

कामसात बरससे ऊपर औरबारहबरससे नीचे कीअवस्थाके बालकका जिसकीसमझयथोचित पक्कीनहो।

८३—कोई काम किया हुआ सात बरस से ऊपर और बारह बरस से नीचे की अवस्था के किसी बालक का जिस की समझ इतनी पकावट को न पहुंची हो कि उस विषयमें अपने काम के गुण और फलों कोविचार सके अपराध न होगा ॥

कामसिड़ीमनुष्य का

८४—कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य क जो उसके करने के समय सिड़ीपन के कारण उस कामके गुण समझने को अथवा यह जानने को कि यह काम अनीति है अथवा क़ानून के बिरुद्ध है असमर्थ हो अपराध न होगा ॥

काम किसी मनुष्य का जो अपनी इच्छा के विरुद्ध दिये हुए नशे के कारण विचार करने को असमर्थ हो।

८५—कोई काम किया हुआ किसी मनुष्य का जो उसके करने के समय नशे के कारण उसकामका गुण अथवा यहबात कि यह काम अनीति है अथवा क़ानून के बिरुद्ध है जानने को असमर्थहो अपराध

न होगा कदाचित् जिस बस्तुसे नशा हुआ वह उस के बिना जाने अथवा उसकी इच्छा के बिरुद्ध उसको दीगई हो ॥

८६—उन अवस्थाओं में जिनमें कोई काम

जिस अपराधके लिये कोई विशेष ज्ञान अथवा प्रयोजन अवश्य हो उसको कदाचित् कोई मनुष्यनशे की अवस्था में करे

अपराध न गिना जाता हो जब तक कि किसी विशेषज्ञान अथवा विशेष प्रयोजन से न किया जाय कोई मनुष्य जो नशे में उस काम को करेगा उसी योग्य होगा मानो उसको वही ज्ञान था जो होसक्ता कदाचित् वह नशे में न होता सिवाय इसके कि जिस बस्तु से उसे नशा हुआ वह उसके बिना जाने अथवा उसकी इच्छा के बिरुद्ध उसको दी गई हो ॥

८७—कोईकाम जिससेमृत्युअथवा भारीदुःखकरने

काम जो बिना प्रयोजन अथवा बिनाजानेइसबात के कि इससेकिसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख होना अति संभवित है उसी मनुष्यकी राजीसे कियाजाय

का प्रयोजन नहो और न उसका करनेवाला यहबात जानता हो कि इससे मृत्यु अथवा भारीदुःख का होना अतिसम्भवित है किसी ऐसे ज्यानके कारण अपराध न गिनाजायगा जो १८ बरस से

ऊपरकी अवस्थाके किसी मनुष्यको जिसने उस ज्यान का सहना अंगीकार करलिया हो चाहे प्रकट चाहे अ-प्रकट उस काम से होजाय अथवा जिस के होने का प्रयोजन करनेवाले ने किया हो और न किसी ऐसे ज्यानके कारण गिना जायगा जो उसकामकेकरनेवाले ने जानलिया हो कि ऊपर लिखेप्रकारके किसी मनुष्य को जिसने उस ज्यान की जोखिम अंगीकार करली हो होजाना अतिसम्भवित है ॥

उदाहरण

देवदत्त और विष्णुमित्र मन बहलानेके लिये आपस में पटा खेलनेको राजीहुये और इस राजीसे यहबात समझीगईकि पटा खेलनेमें जो कुछ ज्यान बिना कपटके किसीकोहोजाय उसका सहना दोनोंने अंगीकार किया देवदत्त ने जब कि वह विना कपट के खेलता था विष्णुमित्र को चोटदी तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया ॥

कामजो मृत्यु करने के प्रयोजनबिना शुद्धभाव सेकिसीमनुष्य की राजी से उसके भले के लिये कियाजाय

८८—कोई काम जिससे किसी की मृत्यकरने का प्रयोजन नहो किसी ऐसे ज्यानके कारण अपराध न गिना जायगा जोकिसी मनुष्य को जिसके भले के लिये वह काम शुद्धभाव से किया गया हो और जिसने उस ज्यान का सहना अथवा उस को जोखिम

उठाना अंगीकार करलिया हो चाहे प्रकट चाहे अप्रकट उस कामसे होजाय अथवा जिसके होनेका प्रयोजन करने वाले ने किया हो अथवा जिस का होना करने वालेने अति सम्भवित जानलिया हो ॥

उदाहरण

देवदत्त एक डाक्टरने यहबात जानबूझकर कि फलानीचीड़ फाड़से मृत्यु विष्णुमित्रकी जो एकबड़े दुःखके रोग में फंसाहै होनी अति सम्भवित है परंतु बिना प्रयोजन इस बातके कि विष्णुमित्र की मृत्यु हो शुद्ध भावसे विष्णुमित्र के भलेका प्रयोजन करके वही चीड़फाड़ विष्णुमित्र की राजीसे की तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया ॥

कामजे शुद्धभावसे किसी बालकअथवासिड़ीमनुष्य के भले के लिये उस के रक्षक की ओरसे अथवा राजीसे कियाजाय

८६--कोई काम जो शुद्ध भाव से बारह बरस से कमती अवस्थाके अथवा किसी सिड़ीमनुष्यकेभलेके लियेउसके रक्षक की ओर से जिस की नीति पूर्वक रक्षा में वह मनुष्य हो अथवा रक्षक की राजी से चाहे प्रकटहो चाहे अप्रकट किया जाय किसी ज्यान के कारण जो उस काम से होजाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करने वाले ने किया हो अथवा जिसका होना करनेवाले ने अति सम्भवित जान लिया

हो अपराध न गिना जायगा परन्तु नियम येहैं

प्रथम--यह छूट प्रयोजन करके किसी की मृत्यु करने अथवा मृत्युका उद्योग करने से सम्बन्ध न रक्खेगी ॥

दूसरे--यह छूट किसी काम के करने से जिसको करने वाला मनुष्य जानता हो कि इससे मृत्यु का होना अति सम्भवित है सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु अथवा भारी दुःख के रोकने के निमित्त अथवा किसी बड़े रोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के निमित्त कियाजाय ॥

तीसरे--यह छूट जान बूझकर भारी दुःख उत्पन्न करने से अथवा उत्पन्न करने का उद्योग करने से सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय इस के कि मृत्यु अथवाभारी दुःख के रोकने के निमित्त अथवा किसी बड़ेरोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के निमित्त किया जाय ॥

चौथे--यह छूट किसी ऐसे अपराध में जिस से वह सम्बन्ध न रखती हो सहायता पहुंचानेके अपराध से सम्बन्ध न रक्खेगी ॥

उदाहरण

देवदत्तने शुद्धभाव से अपने बालक के भलेके लिये बिना

उसकी राजाके यहबात जानबूझकर कि उसका अंग चिरवानेसे उस बालककी मृत्यु होनी अति सम्भवित है परंतु उस बालक की मृत्यु का प्रयोजन न करके किसी डाकृरसे पथरी निकलवानेके लिये उस बालकका अंग चिराया तै। देवदत्तसे यह छूट सम्बन्ध रक्खेगी क्योंकि प्रयोजन उसका बालकके इलाजसेथा॥

६०--कोई राज़ी ऐसी राजी न गिनी जायगी जैसी राजी जोजानलीजाय कि कि इस संग्रह की किसी दफ़ा भय अथवा धोखेसेदीगई में प्रयोजन कीगई है कदाचित् वह राजी किसी मनुष्यने हानिके डरसे अथवा किसी वृत्तान्त को यथार्थ न समझने से दी हो और कदाचित् उस काम का करने वाला मनुष्य जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह राजी ऊपर कहे हुये भय अथवा यथार्थ न समझने के कारण दीगईहै॥

अथवा जब वह राजी किसी ऐसे मनुष्यनेदीहो जो राजीकिसी बालक अथवा सिड़ीपन से अथवा नशे के सिड़ी मनुष्य की कारण गुण और फल उस काम के जिसके मद्दे उसने अपनी राजी दीहो समझनेको असमर्थ हो अथवा जब कि वह राजी बारह बरस से कमती अवस्थाके किसी मनुष्य ने दी हो सिवाय इसके कि लेख से इसके बिरुद्ध आशय पायाजाय॥

कामजेाइसबातको छोड़ करभी कि राजीदेनेवाले मनुष्य को उससे ज्यान पहुंचाआपहीअपराध हों दफ़ा८७और ८८ और ८६ की छूटोंमें गिन्तीनहोंगे

९१--दफ़ा ८७ और ८८ और ८६ की छूटें उनकामों से सम्बन्ध न रक्खेंगी जो इस बातको छोड़कर भी कि उन से कुछ ज्यान उस मनुष्यको जिस ने अथवा जिस के लिये राजी दी गई पहुंचा अथवा पहुंचने का प्रयोजन किया गया अथवा पहुंचना अति सम्भवित जाना गया आपही अपराध हों ॥

उदाहरण ॥

पेट गिरवाना सिवाय इसके कि शुद्धभाव से स्त्री का जीव बचानेके लिये हो इस बातको छोड़कर भी कि उससे कुछ ज्यान उस स्त्रीको होजाय अथवा होनेका प्रयोजन कियाजाय आपही एक अपराध है इसलिये वह उस ज्यानही के कारण अपराध नहीं है और न पेटके गिरानेके मद्धे राजी उस स्त्रीकी अथवा उसके रक्षककी उसकामको उचित बनातीहै ॥

कामजेा शुद्धभावसे किसी मनुष्यके भलेकेलिये बिनाराजीके किया जाय

९२--कोई काम किसी ऐसे ज्यान के कारण जो उससे किसी मनुष्य को जिस के भले के लिये शुद्धभाव से वह काम किया गया हो होजाय यद्यपि उस मनुष्य की बिना राजी के भी हो अपराध

न होगा कदाचित् अवस्था ऐसी हो कि उस में उस मनुष्यको अपनी राज़ी प्रकटकरना असम्भवहोअथवा वह मनुष्य राज़ी देने को असमर्थ हो और अपना कोई रक्षक अथवा और मनुष्य जिस की वह क़ानून अनुसार रक्षा में होता और जिससे उस काम के मद्धे जो भले के लिये कियागया राज़ी लेना सम्भव होता न रखताहो परन्तु नियम येहैं ॥

नियम प्रथम—यह छूट प्रयोजन कर के मृत्यु उत्पन्न करने अथवा मृत्युका उद्योग करने से सम्बन्ध न रक्खेगी ॥

दूसरे--यह छूट किसी काम के करनेसे जिससे कर ने वाला जानताहो कि मृत्युका होना अति सम्भवित है सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय इस के कि वह काम मृत्यु अथवा भारी दुःख रोकने अथवा किसी भारीरोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के निमित्त किया जाय ॥

तीसरे--यह छूट जान बूझकर दुःख उत्पन्न करने अथवा दुःख उत्पन्न करने का उद्योग करने से सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय इस के कि मृत्यु अथवा दुःख रोकने के निमित्त किया जाय ॥

चौथे--यह छूट किसी ऐसे अपराध में जिस से वह

छूट सम्बन्ध न रखती हो सहायता करने से सम्बन्ध न रक्खेगी ॥

उदाहरण

(अ) विष्णु मित्र अपने घोड़े से गिरकर मूर्च्छितहोगया और देवदत्त एक डाक्टरने बिचार किया कि विष्णु मित्र की खोपड़ी चीरनी चाहिये फिर देवदत्तने बिना प्रयोजन करने विष्णु मित्र की मृत्यु के उसके भलेकेलिये जबतक विष्णु मित्र विचार करने के लिये फिर समर्थहुआ उससे पहिले शुद्धभावसे उसकीखोपड़ी चीरी तो देवदत्तने कुछ अपराध नहीं किया ॥

(इ) विष्णु मित्र को नाहर उठाकर लेचला और देवदत्त ने यह बात जान बूझकर कि बन्दूक छोड़नेसे विष्णु मित्र को गोली लगनी अति सम्भवितहै परंतु बिना प्रयोजन करने विष्णु मित्रकी मृत्यु के शुद्धभाव से उसके भलेके लिये नाहर पर बन्दूक चलाई उससे गोली विष्णु मित्र के लगकर कारी घाव हुआ तो देवदत्तने कुछ अपराध नहीं किया ॥

(उ)देवदत्त डाक्टरने किसीबालकको ऐसी चोटमें देखाजिससे सम्भवित हुआ कि कदाचित् तत्काल चीर फाड न की जाय तो यह चोट मृत्यु कारक होगी परंतु अवसर इतना न था कि उस बालकके रक्षककी राजी पूछीजाय इसलिये देवदत्तने शुद्धभाव से उस बालकके भलेके लिये उसकी बिना राजीके चीर फाड़की तो देवदत्तने कुछ अपराध नहीं किया ॥

(ए) देवदत्त किसी ऐसे मकानपरथा जिसमें आग लगरही थी और एक बालक विष्णु मित्रभी उसके साथथा नीचे लोगोंने कम्बल पसारा और देवदत्तने उस बालकको मकानकी छतपर से कम्बलमें गिरने के लिये यहबात जानबूझकरकि इसगिरने

से इस बालक का मरजानाभी संभवितहै परंतु शुद्धभावसे उस बालकको मारनेके प्रयोजन के बिना और उसके भले के लिये छोड़ा इस अवस्थामें कदाचित् वह बालक गिरनेसे मरभीगया तौ देवदत्तने कुछ अपराध नहीं किया ॥

विवेचन—केवल द्रव्यसम्बन्धी भला दफ़ा ८८ व ८९ व ९२ के अर्थ में भला न समझा जायगा ॥

शुद्ध भावसे कुछकहदेना

९३— बतला देना किसी बात का शुद्धभावसे इसी कारण अपराध न गिनाजायगा कि जिस मनुष्य को वह बात बतला दीगई उसको उससे कुछ ज्यान होगया कदाचित् वह बात उस मनुष्य के भले के लिये बतलाई गई हो ॥

उदाहरण

देवदत्त डाक्टरने शुद्धभावसे किसी रोगी से अपना बिचारांश कहदिया कि तू इस रोगसे बचनहीं सक्ता और वह रोगी इसी धदके से मरगया तौ देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया यद्यपि वह जानताभी था कि इस कहनेसे उस रोगीकीमृत्यु होनी अति संभवितहै ॥

काम जिसकेकरनेकेलिये कोईमनुष्यधमकीकेद्वारा बेबसकियाजाय

९४—सिवाय ज्ञातघात और राज्य बिरोधी अपराधों के जिनका दंड बध है दूसरा कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जो उसके करनेके लिये इसप्रकार की धमकियों से जिनसे उस

काम के करने के समय हेतु सहित डर इस बात का पाया गया हो कि कदाचित् वह मनुष्य उस काम को न करता तौ उसका फल तत्काल मृत्यु होता बे बस किया जाय अपराध न होगा परन्तु नियम यह है कि उस कामके करनेवाले मनुष्यने अपनी इच्छासे अथवा अपने को तत्काल मृत्यु से कमती कोई ज्यान पहुंचने के हेतु सहित डर से उस अवस्था में न डाला हो जिसमें वह इस भांति बेबस किया गया ॥

विवेचन १—कोई मनुष्य जो अपनीइच्छासे अथवा मारपीट की धमकी से डाकुओं के गोल में यह बात जान बूझकर मिले कि ये डाकू हैं तौ वह इस हेतु से कि उसके साथियोंने जबरदस्ती उससे कोई काम जो क़ानून अनुसार अपराध है कराया इस छूट से सहायता न पावेगा ॥

विवेचन २—कोईमनुष्य जिसको डाकुओंके गोलने पकड़ कर और तत्काल मारडाल ने की धमकी देकर उससे जबरदस्ती कोई काम जो क़ानून अनुसार अपराध है कराया हो जैसे किसी लुहार से किवाड़ किसी मकान के तुड़वाये हों इस प्रयोजन से कि डाकू उसके भीतर घुसकर लूटकरें इस छूट से रक्षा पावेगा ॥

कोईकाम जिससेकुछतुच्छ ज्यानहो

९५—कोई काम इसी हेतुसे अपराध न गिन लिया जायगा कि उससे कोई ज्यान हुआ अथवा होनेका प्रयोजन किया गया अथवा होना अति सम्भवित जाना गया कदाचित् वह ज्यान ऐसा तुच्छ हो कि कोई साधारण बुद्धि और स्वभावका मनुष्य उसकी नालिश न करेगा ॥

—※—

निज रक्षा का अधिकार[1]

कोईकाम जो निजरक्षा केलिये कियाजायअपराध न होगा

९६—कोई काम जो निजरक्षा का अधिकार वर्त्तने में किया जाय अपराध न होगा ॥

तनु और धनकीरक्षा का अधिकार

९७—हर एक मनुष्य को अधिकार है कि दफ़ा ९९ के नियमों के अधीन रहकर रक्षा करे

प्रथम—अपने और और मनुष्यों के तनु की किसी ऐसे अपराध से जो मनुष्यके तनुसे सम्बन्ध रखताहो ॥

दूसरे—अपने अथवा और किसी मनुष्य के स्थावर अथवा अस्थावर धनकी किसी ऐसे काम से जो चोरी अथवा जोरी अथवा उत्पात अथवा मुदाखलत बेजा के अर्थ अनुसार अपराधहो अथवा जो चोरी या जोरी या उत्पात या मुदाखलत बेजा का उद्योग हो ॥

१—अर्थात अपना बचाव—

निजरक्षा का अधिकार पिड़ीइत्यादिमनुष्योंके कामसे

६८—जब कोईकाम जो निस्सन्देह अपराधहो परंतु उसके करने वाले की अवस्था की छुटाई अथवा बुद्धि के सिड़ीपन अथवा नशे की बेसुधी के कारण अथवा इस कारण कि उसने कोई बात यथार्थ न समझी अपराध न गिना जाता हो तौ उसके रोकने के लिये अपनी निज रक्षा का अधिकार हर एक मनुष्यको उसी भांति प्राप्त होगा मानो वह काम अपराध ही है ॥

उदाहरण

(अ) विष्णु मित्रने सिड़ीपनकी दशामें देवदत्तकेमारडालने का उद्योग किया तौ विष्णु मित्र अपराधी किसी अपराधका न हुआ परंतु तौभी देवदत्तको अपनीरक्षाका अधिकार उसीभांति प्राप्तरहा मानों विष्णु मित्र सिड़ी न था ॥

(इ) देवदत्त रातके समय किसी ऐसे मकानमें गया जिस में जानेका वह कानून अनुसार अधिकारी था और विष्णु मित्र नेशुद्धभावसे देवदत्तको चोर समझकर उसपर उठैया किया तौ इस हेतुसे कि विष्णु मित्रने धोखेमें उठैया किया विष्णु मित्र अपराधी किसी अपराधका न हुआ परंतु देवदत्त को अधिकार अपनी रक्षाका उसी भांति प्राप्तहोगा मानों विष्णु मित्र धोखे में न था ॥

जिन कामोंके रोकने के लिये निजरक्षा का अधिकार न होगा

६९—प्रथम—निजरक्षा का अधिकार किसी ऐसे काम के रोकने के लिये न होगा जिससे हेतु सहित डर मृत्यु अथवा भारी दुःख का न हो कदाचित्

उस कामको कोई सर्वसम्बन्धी नौकर शुद्धभावसे अपनी नौकरी के कारण करे अथवा करने का उद्योग करे यद्यपि वह काम क़ानूनमें ठीक ठीक उचित भी नहो॥

दूसरे—निजरक्षा का अधिकार किसीऐसेकामके रोकनेके लिये न होगा जिससे हेतुसहित डर मृत्यु अथवा भारी दुःखका न हो कदाचित् वहकाम किसीसर्वसम्बन्धी नौकर की आज्ञा से उस अवस्था में किया जाय अथवा उसके किये जाने का उद्योग किया जाय जब कि वह शुद्धभाव से अपनी नौकरी देताहो यद्यपि वह आज्ञा क़ानून में ठीक ठीक उचित भी न हो॥

तीसरे—निज रक्षा का अधिकार उन अवस्थाओं में न होगा जिनमें सर्वसम्बन्धी अधिकारियों से रक्षा मिलने का अवकाश हो॥

चौथे—निज रक्षा का अधिकार किसी अवस्था इसअधिकारकेबर्त्तने में ऐसा न होगा कि जितना की अवधि ज्यान पहुंचाना रक्षा के लिये अवश्य हो उससे बढ़ती ज्यान पहुंचाया जाय॥

विवेचन १—कोई मनुष्य निज रक्षा के अधिकारसे किसी ऐसे काम के रोकने के लिये रहित न गिनाजायगा जिसको कोई सर्वसम्बन्धी नौकर अपनी नौकरी

के द्वारा करे अथवा करने का उद्योग करे सिवाय इस के कि वह यह बात जानता हो अथवा निश्चयमानने का हेतु रखता हो कि यह मनुष्य जो इस काम को करता है सर्वसम्बन्धी नौकर है ॥

विवेचन २—कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके रोकने के लिये निज रक्षा के अधिकार से रहित न गिना जायगा जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की आज्ञा से किया जाय अथवा किये जाने का उद्योग किया जाय सिवाय इसके कि वह यह बात जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यहमनुष्य जोइस कामको करता है इसी प्रकार की आज्ञा स करता है अथवा सिवाय इसके कि करने वाला उस अधिकार को जिसके बल से वह उस काम को करताहो वर्णन करदे अथवा जो उस के पास लिखा हुआ अधिकार हो तो मांगने पर उस अधिकार को दिखलादे ॥

तनुकीनिजरक्षाकाअधिकार मृत्युकरनेतककबहोसकेगा

१००--तनु की निज रक्षा का अधिकार पिछली दफ़ा में लिखे हुये नियमों के[1] अधीन रह कर आततताई को जान बूझकर मृत्यु अथवा और कुछ ज्यान पहुंचाने

१—आततताई यहां उसमनुष्यका समझना चाहिये जोअपने ऊपर उठैया करके आवे ॥

तक हो सकेगा कदाचित् वह अपराध जिससे निजरक्षा का अधिकार बर्त्तना अवश्य हुआ नीचे लिखे हुये प्रकारों मेंसे किसी प्रकार का हो ॥

प्रथम--ऐसा आतताई पन जिससे हेतु सहित डर इस बात का पाया जाय कि कदाचित् यह रोका नजायगा तो इस आतताई पनका फल मृत्युहोगा ॥

दूसरे--ऐसा आतताईपन जिससे हेतुसहितडरइस बातका पाया जाय कि कदाचित् यह रोका न जायगा तो इस आतताई पनका फल भारी दुःख होगा ॥

तीसरे--कोई आतताईपन जो जबरदस्तीव्यभिचार करने के प्रयोजन से किया जाय ॥

चौथे--कोई आतताईपन जो स्वभाव विरुद्ध कामातुरता पूरी करनेके प्रयोजन से कियाजाय ॥

पांचवें--कोई आतताईपन जो किसीको जबरदस्ती पकड़ लेजाने अथवा भगा लेजाने के प्रयोजन से किया जाय ॥

छठे--कोई आतताई पनजोकिसीमनुष्य कोअनीति बन्धि में रखने के प्रयोजन से ऐसी अवस्था में किया जाय जब हेतु सहित डर उसको इस बात का हो कि इस बन्धि से छूटने के लिये सर्व सम्बन्धी अहलकारों तक न पहुंच सकूंगा ॥

१०१--कदाचित् अपराध ऊपरकी दफ़ा में लिखेहुये प्रकारों में से किसी प्रकार का न हो तो तनुकी निज रक्षा का अधिकार आतताई को जानबूझकर मार डालने तक न होगा परन्तु दफ़ा ९९ में लिखे हुये नियमों के आधीन यहां तक हो सकेगा कि आतताई को मृत्यु छोड़ कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचा दिया जाय॥

यहअधिकार मृत्युको छोड़कर दूसरा कोई ज्यानपहुंचाने तकहोसकेगा

१०२--तनुकी निज रक्षा का अधिकार उसी समय प्राप्त हो जायगा जबकि तनु को बिपत्ति पहुंचने का हेतु सहित डर[1]किसी अपराध के उद्योग से अथवा धमकी से पाया जाय यद्यपि वह अपराध किया भी न गया हो और यह अधिकार उतनेही समय तक रहेगा जबतक कि तनुकी विपत्तिका हेतु सहित डर रहे॥

तनुकी निज रक्षा का आदिअन्त

१०३--धनकी निज रक्षा का अधिकार दफ़ा ९९ में लिखे हुये नियमों के आधीन अनीति करने वाले को जान बूझकर मारडालने अथवा और कोई ज्यान पहुंचाने तक हो सकेगा कदाचित् वह

धनकीनिजरक्षाकाअधिकार मृत्युकरने तक कब हो सकेगा

१-अर्थात् ऐसा डर जो बिना बात न हो किन्तु उसका कारण दिखाई दे

अपराध जिसके करने से अथवा करने के उद्योगसेउस अधिकार का बर्त्तना अवश्य हुआ आगे लिखे हुये प्रकारों में से किसी प्रकार का हो ॥

प्रथम—जोरी[१] ॥

दूसरे—रातिके समय घर फोड़ना ॥

तीसरे—उत्पात करना आग के द्वारा किसी ऐसे मकान अथवा डेरा अथवा नाव पर जो मनुष्य के रहने के स्थान की भांति अथवा चीज़ बस्तु धरने के ठौरकी भांति काम में हो ॥

चौथे--चोरी अथवा उत्पात अथवा मकान की मुदाख़लत बेजा ऐसी अवस्था में जब कि हेतु सहित डर इस बातका पाया जाय कि कदाचित् निज रक्षा का अधिकार न बर्त्ता जायगा तौ उसका परिणाममृत्यु अथवा भारी दुःख होगा ॥

१०४--कदाचित् वह अपराध जिसके किये जाने से
यह अधिकार मृत्युको अथवा किये जाने के उद्योग से
छोड़करदूसराकोईउठान बर्त्तना निज रक्षा के अधिकार
करदेनेतककबहोसकेगा
का अवश्य हुआ चोरी अथवा उत्पात अथवा मुदाखलत बेजा पिछली दफ़ा में लिखे प्रकारों को छोड़ कर दूसरे किसी प्रकार की हो तौ

१—अर्थात् डकैती या बटमारी

वह अधिकार जान बूझकर मृत्यु करने तक न होगा परन्तु दफ़ा ९९ के नियमों के आधीन मृत्यु को छोड़कर दूसरा कोई ज्यान अनीति करनेवाले को पहुंचानेतक हो सकेगा ॥

धनकीनिजरक्षाकेअधिकार का आदिअन्त

१०५--प्रथम--धन की निज रक्षा के अधिकार का उसी समय आरम्भ होगा जब कि धनकी बिपत्ति के हेतु सहित डरका आरम्भ हो ॥

दूसरे--धन की निज रक्षा का अधिकार चोरी रोकने को उतनी देर तक बर्त्तमान रहेगा जबतक कि अपराधी धन लेकर चला न जाय अथवासर्व सम्बन्धी अहलकारों से सहायता मिल न जाय अथवा वह धन फेर न लिया जाय ॥

तीसरे--धनकी निज रक्षा का अधिकार जोरी रोकने को उतनी देर तक बर्त्तमान रहेगा जब तक कि अपराधी किसी मनुष्य को मारता हो अथवा दुःख पहुंचाता हो अथवा अनीति बन्धि मेंरखता हो अथवा मारडालने या दुःख पहुंचाने या अनीति बन्धि में रखने का उद्योग कर रहा हो अथवा जब तक कि तत्काल मृत्यु अथवा तत्काल दुःख अथवा तत्काल अनीति बन्धिका हेतु सहित डर रहे ॥

चौथे--धन की निज रक्षा का अधिकार मुदाखुलत बेजा अथवा उत्पात रोकने को उतनी देर तक रहेगा जब तक कि अपराधी मुदाखलत बेजा अथवा उत्पात कर रहा हो ॥

पांचवें--धन की निज रक्षा का अधिकार रात्रि के समय घर फोड़ना रोकने को उतनी देर तक रहेगा जब तक कि मकान की मुदाखलत बेजा जो उस घर फोड़ने से उत्पन्न हुई रहे ॥

निज रक्षा का अधिकार मृत्यु कारक उठैया रोकने को उस अवस्था में जब कि किसी अनअपराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचने की जोखिम हो।

१०६--कदाचित् किसी ऐसे उठैये के रोकने को जिससे हेतु सहित डर मृत्यु होने का पाया जाय निज रक्षा का अधिकार बर्तने वाला ऐसी दशा में पड़ जाय कि उस अधिकार को भली भांति बर्तने से किसी अन अपराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचने की जोखिम अवश्य हो तौ उसको निज रक्षा का अधिकार यहां तक होसकेगा कि उस जोखिम को भी उठाले ॥

उदाहरण

देवदत्तपर एक भीड़ने जो उसके ज्ञात घातके उद्योगमेंथी उठैया किया और वह अपने निजरक्षा के अधिकार को बिना इसके कि उस भीड़पर बन्दूक़ छोड़े भलीभांति बर्त्तनहींसक्ता

था और बन्दूक छोड़नेसे अवश्य ज्यान पहुंचनेकी जोखिम उन छोटे छोटे बालकोंकी थी जो उस भीड़ में मिल रहेथे—कदाचित् ऐसी दशामें देवदत्त बन्दूक छोड़ देता और उससे किसी बालककी ज्यान होजाता तौ देवदत्त अपराधी न गिनाजाता ॥

अध्याय ५

—*—

सहायता के विषयमें ॥

सहायता किसी कामकी

१०७—कोई मनुष्य किसी काम में सहायता देने वाला कहलावेगा जब कि वह

प्रथम—किसी मनुष्यको उस काम के करने के लिये बहकावे अथवा ॥

दूसरे—एक अथवा अनेक मनुष्योंके साथ उस काम के करने के लिये जत्थेमें मिलकर मता करे और उस जत्थेमते के कारण और उस काम के होने के निमित्त कुछकाम अथवा क़ानूनविरुद्ध चूकवर्त्ती जाय अथवा ॥

तीसरे—प्रयोजन करके उसकाम के किये जाने में किसी काम अथवा क़ानून बिरुद्ध चूक के द्वारा सहारा दे ॥

विवेचन१—कोई मनुष्य जो जान बूझ कर झूठ बोलने के द्वारा अथवा किसी मुख्य बात को जिस का प्रकट करना उसपर अवश्य हो गुप्त रख कर अपनी

इच्छा से किसी काम को करे अथवा करावे अथवा करने या कराने का उद्योग करे वह उस काम का बहका कर कराने वाला कहलावेगा ॥

उदाहरण

देवदत्त एक सर्व संबन्धी अहल्कार किसी अदालतके वारण्टके द्वारा अधिकारी विष्णुमित्र के पकड़नेका है यज्ञदत्त ने इस बातको जानकर और यहभी जानकर कि हरदत्त विष्णु मित्र नहींहै अपनी इच्छासे देवदत्तसे कहा कि हरदत्त विष्णु मित्र है और इस उपायसे जानबूझकर देवदत्तसे हरदत्त को पकड़वादिया तो यहां कहा जायगा कि यज्ञदत्तने बहकाकर हरदत्तकोपकड़वाया ॥

विवेचन२—जो कोई मनुष्य किसी कामके किये जाने से पहिले अथवा किये जाने के समय उस काम के किये जाने की सुगमता के लिये कुछ काम करेगा और उस उपायसे उस कामका कियाजाना सुगम करदेगा वह उस कामके करने में सहायता देने-वाला कहलावेगा ॥

१०८—कोई मनुष्य किसी अपराध में सहायता

सहायी देने वाला कहलावेगा जब कि वह या तो उसी अपराध के किये जाने में या दूसरे किसी ऐसे काम के किये जाने में सहायता दे जो उस अवस्था में अपराध गिना जाता हो जब कि

उसका करने वाला अपराध करने को क़ानून अनुसार समर्थ समझा जाय कदाचित् वह उस अपराध को वैसेही प्रयोजन अथवा ज्ञान से जैसा कि उस सहायता करने वाले का है करे ॥

विवेचन१—किसी काममें क़ानून बिरुद्ध चूककराने का सहायी होना अपराध होसकेगा यद्यपि उस कामका करना सहायी पर अवश्य भी नहो ॥

विवेचन२— सहायताके अपराध के लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि जिस काम में सहायता दीगई वह हो ही जाय अथवा जिस परिणाम का होजाना उस काम को अपराध बनाने के लिये अवश्य हो वह हो ही गया हो ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने हरदत्त की ज्ञातघात के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और यज्ञदत्त यह काम करने से नाहीं करगया तौ देवदत्त ज्ञातघात करने के लिये यज्ञदत्तको सहायता करनेका अपराधी होचुका ॥

(इ) देवदत्तने हरदत्त की ज्ञातघात के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और यज्ञ दत्तने उस बहकाने के अनुसार हरदत्त को घायल किया परंतु इस घाव से हरदत्त बचगया तौ देवदत्त ज्ञातघात करनेकेलियेयज्ञदत्तको बहकानेका अपराधी होचुका ॥

विवेचन३—यह अवश्य नहीं है कि सहायता पाने

वाला मनुष्य क़ानून अनुसार अपराध करने को समर्थ ही हो अथवा यह कि सहायी कासा कुप्रयोजन या कुज्ञान रखता हो अथवा कुछ भी कुप्रयोजन या कुज्ञान रखताहो ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने कुप्रयोजनसे किसी बालक अथवा सिड़ीको सहायता किसी ऐसे कामके करनेमें दी जोअपराधहोता कदाचित् उसको कोई मनुष्य जो क़ानून अनुसार अपराध करनेको समर्थ होता करता और वही प्रयोजन रखता जो देवदत्त का था तो यहां चाहे वह काम किया गयाहो चाहे न कियागया देवदत्त अपराधमें सहायता देनेका अपराधी होचुका ॥

(इ) देवदत्तने विष्णुमित्रकी ज्ञातघातके प्रयोजनसे सात बरससे कमती अवस्था के यज्ञदत्त बालकको कोई ऐसा काम जिससे विष्णुमित्रकी मृत्यु हो करने के लिये बहकाया और यज्ञदत्तने उस बहकाने के कारण उस कामकोकिया और उससे विष्णुमित्रकी मृत्यु हुई तो यहां यद्यपि यज्ञदत्त क़ानून अनुसार अपराध करनेको समर्थ न था फिरभी देवदत्त दण्डकेयोग्य उसी भांति होगा मानो यज्ञदत्त क़ानून अनुसार अपराधकरने को समर्थ होता और ज्ञातघात करता इस लिये देवदत्त बधके दड योग्य हुआ ॥

(उ) देवदत्तने किसी रहने के मकानमें आगलगाने के लिये यज्ञदत्तको बहकाया और यज्ञदत्तने अपने सिड़ीपनके कारण कि जिससे वह उस कामके गुण और फल जाननेको अथवा यह जाननेको कि जिस कामकोमैं करताहूंवह अनीति अथवाक़ानून के विरुद्धहै असमर्थहै देवदत्तके बहकाने के अनुसार उसघरमें आग लगाई तो यज्ञदत्तने कुछ अपराध नहीं किया परंतुदेवदत्त

रहनेके मकानमें आगलगानेकी सहायताका अपराधीहुआ और इसलिये योग्य उसीदंडकेहुआ जो उसअपराधकेलिये ठहरायागयाहै॥

(ए)-देवदत्तने चोरीकरानेके प्रयोजनसे विष्णु मित्रकामाल विष्णु मित्रके कबजेसे लेलेनेकेलिये यज्ञदत्तको बहकाया और देवदत्तने धोखा देकर यज्ञदत्त को यह निश्चय कराया कि यह माल मेरा है और यज्ञदत्तने वहमाल विष्णु मित्रके कबजेसे शुद्धभावसे यह जानकर कि यहमाल देवदत्तका है लेलिया तो यज्ञदत्तने यहकाम धोखेसेकिया इसलिये उसने वह माल बेधर्मीसे नहीं लिया और न चोरी करनेवालाहुआ परंतु देवदत्त चोरीकी सहायताका अपराधी होचुका और उसी दंड के योग्य हुआ मानो यज्ञदत्त ने चोरी की होती ॥

विवेचन४--जब सहायता किसी अपराध की अपराध हो तो उस सहायता की सहायता भी अपराध होगी ॥

उदाहरण

देवदत्तनेयज्ञदत्तको बहकाया कि हरदत्तको बहकाकर विष्णु मित्रकी घातघातकरावे और यज्ञदत्तने उसीअनुसार विष्णु मित्रकीघातघात करनेकेलिये हरदत्त को बहकाया और हरदत्तने उस अपराध को यज्ञदत्तके बहकानेके कारण किया तो यज्ञदत्त अपने अपराधकेबदले उसी दंडके योग्यहुआ जो घातघातकेलिये ठहराया गया है और देवदत्तने यज्ञदत्तको उसअपराधके करनेकेलिये बहकाया इस्से वह भी उसी दंड के योग्य हुआ—

विवेचन५--जथेमतें के द्वारा बहकाने का अपराध कियेजाने के लिये कुछ यह अवश्य नहींहै कि सहायी ने उसी मनुष्य से जिसने अपराध किया अपराध का

मता किया हो इतनाही बहुत है कि वह उस जथे मतेमें साझी हुआहो जिसके अनुसार अपराध किया गया ॥

उदाहरण ॥

देवदत्तने विष्णु मित्रको बिषदेने का मता यज्ञदत्तसे किया और यह ठहरा कि देवदत्त बिषखिलावे यज्ञदत्तने यह मता हरदत्त को समझाया और कहा कि बिष कोई तीसरा मनुष्य खिलावेगा देवदत्तकानाम न लिया हरदत्तने बिषलादेना स्वीकारकिया और लाकर यज्ञदत्तको इस निमित्तदिया कि जैसामता होचुकाहै उसी अनुसार काम में आवे—फिर देवदत्तने बिषखिलाया और विष्णु मित्र उससे मरगया तो यहां यद्यपि देवदत्त और हरदत्तने आपसमें मता नहीं किया तो भी हरदत्त साझी उस जथेमते में हुआ जिसके अनुसार विष्णु मित्रकी मृत्यु हुई इसलिये हरदत्तने वह अपराधकिया जिसका लक्षण इसदफ़ामें कहा है और प्राणघात के दंड के योग्य हुआ—

दंड सहायता का कदाचित् वह काम जिसकी सहायताहुईउसी सहायताकेकारणकियागया हो और उसकेदंडका कोई स्पष्टलेखनहो

१०६--जो कोई मनुष्य किसी अपराध में सहायता करेगा उसको कदाचित् सहायता किया हुआ काम उसी सहायता के कारण किया गया हो और इस संग्रह में उस सहायता के दंडका कुछस्पष्ट नियम न लिखाहो वही दंड किया जायगा जो उस अपराध के लिये ठहरा हो ॥

विवेचन--कोई काम अथवा अपराध सहायता के कारण किया जाना तब कहलावेगा जब कि वह काम बहकाने के कारण अथवा मते के अनुसार अथवा उस सहारे से जिस से सहायता निकलती हो कियाजाय ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने यज्ञदत्त एक सर्व संबन्धी नौकर के आगे कुछ घूस इनामकी भांति इस प्रयोजनसे रक्खी कि देवदत्तपर यज्ञदत्त अपने ओहदेका काम भुगतानेमें कुछ पक्षपात करै और यज्ञदत्तने वह घूस स्वीकार करली तो देवदत्तने दफा १६१ में लक्षण किये हुये अपराधकी सहायता की ॥

(इ) देवदत्तने यज्ञदत्त को झूठी गवाही देनेके लिये बहकाया और यज्ञदत्तने उस बहकाने से वह अपराध किया तो देवदत्त उस अपराधमें सहायता करनेका अपराधी हुआ और जिस दण्ड के योग्य यज्ञदत्तहै उसीके योग्य देवदत्तहुआ ॥

(उ) देवदत्त और यज्ञदत्तने विष्णु मित्रको विषदेनेका मता किया और देवदत्तने उसी मतेके अनुसार विष लाकर यज्ञदत्त को इस प्रयोजनसे सौंपा कि वह उसे विष्णु मित्र को खिलावे और यज्ञदत्तने उसी मतेके अनुसार विष्णु मित्र को ऐसे समय जबकि वहां देवदत्त नथा विषदिया और उससे विष्णु मित्र की मृत्यु हुई तो यहां यज्ञदत्त ज्ञातघातका अपराधी होचुका और देवदत्त उस अपराधकी सहायता जथे मतेके द्वारा करनेवाला ठहरा इसलिये देवदत्त उसीदंडके योग्य होगा जो ज्ञातघात के लिये ठहराया गयाहै ॥

११०--जो कोई मनुष्य किसी अपराध के होने में

दंडसहायताका कदाचित् सहायतापानेवालामनुष्य अपराधकेकामको सहायताकरनेवालेके प्रयोजन केसिवायकिसी और प्रयोजनसे करे

सहायता पहुंचावेगा और सहायता पाने वाला मनुष्य कुछ अपराधका काम सहायता पहुंचाने वाले के प्रयोजन अथवा ज्ञान के सिवाय किसी और प्रयोजन अथवा ज्ञान से करेगा तो सहायी उसी अपराध के दंड योग्य होगा जो कि कियाजाता कदाचित् सहायता पाने वाला मनुष्य उस काम को सहायता करने वाले के प्रयोजन अथवा ज्ञान के अनुसार करता दूसरी भांति नकरता ॥

१११--जब एक काम में सहायता पहुंचाई जाय

दंडसहायता करने वाले को जब कि एक काम में सहायता पहुंचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई कामहोजाय

और उससे भिन्न कोई दूसरा काम होजाय तो उस होजाने वाले कामके बदले सहायी उसी भांति और उतने ही दंडकेयोग्य होगा मानो उसने स्पष्ट उस काम में सहायता पहुंचाई परन्तु नियम यह है कि जो काम होजाय वह इस प्रकार का हो कि उस सहायता से उस का हो जाना अति सम्भवित पाया जाय और बहकाने

के कारण अथवा सहारे से अथवा जो मता उस सहायता का मूल हुआ उस मते के अनुसार किया गया हो ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने विष्णु मित्रके भोजन में बिषमिलाने के लियेएक बालक को बहकाया और इस कामकेलिये बिष उसको सौंपदिया बालकने उस बहकानेके अनुसार बिषदिया परंतु भूलकर हरमित्र के भोजनमें जोकि विष्णु मित्रके भोजनकेपास रक्खाथा मिलादिया यहां बालकने देवदत्तके बहकानेमें आकर यह काम किया और यह काम देवदत्तकी सहायताका सम्भवित परिणाम[१] भी था इस लिये देवदत्त उसीभांति और उतनेही दंडकेयोग्य होचुका मानो उसने बालक को हरमित्र के भोजन में बिष मिलाने के लिये बहकाया ॥

(इ) देवदत्तने विष्णु मित्रके घरमें आगलगाने केलिये यज्ञदत्तको बहकाया—यज्ञदत्तने उस घरमें आगलगाई और उसीसमय वहांसे कुछमाल भी चुराया तो देवदत्त यदयपि आगलगानेमें सहायता देनेका अपराधीहुआ परंतु चोरीकी सहायता का अपराधी नहीं हुआ क्योंकि चोरी एक अलग काम था और आगलगाने का सम्भावित परिणाम न था ॥

(उ) देवदत्तने यज्ञदत्त और हरदत्तको आधीरात्रिके समय जोरी से चोरीकरनेके प्रयोजनसे किसी घरको जिसमें मनुष्य रहते थे फोड़नेकेलिये बहकाया और उनको इस कामके लिये हथियार भी दिये—यज्ञदत्त और हरदत्तने उस घरको फोड़ा और उसके रहनेवालोंमें से एक मनुष्य विष्णु मित्र को जिसने उनको रोका

१—अर्थात् काम का फल

मारडाला तो यहां कदाचित् यह ज्ञातघात देवदत्तकी सहायता का संभवित परिणामहो तो देवदत्त उसी दंडके योग्य होगा जो ज्ञातघात के लिये ठहराया गया हो ॥

सहायीकबइसयोग्यहोगा कि जिस काम में उसने सहायता की और जो काम किया गया दोनों का दंडपावे

११२--कदाचित् वह काम जिस के बदले पिछली दफ़ा के अनुसार सहायता करने वाला मनुष्य दंड के योग्य हो सहायता कियेहुये काम से अधिक किया जाय और आप ही एक अलग अपराध भी हो तो सहायता करने वाला दोनों अपराधों का दंड अलग अलग पाने के योग्य होगा ॥

उदाहरण

देवदत्तने किसी सर्वसम्बन्धी नौकरकी कीहुई कुरकी में बलसे सामनाकरने के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और यज्ञदत्तने उसी अनुसार कुरकी को रोका और रोकने में यज्ञदत्त ने जानबूझकर कुरकी करनेवाले अहलकारको भारीदुःख पहुंचाया तो यहां यज्ञदत्तने कुरकी का रोकना और जान बूझकर भारीदुःख पहुंचाना दोनों अपराधकिये इसलिये यज्ञदत्त उनदोनों अपराधों के दंड के योग्यहुआ और कदाचित् देवदत्तने यह बात जानलीहो कि कुरकी का सामना करने में यज्ञदत्त का भारी दुःख पहुंचाना अति संभवित है तो देवदत्त भी इन दोनों अपराधों में से प्रत्येकके बदले दंड योग्य होगा ॥

दण्डसहायी को उस परिणाम के बदले जो उसके प्रयोजन किये हुये परिणाम से भिन्न होजाय

११३--जब सहायता करने वाले ने कुछ विशेष परिणाम होने के प्रयोजन से किसी काम में सहायता की हो और जिस काम के बदले सहायी सहायता करने के कारण दंडके योग्य हो वह उस परिणाम से जिसकाप्रयोजन सहायीने किया था कुछ भिन्न परिणामकरे तो सहायी उस परिणाम के बदले जिसका प्रयोजन न था उसी भांति और उतने ही दण्ड के योग्य होगा मानों उसने उस काम में वही परिणाम होने के प्रयोजन से सहायता की थी परन्तु नियम यह है कि वह उस सहायता किये हुये काम से उस भिन्न परिणाम का होना अति सम्भवित जानता हो ॥

उदाहरण

देवदत्तने विष्णु मित्रको भारीदुःख पहुंचानेकेलिये यज्ञदत्त को बहकाया और इस बहकानेकेकारण यज्ञदत्तने विष्णु मित्रको भारी दुःख पहुंचाया और उससे विष्णु मित्र मरगया यहां कदाचित् देवदत्त ने जानलियाहो कि जिस भारीदुःखकेलिये सहायताकीगईहै उससे मृत्यु का होना अति संभवित है तो देवदत्त उसी दंड के योग्य होगा जो ज्ञातघात के लिये ठहरा हो ।

मौजूद होना सहायी का अपराध होने के समय

११४--जब कभी कोई मनुष्य जो मौजूद न होने की अवस्था में सहायता का दण्ड पाने के योग्य होता उस काम अथवा अपराध के जिसके बदले वह सहायता के दण्ड योग्य होता होने के समय मौजूद होतो समझा जायगा कि उसने वह काम अथवा अपराध आप किया ॥

सहायता किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड बध अथवा जन्मभर का देश निकाला हो कदाचित् वह अपराध सहायता के कारण न किया जाय

११५--जो कोई मनुष्य सहायता किसी अपराध में जिसका दण्ड बध अथवा जन्म भर का देश निकाला हो पहुंचावेगा उसको कदाचित् वह अपराध उसी सहायता के कारण न किया गया हो और इस संग्रह में उस सहायता के दण्ड का कुछ स्पष्ट नियम न हो दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा—और

कदाचित् कोई काम जिससे ज्यान होता हो सहायता के कारण हो जाय

कदाचित् कोई काम जिसके बदले सहायी सहायता का दण्ड पाने योग्य हो और जिससे किसी

मनुष्य को दुःख पहुंचता है कियाजाय तौ दण्ड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद चौदह बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

उदाहरण

देवदत्तने विष्णु मित्रकी घातघातकेलिये यज्ञदत्त को बहकाया परंतु यज्ञदत्त से वह अपराध हुआ नहीं यहां कदाचित् यज्ञदत्त विष्णु मित्रको मारडालता तो ज़रूरबध अथवा जन्मभरके देशनिकालेके दंडयोग्य होता इसलिये देवदत्त किसी म्यादको जो सात बरस तक होसकेगी क़ैद होसकेगा और जुर्मानेके भी योग्यहोगा और कदाचित् उस सहायताके कारण विष्णु मित्रको कुछ दुःखपहुंचा हो तो देवदत्त किसी म्यादको जो चौदहबरसतक होसकेगी क़ैद होसकेगा और जुर्माने के भी योग्य होगा—

सहायताकिसीअपराध मेंजोक़ैदकेदंडयोग्यहो कदाचित् वहअपराध उससहायताके कारण न कियाजाय

११६--जो कोई मनुष्य सहायता किसी अपराध में जो क़ैदके दण्डयोग्यहोकरेगा उसकोकदाचित्वह अपराध उस सहायताही के कारण न हो जाय और उस सहायता के दण्ड का कुछ स्पष्ट लेख इस संग्रह में न पाया जाय दण्ड दोनों मेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका जो उस अपराध के लिये ठहराई गई होकिसी म्याद कोजो उसअपराधके

लिये ठहराई हुई बढ़से बढ़ म्यादकी चौथाई तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् सहायता करने वाला अथवा सहायता पाने वाला मनुष्य कोई ऐसा सर्व सम्बन्धी नौकर हो जिसका काम उस अपराध का रोकना हो तो दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुये प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की आधी तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जितना उस अपराध के लिये ठहराया गयाहो अथवा दोनों का किया जायगा ॥

कदाचित्सहायीअथवा सहायतापानेवालामनुष्य कोईऐसासर्व सम्बन्धी नौकरहोजिसका काम उस अपराधकारोकहो

उदाहरण

(अ) देवदत्तने एक सर्वसम्बन्धी नौकर यज्ञदत्तको घूसइसलिये दिखाई कि यज्ञदत्त अपने ओहदेके काममें देवदत्तका कुछ पक्ष पात करनेके बदले इनामकीभांति उसकोले और यज्ञदत्तने उस घूसके लेनेसे नाहींकी तो देवदत्त इसदफ़ा के अनुसार दंडके योग्य होचुका ॥

(इ)देवदत्तने झूंठी गवाही देनेके लिये यज्ञदत्त को बहकाया यहां कदाचित् यज्ञदत्तने झूंठीगवाही नदी तोभी देवदत्तनेइस दफामें लक्षणकिया हुआ अपराधकिया और उसीअनुसार दंडके योग्य हुआ ॥

(उ) देवदत्त एक पुलिसके अहल्कारने जिसका कामचोरी रोकने का है चोरीहोनेमें सहायताकी तो यहां यद्यपि चोरीनभी हुई तोभी देवदत्त उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़तीसे बढ़ती म्यादकी आधीम्याद की क़ैदकेयोग्य हो चुका और जुर्माने के भी योग्यहुआ ॥

(ए) यज्ञदत्तने एक पुलिसके अहलकार देवदत्तको जिसकाकाम चोरीरोकनेका था उसअपराध के करनेमें सहायता पहुंचाई तो यहां यद्यपि चोरीनभी हुईहो तोभी यज्ञदत्त चोरी के अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़तीसे बढ़ती म्याद की आधीम्याद की क़ैदके योग्य होचुका और जुर्माने के भी योग्य हुआ ॥

सहायता पहुंचाना किसी अपराधकेकरनेमें सबके द्वारा अथवा दशसे अधिक मनुष्यों के द्वारा।

११७--जो कोई मनुष्य किसी अपराध के होने में सबके द्वारा अथवा किसी संख्या अथवा सम्बन्ध के दश से अधिक मनुष्यों के द्वारा सहायता पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरसतक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

देवदत्तने किसी सर्वसम्बन्धी स्थानमें एकटिकट दशमनुष्यसे अधिककी किसी संप्रदाय को दूसरी प्रतिकूल संप्रदायके ऊपर जबकि वह समाज करकेनिकले किसी नियत समय औरनियत स्थानपर उठैया करनेकेलिये बहकानेको लटकादिया तोदेवदत्त ने इस दफामें लिखा हुआ अपराध किया ॥

१--अर्थात् जहां सबकोई जासके—

११८—जो कोई मनुष्य बध अथवा जन्मभर के देश निकाले के दण्ड योग्य किसी अपराध का किया जाना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा उस का सुगम होना अति सम्भवित जानकर अपनी इच्छा से किसी काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक के द्वारा उस अपराध के उद्योग को छुपावेगा अथवा कुछ बात जिसको वह जानता हो कि झूठी है उस उद्योग के मद्दे कहेगा उसको कदाचित् वह अपराध होजाय दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सके। किया जायगा अथवा जब वह अपराध हो न जाय तो दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और दोनों अवस्थाओं में जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

गुप्त रखना किसी ऐसे अपराध के उद्योग का जो बध अथवा जन्म भर के देश निकाले के दंड योग्य हो

कदाचित् अपराध होजाय दण्ड

कदाचित् अपराध हो न जाय

उदाहरण

देवदत्तने यहबात जानकरकि यज्ञदत्तके मकानपर डांकापड़ने को है साहब मजिस्ट्रेटको झूठी ख़बरदेदीकि डांका हरदत्त के मकानपर जोदूसरीओर है पड़ाचाहता है और इस उपायसे उसअपराध

का होना सुगम करने के प्रयोजन से साहब मजिस्ट्रेट को धोखा दिया और इसी कारण यज्ञदत्त के मकानपर डांका पड़गया तो देवदत्त इस दफ़ाके अनुसार दंड योग्य हुआ—

कोई सर्वसंबन्धी नौकर जोकिसी ऐसेअपराधके होनेकेउद्योग कोजिस कोरोकनाउसका काम होछुपावे

११९—जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर किसी ऐसे अपराध के उद्योग को जिसका रोकना सर्व सम्बन्धी नौकर होने के कारण उस पर अवश्य हो अपनी इच्छा से कुछ काम अथवा क़ानून बिरुद्ध चूक करके उस अपराध का होना सुगम करनेके प्रयोजनसे अथवा सुगम होना अति सम्भवित जानकर छुपावेगा अथवा उस उद्योग के मद्धे कोई ऐसी बात जिसको वह जानता हो कि झूठी है कहेगा उसको कदाचित् वह अपराध होजाय

कदाचित्अपराधहोजाय

दण्ड उस अपराधके लिये ठहराये हुये प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुईबढ़से बढ़म्यादकी आधीतकहोसकेगी अथवा जुर्माने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा और

कदाचित्अपराध बध इत्यादिकेदंड योग्यहो

कदाचित् वह अपराध बध अथवा जन्म भर के देश निकाले

के दण्ड योग्य हो तो दण्ड किसी प्रकार की क़ैद का जिसको म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा ॥

जब अपराध हो न जाय

और कदाचित् वह अपराध हो न जाय तो दण्ड उस अपराध के लिये ठहराये हुये प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ते बढ़ म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

देवदत्त कोई पुलिस का अहलकार जिसपर क़ानून अनुसार अवश्य था कि चोरी होनेके उद्योगकी जो कुछ ख़बर पावे उसकी रिपोट करे यह बात जानबूझ कर कि यज्ञदत्त चोरी करने का उपाय कररहा है उस अपराध का होना सुगम करने के प्रयोजनसे इसबातकी रिपोट देनेमें चूका तो यहां देवदत्तने क़ानून विरुद्ध चूक करके यज्ञदत्त के उद्योग को छुपाया और इसदफ़ा के नियम अनुसार दंडके योग्य हुआ ॥

छुपाना उद्योगका जो क़ैद के दंड योग्य किसी अपराध के करनेकेलिये हो

१२०--जो कोई मनुष्य क़ैदके दंडयोग्य किसी अपराध के उद्योगको उसका किया जाना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा सुगम होना अति सम्भवित जानकर अपनी इच्छा से कुछ काम अथवा

क़ानून बिरुद्ध चूक करके छुपावेगा अथवा उस उद्योग के मद्ध कोई ऐसी बात जिसको वह जानता हो कि झूठीहै कहेगा उसको कदाचित् वह अपराध होजाय दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुये प्रकार की क़ैद

कदाचित् अपराध होजाय — काजिसकी म्याद उसअपराध केलिये ठहराई हुई क़ैदकी बढ़सेबढ़ म्यादकी चौथाई तक और कदाचित् अपराध हुआ नहो तो आठवें

कदाचित् अपराधहोनजाय — भाग तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जितना उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अध्याय ६ ॥

—※—

राजबिरोधी अपराधों के विषय में ॥

१२१—जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी के दरबारके साथ युद्ध करेगा अथवा युद्ध का उद्योग करेगा अथवा युद्ध करने में सहायता देगा उसको दंड बध अथवाजन्मभर के देश निकाले का किया जायगा और उसका सब धन ज़ब्त होगा ॥

श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करना अथवा युद्धकरनेका उद्योग करना अथवा युद्ध करनेमें सहायता देना

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी बलवेमें जो श्रीमती महारानी केदरबारके साथ किया गयासाझी हुआतो देवदत्त ने इस दफ़ामिलवगाकिया हुआ अपराध किया ॥

(इ)देवदत्तने किसी बलवेमें जो श्रीमती महारानीके दरबारके साथ सीलान के टापूमें हुआ हिन्दुस्तानसे बैरियोंकेपासहथियार पहुंचाकर सहायता दी तो देवदत्त श्रीमती महारानीके दरबार केसाथ युद्ध होनेमें सहायता पहुंचाने का अपराधी हुआ ॥

श्री मतीमहारानी के दरबारके साथ युद्ध करने के प्रयोजन सेहथियार इत्यादि इकट्ठे करना

१२२—जोकोईमनुष्य कुछसिपाही अथवा हथियार अथवा मेखजीन इकट्ठे करेगा अथवा दूसरी किसी भांति युद्ध का सामान करेगा इस प्रयोजनसे कि श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करे अथवा करने को तैयार हो उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस से अधिक नहोगी किया जायगा और उसका सब धन जब्त होगा ॥

सुगमताके प्रयोजनसे युद्ध के उद्योगको छुपाना

१२३—जो कोई मनुष्य किसी काम अथवा क़ानून बिरुद्ध चूक के द्वारा किसी उद्योग को जो श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्ध होने के लियेहो रहा हो छुपावेगा इस प्रयोजन से कि यह छुपाना उस युद्ध

के होने को सुगम करेगा अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि इस छुपाने से उस युद्ध का करना सुगम होगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

१२४--जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल से अथवा किसी हाते के गवर्नर या लफ्टनेण्ट गवर्नर से अथवा गवर्नर जनरल हिन्दकी कौंसिल के अथवा किसी हाते की कौंसिल के किसी सभासद से दबाकर कोई अधिकार जो उक्त गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर अथवा लफ्टनैण्ट गवर्नर अथवा सभासद को क़ानून अनुसार प्राप्त हो किसी भांति बर्त्तवाने अथवा बर्त्तने से रोक देने के प्रयोजन से उक्त गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर अथवा लफ्टनैंट गवर्नर अथवा सभासद पर उठैया करेगा अथवा अनीति रीति से रोकेगा अथवा अनीति रीति से सामना करने का उद्योग करेगा अथवा अपराध संयुक्त बलके

> उठैया करना गवर्नर जनरल अथवा लफ्टनैट गवर्नर इत्यादि पर किसी नीति पूर्वक अधिकार को दबा कर बर्त्तवाने अथवा बर्त्तने से रोक देने के प्रयोजन से

द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखाकर दबावेगा अथवा दबाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकीम्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा॥

युद्ध करना किसी दरबार के साथ जो महाद्वीप एशिया में श्रीमती महारानी का हितकारी हो

१२५--जो कोई मनुष्य एशिया[1] में किसी देश के ऐसे अधिपति के साथ जिसकी मित्रता अथवा सन्धि श्रीमती महारानी के दरबार से हो युद्ध करेगा अथवा युद्ध करने का उद्योग करेगा अथवा युद्ध करने में सहायता देगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का जिसके सिवाय जुर्माना भी हो सकेगा अथवा दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी और जिसके सिवाय जुर्माना भी हो सकेगा अथवा निरे जुर्मानेका कियाजायगा॥

१--एशिया उस महाद्वीपका नामहै जिसमें हिन्दुस्तानचीन कोचीन ईरान तूरान अरब ब्रह्मा आधारूस आधारूम अफ़गानिस्तान जापान स्याम कम्बोज इत्यादि देशहैं॥

लूटमार करना किसी ऐसे अधिपतिके राज्य में जो श्रीमती महारानीके दरबार के साथ सन्धिरखता हो

१२६--जो कोई मनुष्य किसी ऐसे देशाधिपति के राज्य में जिसकी मित्रता अथवा सन्धि श्री मती महारानी के दरबार से हो लूटमार करेगा अथवा लूट मार करने का सामान करेगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसको म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और योग्य जुर्माने और उन वस्तों की जब्ती के भी होगा जो उस लूटमार में कामआई हों अथवा काम आने के प्रयोजन से रक्खी गई हों अथवा उस लूट मारके द्वारा प्राप्त हुई हों ॥

रखलेना ऐसे मालकोजो दफ़ा १२५ व १२६मेंवर्णन किये हुयेयुद्ध अथवालूट मारके द्वाराप्राप्त हुआहो

१२७—जो कोई मनुष्य किसी माल को यह बात जान बूझ कर कि दफ़ा १२५ व १२६ में वर्णनकिये हुयेकिसी अपराध के करने से प्राप्त हुआ है रख लेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और योग्य जुर्माने के और जो माल इस भांति रख लिया गया उसकी जब्ती के भी होगा ॥

सर्व सम्बन्धी नौकर जो जान बूझकर किसी राज्य विरोधी अपराधके क़ैदी को अथवा युद्ध के क़ैदी को अपनी चौकसी में से भाग जानेदे

१२८--जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर और किसी राज्य विरोधी क़ैदी की अथवा युद्ध के क़ैदीकीचौकसी पाकर अपनी इच्छासे उस क़ैदी को किसी मकान में से जहां वह क़ैद हो निकलजाने देगा उसको दंड जन्म भर के देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दश बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

सर्वसम्बन्धी नौकर जो असावधानी से राज्यविरोधी अथवा युद्ध के क़ैदी को अपनी चौकसी में से भागजाने दे

१२९—जोकोई मनुष्य सर्वसम्बन्धी नौकरहोकरऔर किसी राज्य विरोधी क़ैदी अथवा युद्ध के क़ैदी की चौकसी पाकर असावधानी से उसक़ैदी को किसी मकान मेंसे जहां वह क़ैद हो निकल जाने देगा उसको दण्ड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

१३०--जो कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी राज्य विरोधी क़ैदी को अथवा युद्ध के क़ैदी को किसी नीति पूर्वक बन्धि में से भागने में सहायता अथवा सहारा देगा अथवा ऐसे क़ैदी को छुड़ा लेगा अथवा छुड़ा लेने का उद्योग करेगा अथवा ऐसे क़ैदी को जो नीति पूर्वक बन्धि में से भागा हो आश्रय देगा अथवा छुपावेगा अथवा ऐसे क़ैदी के फिर पकड़े जाने में सामना करेगा अथवा सामना करने का उद्योग करेगा उसको दंड जन्म भर देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

ऐसे क़ैदी को भागने में सहायता देना अथवा छुड़ा लेना अथवा आश्रय देना

विवेचन--कोई राज्य विरोधी क़ैदी अथवा युद्ध का क़ैदी जिसको हिन्दुस्तान के अंग्रेजी राज्य के नियत सिवानों के भीतर अपने न भागने की प्रतिज्ञाअनुसार फिरने की आज्ञा हुई हो कदाचित् उन्हीं सिवानों से जिनके भीतर फिरने की उसको आज्ञा है परे निकल जाय तो कहा जायगा कि नीति पूर्वक बन्धि से भाग गया ॥

अध्याय ७

—※—

जंगी अथवा जहाज़ी सेना सम्बन्धी अपराधों के विषय में

बग़ावत में सहायता देना अथवा किसी सिपाही अथवा जहाज़ी केवट को उसके काम से बहकाने का उद्योग करना

१३१--जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को बग़ावत करने में सहायता देगा अथवा इस प्रकार के किसी अफसर अथवा सिपाही अथवा केवट को उसकी प्रजा धर्म से अथवा काम से बहकाने का उद्योग करेगा उसको दण्ड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

सहायता करना बग़ावत में जबकि वह बग़ावत उसी सहायता के कारण होजाय

१३२--जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफसर अथवा सिपाही अथवा केवट को बग़ावत करने में सहायता देगा उसको जब कि

वह बग़ावत उसी सहायता के कारण की जाय दंड बध अथवा जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुरमाने के भी योग्य होगा ॥

सहायता देना किसी उठैये में जो कोई सिपाही अथवा केवट अपने ऊपर के अफ़सर पर जब कि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो करे

१३३—जो कोई मनुष्य श्रीमती महाराणीकी जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को किसी ऊपर के अफ़्सर पर जब कि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो उठैया करने में सहायता देगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

सहायता ऐसे उठैये में कदाचित् वह उठैया हो जाय

१३४—जो कोई मनुष्य श्रीमती महाराणीकी जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को किसी ऊपर के अफ़सर पर जब कि वह अपने ओहदे का काम

भुगताता हो उठैया करने में सहायता देगा उसको कदाचित् वह उठैया उसी सहायता के कारण किया जाय दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

सहायता देना किसी सिपाही अथवा केवट के भागने में

१३५—जो कोई मनुष्य श्री मती महाराणी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को नौकरी से भागने में सहायता देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

नौकरी से भागेहुये को आश्रय देना

१३६—जो कोई मनुष्य सिवाय नीचे लिखी हुई छूट के श्रीमती महाराणी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को यह बात जान बूझ कर अथवा जानने का हेतु पाकर कि यह अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट अपनी नौकरी से भाग आया है आश्रय देगा उसको दंड दोनों में

से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छूट—यह नियम उस अवस्था से सम्बन्ध नहीं रक्खेगा जब कि कोई स्त्री अपने पति को आश्रय दे ॥

१३७—नावपति अथवा अधिकारी किसी सौदागरी जहाज़ का जिस पर श्रीमती महाराणी की जंगी अथवा जहाजी सेना का कोई भाग हुआ छुपाया जाय यद्यपि वह उस के छुपाये जाने से बेखबर भी हो योग्य किसी जुर्माने के जो पांचसौ रुपये से अधिक न होगा होगा जब कि वह उस छुपाये जाने का हाल जानसक्ता कदाचित् कुछ असावधानी उसके नावपतिपने में अथवा अधिकारी पने के काम में न होती अथवा उस जहाज़ के प्रबन्ध में कुछ खोट न होता ॥

नौकरी से भागा हुआ मनुष्य जो किसी सौदागरी जहाज़ में उसके नावपतिकी असावधानी से छुपाया जाय

१—अर्थात् जो मनुष्य जहाज़ का मुख्य अधिकारी हो ॥

किसी सिपाही अथवा केवट को आज्ञा भंगके काममें सहायता देनी

१३८—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे काम में जिस को वह जानता हो कि श्रीमती महाराणी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट की ओर से आज्ञा भंग का काम है सहायता देगा उसको कदाचित् उसी सहायता के कारण वह आज्ञा भंग का काम होजाय दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी मर्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा॥

जोमनुष्य जंगीक़ानून के आधीनहैं इससंग्रह के अनुसारदंड दिये जाने के योग्य नहोंगे

१३९—कोई मनुष्य जो आधीन श्रीमती महाराणी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के क़ानून अथवा उस जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी खंडके क़ानून का हो इस अध्याय में लक्षण किये हुये किसी अपराध के लिये इस संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य न होगा॥

पहरना सिपाही कीवर्दी का

१४०—जो कोई मनुष्य श्रीमती महाराणीकी जंगी अथवा जहाज़ी सेना में सिपाही न होकर कोई वर्दी पहनेगा अथवा ऐसा चिन्ह धारण करेगा जो सिपाही

की वर्दी अथवा चिन्ह के सदृश हो इस प्रयोजन से कि वह सिपाही प्रतीत किया जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद तीन महीने तक होसकेगी अथवा जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥[१]

अध्याय ८

—※—

सर्वसम्बन्धी कुशल में बिघ्न डालनेवाले अपराधों के बिषय में ॥

१४१—पांच अथवा अधिक मनुष्यों का कोई जमाव अनीति जमाव अनीति जमाव कहलावेगा कदाचित् उस जमाव के सब मनुष्यों का साधारण मतलब यह हो कि—

प्रथम---अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखाकर दबाना हिन्दुस्तान की क़ानून कारक[२] अथवा क़ानून प्रवर्तक[३] गवर्नमेंट को

१—किसी सिपाही से हथियार और मिरज़ई नकपड़ा जंगीवर्दी चारा इत्यादि मोललेनेका अपराध बलवेके क़ानून अनुसार दंड दिये जानेके योग्यहै ॥

२—क़ानून बनानेवाली

३—क़ानून की तामील करनेवाली

अथवा किसी हाते की गवर्नमेंट को अथवा किसी लेफ़्टनेंट गवर्नर को अथवा किसी सर्बसम्बन्धीनौकर को जब कि वह अपनी नौकरी का नीति पूर्वक अधिकार बर्त्त रहा हो अथवा ॥

दूसरे--रोकना किसी क़ानून के प्रचार का अथवा क़ानून अनुसार आज्ञा पत्र का अथवा ॥

तीसरे--करना किसी उत्पात अथवा मुदाख़लत[1] बेजा अथवा और किसी अपराधका अथवा ॥

चौथे--अपराधसंयुक्त बलकेद्वारा अथवा किसीको अपराध संयुक्त बल दिखाकर लेना अथवा प्राप्त करना किसी मालका अथवा रहित करना किसी मनुष्य को किसी मार्ग अथवा जलाशय के अधिकार के भोगने से अथवा और किसी अमूर्त्ति अधिकार से जिस को वह भोगरहा हो अथवा प्रचलित करना किसी अधिकार को अथवा कल्पित अधिकार का अथवा ॥

पांचवें--अपराध संयुक्त बलके द्वरा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखलाकर बेबश करना किसी मनुष्य को उस कामके करने के लिये जिसका करना उसपर क़ानून अनुसार अवश्य न हो अथवा उस काम के

१—पराई बस्तुपरबिना मालिककी मरज़ीके दख़लकरलेना ॥

करने से चुकाने के लिये जिसके करने का वह क़ानून अनुसार अधिकारी हो ॥

विवेचन—कोई जमाव जोकि जमा होने के समय अनीति जमाव न हो पीछे से अनीति जमाव होसकेगा ॥

साझीहोना किसीअनीति जमाव में

१४२—जो कोई मनुष्य उन बातों को जानकर जिनके कारण कोई जमाव अनीति जमाव कहलाता हो प्रयोजन करके उस जमाव में मिलेगा अथवा उसमें बना रहेगा वह अनीति जमाव का साझी कहलावेगा ॥

दंड

१४३—जो कोई मनुष्य साझी किसी अनीति जमाव का होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद छःमहीने तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

साझीहोना किसीअनीति जमावमें कोईमृत्युकारक हथियार बांधकर

१४४—जो कोई मनुष्य कुछ मृत्यु कारक हथियार अथवा और कोई वस्तु जिसको मारनेके हथियार की भांति बत जाने से मृत्यु का होना अति सम्भवित हो बांधकर साझी किसी अनीति जमाव

का बनेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मिलना अथवा बनारहना किसी अनीति जमाव में यहबात जानबूझकर कि उसके फैल फूट होने के लिये आज्ञा हो चुकी है

१४५—जो कोई मनुष्य किसी अनीति जमाव में मिलेगा अथवा बनारहेगा यह बात जानबूझकर कि क़ानून में ठहराई हुई भांति फैलफूटहोने की आज्ञा उस जमाव को हो-चुकी है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बल जो सब साझियों के मतलबके प्राप्तहोने के लिये एक साझीकी ओर से बर्त्ताजाय

१४६—जब कभी कोई बल अथवा अन्याय किसी अनीति जमाव की ओर से अथवा उसके किसी साझी की ओरसे उस जमावके सब साझियों का मतलब प्राप्तहोने के लिये बर्त्तीजायगा तो उस जमाव का प्रत्येक साझी दंगे के अपराध का अपराधी गिना जायगा ॥

दंगाकरने के लिये दंड

१४७—जो कोई मनुष्य दंगा करने के अपराध का अपराधी होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद

दो बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मृत्युकारीहथियारबांध कर दंगाकरना

१४८—जो कोई मनुष्य कुछ मृत्युकारी हथियार अथवा और कोई वस्तु जिस को मारने के हथियार की भांति बर्तै जाने से मृत्यु का होना अति सम्भवित हो बांध कर दंगा करने का अपराधी होगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

हरएकसाझीकिसी अनीति जमाव का अपराधी उस अपराध का गिना जायगा जोसबसाझियों का मतलब प्राप्तहोनेके लियेकियाजाय

१४९—कदाचित् कुछ अपराध किसी अनीति जमाव का कोई साझी सब साझियों का मतलब प्राप्त करने के लिये करे अथवा ऐसा अपराध करे जिसको उस जमाव के साझी जानते हों कि उस मतलब को प्राप्त करने में उसका कियाजाना अतिसम्भवित है तो हरएक मनुष्य जो उस अपराध के किये जाने के समय साझी उस जमाव का हो अपराधी उस अपराध का गिना जायगा ॥

१५०—जोकोईमनुष्य,किसी मनुष्यकोकिसीअनीति जमाव में मिलने अथवा साझी होनेके लिये नौकरी पर, या अजूरे पर रक्खेगा या काम पर लगावेगा अथवा नौकरी पर अथवा अजूरे पर रखने में या काम पर लगाने में बढ़ावा देगा अथवा आना कानी करेगा वह उस अनीति जमाव के साझो की भांति दंड के योग्य होगा और जो कोई अपराध इस प्रकार का कोई मनुष्य उस अनीति जमाव का साझी होकर उस नौकर रक्खे जाने अथवा अजूरा पाने अथवा काम पर लगाये जाने के अनुसार करेगा उसी भांति दंड के योग्य होगा मानों वह आप उस अनीति जमाव का साझीहुआ अथवा उसने आपही उस अपराध को किया॥

किसीअनीतिजमाव में मिलनेके लिये मनुष्यों को नौकररखनाअथवा नौकर रखने में आना कानी देना

१५१—जो कोई मनुष्य जान बूझ कर पांच अथवा अधिक मनुष्यों के किसी जमाव में जिससे सर्व सम्बन्धी कुशल में विघ्न पड़ना अति सम्भवित हो मिलेगा अथवा बनारहेगा पीछे इससे कि उस जमाव के

जान बूझ कर मिलना अथवा बनारहना पांच अथवा अधिकमनुष्योंके किसीजमावमेंपीछेइस्से कि उसके फैलफूटहोनेकी आज्ञा होचुकीहो

फैल फूट होने की आज्ञा क़ानून अनुसार होचुकी हो उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छःमहीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

विवेचन—कदाचित् जमाव दफ़ा १४१ में लक्षण किये हुये प्रकार का अनीति जमाव हो तौ अपराधी दफ़ा १४५ के अनुसार दंड योग्य होगा ॥

सर्वसम्बन्धी नौकर पर उठैया करना अथवा उसको रोकना जबकि वह दंगे इत्यादि का होना बंद करता हो

१५२—जो कोई मनुष्य किसी सर्वसम्बन्धी नौकर पर जब कि वह अपनी नौकरी का काम भुगताने में किसी अनीति जमाव को फैल फूट करने का उपाय करता हो अथवा दंगे या खानेजंगी को बन्द करता हो उठैया करेगा अथवा उठैया करने की धमकी देगा अथवा उसको रोकेगा या रोकने का उद्योग करेगा अथवा उस सर्वसम्बन्धी नौकर के साथ अपराध संयुक्त बल करेगा अथवा अपराध संयुक्त बल करने की धमकी देगा अथवा उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बिना बात क्रोध कराने का काम करना दंगा होनेके प्रयोजन से

१५३—जो कोई मनुष्य दुर्भाव से अथवा बिना बात कोई क़ानून बिरुद्ध काम करके किसी को क्रोध दिलावेगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि इस क्रोध दिलाने से दंगा होगा उसको कदाचित् दंगे का अपराध उसी क्रोध कराने के कारण होजाय दंड

कदाचित् दंगा होजाय

दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा—और कदाचित् दंगा हो न जाय तौ दंड दोनों में से

कदाचित् न हो

किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छःमहीने तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मालिक अथवा काबिज धरती का जिसपर अनीति जमाव जुड़े

१५४—जब कभी कोई अनीति जमाव अथवा दंगा होजाय तौ मालिक अथवा काबिज उस धरती के को जिस पर वह अनीति जमाव अथवा दंगा हुआ हो और और किसी मनुष्य को भी जो उस धरती में कुछ स्वार्थ अथवा स्वार्थ का दावा रखता

हो दंड जुर्माने का जो एक हजार रुपये से अधिक न होगा किया जायगा कदाचित् वह आप अथवा उसका कारिन्दा अथवा सरबराहकार यह बात जान कर कि यह अपराध होरहा है अथवा हो-चुका है अथवा उसका होना अतिसम्भवित मानने का हेतु पाकर सबसे नगीच की चौकी पुलिस के मुख्य अफसर को अपने बश भर जल्दी से जल्दी खबर न देगा और उस अवस्था में जब कि उसका होना अति सम्भवित मानने का हेतु पाया जाय उसके रोकने में अपने बश भर सब उपाय न करेगा और उस अवस्था में जब कि वह होजाय अपने बश भर सब उपाय उसदंगे के मिटाने अथवा अनीति जमाव के फैलफूट करने में न करेगा ॥

दंडयोग्यहोना उस मनुष्य का जिसके भले के लिये दंगा किया जाय

१५५—जब कभी कोई दंगा किसी ऐसे मनुष्य के भले के लिये अथवा उसकी ओर से किया जाय जो मालिक अथवा काबिज उस धरती का हो जिसके मद्धे दंगा किया गया अथवा जो कुछ दावा स्वार्थ का उस धरती में अथवा जिस बात पर झगड़ा होकर दंगा हुआ उस बात में रखता हो अथवा जो उस दंगे से कुछ लाभ निकाले अथवा

स्वीकार करे तो ऐसा मनुष्य जुर्माने के दंड योग्य होगा कदाचित् उसने आप या उसके कारिन्दे या सरबराहकार ने हेतु इस बात के मानने का पाकर कि दंगा होना अति सम्भवित है अथवा जिस अनीति जमाव ने दंगा किया उसका इकट्ठा होना अति सम्भवित है अपने बशभर नीति पूर्वक सब उपाय उस दंगे अथवा जमाव का होना रोकने में और उसके मिटाने और फैल फूट करने के लिये न किये हों ॥

दंडयोग्य होना उस मालिक अथवा काबिज के कारिन्दे का जिसके भले के लिये दंगा किया गया हो

१५६—जब कभी कोई दंगा किसी ऐसे मनुष्य के भलेके लियेअथवा उसकी ओर से किया जाय जो मालिक अथवा काबिज उस धरती का हो जिसके मद्धे दंगा किया गया अथवा जो कुछ दावा स्वार्थ का उस धरती में अथवा जिस बात पर झगड़ा होकर दंगा हुआ उस बातमें रखता हो अथवा जो उस दंगे से कुछ लाभ निकाले अथवा स्वीकार करे तौ कारिन्दा अथवा सरबराहकार उस मनुष्य का जुर्माने के दंड योग्य होगा कदाचित् उस कारिन्दे या सरबराहकारने हेतु इस बात के मानने का पाकर कि दंगा होना अति सम्भवित है अथवा जिस अनीति जमाव ने दंगा किया उसका

इकट्ठा होना अतिसम्भवित है अपने बशभरसब नीति पूर्वक उपाय उस दंगे अथवा जमाव का होना रोकने में और उसके मिटाने और फैल फूट करने के लिये न किये हों ॥

आश्रयदेनाउनमनुष्यों कोजो किसी अनीति जमावकेलिये नौकर रक्खे गये हों

१५७--जो कोई मनुष्य किसी घर अथवा मकान में जो उसके कब्जे अथवा चौकसी में हो अथवा जिस पर उसका अधिकार हो ऐसे मनुष्यों को आश्रय देगा अथवा आने देगा अथवा इकट्ठा करेगा जिसको वह जानता हो कि किसी अनीति जमाव में मिलने अथवा साझी बनने के लिये नौकर रक्खे गये हैं या अजूरे पर या काम पर लगाये गये हैं अथवा नौकर रक्खे जाने या अजूरा पाने या काम पर लगाये जाने को हैं उसको दण्ड किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी अनीति जमाव अथवादंगेमेंसाझीकरने केलिये नौकर होना

१५८—जो कोई मनुष्य दफ़ा १४१ में लक्षण किये हुये कामों में से किसी काम के करने या सहायता देने के लिये नौकर रहेगा अथवा

अजूरा लेगा अथवा नौकरी या अजूरा मांगेगा या उसके मिलने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा और जो कोई मनुष्य ऊपर कही

अथवाहथियारबांधक हुई भांति नौकरी अथवा अजूरा
रफिरना लेकर कुछ मृत्यु कारी हथियार अथवा और कोई बस्तु जिसको हथियार की भांति बर्त जाने से मृत्यु होना अति सम्भवित हो बांध कर फिरेगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्मानेका अथवा दोनोंका कियाजायगा ॥

१५९—जब दो अथवा दो से अधिक मनुष्य किसी
खानेजंगी सर्व सम्बन्धी जगह में लड़ कर सर्व सम्बन्धी कुशलतामें बिघ्न डालेंगेतो कहाजायगा कि उन्होंने खाने जंगी की ॥

१६०—जो कोई मनुष्य खाने जंगी करेगा उसको
खानेजंगीकरनेका दंड दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जुर्माने का जो एकसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अध्याय ९ ॥

—*—

अपराध जो सर्व सम्बन्धी नौकरोंकी ओर सेकिये जांय अथवा जो उन से सम्बन्ध रक्खें ॥

सर्वसम्बन्धी नौकर जो अपने ओहदेके किसी कामकेमद्दे सिवायकानून अनुसारचाकरीके कुछ घूसकी भांतिले

१६१—जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर अथवा सर्व सम्बन्धी नौकरी पाने की आशा रख कर अपने अथवा दूसरे किसी मनुष्य के निमित्त अपने ओहदे का कोई काम करने अथवा न करने के बदले अथवा अपने ओहदे का अधिकार बर्त्तने में किसी मनुष्य के साथ पक्षपात अथवा द्रोह करने के लिये अथवा हिन्द की क़ानून कारक या क़ानून प्रवर्त्तक गवर्नमेंट के सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेंट के सामने अथवा किसी लफ्टनेंट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने किसी मनुष्य का काम बना देने या बिगाड़ देने के बदले अथवा बनादेने या बिगाड़ देने का उद्योग करने के लिये सिवाय अपनी क़ानून अनुसार चाकरी के कुछ घूस लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार अथवा प्राप्ति करेगा अथवा स्वीकार करने को राजी होगा अथवा प्राप्ति

करने का उद्योग करेगा उसको दण्ड दोनोंमें सेकिसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

विवेचन—सर्वसम्बन्धी नौकर होनेकी आश्यारखना कदाचित् कोई मनुष्य जिसको सर्व सम्बन्धी नौकरी मिलने की आश्या नहो दूसरों को इसबातके निश्चय मानने का धोखा देकर कि मैं ओहदा पाने को हूं और तब तुम्हारा काम बना दूंगा कुछ घूस ले तो वह ठगने का अपराधी हो सकेगा परन्तु इस दफ़ा में लक्षण किये हुये अपराध का अपराधी न गिना जायगा ॥

घूस--इस शब्दका तात्पर्य केवल रुपयेही की घूस से नहीं है और न केवल उस घूस से है जिसकी कूत रुपये में होसके ॥

क़ानून अनुसार चाकरी--इन शब्दों का तात्पर्य केवल उसी चाकरी से नहीं है जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर नीति पूर्बक तगादा करके मांग सकता हो परन्तु इनमें सब प्रकारकी चाकरी जिसकेस्वीकार करने की आज्ञा उसको उस गवर्नमेंट से जिसकी वह नौकरी करता हो मिल चुकी हो गिनी जायगी ॥

कुछ करने के लिये लालच अथवा इनाम इनशब्दों में वह मनुष्य भी गिना जायगा जो कुछ घूस किसी ऐसे काम के करने के लिये जिसके करने का वह प्रयोजन न रखता हो लालच की भांति अथवा जिस काम को उसने नहीं किया है उसके लिये इनाम की भांति लेगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त एक मुन्सिफने विष्णु मित्र किसी कोठीवालकी कोठीमें अपने भाईके लिये एक नौकरी विष्णु मित्र की जीत में कोई मुकद्दमा तजवीज करदेने के बदले इनामकी भांति प्राप्ति की तो देवदत्तने इसदफ़ामें लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(इ) देवदत्तने जो किसी आज्ञाकारी दरबार में रजीडण्टी के ओहदेपर है उस दरबारके दीवानसे एक लाख रुपया लेना स्वीकार किया यहसाबित नहींहै कि देवदत्तने यहरुपया अपने ओहदेका कोई विशेष काम करने या न करने के लिये अथवा सरकार अंग्रेजी में उस दरबार का कोई विशेष काम बनादेने या बनादेनेका उद्योग करने के लिये लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार किया परन्तु यह साबित है कि देवदत्त ने यह रुपया अपने ओहदेका अधिकार बर्त्तनेमें साधारण उस दरबार का पक्षपात करनेके लिये लालच अथवा इनामकीभांति स्वीकार किया तो देवदत्तने इसदफ़ामें लक्षण कियाहुआ अपराधकिया ॥

(उ) देवदत्त किसी सर्व सम्बन्धी नौकर ने विष्णु मित्र को इस झूठी बातके मान लेनेका धोखा दिया कि देवदत्तकी सिपारस के कारण विष्णु मित्रको गवर्नमेंट से खिताब मिला है और इस भांति फुसलाने से विष्णु मित्र ने कुछ रुपया देवदत्तको इस कामके बनादेने के लिये इनाम की भांति दिया है। देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

लेन घूसका किसीसर्व सम्बन्धीनौकरको बुरे अथवाक़ानूनविरुद्धउपायसे फुसलानेके निमित्त

१६२—जो कोई मनुष्य अपने निमित्त अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त किसी सर्व सम्बन्धी नौकर को अपने ओहदे का कुछ काम करने अथवा न करने के लिये अथवा अपने ओहदे का अधिकार बर्त्तने में किसी मनुष्य के साथ पक्षपात अथवा द्रोह करने अथवा क़ानून कारक या क़ानून प्रवर्त्तक गवर्नमेंट हिन्द के सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेंट के सामने अथवा किसी लफ्टनेंट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने किसी मनुष्य का कुछ काम बना देने या बिगाड़ देने के लिये अथवा बनादेने या बिगाड़ देने का उद्योग करने के लिये किसी बुरे अथवा क़ानून बिरुद्ध उपाय से फुसलाने के बदले कुछ घूस किसी मनुष्य से लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार अथवा प्राप्ति करेगा

अथवा स्वीकार करने को राजी होगा अथवा प्राप्ति करने का उद्योग करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

लेना घूसका किसी सर्ब संबन्धी नौकरको निज कीसिपारसकरनेके लिये

१६३—जो कोई मनुष्य अपने निमित्त अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त किसी सर्ब सम्बन्धी नौकर को अपने ओहदे का काम करने अथवा न करने के लिये अथवा क़ानून कारक या क़ानून प्रवर्तक गवर्नमेंट हिन्द के सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेंट के सामने अथवा किसी लफ़्टनेंट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्ब सम्बन्धी नौकरके सामने किसी मनुष्य का कुछ काम बनादेने या बिगाड़ देने के लिये अथवा बनादेने या बिगाड़देने का उद्योग करने के लिये अपनी निज की सिपारस से फुसलाने के बदले कुछ घूस किसी मनुष्य से लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार अथवा प्राप्ति करेगा अथवा स्वीकार करने को राजी होगा अथवा प्राप्ति करने का उद्योग करेगा उसको दंड साधारण क़ैद

का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

उदाहरण

कोई वकील जो हाकिमके सामने किसी मुकद्दमे में प्रश्नोत्तर करने के लिये मिहन्ताना ले और कोई मनुष्य जो किसी ऐसी अर्ज़ीको जिसमें अर्ज़ी देनेवालोंकी कारगुजारी अथवा दावा लिखकर गवर्नमेंट को दिया जाय शुद्ध करनेकेलिये तलब पावे और कोई तनख़्वाहदार कारिन्दा किसी दण्ड कियेहुये अपराधी का जो गवर्नमेंटके सामने कुछ लेख इस आशय का कि जिससे उस दंडकी आज्ञा का अयोग्य होना प्रकटहो पेशकरे इस दफ़ा में न गिने जायंगे क्योंकि वे निजकी सिपारस नहीं करते और न करने की प्रतिज्ञा करते हैं ॥

१६४—जो कोई मनुष्य सर्वसम्बन्धी नौकरहोऔर उसके नाम से पिछली दो दफ़ों में लक्षण किये हुये अपराधों में से कोई अपराध किया जाय वह कदाचित् उस अपराध में सहायता देगा तौ उसको दंड दोनों में से किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

ऊपर बर्णन किये हुये अपराधोंमें सर्वसंबन्धी नौकरकी ओर से सहायताहोने के लिये दंड

उदाहरण

देवदत्त कोई सर्व सम्बन्धी नौकर है उसकी स्त्री हरदेवी ने देवदत्तसे विनतीकरके किसी मनुष्यको कोई नौकरी दिलाने

के बदले कुछ भेट लालचकी भांति ले ली और देवदत्त ने ऐसा करने में उसकी सहायता दी तो हरदेवी योग्य किसी क़ैद के जिसकी म्याद एक बरससे अधिक न होगी अथवा जुर्माने के अथवा दोनोंके होगी और देवदत्त योग्य क़ैदके जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने के अथवा दोनों के होगा ॥

सर्वसंबन्धी नौकर जो कुछमोलदारबस्तुबिना बदलादियेकिसीमनुष्य सेलेजिसकाकुछस्वार्थउस सर्वसंबन्धी नौकर के किये हुये किसी मुकद्द मे अथवा काममेंहो

१६५—जो कोई मनुष्य सर्ब सम्बन्धी नौकरहोकर अपने अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त कोई मोलदार बस्तु बिना उसका बदला दिये अथवा ऐसा बदला देकर जिसको वह जानता हो कि यथार्थ नहीं है किसी मनुष्य से जिस को वह जानता हो कि इसका कुछ स्वार्थ किसी मुक़द्दमे में अथवा काम में जिसको मैंने किया है अथवा मैं करने को हूं आगे था या अब है या आगे होगा अथवा इसका कुछ सम्बन्ध मेरे ओहदे के काम से अथवा जिस सर्ब सम्बन्धी नौकर का मैं आधीन हूं उस के ओहदे के काम से है अथवा किसी मनुष्य से जिसको वह जानता हो कि इसभांति स्वार्थ रखने वाले मनुष्य से सम्बन्ध अथवा स्वार्थ रखता है स्वीकार अथवा प्राप्ति करेगा अथवा स्वीकार करने को राजी होगा अथवा

प्राप्ति करने का उद्योग करेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी कलेक्टर ने एक मकान विष्णु मित्र का जिसका कोई बन्दोबस्त का मुकद्दमा उसके सामने दायर था भाड़े पर लिया और यह बात ठहरी कि देवदत्त पचास रुपया महीना देगा और वह मकान ऐसा है कि कदाचित् शुद्धभाव से मामला किया जाता तो देवदत्त को दोसौ रुपया महीना देना पड़ता–यहां देवदत्तने विष्णु मित्रसे मोलदार वस्तु बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्तिकी ॥

(इ) देवदत्त किसी हाकिम ने विष्णु मित्र से जिसका कोई मुकद्दमा देवदत्त की कचहरी में दायर है गवर्नमेंट का प्रामेसरी नोट उस समय जबकि वे बजार में बढ़तीपर बिकतेथे बट्टे से मोल लिये तो देवदत्त ने मोलदार वस्तु विष्णु मित्र से बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्तिकी ॥

(उ) विष्णु मित्रका भाई हलफदरोगी के मुकद्दमे में गिरफ़ार होकर देवदत्त नाम किसी मजिस्ट्रेट के सामने लायागया देवदत्तने विष्णु मित्र को किसी बंक कोठी के हिस्से बढ़ती पर बेंचे उस समय जब कि वे बजार में बट्टे से बिकते थे और विष्णु मित्रने देवदत्त को उसी अनुसार हिस्सोंका मोलचुकादिया तो जो रुपया देवदत्त ने इस भांति प्राप्ति किया वह मोलदार वस्तु है जिसको उसने बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्ति किया ॥

१६६—जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर

सर्वसंबन्धी नौकर जो किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से क़ानून की आज्ञा को उल्लंघन करे

क़ानून की किसी आज्ञा को जिस में उस के लिये सर्वसम्बन्धी नौकरी भुगताने की रीति हो जान बूझ कर न मानेगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि इस आज्ञा के उल्लंघन से किसी मनुष्य को हानि पहुंचेगी उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

देवदत्त एक अहल्कार ने जिसको क़ानून की आज्ञा है कि किसी ऐसी डिकरीके इजरायमें जो कि अदालतसे विष्णु मित्रके पक्षमें हो चुकीहै कुछ माल कुर्ककरे जानबूझकर क़ानूनकी उस आज्ञा को उल्लंघन किया और यह बात जानली कि इससे विष्णु मित्र को हानि पहुंचनी अति सम्भवितहै तो देवदत्तने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

१६७—जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर

सर्वसंबंधी नौकर जो हानि पहुंचाने के प्रयोजन से कुछ अशुद्ध लिखतम बनावे

और सर्व सम्बन्धी नौकर होने के कारण किसी लिखतम के बताने अथवा इस्था करने का

अधिकार पाकर उस लिखतम को ऐसीरीतिसे जिसको वह जानता या मानता हो कि अशुद्धहै किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा हानि पहुंचनी अति संभवित जान कर बनावेगा अथवा उलथा करेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगीअथवा जुर्मानेका अथवा दोनों को किया जायगा ॥

सर्वसंबंधीनौकर जोक़ानूनकीआज्ञाके बिरुद्ध व्यापार करे

१६८—जो कोई मनुष्य सर्व संबन्धी नौकर होकर और सर्व संबन्धी नौकर होने के कारण आधीन इस क़ानूनी आज्ञा का होकर कि उसको व्यापार करना वर्जित है कुछ व्यापार करेगा उसको दण्ड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद एक बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माना का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्वसंबंधीनौकरजोक़ानूनकीआज्ञाके बिरुद्ध कुछवस्तुमोललेअथवा लेनेकेलियेबोली बोले

१६९—जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर और सर्व सम्बन्धी नौकर होने के कारण आधीन इस क़ानूनी आज्ञा का होकर कि उसको फलानी वस्तु का मोल लेना अथवा मोल लेने के

लिये बोली बोलना बर्जित है उसी वस्तुको अपने नाम से अथवा दूसरे के नाम से अथवा दूसरों के संग में या साझे में मोल लेगा अथवा लेने के लिये बोली बोलैगा उस को दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा और वह बस्तु कदाचित् मोल लेली गई हो तौ जब्त की जायगी ॥

सर्वसम्बन्धी नौकरका मिस करना

१७०—जोकोईमनुष्य किसीओहदेपरसर्वसम्बन्धी नौकर होने का मिस करेगा यह बात जानबूझकर कि मैं इस ओहदे पर नौकर नहीं हूं, अथवा झूठ मूठ उस मनुष्य का रूप धरेगा जो उस ओहदे पर नौकर हो और इस धारण किये हुए रूप में उस ओहदे के मिस से कुछ काम करेगा अथवा करने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्वसम्बन्धी नौकरकी वर्दी पहिरना अथवा चिन्ह रखना छल छिद्र के प्रयोजन से

१७१—जो कोई मनुष्य किसी विशेष प्रकार का सर्वसम्बन्धी नौकर न होकर कोईवर्दीअथवाचिह्नजो उसी प्रकारके सर्वसम्बन्धी नौकरों

की वर्दी अथवा चिह्नके सदृश हो पहनेगा इस प्रयोजन से अथवा यह अति सम्भवित जानकर कि उसी प्रकार के नौकरों में प्रतीत किया जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो दोसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अध्याय १० ॥

—※—

सर्बसम्बन्धी नौकरोंके नीति पूर्बक अधिकार का अपमान करने के बिषय में ॥

सर्बसम्बन्धी नौकर के जारी किए हुए सम्मन अथवा और किसी आज्ञा पत्र के जारीहोने से बचनेके लिये रूपोश होना

१७२—जो कोई मनुष्य किसी सर्बसम्बन्धी नौकर के जिसको क़ानूनअनुसार अधिकार सम्मन अथवा इत्तलानामा अथवा हुकमनामा जारी करनेका हो जारीकिये हुए सम्मन अथवा इत्तलानामे अथवा हुकमनामे के जारी होने से बचने के लिये रूपोश होगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसको म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा

और कदाचित् वह सम्मन या इत्तलानामा या हुक्मनामा अदालत जसटिस में असालतन् या मुख्त्यारतन् हाज़िर होने के लिये अथवा कुछ लिखतम् पेश करने के लिये हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छःमहीने तक होसकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

१७३—जो कोई मनुष्य कुछ प्रयोजन करके अपने ऊपर अथवा और किसीमनुष्य के ऊपरजारीहोना किसीसम्मन अथवा इत्तलानामे अथवा हुक्मनामे का जिसके जारी होने की आज्ञा किसी ऐसे सर्वसम्बन्धी नौकर ने दी हो जिसको क़ानून अनुसार अधिकार सम्मन अथवा इत्तलानामा अथवा हुक्मनामा जारी करने का हो किसी भांति रोकेगा अथवा इसी प्रकार के किसी सम्मन अथवा इत्तलानामे अथवा हुक्मनामे का किसी जगह नीति पूर्वक लगाया जाना जानबूझकर रोकेगा अथवा इसी प्रकार के किसी सम्मन अथवा इत्तलानामे अथवा हुक्मनामे को किसी जगह से जहां वह नीति पूर्वक लगाया गया हो जानबूझकर हटावेगा अथवा नीति

रोकना किसी सम्मन अथवा और प्रकार के हुक्मनामे का जारी होने से अथवा प्रकट किये जानेसे

पूर्वक प्रकट होना किसी इश्तिहार का जिसके प्रकट होनेकी आज्ञा किसी ऐसे सर्वसम्बन्धी नौकरने दी हो जो उसके प्रकट किये जाने की आज्ञा देने का क़ानून अनुसार अपने ओहदे के प्रताप से अधिकारी हो जानबूझकर रोकेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीनेतक होसकेगी अथवा जुर्माने का जो पांचसौ रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह सम्मन या इत्तलानामा या हुक्मनामा या इश्तिहार अदालत में असालतन् अथवा मुख्त्यारतन् हाज़िर होने अथवा कोई लिखतम् पेश करने के लिये हो तौ दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छःमहीने तकहोसकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्वसम्बन्धी नौकरकी आज्ञानुसार हाजिर होनेमें चूकना

१७४—जो कोई मनुष्य जिसको असालतन् अथवा मुख्त्यारतन् हाजिर होना किसी नियतस्थान और नियत समयपर किसी ऐसे सम्मन या इत्तलानामे या हुक्मनामे या इश्तिहार के अनुसार जो किसी सर्वसम्बन्धी नौकर ने जारी

किया हो और उस सर्व सम्बन्धी नौकर को अपने ओहदे के प्रताप से ऐसा सम्मन या इत्तलानामा या हुक्म नामा या इश्तिहार जारी करने का अधिकार भो क़ानून अनुसार प्राप्ति हो अवश्य चाहिये कुछ प्रयोजन करके उस स्थान अथवा समय पर हाज़िर होने से चूकेगा अथवा जहां हाजिर होना अवश्य हो वहां हाजिर होकर जितनी देर तक क़ानून अनुसार ठहरना चाहिये उससे पहिले चला आवेगा उसको दण्ड साधारण क़ैदका जिसकीम्याद एकमहीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांचसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह सम्मन या इत्तलानामा या हुक्म नामा या इश्तिहार किसी अदालत जसटिस में असालतन् या मुखत्यारतन् हाजिर होने के लिये हो तो दण्ड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छःमहीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त जिसपर क़ानून अनुसार अवश्य था कि कलकत्ते में सुप्रीम कोर्टके सामने उसी कोर्टके जारी किये हुये सफीने के अनुसार हाजिर होता जान बूझकर हाजिर होने से चूका तो देवदत्तने इसदफ़ामें लक्षण कियाहुआ अपराधकिया ॥

(इ) देवदत्त जिसपर क़ानून अनुसार अवश्य था कि किसी जिला जजके सामने उसी जिला जजके जारी कियेहुये रुम्मन के अनुसार गवाही देनेको हाज़िर होता हाज़िर होने से चूका तो देवदत्त ने इस दफ़ामें लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

किसीसर्वसम्बन्धीनौकर के सामने कोई लिखतम पेश करनेसे चूकनाकिसी ऐसेमनुष्यको जिसपर उस लिखतम का पेश करना अवश्य हो

१७५—जो कोई मनुष्य जिस पर किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने कोई लिखतम पेश करनी अथवा देनी क़ानून अनुसार अवश्य हो जान बूझ कर उस लिखतम के पेश करने अथवा देने से चूकेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांचसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् पेश होना अथवा दिया जाना उस लिखतमका किसी अदालतजसटिस में अवश्य हो तो दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एकहज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

देवदत्त जिसपर क़ानून अनुसार अवश्य था कि किसी जिले की अदालतमें कोई लिखतम पेशकरे जान बूझ कर उसके पेश करनेसे चूका तो देवदत्तने इस दफ़ामें लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

१७६--जो कोई मनुष्य जिस पर किसी सर्व सम्बन्धी नौकर को किसी बात की इतला अथवा खबर पहुंचा-नी क़ानून अनुसार अवश्य हो जान बूझ कर कानून में आज्ञा किये हुये प्रकार और समय पर उस इत्तला अथवा खबर के देनेसे चूके-गा उसको दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांच-सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जा-यगा और कदाचित् वह इत्तला अथवा खबर जिसका पहुंचाना अवश्य हो कुछ अपराध हो जाने केमद्धे अ-थवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा किसी अपराधी को पकड़ने के विषय में होतो दंड साधारण क़ैद का जिसको म्याद छः महीनेतक होसके-गी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

किसी सर्वसंबन्धी नौकर को इत्तला देने अथवा खबर पहुंचानेसे चूकना किसीऐसेमनुष्यका जिस पर उस इत्तला अथवा खबर का पहुंचाना क़ानून अनुसार अवश्य हो

१७७--जो कोई मनुष्य जिस परकिसी सर्वसम्बन्धी नौकर को किसी बातकी इत्त-ला पहुंचानी क़ानून अनुसार अवश्य हो उसी

झूठी इत्तलादेना

बात के मद्दे कोई इत्तला जिसको वह झूठी जानता हो अथवा झूठी जानने का हेतु रखता हो सच्ची कह कर पहुंचावेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह इत्तला जिसका पहुंचाना क़ानून अनुसार अवश्य हो कुछ अपराध होजाने के मद्दे अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा किसी अपराधी को पकड़ने के विषय में हो तौ दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी जिमींदारने यह बात जानकर कि उस के गांवकी सीमाके भीतर कोई घातघात होगया है जान बूझ कर जिलेके मजिस्ट्रेटको झूठी खबर दी कि यह मृत्यु आकस्मात् सांपके काटने से हुईहै तो देवदत्त इस दफ़ा में लक्षण किये हुये अपराध का अपराधी हुआ ॥

(इ) देवदत्त किसी गांवके चौकीदार ने यह बात जानली कि अनजाने मनुष्यों का एक बड़ा समूह उसके गांवमें होकर विष्णुमित्र एक धनाढ्य सौदागरके मकान पर जो कि वहां से नगीच के एक गांवमें था डांका डालनेको गयाहै और देवदत्त

पर बंगाल हातेके क़ानून ३ सन् १८२१ की दफ़ा ७ जिम्न ५ के अनुसार अवश्य था कि तुरन्त और ठीक ठीक इत्तला ऊपरकही हुई बातकी सबसे नगीचकी चौकी पुलिसके अफ़सरको पहुंचावे परंतु उसने जानबूझकर पुलिस के अफ़सर को झूठी खबर दी कि गांवमें होकर भर्मीले मनुष्यों का एक समूह फलानी जगह पर जो उधरसे जिधर वह समूह गया था दूसरी ओर दूरपर थी डांका डालने के प्रयोजन से गया है तो यहां देवदत्त इस दफ़ाके पिछले भागमें लक्षण कियेहुये अपराधका अपराधीहुआ॥

सौगन्द करने से हटना उस समय जबकि कोई सर्वसंबन्धीनौकरसौगन्द करनेकी आज्ञादे

१७८—जो कोई मनुष्य सत्य बोलने की सौगन्द करने से नाहीं करेगा उस समय जब कि कोई सर्व सम्बन्धी नौकर जो क़ानून अनुसार सौगन्द कराने का अधिकारी हो उससे सौगन्द करावे उसको दण्ड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा॥

उत्तर न देना किसी सर्व संबन्धीनौकरके प्रश्न का जिसको प्रश्नकरनेका अधिकार हो।

१७९—जो कोई मनुष्य जिसपर किसी सर्वसम्बन्धी नौकर के सामने किसी विषय में सच्चा इज़हार देना क़ानून अनुसार अवश्य हो किसी ऐसे प्रश्न का जोउसी विषयमें उसी सर्व सम्बन्धी नौकर ने अपने क़ानून अनुसार

अधिकार के बर्त्तने में उससे पूछा हो उत्तर देने से नाहीं करेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

इज़हारपर दस्तखतकर नेसेनाहीं करना

१८०—जो कोई मनुष्य अपने इज़हार पर दस्तखत करने से नाहीं करेगा उस समय जब कि उसको दस्तखत करने की आज्ञा कोई सर्व सम्बन्धी नौकर जिसको क़ानून अनुसार ऐसी आज्ञा देने का अधिकार हो दे उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सौगन्द करकेझूठाइज़हारदेना किसी सर्व संबंधी नौकर अथवा उसमनुष्य के सामनेजो क़ानूनअनुसारसौगन्दकरानेका अधिकारी हो

१८१—जो कोई मनुष्य जिसपर किसी विषय में किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने अथवा और किसी मनुष्य के सामने जो क़ानून अनुसार सौगन्द कराने का अधिकारी हो सौगन्द करके सच्चा इज़हारदेना अवश्यहो उसी सर्वसम्बन्धी नौकरअथवा

और मनुष्य के सामने सौगंद करके उसी विषयमें कोई इज़हार जो झूठा हो और जिसको वह या तो झूठा जानता हो या मानता हो या सच्चा न मानता हो देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

१८२—जो कोई मनुष्य किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को कोई खबर जिसको वह झूठी जानता या मानता हो देगा इस प्रयोजन से अथवा यहबात अतिसम्भवित जानकर कि इस्से वह सर्वसम्बन्धी नौकर अपने कानून अनुसार अधिकार को बर्तेगा और उससे किसी मनुष्य को नुकसान अथवा क्लेश पहुंचेगा अथवा वह सर्वसम्बन्धी नौकर कोई ऐसा काम करेगा या करने से चूकेगा जिसका करना अथवा चूकना उसपर उचित न होता कदाचित् वह सच्चा हाल उस बात का जिसके मद्दे खबर दी गई जानलेता उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छःमहीने तक होसकेगी अथवा जुर्मा-

झूठीखबर देना इस प्रयोजनसे कि कोई सर्वसंबंधी नौकर अपना कानून अनुसार अधिकार काम में लावे और उस्से दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचे

ने का जो एक हजार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने किसी मजिस्ट्रेट को जिसके आधीन पुलिस का एक अहल्कार विष्णुमित्र था यह बात जानकर कि यह खबर झूठीहै और इससे अति सम्भवित है कि वह मजिस्ट्रेट विष्णुमित्र को नौकरी से छुड़ा देगा खबर दी कि विष्णुमित्र अपने काममें असावधानी अथवा कुचाल का अपराधी हुआ—तो देवदत्तने इस दफ़ामें लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(इ) देवदत्तने यह बात जानकर कि यह खबर झूठीहै और इससे विष्णुमित्र के मकान की तलाशी होनी और विष्णुमित्र को क्लेशपहुंचना अति सम्भवितहै किसी सर्व सम्बन्धी नौकर को खबर दी कि विष्णुमित्र ने एक गुप्त मकानमें चोरोंका नोन रक्खाहै तो देवदत्तने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

सामना करना किसी वस्तु के लिये जाने में जो कि सर्वसंबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से ली जाय

१८३—जो कोई मनुष्य किसी ऐसी बस्तु के लिये जाने में जो किसी सर्वसम्बन्धी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से ली जाती हो यह बात जान कर अथवा जानने का हेतु पाकर कि यह नौकर सर्वसम्बन्धी है सामना करेगा उ को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने

का जो एक हजार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

१८४—जो कोई मनुष्य जान बूझकर किसी ऐसी वस्तु के नीलाम को रोकेगा जिसको वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि किसी सर्बसम्बन्धी नौकर की नीति पूर्बक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांचसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

रोकना किसी ऐसी वस्तु के नीलाम का जो किसी सर्बसम्बन्धी नौकर की नीतिपूर्वक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी हो

१८५—जोकोईमनुष्य किसीवस्तुको जो किसीसर्बसम्बन्धी नौकर की नीतिपूर्बक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी हो किसी ऐसे मनुष्य के लियेचाहै वह आप हो चाहै और कोई जिसको वहजानता होकि उस नीलाम में उस वस्तुके मोल लेने को क़ानून अनुसार असमर्थ है मोल लेगा अथवा लेने के लिये बोली बो-

क़ानून बिरुद्ध मोललेना अथवा मोललेनेको बोली बोलना किसी ऐसीवस्तुके लिये जो किसी सर्बसंबंधी नौकर की आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी हो

लेगा अथवा यह प्रयोजनकरके बोलीबोलेगा कि इस बोली के बोलने से जो कुछ आवश्यकता उसके ऊपर आती हो उसको न उठावेगा उसका दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगा अथवा जुर्माने का जो दो-सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी सर्व संबंधी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में रोकना

१८६—जो कोई मनुष्य जानबूझ कर किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में रोकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक होसकेगी अथवा जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी सर्व संबंधी नौकर को सहायता देने से चूकना उस अवस्था में जब कि सहायता देना क़ानून अनुसार अवश्य हो

१८७—जो कोई मनुष्य जिस पर क़ानून अनुसार करना अथवा पहुंचाना सहायता का किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में अवश्य हो जान बूझ कर सहायता देने से चूकेगा उसको दंड साधारण

क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो दोसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा--और कदाचित् वह सहायता उसने किसी सर्वसम्बन्धी नौकर ने जो क़ानून अनुसार अधिकारी सहायता मांगने का हो किसी अदालतके क़ानून पूर्वक हुक्मनामे के भुगताने केलिये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा दंगा या खानेजंगी मिटानेके लिये अथवा किसी मनुष्य को जिस पर कोई अपराध लगाया गया हो अथवा जो अपराधी किसी अपराध का अथवा क़ानून अनुसार बन्धिसे भाग जाने का हो पकड़ने के लिये मांगी हो तौ दंड साधारण क़ैद काजिसकी म्याद छःमहीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांचसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

१८८—जो कोई मनुष्य यह बात जान बूझ करकि

नमानना किसी आज्ञा को मुझ पर किसी ऐसी सर्वसम्बन्धी जो किसी सर्वसम्बन्धीनौ- नौकर की आज्ञानुसार जो कर ने यथोचित दी हो नीति पूर्वक उस आज्ञा के देने का अधिकारी है कोई काम करना बर्जित है अथवा किसी वस्तु के मद्धे जो मेरे कब्ज़े अथवा बन्दोबस्त में है कोई काम करना उचित है उस आज्ञा को नमानेगा उसको कदाचित् उस नमानने से रोक

अथवा कलेश अथवा हानि किसी मनुष्य को जो नीति पूर्वक काम पर लगाया गया हो होजाय अथवा होजाना अति सम्भवित होजाय अथवा होने की जोखिम होजाय तौ दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो दोसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा—और कदाचित् उस न मानने से जोखिम मनुष्य के जीव अथवा आरोग्यता अथवा कुशलता को होजाय अथवा होना अति सम्भवित हो अथवा कोई दंगा या खानेजंगी होजाय या होना अतिसम्भवित हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

विवेचन — यह कुछ अवश्य नहीं है कि अपराधी काप्रयोजन ज्यान पहुंचाने ही से हो अथवा यह कि आज्ञा नमानने से ज्यान पहुंचना उसने अति सम्भवित समझ लिया हो इतना ही बहुत है कि जिस आज्ञा को उसने नमाना उसको वह जानताहो कि दी गई है और उसी आज्ञा को न मानने से ज्यान हो जाय अथवा हो जाना अति सम्भवित हो॥

उदाहरण

एक आज्ञा किसी सर्व सम्बन्धी नौकरने जो क़ानूनअनुसार ऐसी आज्ञा जारी करने का अधिकारी है जारी की कि फलानी संप्रदाय फलानी गलीमें होकर समाजसे न निकले और देवदत्त ने जानबूझकर उस आज्ञाको न माना और इससे दंगेका संदेह हुआ तो देवदत्त ने इस दफ़ामें लक्षण कियाहुआ अपराधकिया ॥

१८९—जो कोई मनुष्य हानि पहुंचाने की धमकी किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को अथवा और किसी मनुष्य का जिसमें वह जानता हो कि उस सर्वसम्बन्धी नौकरका कुछ स्वार्थहै दिखावेगा इस प्रयोजनसे कि उस सर्वसम्बन्धी नौकर से उसके सर्वसम्बन्धी अधिकार के मद्दे कुछ काम करावे अथवा कुछ काम करने से रोके अथवा बिलंब करावे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्वसंबन्धीनौकरकोहानि पहुंचानेकी धमकी

१९०—जो कोई मनुष्य हानि पहुंचाने की धमकी किसी मनुष्य को इस निमित्त देगाकि वह मनुष्य किसी हानि से बचनेके लिये किसी सर्वसम्बन्धी नौकर से जिसको क़ानून

हानि पहुंचाने की धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सर्व संबंधी नौकर से रक्षा मांगने से रुकजाय

अनुसार रक्षादेने का अथवा दिलाने का अधिकार हो क़ानून अनुसार रक्षा मांगने से रुक जाय अथवा बैठ रहै दिखलावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अध्याय ११ ॥

—*—

झूठी गवाही और सर्वसम्बन्धी न्याय में बिघ्न डालने वाले अपराधोंके विषयमें ॥

१९१—जो कोई मनुष्य जिस पर सौगन्द लेलेनेके झूठी गवाही देना कारण अथवा क़ानून के किसी स्पष्ट लेखके कारण सच्चा बर्णन करना क़ानून अनुसार अवश्य हो अथवा किसी विषय में सच्चा इज़हार देना अवश्य हो कोई ऐसा बर्णन करेगा जो झूठा हो और जिस को वह झूठा जानता या मानता हो अथवा सच्चा न मानता हो तो कहलावेगा कि उसने झूठी गवाहीदी ॥

विवेचन १—इज़हार चाहै जबानी हो चाहै और भांति इस दफ़ा के अर्थमें इज़हार गिना जायगा ॥

विवेचन २—कोई इज़हार जिसको इज़हार देने वाला मनुष्य जानता हो कि यह झूठा है इस दफ़ा के अर्थ में झूठा इज़हार गिना जायगा और कोई मनुष्य किसी बातके मद्दे जिसे वह निश्चय नमानता हो यह कहनेसे कि मैं निश्चय मानताहूं अथवा किसी बात के मद्दे जिसे वह जानता नहो यह कहने से कि मैं जानताहूं अपराधी झूठी गवाहीका हो सकेगा॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने किसी सच्चे दावेमें जो यज्ञदत्तने एकहजार रुपये के मद्दे विष्णुमित्र पर किया था मुकद्दमा दायर होने के समय सौगन्द लेकर झूठमूठ कहा कि मैंने विष्णुमित्रको यज्ञ-दत्तका दावा स्वीकार करतेसुनाहै तो देवदत्तने झूठीगवाहीदी॥

(इ) देवदत्त ने जिसपर सौगन्द लेनेके कारण सच्च कहना अवश्य था किसी दस्तखत के मद्दे जिसे वह निश्चय मानता था कि विष्णुमित्र के हाथका है इज़हार दिया कि मैं निश्चय जानताहूं यह विष्णुमित्रके हाथका लिखा नहींहै तो यहां देव-दत्तने वह बात कही जिसे वह जानता था कि झूठी है इस-लिये देवदत्तने झूठी गवाही दी॥

(उ) देवदत्त ने जो विष्णुमित्रके साधारण लिखने को पह-चानता था किसी दस्तखतकेमद्दे जिसे उसने शुद्धभावसेजाना कि विष्णुमित्र के हाथका लिखाहै इज़हार दियाकि मेरेनिश्चय में यह दस्तखत विष्णुमित्रका है तो यहां देवदत्त का कहना उसके निश्चयपर है और निश्चयके अनुसार सच्चाभीहै इसलिये यद्यपि वह दस्तखत विष्णुमित्र का न भी हो तौभी देवदत्त ने झूठी गवाही नहीं दी—

(ए) देवदत्त जिसपर सौगन्द लेनेके कारण सच्चकहना अवश्य था बिना जानेबूझे गवाहीदी कि मैं जानताहूं विष्णु मित्र फलाने दिन फलानी ठौर था तो यहां देवदत्तने झूठी गवाहीदी चाहे विष्णु मित्र उस दिन उस ठौर था या न था ॥

(ओ) देवदत्त एक दुभाषिया अथवा तर्जुमाकार[1] ने जिस पर सौगन्द ले लेनेके कारण अवश्य था कि किसी इज़हार अथवा लिखतम को दूसरी भाषा में ठीक ठीक करे कोई वर्णन अथवा उल्था जो ठीक ठीक न था और जिसे वह जानता था कि ठीक नहींहै ठीक कहकर दिया अथवा तसदीक किया कि ठीकहै तो देवदत्त ने झूठी गवाही दी ॥

१९२—जो कोई मनुष्य कुछ बात बनावेगा अथवा झूठी गवाही बनाना किसी बही या कागज में कोई झूठी रकम लिखेगा अथवा कोई लिखतम जिस में कुछ झूठा वर्णन हो बनावेगा इस प्रयोजन से कि वह बात अथवा झूठी रकम अथवा झूठा वर्णन किसी न्यायसम्बन्धी मामले में अथवा ऐसे मामले में जो किसी सर्वसम्बन्धी नौकर अथवा पंचके सामने क़ानून अनुसार दायर हो सबूत की भांति दिया जाय और सबूत में उसके दियेजाने से कोई मनुष्य जिसको उस मामले में सबूत पर बिचारांश करना हो उस मामले की हारजीत कराने वाली किसी मुख्य बात

१—जो मनुष्य एक भाषासे दूसरी भाषा में किसी आशयको उल्थाकरे या कहे वह तर्जुमाकार और दुभाषिया कहलाताहै—

के मद्दे झूठा विचारांश करसके तो इसको झूठा सबूत बनाना कहेंगे ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने कुछ गहना विष्णु मित्र के सन्दूकमें रखदिया इस प्रयोजन से कि वह गहना उस सन्दूकमें मिले और इस्से विष्णु मित्र के शिर चोरी साबित हो—तो देवदत्तने झूठासबूत बनाया ॥

(इ) देवदत्तने अपनी दुकान की बहीमें कुछ झूठी रकम लिखली इस प्रयोजनसे कि किसी अदालतमें इसको सबूतबनावे-तो देवदत्तने झूठा सबूत बनाया ॥

(उ) देवदत्तने इस प्रयोजन से कि विष्णु मित्रके शिर अपराध अनीति जत्था करने का साबित करावे एक चिट्ठी विष्णुमित्रके से दस्तखतोंमें किसी मनुष्यकेनाम जो मानो उस जत्थे में साझीहै लिखी और कहींऐसे स्थानमें रखदी जहांवह जानता है कि पुलिस के अहल्कारोंकी ओरसे तलाशी होनी अति सम्भवितहै तो देवदत्तने झूठा सबूत बनाया ॥

१९३—जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी न्याय-झूठीगवाही के बदले दंड सम्बन्धी मामले की किसी अवस्थामें झूठी गवाही देगा अथवा झूठा सबूत इस प्रयोजन से बनावेगा कि किसी न्याय सम्बन्धी मामले की किसी अवस्था में कामआवे उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरसतक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और जो कोई मनुष्य किसी और प्रकारकेमामले

में जानबूझकर झूठी गवाही देगा अथवा झूठा सबूत बनावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

विवेचन १—जो मुकद्दमा कोर्टमार्शल के सामने अथवा जंगी कोर्ट आफ रिक्वस्ट के सामने तजवीज के लिये पेश हो न्याय सम्बन्धी मामला गिना जायगा ॥

विवेचन २—कोई तहकीकात जो क़ानून की आज्ञानुसार अदालत में किसी मामले के आनेसे पहिले होनी चाहिये न्यायसम्बन्धी मामले की एक अवस्था कहलावेगी यद्यपि वह तहकीकात किसी अदालत में न भी हुई हो ॥

उदाहरण

देवदत्त ने किसी तहकीकातमें जो किसी मजिस्ट्रेटके सामने इस बातके निश्चय करने के लिये होती थी कि विष्णु मित्रदोरे सुपुर्द होना चाहिये या नहीं सौगन्द लेकर कुछ इज़हार दिया जिसको वह जानताथा कि झूठाहै—तो यह तहकीकात न्याय सम्बन्धी मामलेकी एक अवस्था है इस लिये देवदत्त ने झूठी गवाही दी ॥

विवेचन ३—कोई तहकीकात जिसके होने की आज्ञा किसी अदालत ने क़ानून अनुसार दी हो

और जो किसी अदालत की आज्ञा के अनुसार की-जाय अदालती मुकद्दमे की एक अवस्था गिनी जा-यगी यद्यपि वह तहक़ीक़ात किसी अदालत में न भी हो ॥

उदाहरण

देवदत्तने किसी ऐसे अहल्कारकी तहकीकात में जो किसी अदालत से भेजा गया था कि मौके पर जाकर सिवाना देखे सौगन्द लेकर कुछ इज़हार दिया जिसको वह जानता था कि झूठाहै तो देवदत्त ने झूठी गवाही दी क्योंकि वह तहक़ीक़ात अदालती मुक़द्दमे की एक अवस्था थी ॥

झूठी गवाही देना अथवा झूठा सबूत बनाना किसी पर ऐसा अपराध साबित करने के लिये जिस का दंड बध हो

१९४—जो कोई मनुष्य झूठी गवाही देगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्य पर कोई ऐसा अपराधसाबित हो-गा जिसका दंड इस संग्रह के अनुसार बधहै उसको दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और

कदाचित् निरापराधी मनुष्यको उस गवाही अथवा सबूत के कारण अपराधी साबित होकर दंड बध का हो जाय

कदाचित् उस झूठी गवाही अथवा सबूतके कारणकोई अ-न अपराधी मनुष्य अपराधी साबित होकर दंड बधका

पाजाय तौ उस झूठो गवाही अथवा सबूत देनेवाले मनुष्य को यातौ बध का दंड या आगे लिखे हुये दंडों में से कोई दंड दिया जायगा ॥

१९५—जो कोई मनुष्य झूठी गवाही देगा अथवा झूठा सबूत बनावेगा इस प्रयोजन से कि इससे किसी मनुष्यपर ऐसा अपराध साबित करावे जो इस संग्रहके अनुसार बधके दंड योग्यतौनहीं है परन्तु जन्मभर के देश निकाले अथवा सात बरस तक या सात बरस से ऊपर की क़ैदके योग्यहै अथवा यह जानकर कि इससे किसी पर ऐसा अपराध साबित होना अति सम्भवित है उसको वही दंडदिया जाय गा जिस के योग्य उस अपराध का कोई अपराधी हो सकता हो ॥

झूठी गवाही देना अथवा झूठा सबूत बनाना इस प्रयोजन से कि किसी पर ऐसा अपराध साबित हो जिसका दंड देश निकाला अथवा क़ैद है

उदाहरण

देवदत्तने किसी अदालतमें झूठो गवाही दी इस प्रयोजनसे कि विष्णुमित्रपर डकैती का अपराध साबित हो डकैतीकादंड जन्मभर का देश निकाला अथवा दश बरस या उससे अधिक म्यादकी कठिन क़ैद जुर्माने समेत अथवा बिना जुर्माने के है इस लिये देवदत्त भी उतनेही समय को देश निकाले अथवा जुर्माने समेत या बिना जुर्माने क़ैदके दंड योग्य हुआ ॥

१९६—जो कोई मनुष्य कुप्रयोजन से किसी सबूत को जिसे वह जानता हो कि झूठा अथवा बनाया हुआ है सच्चे अथवा बिनाबनाये सबूत की भांति काम में लावेगा अथवा लाने का उद्योग करेगा वह उसी भांति दंड पावेगा मानों उसने झूठी गवाही दी अथवा झूठा सबूत बनाया ॥

काम में लाना ऐसेसबूत का जो जानलिया गया होकि झूठाहै

१९७—जो कोई मनुष्य किसी सार्टीफिकट कोजिस का दिया जाना अथवा दस्तखत किया जाना क़ानून अनुसार अवश्य हो अथवा जो किसी ऐसी बात से जिसके सबूत में वह सार्टीफिकट क़ानून अनुसार मानने योग्य हो सम्बन्ध रखता हो जारी करेगा अथवा दस्तखत करेगा यह जान बूझ कर अथवा निश्चय मानकर कि यह सार्टीफिकट किसी मुख्य बात में झूठा है वह उसी भांति दंडपावेगा मानों उसने झूठी गवाही दी॥

जारी करना अथवा दस्तखत करना झूठे सार्टीफिकटपर

१९८—जो कोई मनुष्य कुप्रयोजन से ऊपर कहे हुये प्रकार के किसी सार्टीफिकट को सच्चे सार्टीफिकट की भांति काम में लावेगा अथवा लाने का उद्योग करेगा यह जान बूझ

काममें लाना सच्चेसार्टीफिकट की भांति किसी सार्टीफिकट का जो किसी मुख्य बात में झूठा जानलिया गया हो

कर कि यह किसी मुख्य बात में झूठा है वह उसी भांति दंड पावेगा मानों उसने झूठी गवाहीदी ॥

झूठा बर्णन किसीऐसेइ-ज़हार में जो क़ानूनअ-नुसार सबूत की भांति लिया जा सक्ता हो

१९९—जो कोई मनुष्य अपने कहे हुये अथवा तसदीक किये हुये इज़हार में जिसको किसी बात के मद्दे सबूत की भांति लेना किसी अदालत अथवा सर्व सम्बन्धी नौकर अथवा और मनुष्य पर क़ानून अनुसार अव-श्य अथवा योग्य हो कुछ बर्णन उसी प्रयोजन का किसी मुख्य बात के मद्दे जिसके लिये वह इज़हार लिया गया अथवा काममें लायागया हो ऐसा करेगा जो झूठा हो और जिसको वह झूठा जानता या मानता हो अथवा सच्चा न मानता हो वह उसीभांति दंड पावेगा मानों उसने झूठी गवाहीदी ॥

काममें लाना सच्चे की भां-ति ऐसे किसीइज़हारको जोजानलिया गया होकि झूठा है

२००—जो कोई मनुष्य कुप्रयोजन से किसीइज़हार को जिसे वह जानता हो कि किसी मुख्य बात में झूठा है सच्चे इज़हार की भांति काम में लावेगा अथवा लाने का उद्योग करेगा उसको दंड उसी भांति किया जायगा मानों उसने झूठी गवाही दी ॥

विवेचन—कोई इज़हार जो केवल किसी बेज़ाब्तगी के कारण मानने के योग्य न हो दफ़ा १९९ व २०० के अर्थ में इज़हार गिना जायगा ॥

अपराधीको बचानेके लिये लोप करदेना अपराध के सबूतको अथवा देना झूठी खबरका उसकेमद्धे

२०१—जो कोई मनुष्य यह जान कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि कोई अपराध होगया है उस अपराध के किये जाने के सबूत को इस प्रयोजन से कि अपराधी क़ानून अनुसार दण्ड पाने से बचजाय लोप कर देगा अथवा इसी प्रयोजन से उस अपराध के मद्धे कुछ ऐसी इत्तला देगा जिस को वह झूठी जानता या मानता हो तौ उसको

कदाचित् अपराध वधके दंडयोग्य हो

कदाचित् वह अपराध जिसका होना उसने जाना या माना हो बधके दंड योग्य हो दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और

कदाचित् देशनिकाले के दंडयोग्यहो

कदाचित् वह अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा दश बरस तक की क़ैद के दंड योग्य हो तौ दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी

म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह

कदाचित् दशबरससे कमती म्यादकी क़ैद के दंड योग्य हो

अपराध दश बरस से कमती म्याद की क़ैद के दंड योग्य हो तो दंड उसी प्रकार की क़ैद का जो उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद तक जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ तीसे बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जुर्माना का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

उदाहरण

देवदत्तने यह जानबूझकर कि यज्ञदत्तने विष्णु मित्रको मार डालाहै लोथके छुपानेमें यज्ञदत्तको सहायता पहुंचाई इस प्रयोजनसे कि यज्ञदत्तको दंडसे बचावे तो देवदत्तसात बरसके लिये दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद और जुर्मानेके योग्य हुआ ॥

जानबूझकर किसी अपराध की खबर देने से चूकना किसीमनुष्य का जिसपर खबर देना अवश्य हो

२०२—जो कोई मनुष्य यह जान बूझकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि कोई अपराध हो गया है उस अपराध के मद्दे कुछ खबर जिसका देना उसपर क़ानून अनुसार अवश्य हो देने से चूकेगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद

छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

झूठी खबर का किसी अपराध के मद्धे जो हो गया हो देना।

२०३—जो कोई मनुष्य यह जानकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि कोई अपराध होगया है उस अपराध के मद्धे कुछ ऐसी खबर देगा जिसको वह जानता या मानता हो कि झूठी है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्मानेका अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

किसी लिखतम का इसलिये कि वह सबूत में पेश न होसके नष्ट करदेना।

२०४--जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखतम को जो क़ानून अनुसार उससे किसी अदालत में अथवा ऐसे मामले में जो क़ानून अनुसार किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने दायर हो सबूत के लिये ज़बरदस्ती तलब हो सक्ती हो छुपावेगा अथवा नष्ट करदेगा अथवा उस सब को या उसके किसी भाग को मिटा देगा या ऐसा कर देगा कि किसी से पढ़ा न जाय इस प्रयोजन से कि वह लिखतम पूर्वोक्त अदालत में अथवा पूर्वोक्त सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने सबूत की भांति काम में न आसके अथवा

पेश न हो सके अथवा पीछे उससे कि जबवह इस लिखतम को सबूत के लिये पेश करने को तलब हो-चुका हो या आज्ञा पाचुका हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी मुकद्दमेमें कुछ कारवाई करनेके लिये दूसरे मनुष्य का रूप धरना

२०५--जो कोई मनुष्य झूठ मूठ दूसरे का रूप किसी मुकद्दमेमें कुछ का धरेगा और इस धारण कि-ये हुये रूप में किसी बात को हामी भरेगा या कुछ इज़हार लिखावेगा या इकबाल दावा करेगा या कोई हुक्म नामा निकलावेगा या हाजिर जामिन या माल जामिन बनेगा अथवा और कोई काम किसी नालिश या फौजदारी के मुकद्दमे में करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

छल छिद्रसे उठालेजाना अथवा छुपादेना किसी वस्तुका इसप्रयोजनसे कि जब्ती में अथवा इजराय डिक्री में उसका लिया जाना रुकजाय

२०६—जो कोई मनुष्य किसी वस्तु को अथवा वस्तु के किसीअधिकारको छल छिद्र करके दूर करदेगा अथवा छुपादेगा अथवा किसी म-नुष्य को दे देगा इस प्रयोजन

से कि वह वस्तु अथवा उसका वह अधिकार किसी जब्ती में अथवा जुर्माने में जिसके दंड की आज्ञा किसी अदालतसे अथवा समर्थ हाकिम के यहांसे हो-चुकी हो अथवा होनी वह अति सम्भवित जानता हो अथवा किसी ऐसी डिकरी या हुक्मके इजराय में जो किसी अदालत से किसी दीवानी मुकद्दमे में हो चुका हो अथवा होना वह अति सम्भवित जानता हो लिये जाने से बच जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छल छिद्रसे दावा करना किसी वस्तु पर इस प्रयो-जन से कि उसका लिया जाना जब्तीमें अथवा इज-राय डिकरीमें रुक जाय

२०७—जो कोई मनुष्य किसी वस्तु को अथवा वस्तु के अधिकार को छल छिद्र से स्वीकर करेगा अ-थवा रखलेगा अथवा उसपर दावा करेगायह जान बूझकर कि मेरा इसमें कुछ हक़ अथवा हक़ की रूसे दावा नहीं है अथवा जो मनुष्य किसी वस्तु अथवा वस्तु के किसी अधिकार के दावे के मद्धे कुछ धोखा देगा इस प्रयोजन से कि वह वस्त अथवा उसका

वह अधिकार किसी ज़ब्ती में अथवा जुर्माने में जिसके दंड की आज्ञा किसी अदालत से अथवा समर्थ हाकिम के यहां से होचुकी हो अथवा होनी वह अति सम्भवित जानता हो अथवा किसी ऐसी डिकरी या हुक्म के इजराय में जो किसी अदालत से किसी दीवानी मुक़द्दमे में होचुका हो अथवा होना वह अति सम्भवित जानता हो लिये जाने से बच जाय उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा

छलछिद्र से अपने ऊपर लेना किसीडिकरीका जिसका रुपया वाजिबी नहो।

२०८—जो कोई मनुष्य किसी दूसरे की नालिशमें अपने ऊपर छल छिद्रसे कोई डिकरी अथवा हुक्म करावेगा अथवा होनेदेगा उस रुपये के लिये जोकि उसकेऊपर वाजिबी न हो अथवा वाजिबी से अधिक हो अथवा किसीवस्तु या वस्तुकेअधिकार के लिये जिसपर उस मनुष्यका कुछ हक़ न हो अथवा जो मनुष्य छल छिद्रसे अपने ऊपर किसी चुकी हुई डिकरी अथवा हुकम को अथवा उसके किसी चुकेहुये

भाग को जारी करावेगा अथवा जारी होने देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

देवदत्तने विष्णु मित्रके ऊपर नालिशकी और विष्णु मित्र ने यह जानकर कि उसके ऊपर देवदत्तका डिक्री पाना अति संभवितहै छल छिद्रसे अपने ऊपर यज्ञदत्त की नालिश में जिसका दावा उसके ऊपर वाजिब न था उससेभी अधिक रुपयेकीडिक्री कराढी इस प्रयोजन से कि जो रुपया देवदत्तकीडिक्रीमें विष्णु-मित्रका माल नीलाम होने से आवे उसमें यज्ञदत्त अपने लिये अथवा विष्णु मित्रके भलेके लिये हिस्सा पावे यहां विष्णु मित्रने इस दफ़ाके अनुसार अपराध किया ॥

२०६—जो कोई मनुष्य छलछिद्रसे अथवा बेधर्मई अदालत में झूठा दावा से अथवा किसी मनुष्य को हानि अथवा खेद पहुंचाने के प्रयोजन से किसी अदालत में कोई दावा जिसको वह जानता हो कि झूठा है करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२१०—जो कोई मनुष्य छलछिद्रसे किसीमनुष्यपर कोई डिक्री अथवा हुक्म उस रुपये के लिये जो वाजिबी नहीं है अथवा जो वाजिबी से अधिक है अथवा किसी वस्तु या वस्तु के अधिकार के लिये जिसपर उसका कुछ हक्क नहीं है प्राप्ति करेगा अथवा जो मनुष्य छलछिद्र से किसी पर किसी चुकी हुई डिक्री अथवा हुक्म को अथवा उसके किसी भाग को जिसका दावा चुक गया हो छलछिद्रसे जारी करावेगा अथवा छलछिद्र से इस प्रकार का कोई काम अपने नाम से होने देगा अथवा होने की आज्ञा देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

छलछिद्र से प्राप्ति करनी कोईडिक्री जिसका रुपया वाजिबी न हो

२११—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से उसके ऊपर कोई अपराध सम्बन्धी मुकद्दमा दायर करेगा या करावेगा अथवा उसको झूठी तोहमत किसी अपराध

हानिपहुंचानेकेप्रयोजन से झूठमूठ अपराध लगाना

के करने की लगावेगा यह जान बूझ कर कि उस मनुष्य के ऊपर यह मुकद्दमा अथवा तोहमत क़ानून अनुसार निर्मूल है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दोबरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह झूठा मुकद्दमा किसी ऐसे अपराध के मद्दे हो जिसका दंड बध अथवा जन्मभर का देशनिकाला अथवा सात बरस या उस्से अधिक म्याद की क़ैद हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

आश्रय देना किसी अपराधी को

२१२—जब कभी कोई अपराध होजाय तौ जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को जिसको वह जानता हो या जानने का हेतु रखता हो कि अपराधी है आश्रय देगा या छुपावेगा इस प्रयोजन से कि वह क़ानून अनुसार दंड से बच जाय उसको कदाचित् वह

कदाचित् अपराध बधके दंड योग्य हो

अपराध बध के दंड योग्य हो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी

किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्मभर के देशनिकाले

कदाचित् अपराध जन्मभर के देशनिकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य हो

या दश बरस तक की म्याद की क़ैद के दंड योग्य हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध ऐसा हो कि उसके दंड की म्याद दश बरस तक की क़ैद नहीं एकही बरस तक की क़ैद हो सके तौ दंड उसी प्रकार की क़ैद का जो उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद को जो उस अपराध के लिये ठहराईहुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

छूट—यह नियम किसी ऐसे मुकद्दमे से सम्बन्ध न रक्खेगा जिसमें अपराधी की जोरू अथवा खसम छुपाने वाला हो॥

उदाहरण

देवदत्तने यह जानकर कि यज्ञदत्तने डांका डाला है यज्ञदत्तको जानबूझकर छुपाया इस प्रयोजनसे कि वह नीति पूर्वक

दंडपाने से बचजाय तो यहां यज्ञदत्त जन्मभर के देशनिकाले के दण्ड योग्यथा इसलिये देवदत्तको दण्ड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन बरससे अधिक न होगी और जुर्मानेका हो सकेगा ॥

किसी अपराधीको दंडसे बचाने के बदले इनाम इत्यादि लेना

२१३—जोकोई मनुष्य कुछ अपराध छुपाने अथवा किसी मनुष्यको किसी अपराध के नीति पूर्वक दंड से बचाने अथवा किसी मनुष्यको नीति पूर्वक दंड दिलानेका उपाय न करने के बदले अपने लिये अथवा और किसीके लिये कुछ इनाम अथवा कोई वस्तु लेनी स्वीकार करेगा अथवा लेने का उद्योग करेगा अथवा स्वीकार करने पर राज़ी होगा उसको कदाचित् वह अपराध बधके दंड योग्य हो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्मभर के देशनिकाले अथवा दशबरस तक की म्याद की क़ैद के दंड योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी

कदाचित् अपराध बधके दंड योग्य हो

कदाचित् अपराध जन्मभरके देशनिकाले अथवा क़ैदके योग्य हो

किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध ऐसा हो कि उसके दंड की म्याद दशबरस तक न हो सके तो दंड उसी प्रकार की क़ैद का जैसी कि उस अपराधके लिये ठहराई गई हो किसी म्याद कोजो उस अपराधके लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्यादकी चौथाई तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अपराधीको दंडसे बचाने के बदले इनाम देना अथवा कुछवस्तु फेर देना

२१४—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इस बातकेलिये किउसने किसीअपराध को छुपाया अथवाकिसी मनुष्य को किसी अपराध के नीति पूर्वक दंड से बचाया अथवा इसबात के बदले कि उसने किसी मनुष्य को नीतिपूर्वक दंड दिलाने का उपाय न किया कुछ इनाम देगा अथवा दिलावेगा अथवा देने का उद्योग करेगा अथवा देने को राजी होगा अथवा कोई वस्तु फेरदेगा उसको कदाचित् वह अपराध बध के दंड योग्य हो

कदाचित् अपराध बधके दंड योग्य हो

दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्यादसात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने

के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा दश बरस तक क़ैद के दंड योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध ऐसा हो कि उसके दंड की म्याद दश बरस तक न होसके तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जैसी कि उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्यादको जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ीसे बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

कदाचित् अपराध जन्म भरके देश निकाले अथवा क़ैदके दंडयोग्यहोगा

छूट—दफ़ा २१३ और २१४ के नियम किसी ऐसे मुकद्दमे से सम्बन्ध न रक्खेंगे जिस में किसी काम का करनाही अपराध हो चाहे करने वाले काप्रयोजन उसके करने से हो चाहे न हो और उस काम के बदले हानि पहुंचने वाला मनुष्य दीवानी में नालिश करसक्ता हो॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने यज्ञदत्तपर मार डालनेके प्रयोजन से उठैया किया तो यहां अपराध केवल उठैयाही बिना मारडालने के

प्रयोजन से नहींहै इस लिये ऐसा मुकद्दमा इसछूटमें न आवेगा और न राज़ीनामे के योग्य होगा—

(इ) देवदत्तने यज्ञदत्तपर उठैया किया तो यहां केवल उठैया करना ही अपराधहै उठैया करनेवालेके प्रयोजनसे कुछ मनही और यह बातभी है कि ऐसे उठैये की नालिश यज्ञदत्त दीवानी में कर सकताहै इस लिये यह मुकद्दमा इस छूट में गिना जायगा और राज़ीनामे के भी योग्य होगा—

(उ) देवदत्तने अपनी स्त्रीके जीते जी अपना दूसराविवाह करनेका अपराध किया तो यहां अपराधी दीवानीकी नालिशके योग्य नहींहै इस लिये राज़ी नामा न हो सकेगा॥

(ए) देवदत्त ने किसी सौभाग्यवती स्त्रीके साथ व्यभिचार किया तो इस अपराधमें राज़ीनामा हो सकेगा॥

इनाम लेनाचोरी इत्यादि का माल निकालने में सहायता देनेके बदले

२१५—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को कुछ ऐसा माल असबाब जो इस संग्रह के अनुसार दंड दियेजाने योग्य किसी अपराध के द्वारा उसके पास से जाता रहा हो फिर पाने में सहायता देने के मिस से अथवा सहायता देनेके बदले कुछ इनाम लेगा अथवा लेने को राज़ी होगा अथवा स्वीकार करेगा उसको कदाचित् वह अपने बशभर अपराधी को पकड़ाने अथवा उसपर अपराध साबित कराने केलिये उपाय न करेगा तो दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दो बरसतक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

२१६—जब कभी कोई मनुष्य जिसके ऊपर कोई अपराध साबित होचुका हो अथवा लगाया गया हो और उस अपराध के बदले क़ानून अनुसार बन्धिमें हो उसबन्धि से भाग जाय अथवा जब कभी कोई सर्बसम्बन्धी नौकर अपने ओहदेका नीति पूर्बक अधिकार बर्त्तने में किसी अपराधके बदले किसी मनुष्य के पकड़े जाने की आज्ञा देदे तौ जो कोई मनुष्य उस मनुष्य का भाग जाना अथवा उसके पकड़े जाने की आज्ञा का होना जान बूझकर उसको आश्रय देगा अथवा छुपावेगा इस प्रयोजन से कि उसका पकड़ा जाना रुकजाय उसको दंड इसभांतिका दिय जायगा कि कदाचित् वह अपराध जिसके बदले भाग जानेवाला बन्धि में था अथवा पकड़ा जानेको था बधके दंड योग्य हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्म भरके देश निकाले अथवा दश बरस की क़ैद के

आश्रय देना किसी अपराधी को जो बन्धि से भाग गया हो अथवा जिस के पकड़े जानेकी आज्ञा होचुकी हो।

कदाचित् अपराध बध के दंड योग्य हो

दंड योग्य हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद

कदाचित् अपराध जन्मभर के देशनिकाले अथवा क़ैद के योग्य हो

का जिस की म्याद तीनबरस तक हो सकेगी जुर्माने समेत अथवा बिना जुर्माने किया जायगा और कदाचित् वह अपराध ऐसा हो कि उसके दंड की म्याद दश बरस तक नहीं एक ही बरस तक हो सकती हो तौ दंड उसी प्रकार की क़ैद का जैसी कि उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद को जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छूट--यह नियम उस मुकद्दमे से सम्बन्ध न रक्खेगा जिस में आश्रय देने वाला अथवा छुपाने वाला उस मनुष्य को जो पकड़े जाने के योग्यहै जोरू अथवा खसम हो ॥

सर्वसंबन्धी नौकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा किसी मालको जबती से बचाने के प्रयोजन से किसी नीति पूर्वक आज्ञा को न माने

२१७—जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकरहोकर किसी मनुष्य को नीतिपूर्बक दंड से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अतिसम्भवित जान कर अथवा जितना दंड उस मनुष्य को हो सकता हो उतने से कमती कराने के प्रयोजन से अथवा

कमती होना अतिसम्भवित जान कर अथवा किसी मालको जब्ती से या दूसरी किसी क़ानून पूर्वक ज़ुल्हत से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति सम्भवित जान कर अपने ओहदे का काम भुगताने की रीति के मद्दे क़ानून की आज्ञा को जान बूझ कर उल्लंघन करेगा उसको दंड दोनोंमेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्वसम्बन्धी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे अथवा माल को जब्ती से बचानेके प्रयोजन से कोई लिखतम अशुद्ध बनावे अथवा लिखे

२१८—जो कोई मनुष्य सर्वसम्बन्धी नौकर होकर और सर्व सम्बन्धी नौकरहोने के कारण किसी कागज़अथवा लिखतम के तैयार करने का काम पाकर उस कागज़ अथवा लिखतम को किसी ऐसी रीतिसे जिसको वह अशुद्ध जानता हो सब को अथवा किसी एक मनुष्य को हानि अथवा नुक़सान पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा पहुंचाना अति सम्भवित जानकर अथवा किसी मनुष्य को क़ानून अनुसार दंड से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति सम्भवित जानकर अथवा किसी माल को क़ानून अनुसार जब्ती अथवा और किसी इल्लत से बचाने के प्रयोजन से

अथवा बचाना अति सम्भवित जानकर बनावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२१६—जो कोई मनुष्य सर्ब सम्बन्धी नौकरहोकर कुप्रयोजन से अथवा ईर्षा से किसीअदालती मामलेकोकिसी अवस्था में कोई रिपोर्ट अथवा आज्ञा अथवा डिक्री अथवा फैसला जिस को वह जानता हो कि क़ानूनके विरुद्धहै देगा अथवा करेगा उसको दंड दोनों में से किसो प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्वसम्बन्धी नौकरजो कुप्रयोजन से किसी न्याय सम्बन्धी काररवाई में कोई ऐसी आज्ञा अथवा रिपोर्ट इत्यादि करे जिस को वह जानताहो कि क़ानून से विरुद्ध है

२२०—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे ओहदे पर होकर जिससे उसको अधिकारकिसी मनुष्यको क़ैदकरनेअथवा न्याय के लिये ऊपरकेहाकिम को सौंपने अथवा क़ैदमेंरखने का हो किसी को कुप्रयोजनसे अथवा ईर्षासे क़ैद में भेजेगा

जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्यकोबंधि में रक्खे अथवा तजवीज के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपे यह जान बूझकर कि यह में क़ानून के विरुद्ध करताहूं

अथवा न्याय के लिये सौंपेगा अथवा क़ैदमें रक्खेगा यह जान बूझकर कि इस काम को मैं क़ानून के विरुद्ध करताहूं उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जिस सर्वसम्बन्धी नौकरपर किसी का पकड़ना क़ानून अनुसार अवश्य हो उस का ओर से पकड़ने में जानं बूझकर चूक होनी

२२१—जो कोई मनुष्य सर्वसम्बन्धी नौकर हो और उस पर सर्वसम्बन्धी नौकर होने के कारण पकड़ना अथवा क़ैद में रखना किसी मनुष्य का जो किसी अपराध में फँसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो क़ानून अनुसार अवश्य हो वह कदाचित् जान बूझकर उस मनुष्य को पकड़ने से चूकेगा अथवा जान बूझकर उसको क़ैद से भाग जाने देगा अथवा जान बूझकर उसको भागने में या भागने का उद्योग करने में सहायता देगा उसको दंड इस रीति से किया जायगा कि जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड बध हो फँसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद

सात बरस तक हो सकेगी जुर्माने समेत अथवा बिना जुर्माने होगा अथवा

जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड जन्मभर का देश निकाला अथवा दश बरस तक की क़ैद हो फँसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी जुर्माने समेत अथवा बिना जुर्माने होगा अथवा

जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड जन्मभर का देश निकाला अथवा दश बरस तक की क़ैद हो फँसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी जुर्माने समेत अथवा बिना जुर्माने होगा अथवा

जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड दश बरस से कमती म्याद की क़ैद हो फँसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तौ दंड दोनों में से किसी

प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी जुर्माने समेत अथवा बिना जुर्माने होगा ॥

२२२—जो कोई मनुष्य सर्वसम्बन्धी नौकरहोऔर उसपर सर्व सम्बन्धीनौकरहोने के कारण पकड़ना अथवा क़ैद में रखना किसी मनुष्य का जिसको किसी अपराध में किसी अदालत से दंडकी आज्ञा होचुकी हो क़ानून अनुसार

जिस सर्व संबन्धी नौकर पर पकड़ना किसी मनुष्य का जिसपर दंड की आज्ञा किसी अदालतसे होचुकी हो क़ानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जान बूझ कर चूक होनी

अवश्य हो वह कदाचित् उस मनुष्य को पकड़ने से जान बूझकर चूकेगा अथवा जान बूझ कर उसको क़ैदसे भाग जाने देगा अथवा जान बूझकर उस को भाग जाने में अथवा भागजाने का उद्योग करने में सहायता करेगा उसको दंड इस रीतिसे किया जायगा कि जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था बधके दंड की आज्ञा पाचुका हो तो दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद चौदह बरस तक हो सकेगी जुर्माने समेत अथवा बिना जुर्माने होगा अथवा

जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी अदालत की अज्ञानुसार अथवा आज्ञा के बदले दंड जन्म भर के देश निकाले अथवा जन्म भरकी दंड सेवा अथवा दश बरस तक या दश बरस से ऊपर के देश निकाले अथवादंड सेवा अथवा क़ैद का पा चुका हो तौ दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी जुर्माने समेत अथवा बिना जुर्माने होगा अथवा

जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसकापकड़ना उचित था किसी अदालत की आज्ञानुसार दंड दश बरस से कमती म्यादका पाचुका हो तौ दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का होगा॥

जो सर्व सम्बन्धी नौकर अपनी असावधानी से किसी को बन्धि से भाग जाने दे

२२३—जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर हो और उसपर सर्वसम्बन्धीनौकरहोनेके कारण क़ैदमेंरखना किसी मनुष्य का जो किसीअपराध में फँसाहो अथवा जिसके ऊपर अपराध साबित हो चुका हो क़ानून अनुसार अवश्य हो वह

कदाचित् अपनी असावधानी से उस मनुष्य को क़ैद से भागजाने देगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अपने नीति पूर्वक पकड़े जाने में किसी की ओरसे सामना अथवा रोक होनी

२२४—जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें जो उस पर लगाया गयाहो अथवा जो उस पर साबित होचुका हो अपने पकड़े जाने में कुछ अनीति सामना अथवा रोक जान बूझ कर करेगा अथवा जिस बन्धि में वह उसी अपराध के बदले क़ानून अनुसार क़ैद रक्खा गयाहो उसमेंसे भाग जायगा अथवा भागने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

विवेचन—इस दफ़ा का दंड उस दंड के सिवाय होगा जिसके योग्य वह मनुष्य जो पकड़ा जानेको था अथवा क़ैद में था उस अपराध के बदले हो जो उसके ऊपर लगाया गया अथवा जो उस पर साबित हुआ हो ॥

२२५—जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें किसीदूसरे मनुष्य के क़ानून अनुसार पकड़े जाने में जान बूझ कर अनीति सामना अथवा रोक करेगा अथवा किसी दूसरे मनुष्य को किसी बन्धि से जिस में वह किसी अपराध के बदले क़ानून अनुसार रक्खा गया हो जबरदस्ती छुड़ावेगा अथवा छुड़ाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा— अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ा जाने को था अथवा जो छुड़ा लियागया अथवा जिसके छुड़ानेका उद्योग कियागया किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड जन्मभर का देशनिकाला अथवा दश बरस तक म्याद की क़ैद हो फँसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा

किसी दूसरे मनुष्य के नीति पूर्वक पकड़े जाने में सामना अथवारोककरना

अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ा जाने को था अथवा जो छुड़ा लियागया अथवा जिसके छुड़ानेका उद्योग कियागया किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड

बध हो फँसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा

अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ाजाने को था अथवा जो छुड़ालिया गया अथवा जिसके छुड़ाने का उद्योग किया गया किसी अदालत की आज्ञानुसार अथवा उस दंड के कारण जो उस आज्ञा के बदले ठहरायागया आज्ञा जन्मभर के देशनिकाले की अथवा दश बरस तक या उससे अधिक म्याद के देश निकाले की अथवा दश बरस या उससे अधिक म्याद की दंड सेवा की अथवा दश बरस या उससे अधिक म्याद की केवल क़ैद की पाचुका हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा

अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ा जाने को था अथवा जो छुड़ा लिया गया अथवा जिसके छुड़ाने का उद्योग किया गया बध के दंड की आज्ञा पाचुका हो तो दण्ड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद

दश बरस से अधिक न होगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

अर्नीति रीति से देशनिकालेसे लौट आना

२२६—जो कोई मनुष्य क़ानून अनुसार देशनिकाले का दंड पाचुका हो वह कदाचित् ठहराई हुई म्याद भुगत जाने से पहिले अथवा अपना दंड माफ किये जाने बिना लौट आवेगा उसको दंड जन्मभर के देशनिकाले का किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और देशनिकाला होने से पहिले किसी म्याद को जो तीन बरस से अधिक नहोगी कठिन क़ैद में रक्खा जायगा ॥

दंड की माफी के कौल करार का तोड़ना

२२७—जो कोई मनुष्य कुछ कौल करार करके अपना दंड माफ कराचुका हो वह कदाचित् जान बूझ कर उस कौल करार को तोड़ेगा तौ उसको कदाचित् उसने उस दंड का कुछ भाग भुगत नलिया हो वह दंड जो पहिले दिया गयाथा दिया जायगा और कदाचित् उस दंड का कोई भाग भुगत चुका हो तौ दंड उतनाही जितना कि बिना भुगता रहा हो किया जायगा ॥

२२८—जो कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी सर्व सम्बन्धी नौकर का अपमान करेगा अथवा उसके काम में विघ्न डालेगा उस समय जबकि वह न्याय सम्बन्धी मामले को किसी अवस्था में स्थित हो उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जानबूझकर अपमान करना किसीसर्वसम्बन्धी नौकरका अथवा विघ्न डालना उसके काममें जब कि वह किसी न्यायके मामलेकी किसी अवस्था में उपस्थित हो

२२९—जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर अथवा और किसी भांति किसी मुकद्दमे में जिसमें वह जानता हो कि क़ानून अनुसार मुझको पंच अथवा असेसर की भांति सौगन्द करने अथवा पंचों या असेसरों में नाम लिखाने या दाखिल होने का अधिकार नहीं है जान बूझ कर पंच अथवा असेसर की भांति सौगन्द करेगा अथवा नाम लिखावेगा अथवा दाखिल होगा अथवा इन कामों में से कोई काम होने देगा अथवा यह बात मालूम करके कि क़ानून के बिरुद्ध मुझ से इस प्रकार की सौगन्द लीगई है अथवा मेरा

झूठा मिसकरके पंच अथवा असेसरबनना

नाम लिखगया है अथवा दाखिल होगया है उस पंचायत में जान बूझ कर बैठेगा अथवा असेसर बनेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरसतक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अध्याय १२ ॥

—०—

सिक्कों और गवर्नमेंट के स्टाम्प सम्बन्धी अपराधों के विषय में ॥

सिक्का — २३०—सिक्का वह धातु है जो द्रव्य की भांति काम में आवे और काम में आने के लिये किसी गवर्नमेंट की आज्ञा से मुहर किया और चलाया जाय-- जो सिक्का श्रीमती महारानी की

श्रीमती महारानी का सिक्का — आज्ञा से अथवा हिन्द की गवर्नमेंट अथवा किसी हाते की गवर्नमेंट अथवा श्रीमती महारानी के राज्य के किसी देश की गवर्नमेंट की आज्ञा से मुहर किया जाय और चलाया जाय श्रीमती महारानी का सिक्का कहलावेगा ॥

उदाहरण

(अ) कौड़ी सिक्का नहीं है—

(इ) तांबे के टुकड़े जिनपर मुहर न लगी हो सिक्के नहीं हैं यद्यपि द्रव्यकी भांति काम में आतेभी हों—

(उ) तगमे सिक्के नहींहैं क्योंक वे द्रव्य की भांति काम में आनेके प्रयोजन से नहीं बनाये जाते——

(ए) सिक्का जो कम्पनी का रुपया कहलाता है श्रीमती महारानी का सिक्का है——

२३१—जो कोई मनुष्य खोटा सिक्का बनावेगा अ-
खोटा सिक्का बनाना थवा खोटा सिक्का बनानेकेकामों में से जान बूझ कर कोई काम करेगा उसको दण्ड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा॥

विवेचन—जो कोई मनुष्य धोखा देने के प्रयोजन से अथवा यह जानबूझ कर कि इससे धोखा देना अति सम्भवित होगा किसी खरे सिक्के को दूसरे सिक्के के सदृश करेगा वह इस अपराध का करने-वाला होगा॥

२३२—जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी का
श्री मती महारानी का सिक्का खोटा बनावेगा अथवा
खोटा सिक्का बनाना खोटा बनाने के कामों में से कोई काम जान बूझकर करेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी कियाजायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा॥

२३३—जो कोई मनुष्य कुछ ठप्पा अथवा औज़ार खोटा सिक्का बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जान बूझकर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा सिक्का बनाने के निमित्त काम में आनेके प्रयोजन से है बनावेगा अथवा सुधारेगा अथवा बनाने या सुधारने के कामों में से कोई काम करेगा अथवा मोल लेगा या बेचेगा या किसी को देदेगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्यादतीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

खोटा सिक्का बनाने के लिये औज़ार बनाना अथवा बेचना

२३४--जो कोई मनुष्य कुछ ठप्पा अथवा औज़ार श्री मती महारानी का खोटा सिक्का बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जान बूझ कर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनाने के निमित्त काम में आने के प्रयोजन से है बनावेगा या सुधारेगा अथवा बनाने या सुधारने के कामोंमें

श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनानेके लिये औज़ार बनाना अथवा बेचना

से कोई काम करेगा अथवा मोल लेगा या बेचेगा या उसको किसी को देदेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

पासरखना औज़ार अथवा सामानका इसप्रयोजन से कि खोटा सिक्का बनाने के लिये काम आवे

२३५—जो कोई मनुष्य औज़ार अथवा सामान खोटा सिक्का बनाने के निमित्त अथवा यह जान बूझकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह औज़ार अथवा सामान इस निमित्त काम में आने के प्रयोजन से है अपने पास रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह सिक्का जो बनाया जाने को हो श्रीमती महारानी का सिक्का हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

हिन्दुस्तानके बाहर खोटा सिक्का बनाने के लिये हिन्दुस्तानमें सहायता देनी

२३६—जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य में रहकर हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्यके बाहरखोटा सिक्का बनाने में सहायता देगा उसको दंड उसी भांति दिया जायगा मानो उसने हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य के भीतर खोटा सिक्का बनाने में सहायता दी॥

खोटेसिक्के का बाहर भेजना अथवा भीतर लाना

२३७—जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तानके अंगरेजीराज्य के भीतर कोई खोटा सिक्का बाहर से लावेगा अथवा बाहर ले जायगा यह बात जान बूझ कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा॥

श्रीमतीमहारानी के खोटे सिक्के का बाहर लेजाना अथवा भीतर लाना

२३८—जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तानकेअंगरेजीराज्यके भीतर कोई खोटा सिक्का बाहर से लावेगा अथवा बाहर लेजायगा यह बात जान बूझ कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा

सिक्का श्रीमती महारानी का है उसको दंड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

देनाकिसी मनुष्यको कोई सिक्का जो खोटा जान बूझ कर पास रक्खा गया हो

२३६--जो कोई मनुष्य अपनेपास कोई ऐसा खोटा सिक्का रखता हो जिसको उसने अपने पास आने के समय खोटा जान लिया हो वह कदाचित् छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से उससिक्के को किसी मनुष्यको देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलानेका उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

देना श्रीमती महारानी के सिक्के का जो खोटा जान बूझकर पासरक्खागयाहो

२४०--जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा खोटा सिक्का रखता हो जो श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का हो और जिसको उसने अपने पास आने के समय जान लिया हो कि यह श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का है वह कदाचित्

छल छिद्रसे अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से उस सिक्केको किसी मनुष्य को देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

खरे सिक्केकी भांति देना किसी मनुष्य का कोई सिक्का जिसको देने वालेने अपने पास आनेके समय खोटा न जाना हो

२४१—जो कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को खरे की भांति कोई खोटा सिक्का जिसको वह जानता हो कि यह खोटा है परन्तु जिस समय वह सिक्का उसके पास आया हो उस समय उसने खोटा न जाना हो देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी को फुसलाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो उस खोटे सिक्के के मोल के दश गुने तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

देवदत्त किसी सराफ ने कम्पनी के खोटे रुपये अपनेसाझी यज्ञदत्त को चलाने के निमित दिये और यज्ञदत्त ने वे रुपये

हरदत्त एक और सराफ़ को बेचे और हरदत्त ने यह जान बूझकर कि ये खोटेहैं मोल ले लिये फिर हरदत्त ने वे रुपये गंगादत्तको जिन्सके बदले दिये और गंगादत्त ने खोटे न जान कर ले लिये और ले लेने से पीछे गंगादत्त ने जान लिया कि ये रुपये खोटेहैं परंतु फिर भी खरेकी भांति कहीं चलादिये तो यहां गंगादत्त केवल इसी दफ़ाके अनुसार दण्डके योग्य होगा परंतु यज्ञदत्त और हरदत्त दफ़ा २३९ अथवा २४० के अनुसार जैसी अवस्था हो दंड पावेंगे ॥

खोटा सिक्का होना किसी मनुष्यके पास जिसने अपने पास आने के समय उसकोखोटाजानलिया हो

२४२—जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जानेके प्रयोजन से कोई ऐसा खोटा सिक्का अपने पास रक्खेगा जिस को उसने अपने पास आने के समय जानलिया हो कि खोटा है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

श्रीमती महारानीका खोटा सिक्काहोना किसी मनुष्यके पासजिसने अपने पास आनेके समय उसको खोटा जान लिया हो

२४३—जोकोई मनुष्य छलछिद्रसे अथवा छलछिद्र किये जाने के प्रयोजनसे कोई ऐसा खोटा सिक्का अपने पास रक्खेगा जो श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का हो और

जिसको उसने अपने पास आने के समय जान लिया हो कि यह खोटा है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

जो मनुष्यटकसालमें नौकर होकर कोई सिक्का क़ानूनअनुसारठहराईहुई तोल अथवा धातुसेदूसरी तोल अथवा धातुका बनवावे

२४४—जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्यमें क़ानून अनुसार ठहराई हुई किसी टकसाल में नौकर होकर कुछ काम इस प्रयोजन से करेगा अथवा जिस काम का करना उस पर क़ानून अनुसार अवश्य है उस के करने से चूकेगा कि किसी सिक्के को जो उस टकसाल से निकले क़ानून अनुसार ठहराई हुई तोल अथवा ठहराई हुई धातु से दूसरी तोल अथवा धातु का बनाया जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

अनीति रीति से लेजाना किसी टकसाल से सिक्का बनाने का कोई औज़ार

२४५—जो कोई मनुष्य बिना नीति पूर्वक अधिकार के सिक्का बनाने का कोई औज़ार अथवा लोखर किसी टकसाल से जो हिन्दु-

स्तान के अंगरेजी राज्य में नीति पूर्वक बैठाई गई हो ले जायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

छल छिद्र से सिक्के की तोलघटाना अथवा धातु बदलना

२४६—जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा बेधर्मी से किसी सिक्के के मद्धे कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उस सिक्के की तोल घट जाय अथवा जिन वस्तुओंसे वह बना हो बदल जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकीम्याद तीन बरस तक हो सकेगा किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

विवेचन—कोई मनुष्य जो किसी सिक्के में से कुछ अंश कोल कर निकाल ले और खाली ठौर में कुछ और वस्तु रख दे तो कहा जायगा कि उसने उस सिक्के की धातु बदल ली ॥

छलछिद्र से श्रीमतीमहारानी के सिक्के की तोल घटाना अथवा धातुबदलना

२४७—जो कोई मनुष्य छलछिद्रसे अथवा बेधर्मी से श्रीमती महारानी के किसी सिक्के के मद्धे कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उस सिक्के

की तोल घट जाय अथवा जिन वस्तुओं से वह बना हो बदल जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकीम्याद सातबरसतक होसकेगो कियाजायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

२४८—जो कोई मनुष्य किसी सिक्के पर कुछ ऐसा काम जिससे उससिक्के कारूप पलट जाय इस प्रयोजन से करेगा कि वह सिक्का किसी दूसरे प्रकारके सिक्के की भांति चल जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

रूप बदलना किसी सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलाया जाय

२४९—जोकोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्के पर कुछऐसा काम जिस से उससिक्के का रूपपलटजाय इस प्रयोजन से करेगा किवह सिक्का किसी दूसरे प्रकारके सिक्के की भांति चल जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

रूप बदलना श्रीमती महारानी के सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकारके सिक्केकी भांतिचलाया जाय

२५०—जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा सिक्का जिसके मद्दे दफ़ा २४६ अथवा २४८ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो रखकर और जिस समय वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह बात जान बूझकर कि वही अपराध इस के मद्दे हो चुका है उस सिक्के को छल छिद्र से अथवा छलछिद्र किया जाने के प्रयोजनसे किसी दूसरे मनुष्यको देगा अथवा उसके लेनेके लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस को म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

देना दूसरे को कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि बदला हुआ है

२५१—जो कोई मनुष्य अपने पास श्रीमती महारानी का कोई ऐसा सिक्का जिसके मद्दे दफ़ा २४७ अथवा २४९ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो रखकर और जिस समय वह सिक्का उस के पास आया उस समय यह बात जान बूझ कर कि वही अपराध इसके मद्दे होचुकाहै उस सिक्के को छलछिद्र से अथवा छल छिद्र किया जाने के प्रयोजन से

देना किसी मनुष्य को श्रीमती महारानी का कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि बदला हुआ है

किसी दूसरे मनुष्य को देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

होना बदले हुये सिक्के का किसी मनुष्यके पास जिसने अपने पास आने के समय उसे जान लिया हो कि बदला हुआ है

२५२—जोकोई मनुष्य छलछिद्रसे अथवाछलछिद्र किये जाने के प्रयोजनसे कोई ऐसा सिक्का जिसके मद्दे दफ़ा २४६ अथवा २४८ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो अपने पास आने के समय यह बात जान बूझ कर रक्खेगा कि इसके मद्दे वह अपराध होचुका है उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

होना श्रीमती महारानी के बदले हुये सिक्के का किसी मनुष्यके पास जिसने अपने पास आनेके समय उसे जानलियाहो कि बदला हुआ है

२५३—जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा छल-छिद्र किये जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा सिक्का जिसके मद्दे दफ़ा २४७ अथवा २४९ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो अपने पास आने के समय

यह बात जान बूझकर रक्खेगा कि इस के मद्दे वह अपराध होचुका है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

खरे सिक्के की भांति देना किसी को कोई ऐसा सिक्का जिसको देने वाले ने अपने पास आने के समय बदला हुआ न जाना हो

२५४—जो कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को खरे सिक्के की भांति अथवा जिस प्रकार का वह हो उससे दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति कोई सिक्का जिसके मद्दे दफ़ा २४६ अथवा २४७ अथवा २४८ अथवा २४९ में वर्णन किया हुआ काम किया गया हो परन्तु उसने अपने पास आने के समय यह न जाना हो कि इस के मद्दे वह काम होचुका है देगा अथवा उसके लेनेके लिये किसी मनुष्य को फ़ुसलाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो उस बदले हुये अथवा बदलने का उद्योग किये हुये सिक्के के मोल के दशगुने तक हो सकेगा किया जायगा ॥

२५५—जो कोई मनुष्य किसीऐसे स्टाम्प को जिस को गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो खोटा बनावेगा अथवा जान बूझकर खोटा बनाने के कामों में से कोई काम करेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी कियाजायगा और जुर्माने के भी योग्यहोगा ॥

गवर्नमेंट का स्टाम्पखोटा बनाना

विवेचन—जो कोई मनुष्य एक प्रकार के सच्चे स्टाम्प को दूसरे प्रकार के सच्चे स्टाम्प के सदृश होने के लिये बनावेगा इस अपराध का करने वाला कहलावेगा ॥

२५६—जो कोई मनुष्य अपने पास कोई औजार अथवा सामान कोई ऐसा स्टाम्प जिसको गवर्नमेंटने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो झूठा बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जान बूझकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह झूठा स्टाम्प बनाने में काम आने के प्रयोजन से है रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात

गवर्नमेंट का खोटास्टाम्प बनाने के लिये औजार अथवा सामान पासरखना

बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

२५७—जो कोई मनुष्य कुछ औज़ार ऐसा स्टाम्प जिसको गवर्नमेंटने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो झूठा बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जान बूझ कर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह ऐसा स्टाम्प बनाने में काम आने के प्रयोजन से है बनावेगा अथवा बनाने के कामों में से कोई काम करेगा अथवा मोल लेगा अथवा बेचेगा अथवा किसी को दे देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

बनाना अथवा बेचना औज़ारका कोई खोटा गवर्नमेंट का स्टाम्पबनाने के निमित्त

२५८—जो कोई मनुष्य कोई ऐसा स्टाम्प जिसको वह जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह खोटा किसी स्टाम्प का है जिसको गवर्नमेंटने अपनी आमदनी के निमित्त चलायाहै बेचेगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी

गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बेचना

प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

२५९—जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा स्टाम्प जिसको वह जानताहो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह खोटा किसी स्टाम्प का है जिसको गवर्नमेंटने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है अपने पास रक्खेगा इस प्रयोजन से कि उस को सच्चे स्टाम्पकी भांति काममेंलावे अथवा किसीको दे अथवा इसलिये कि वह सच्चे स्टाम्पकी भांति काममें आवे उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरसतक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प पास रखना

२६०—जो कोई मनुष्य सच्चे की भांति किसीऐसे स्टाम्पको काममें लावेगा जिस को वह जानताहो कि यह खोटा किसी स्टाम्प का है जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है उसको दंड

सच्चे स्टाम्पकी भांति काम में लाना गवर्नमेंट के किसी स्टाम्प का जो जान लियागया हो कि झूठा है

दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

गवर्नमेंट का नुक़सान करनेके प्रयोजन से मिटाना किसी लेखका किसी वस्तु से जिसपर गवर्नमेंट का कोई स्टाम्प लगा हो अथवा दूरकरना किसी लिखतम् से किसी स्टाम्प का जो उसके लिये लगाया गया हो।

२६१--जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा गवर्नमेंट का नुक़सान करनेके प्रयोजन से किसी वस्तु से जिसपर कोई ऐसा स्टाम्प लगा हो जो गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो किसी लेखको अथवा लिखतम् को जिसके लिये वह स्टाम्प काम में आया हो दूरकरेगा अथवा मिटावेगा अथवा किसी लेख या लिखतम् से कोई स्टाम्प जो उस लेख या लिखतम् के लिये काम में आया हो इस प्रयोजन से दूर करेगा कि वह स्टाम्प किसी दूसरे लेख अथवा लिखतम् के लिये काम में आवे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

काममें लाना गवर्नमेंट के किसी स्टाम्प को जो जान लिया गया हो कि आगे काम में आचुका है

२६२—जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा गवर्नमेंट का नुक्सान करने के प्रयोजन से किसी निमित्त कोई ऐसा स्टाम्प काम में लावेगा जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो और जिसको वह जानता हो कि आगे काम में आचुका है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मिटाना किसी चिह्न का जिस्से जाना जाय कि स्टाम्प काम में अचुका है

२६३—जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा गवर्नमेंट का नुक्सान करने के प्रयोजन से किसी स्टाम्प से जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो कोई चिह्न जो उस स्टाम्प पर यह बात जानने के लिये कि वह काम में आचुका है लगाया गया अथवा छापा गया हो छीलेगा अथवा दूर करेगा अथवा किसी ऐसे स्टाम्प को जिस पर से वह चिह्न छीलडाला गया अथवा दूरकर दिया गया हो अपने पास रक्खेगा अथवा बेचेगा अथवा दे

डालेगा अथवा किसी स्टाम्प को जिसको वह जानता हो कि एक बेर काम में आचुका है बेचेगा अथवा दे डालेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्मानेका अथवा दोनों का किया जायगा ॥

—※—

अध्याय १३ ॥

नाप तोल सम्बन्धी अपराधों के विषय में ॥

छलछिद्रसे काममेंलाना तोलने के किसीझूठेऔजार का

२६४—जो कोई मनुष्य छल छिद्र से तोलने के किसी औजार को जिसको वह जानता हो कि झूठा है काम में लावेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छलछिद्रसेकाममें लाना किसी झूठे बाट अथवा नापका

२६५—जो कोई मनुष्यछलछिद्रसे किसीझूठेबाटअथवा लम्बाई जांचने के नाप को अथवा नापने के पात्र को काम में लावेगा अथवा छल छिद्र से

किसी बाट अथवा लंबाई जांचने के नापको अथवा नापने के पात्र को जितना कि वह है उससे कमती बढ़ती तोल अथवा नापकी भांति काममें लावेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

झूठे बाट अथवा नाप अपने पास रखने

२६६—जो कोई मनुष्य किसी तोलने के औजार को अथवा बाट को अथवा लम्बाई जांचने के नाप को अथवा नापने के पात्र को जिसको वह जानता हो कि झूठा है इस प्रयोजन से अपने पास रक्खेगा किवह छल छिद्र से काममें आवे उसको दंड दोनोंमेंसे किसीप्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगीअथवा जुर्माने का अथवा दोनों का कियाजायगा ॥

झूठे बाट अथवा नाप बनाने अथवा बेचने

२६७—जो कोई मनुष्य कुछ तोलने का औजार अथवा बाट अथवा लंबाई जांचने का नाप अथवा नापने का पात्र जिसे वह जानता हो कि झूठा है इस प्रयोजन से बनावेगा अथवा बेचेगा अथवा किसी को दे देगा कि वह सच्चे की भांति काममें आवे अथवा यह

बात जान बूझ कर कि उनका सचेकी भांति काममें आना अति सम्भवित है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

—※—

अध्याय १४॥

सर्व सम्बन्धी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता और सुलज्जता और सज्जनता और सुशीलता में बिघ्नडालनेवाले अपराधोंके विषयमें ॥

२६८—वह मनुष्य सर्वसम्बन्धी बाधा का अपराधी

सर्व सम्बन्धी बाधा होगा जो कि किसी ऐसे काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक का अपराधी हो जिससे सबको अथवा आस पास के रहने वालों को अथवा आस पास के मिलकियत रखने वालों को हानि अथवा बिपति अथवा क्लेशपहुंचे अथवा जिससे उस स्थान पर कुछ सर्वसम्बन्धी अधिकार बर्तने के लिये आने जाने वाले मनुष्यों को हानि अथवा रोक अथवा बिपत्ति अथवा क्लेश पहुंचना अवश्य हो ॥

कोई सर्व दुःखदायी काम इसी हेतुसे किउससे कुछ लाभ अथवा सुगमता होती है माफ़ न किया जायगा ॥

असावधानी किसीकाम में जिस्से फैलना किसी जीव जोखिमके रोगका अति सम्भावित हो

२६९—जो कोई मनुष्य अनीति से अथवा असावधानी से कोई ऐसा काम करेगा जो फैलाने वाला किसी जीव जोखिम के रोगका हो अथवा जिसको वह जानता हो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि इस्से फैलना किसी जीव जोखिम के रोग का अतिसम्भवितहै उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दुर्भाव का काम जिससे फैलना जीव जोखिम के रोगका अति संभवित हो

२७०—जो कोई मनुष्य दुर्भाव से कोई ऐसा काम करेगा जो फैलाने वाला किसी जीव जोखिम के रोगका हो अथवा जिसको वह जानताहो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि इससेफैलना किसी जीव जोखिम के रोगका अति सम्भवित है उस को दंड दोनोंमेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२७१—जो कोई मनुष्य किसी आज्ञा को जो

किसी क्वारनटीन आज्ञा को न मानना

हिन्द की गवर्नमेंट ने अथवा और किसी गवर्नमेंट ने जहाज को क्वारनटीन की अवस्था में रखनेके लिये अथवा क्वारनटीन अवस्था के जहाज के किनारे पर अथवा दूसरे जहाजों के पास आने जाने के विषय में अथवा जिन स्थानोंमें छूत से फैलने वाला कोई रोग प्रबल हो उनके मनुष्यों की आवा जाई दूसरे स्थानों में होने के मद्दे नियतकी ओर चलाई हो जान बूझकर नमानेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२७२—जो कोई मनुष्य खाने अथवा पीने की

खाने अथवा पीनेकीबस्तु जो बेचने के लिये हो उसमें मिलावट करनी

किसी वस्तु में कुछ ऐसी मिलावट जिससे वह वस्तु खाने अथवा पीने के लिये निकाम

१—जब किसी जहाज में कोई विशेष रोग होने का संदेह पाया जाय तो आज्ञा होजाती है कि यह जहाज इतने दिन तक किनारे पर न आने पावे अथवा दूसरे जहाजसे न मिलने पावे इसको क्वारनटीन कहते हैं—

होजाय इस प्रयोजन से करेगा कि उस वस्तुको खाने अथवा पीने के लिये बेचे अथवा यह जान बूझकर कि उसका खाने अथवा पीने के लिये बेचा जाना अति सम्भवित है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२७३—जो कोई मनुष्य खाने अथवा पीनेके
बेचना खाने अथवा पीने लिये कोई ऐसी वस्तु जो नि-
की वस्तु का जो ज्यान काम की गई हो अथवा हो
पहुंचाने वाली हो गई हो अथवा खाने या पीने
के योग्य न रही हो यह बात जान बूझकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पा कर बेचेगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खेगा कि यह वस्तु खाने अथवा पीने के लिये निकाम है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२७४--जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा

औषधमेंमिलावटकरनी

बिना बनी औषध में कुछ ऐसी मिलावट जिससे उस औषध का गुण घट जाय अथवा बदल जाय अथवा वह निकाम होजाय इस प्रयोजन से करेगा कि वह बिना मिलावट की औषध की भांति बेची जाय अथवा काममें लाई जाय अथवा यह जान बूझ कर कि उसका इस भांति बेचा या काम में लाया जाना अति सम्भवित है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकीम्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

२७५--जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा

मिलावटकी हुई औषध का बेचना॥

बिना बनी हुई औषध को यह बात जान बूझ कर कि इसमें कुछ मिलावट ऐसी हुई है जिससे इसका गुण घट गया है अथवा बदल गयाहै अथवा जिससेयहनि-काम होगई है बिना मिलावट की औषध की भांति बेचेगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खेगा अथवा किसी दवाई खाने से औषध के काम के

लिये देगा अथवा किसी ऐसे मनुष्य से जो जानता न हो कि इसमें मिलावट हुई है उसको औषध के काम में लिवावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बेचना किसी औषध का बनी हुई औषध को दूसरी औषधके नाम से

२७६--जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा बिना बनी हुई औषध को जान बूझ कर दूसरी बनी हुई अथवा बिना बनी हुई औषध की भांति बेचेगा अथवा बेचनेकेलिये सामने रक्खेगा अथवा औषध के काम के लियेकिसी दवाई खाने से देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बिगाड़नाकिसीसर्वसम्बन्धीकुआं कुण्डइत्यादि के पानी का

२७७--जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी कुआं नदी इत्यादि के अथवा कुण्ड के पानी को जान बूझकर बिगाड़ेगा ऐसा कि वह पानी जिस काम में साधारण आता हो उस काम के योग्य

जैसा था वैसा न रहे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

पवनको आरोग्यता के अयोग्य करना

२७८—जो कोई मनुष्य किसी जगह की पवन को जान बूझ कर बिगाड़ेगा ऐसा कि वह आस पास के रहने वाले अथवा काम काज करने वाले अथवा गैल निकलने वाले मनुष्यों की आरोग्यता के लिये निकाम होजाय उसको दंड जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा किया जायगा ॥

सबके चलने की गैल में गाड़ी घोड़ा इत्यादि सवारी का बे सुधि दौड़ाना

२७९—जो कोई मनुष्य सबके आने जानेकी किसी गैलमें कुछ सवारी ऐसीबेसुधी अथवा असावधानी से दौड़ावेगा जिससे मनुष्य की जीव जोखिम हो अथवा दूसरे मनुष्य को दुःख अथवा हानि पहुंचनी अति सम्भवित हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छःमहीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२८०—जो कोई मनुष्य किसी नाव को ऐसीबेसुधी
नाव का बे सुधि चलाना — अथवा असावधानी से चलावेगा जिससे मनुष्य की जीव जोखिम हो अथवा दूसरे मनुष्य को दुःख अथवा हानि पहुंचनी अति सम्भवित हो उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२८१—जो कोई मनुष्य कुछ झूठा उजाला अथवा
झूठा उजेला अथवा चिह्न दिखलाना — चिह्न[1] अथवा बया इसप्रयोजनसे अथवा यहबात अतिसम्भवित जान कर कि इससे कोई नाव चलाने वाला बहक जायगा दिखलावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

१—बयाउसवस्तुको कहतेहैं जो जहाज़ों को रस्तादिखलनेकेलिये पानीमें तैरती हुई रक्खी जाती है ॥

पानी के रस्ता पहुंचाना किसी मनुष्य का भाड़े के लिये किसी ऐसी नाव में जो अति बोझी अथवा जोखिम की हो

२८२—जो कोई मनुष्य अपने भाड़े के लिये किसी मनुष्यको जानबूझकर अथवा असावधानी से किसी नाव में जो ऐसी दशा में हो अथवा इतनीभारी हो कि उससे उस मनुष्य के जीव की जोखिम दिखाईपड़े पानीके रस्ता भेजेगा अथवा भिजवावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनोंका कियाजायगा ॥

जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्वसंबंधी गैल में अथवा नाव के मार्ग में

२८३—जो कोई मनुष्य कुछ काम करके अथवा जोवस्तु उसकेपासहो या उस को सौंपीगई हो उसकीचौक-सी में चूक करके सबकेचलने की गैल में अथवा नाव की गैल में किसी मनुष्य को जोखिम अथवा रोक अथ-वा हानि पहुंचावेगा उसको दंड जुर्माने का जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा किया जायगा ॥

विष की किसी वस्तु के मद्धे असावधानी करना

२८४—जो कोई मनुष्य किसी बिषदार वस्तुकेमद्धे कोई काम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करेगा जिससे

मनुष्य की जीव जोखिम हो या किसी मनुष्य को दुःख या हानि पहुंचनी अति सम्भवित हो अथवा किसी विषदार वस्तु के मद्धे जो उसके पास हो जान बूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस विषदार वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का सन्देह मिटाने के लिये काफी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

अग्नि अथवा जलनेवाली वस्तु के मद्धे असावधानी करना

२८५—जो कोई मनुष्य अग्नि अथवा जलने वाली किसी वस्तु के मद्धे कोई काम ऐसा धड़क अथवा असावधानी से करेगा जिससे मनुष्य की जीव जोखिम हो या किसी मनुष्य को दुःख या हानि पहुंचनी अति सम्भवित हो अथवा अग्नि अथवा जलाने वाली किसी वस्तु के मद्धे जो उसके पास हो जान बूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस अग्नि अथवा जलने वाली वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का सन्देह मिटाने के लिये काफी हो करने से चूकेगा उस को दंड दोनों में से

किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीनेतक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२८६—जो कोई मनुष्य अग्निकी भांति उड़नेवाली किसी वस्तु के मद्धे कोईकाम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करेगा जिससे मनुष्य की जीवजोखिमहो या किसीमनुष्य को दुःख या हानि पहुंचनी अति सम्भवित हो अथवा अग्नि की भांति उड़नवाली किसी वस्तुके मद्धे जो उसके पास हो जान बूझ कर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस अग्नि की भांति उड़ने वाली वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होनेका संदेह मिटाने के लिये काफी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छःमहीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अग्निकी भांति उड़नेवाली वस्तुकेमद्धे असावधानीकरना

२८७—जो कोई मनुष्य किसी कल के मद्धे कोई काम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानीसे करेगा जिससे मनुष्य के जीव की जोखिम हो

किसी कलके मद्धे जो अपराधी के अधिकार अथवा चौकसी में हो असावधानी करना

या किसी मनुष्य को दुःख या हानि पहुंचनी अति सम्भवित हो अथवा किसी कल के मद्धे जो उसके पास हो जान बूझ कर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस कल से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होनेका संदेह मिटाने के लिये काफी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मकान को गिराने अथवा मरम्मत करानेके विषयमें असावधानी करना

२८८—जो कोई मनुष्य किसी मकान के गिराने अथवा मरम्मत करने में जान बूझ कर अथवा असावधानी करके उस मकान के मद्धे ऐसी चौकसी जो उसके गिरने से मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी पशुकेमद्धे असावधानी करना

२८६—जो कोई मनुष्य किसी पशु के मद्धे जो उसके पास हो जान बूझ कर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस पशुसे मनुष्य की जीव जोखिम अथवा भारी दुःख होने का सन्देह मिटाने के लिये काफी हो करने में चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

सर्व दुःखदायी काम का दंड

२६०—जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सर्व दुःखदायी काम जो इस संग्रह के अनुसार और किसी भांति दंड के योग्य नहीं है करेगा उसको दंड जुर्माने का जो दोसौ रुपये तक हो सकेगा किया जायगा॥

बन्द करनेकी आज्ञा पाने के पीछे किसी सर्व दुःखदायीका मको करते रहना

२६१—जो कोई मनुष्य किसी सर्व दुःखदायी काम को फिर न करने अथवा करने से रुक जाने की आज्ञा किसी ऐसे सर्व सम्बन्धी नौकर से जिसको उस आज्ञा के देनेका अधिकार क़ानून अनुसार प्राप्त हो पाकर फिर भी करता रहेगा

अथवा करेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका कियाजायगा ॥

२९२—जो कोई मनुष्य कोई निर्लज्जता की पोथी बेचना इत्यादिनिर्लज्ज पुस्तक अथवा कागज अथवा ताकी पुस्तकों का चित्र अथवा बिचित्र अथवा मूर्ति अथवा प्रतिमा बेचेगा अथवा बांटगा अथवा बेचने को या किराये पर बाहर से लावेगा या छापेगा अथवा जान बूझ कर सब के देखने की जगह पर रक्खेगा अथवा इन कामों का उद्योग करेगाया करने को राजी होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छूट—यह दफ़ा किसी ऐसे तसवीर से सम्बन्ध न रक्खेगी जो किसी मन्दिर के ऊपर अथवा भीतर अथवा प्रतिमा निकालने के रथ पर हो अथवा किसी मजहब अर्थात् मत सम्बन्धी काम के लिये रक्खी गई हो या काम में आती हो चाहै वह मूर्ति कटकर बनी हो चाहै खुदकर और चाहै रंगदार हो चाहै और भांति की ॥

२९३—जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसी निर्लज्जता की पुस्तक अथवा बस्तु जैसी कि पिछली दफ़ा में बर्णन हुई है बेचने अथवा बांटने अथवा सबको दिखलाने के लिये रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकीम्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

बेचनेअथवा दिखलानेके लियेनिर्लज्जताकी पुस्तक पासरखनी

२९४—जो कोईमनुष्य किसीसर्व सम्बन्धीस्थान पर अथवा उसके नगीच कोई ऐसा गीत अथवा छंद गावेगा या पढ़ेगा या और कुछ बात बकेगा जिससे दूसरों को खेद हो उस को दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

निर्लज्जताकेगीत

——※——

अध्याय १५ ॥

मत सम्बन्धी अपराधों के विषय में ॥

किसी संप्रदायके मतकी निंदाके प्रयोजनसे पूजा के किसी स्थानको ज्यान पहुंचाना अथवा अपवित्र करना

२६५—जो कोई मनुष्य पूजा के किसी स्थान को अथवा और किसी बस्तु को जिसको किसी संप्रदाय के मनुष्य पूज्य मानते हों तोड़ फोड़ेगा अथवा ज्यान पहुंचावेगा अथवा भ्रष्ट करेगा इस प्रयोजन सेकि इससे किसी संप्रदाय के मत की निन्दा हो अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि किसी संप्रदाय के मनुष्य इस तोड़ फोड़ अथवा ज्यान अथवा भ्रष्टता को अपने मत की निन्दा समझेंगे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का कियाजायगा ॥

किसीमतसम्बन्धी समाजको छेड़ना

२६६—जो कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी समाज को जो निरापराध रीतिसे पूजा अथवा मत सम्बन्धी उत्सव में लगा हो छेड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस

तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

२६७—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के मन को खेद देने अथवा किसी मनुष्य केमत की निन्दा करने के प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि इससे किसी मनुष्य के मनको खेदहोगा अथवा किसी मनुष्य के मनकी निन्दा होगी किसी पूजाके स्थान में अथवा कबर स्थान में अथवा और किसी स्थान में जो मृत्यु कार्यों के लिये अथवा मरे हुओं के गाड़ने के लिये हो मुदाखलत बेजा करेगा अथवा किसी मुर्देको कुछ बे हुर्मती करेगा अथवा उन मनुष्यों के समाज को जो किसी मृत्यु कार्यके लिये इकट्ठे हुए हों छेड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एक बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

कबरस्थान इत्यादि पर मुदाखलत बेजा करनी

२६८—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के अन्तःकरण के मत के विषय में सोच बिचार और जान बूझ कर दुःख देनेके प्रयोजन से कुछ बचन कहेगा अथवा उस मनुष्य के सुनने में कोई शब्द

किसी मनुष्यके अन्तःकरणके मतकेविषयमें जान बूझकर दुःख देनेके प्रयोजनसेकुछकहना इत्यादि

करेगा अथवा उस मनुष्य के देखने में कुछ शरीर मटकावेगा अथवा उस मनुष्य की दृष्टि के सामने कुछ वस्तु रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अध्याय १६

मनुष्य के तनुसम्बन्धी अपराधों के विषयमें ॥

जीव सम्बन्धी अपराध ॥

२९९—जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करने के प्रयो-
ज्ञातवतवात जनसे अथवा तनुको ऐसा दुःख पहुंचानेके प्रयोजन से जिससे मृत्यु का होना अति सम्भवित हो अथवा यह बात जान बूझकर कि इस काम से मृत्यु होनी अति सम्भवित है कुछ काम करके मृत्यु उत्पन्न करेगा वह ज्ञातवतुघात का अपराध करने वाला कहलावेगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने किसी गढ़ेके ऊपर कुछ लकड़ियां और घास पाटदी इस प्रयोजन से कि मृत्यु उत्पन्न करे अथवा यह बात जान बूझकर कि इससे मृत्यु उत्पन्न होनी अति सम्भवित है

और विष्णु मित्र ने उस धरती को ठोस जानकर उसपर पांव रक्खा और गिरकर मरगया तो देवदत्त ने ज्ञातवत् घात का अपराध किया ॥

(इ) देवदत्तने जान लिया कि विष्णु मित्र किसी झूकटे की ओटमेंहै और यज्ञदत्त ने इस बातको न जाना देवदत्तने विष्णु-मित्रको मृत्यु करने के प्रयोजन से अथवा मृत्यु होना सम्भवित जानकर यज्ञदत्तको उस झूकटेपर बन्दूक छोड़ने के लिये बहकाया यज्ञदत्तने बन्दूक छोड़ी और विष्णु मित्र उससे मरगया तो यहां यज्ञदत्त यद्यपि किसी अपराध का अपराधी नभी हो परंतुदेवदत्तने अपराध ज्ञातवत् घातका किया ॥

(उ) देवदत्तने किसी चिड़ियाको मारकर चुरा लेजाने के प्रयोजन से बन्दूक छोड़ी और यज्ञदत्त को जो एक झूकटे के पीछे बैठा था मारा परंतु देवदत्त को मालूम न था कि यज्ञदत्त यहां बैठा है तो यद्यपि यहां देवदत्त एकअनीति काम कर रहा था तोभी अपराधी ज्ञातवत् घातका न हुआ क्योंकि उसनेयज्ञदत्तके मारने का अथवा ऐसा काम करने का जिसको वह जानता होता कि इससे मृत्यु का होना अति सम्भवितहै प्रयोजन नहीं किया ॥

विवेचन १—कोई मनुष्य जो किसी दूसरे मनुष्य को जिसे कुछ पीड़ा अथवा रोग अथवा शरीर की दुर्बलता लगरही हो कुछ शरीरका दुःख पहुंचावेगा और उससे उस मनुष्य की मृत्यु होनेमें जलदीहोगी उसकी मृत्यु करने वाला गिना जायगा ॥

विवेचन २--जब मृत्यु शरीर के दुःख के कारण हुईहो तो जो मनुष्य उस दुःख का पहुंचाने वाला

हो मृत्यु उत्पन्न करने वाला गिना जायगा यद्यपि यथोचित औषध लगाने और चतुरता से इलाज किया जाने से वह मृत्यु रुक भी सकती ॥

विवेचन ३--मारना किसी बालक का उसकी माता के गर्भ में ज्ञातवत् घात न गिना जायगा परंतु मारना किसी ऐसे जीते हुए बालक का जिसका कोई अंग बाहर निकल आया हो ज्ञातवत् घात हो सकेगा यद्यपि उस बालक ने श्वास भी नहीं हो और उसका जन्म भी न होचुका हो ॥

३००—सिवाय नीचे लिखी हुई छूटों के और सब ज्ञातघात ज्ञातवत्घात ज्ञातघात गिनी जायँगी कदाचित् वह काम जिससे मृत्यु हुई हो मृत्यु करने के प्रयोजन से किया गया हो अथवा—

दूसरे --जब वह काम कुछ ऐसा शरीरका दुःखपहुंचानेके प्रयोजन से किया गया हो जिसको अपराधी जानता हो कि इससे मृत्यु होनी उस मनुष्य को जिसको वह दुःख पहुंचाया गया है अति सम्भवित है अथवा—

तीसरे --जब वह काम किसी मनुष्य को कोई शरीर का दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से किया गया

हो और वह शरीर का दुःख जिसके पहुंचाने का प्रयोजन किया गया ऐसा हो कि प्रकृति की साधारण रीति के अनुसार मृत्यु उत्पन्न करने के लिये काफी हो अथवा—

चौथे—जब उस काम का करने वाला मनुष्य जानता हो कि यह काम ऐसी अत्यन्त जोखिम का है कि इससे मृत्यु अथवा शरीर का ऐसा दुःख होना अति सम्भवित है जिससे मृत्यु होनी दुर्लभ नहीं है और फिर भी उस काम को बिना किसी हेतु के जिससे मृत्यु करने अथवा ऊपर कहे प्रकार का शारीरक दुःख पहुंचाने की जोखिम उठानी माफ हो सके करे ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने विष्णु मित्रपर उसके मारडालने के प्रयोजन से बन्दूक छोडी और उससे विष्णु मित्र मरगया तो देवदत्त ने घातघात का अपराध किया ॥

(इ) देवदत्तने यह बात जान बूझकर कि विष्णु मित्र ऐसे किसी रोगमें फंसा है कि घूंसा मारने से उसकी मृत्यु होनी अति संभवित है उसको शरीरका दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से घूंसा मारा और विष्णु मित्र घूंसेसे मरगया तो देवदत्त घातघात का अपराधी हुआ यद्यपि प्रकृति अनुसार वह घूंसा किसी निरोगी मनुष्यके मारडालनेको काफी न भी था परंतु जब देवदत्त यह बात न जानता हो कि विष्णु मित्र किसी रोगमें है और उसके

ऐसा घूंसा मारे जो साधारण प्रकृति अनुसार निरोगी मनुष्य के मारडालनेको काफी नहो तो देवदत्त यद्यपि उसने शरीर को दुःख पहुंचने का प्रयोजन भी किया हो अपराधी ज्ञातघातका न होगा कदाचित् उसने प्रयोजन मृत्यु करने अथवा ऐसा शारीरक दुःख जिससे साधारण प्रकृति अनुसार मृत्यु होती है पहुंचाने का न किया हो ॥

(उ) देवदत्तने प्रयोजन करके विष्णुमित्रको तलवारसेघाव अथवा लट्ठसे चोट ऐसीदी जो साधारण प्रकृति अनुसार मनुष्य की मृत्यु उत्पन्न करने के लिये काफीहै और विष्णुमित्र उससे मरगया तो देवदत्त ज्ञात घातका अपराधी हुआ यद्यपि उसने विष्णुमित्रकी मृत्युका प्रयोजन न भी किया हो ॥

(ए) देवदत्तने बिना किसीहेतुके जिससे वह माफहोसकता मनुष्योंकी भीड़पर भरी हुई तोप छोड़दी और उससे एकमनुष्य मरगया तो देवदत्त अपराधी ज्ञातघात का हुआ यद्यपि उसने आगे से किसी विशेष मनुष्य को मार डालनेका मनोरथ न भी किया हो ॥

ज्ञातवत् घात किस अवस्था में ज्ञातघातन गिना जायगा

छूट—ज्ञातवत् घात उसअवस्थामें ज्ञातघात न गिना जायगा जबकि अपराधीने किसी बड़े और तत्काल क्रोध दिलाने वाले कामके कारण अपने आपे में न रहकर उस मनुष्य को जिसने वह क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न किया मारडाला हो अथवा भूल से या अकस्मात् दूसरे किसी मनुष्य को मारडाला हो ॥

परन्तु यह छूट नीचे लिखे हुये नियमों के आधीन होगी ॥

पहिले—क्रोध दिलाने का वह कारण अपराधी ने किसी मनुष्य को मारडालने अथवा दुःख पहुंचाने का निस करने के लिये उपाय करके अथवा अपनी इच्छासे कुछ हेतु करके उत्पन्न न किया हो ॥

दूसरे—क्रोध दिलाने का वह कारण किसी ऐसे काम से न हुआ हो जो क़ानून की आज्ञानुसार किया गया हो अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर ने अपना अधिकार बर्तने में किया हो ॥

तीसरे—क्रोध दिलाने का वह कारण किसी ऐसे काम से न हुआ हो जो निजरक्षा का अधिकार क़ानून अनुसार बर्तने में किया गया हो ॥

विवेचन—यह बात कि क्रोध दिलाने का कारण ऐसा बड़ा और तत्काल था या नहीं जिस्से वह अपराध ज्ञातघात गिना जाने से बचे तहक़ीक़ात के आधीन होगी ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने उस क्रोधमें जिसके दिलानेकाकारण विष्णु-मित्रने उत्पन्नकिया जान बूझकर विष्णु मित्रके बालक हरमित्रको मारडाला तो यह ज्ञातघात हुई क्योंकि क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न किया हुआ उस बालक का न था और न उस बालक की मृत्यु उस क्रोधकी अवस्थामें किसी कामके करनेसे अकस्मात् अथवा देवगतिसे होगई ॥

(इ) हरमित्रने देवदत्त को अचानक और भारी क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न किया और देवदत्तने उस क्रोधमें हरमित्रपर बिना प्रयोजन उसके मारडालने के और बिना जाने इसबातके कि इससे मृत्यु विष्णुमित्र की जो निकट खड़ा था परंतु दृष्टिसे बाहर था होगी पिस्तौल चलाया और विष्णुमित्र उससेमरगया तो यहां देवदत्त ने ज्ञातघात नहीं की परंतु ज्ञातवत्घातकी ॥

(उ) देवदत्तको विष्णुमित्र किसीबेलिफने[1] कानूनकीआज्ञानुसार पकड़ा इस पकड़ने से देवदत्त को एकाएकी अत्यन्तक्रोध हो आया और उसने विष्णुमित्र को मारडाला तो यहज्ञातघात हुई क्योंकि जो क्रोध हुआ वह ऐसे कामसे हुआजिसको एक सर्वसम्बन्धी नौकर ने अपने अधिकार को बर्त्तनेमें किया ॥

(ऊ) विष्णुमित्र नाम किसी मजिस्ट्रेट के सामने देवदत्त गवाही देनेके लिये गया विष्णुमित्र ने कहा कि हम देवदत्त की गवाही की एक बातभी सच्ची नहीं मानते हैं और देवदत्त ने हलफ दरोगी की है इन वचनों से देवदत्तको एकाएकी क्रोध हो आया और उसने विष्णुमित्र को मारडाला तो यह ज्ञातघात हुई ॥

(ऋ) देवदत्तने विष्णुमित्रकी नाक पकड़नेको हाथ चलाया विष्णुमित्र ने अपनी निजरक्षा का अधिकार बर्त्तनेमें नाक पकड़ने से रोकने के लिये देवदत्त को पकड़लिया और इस्से देवदत्त को एका एकी भारी क्रोध हो आया और उसने विष्णुमित्र को मारडाला तो यह ज्ञातघात हुई क्योंकि क्रोध ऐसे कामसेहुआ जो निज रक्षाका अधिकार बर्त्तने में किया गया ॥

(लृ) विष्णुमित्रने यज्ञदत्त को पीटा इस्से यज्ञदत्तको भारी क्रोध हो आया उसी समय देवदत्तने जो वहां खड़ा था यज्ञ-

---

१--अहल्कार विशेष

दत्तके इस क्रोधसे अपना काम निकालने और विष्णुमित्र को मरवा डालने के प्रयोजन से यज्ञदत्त के हाथमें एक छूरी देदी और उस छूरीसे यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को मारडाला तो यहां यद्यपि यज्ञदत्त अपराधी केवल ज्ञातवत्‌घात का हो परंतुदेवदत्त अपराधी ज्ञातघातका हुआ ॥

छूट २—ज्ञातवत्‌ घात उस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी जब कि अपराधी अपने तनु अथवा धन की निजरक्षा के अधिकार को शुद्ध भाव से बर्त्तनेमें क़ानून के दिये हुये अधिकार को उल्लंघन करके बिना आगे से सोच विचार किये और बिना यह प्रयोजन किये कि निजरक्षा के निमित्त जितना ज्यान पहुंचाना अवश्य है उससे अधिक पहुंचाया जाय उस मनुष्य को मारडाले जिसके मुकाबले में उस अधिकार को बर्त्तता हो ॥

उदाहरण

विष्णुमित्रने देवदत्त को चाबुक से मारने का उद्योग किया परंतु न ऐसा कि जिससे देवदत्त को भारी दुःखपहुंचे देवदत्तने पिस्तौल सामने किया तौ भी विष्णुमित्र उस उद्योग से न रुका तब देवदत्तने शुद्धभाव से यह बात निश्चय मानकर कि अब मुझको चाबुक की मारसे बचने का और कोई उपाय नहीं है विष्णुमित्र को पिस्तौल से मारडाला तो देवदत्त ने ज्ञात घात नहीं की केवल ज्ञातवत्‌घात की ॥

छूट ३--ज्ञातवत् घात उस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी जब कि उसका करनेवाला कोई सर्व सम्बन्धी नौकर होकर अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर को न्याय बाधिक काम के भुगताने में सहायता देने वाला होकर क़ानून के दिये हुये अधिकार से बढ़ जाय और किसी की मृत्यु कुछ ऐसा काम करके करडाले जिसका करना वह अपनी नौकरी यथोचित भुगताने के लिये शुद्ध भाव से और बिना रखने कुछ द्रोह साथ उस मनष्य के जिसकी मृत्यु हुई हो आवश्यक और नीति पूर्वक जानता हो ॥

छूट ४--ज्ञातवत् घात उस अवस्था में ज्ञातघात्त न गिनी जायगी जब कि वह एका एकी झगड़ा होकर लड़ाई में क्रोध की आधिक्यता के कारण बिना पहिले से विचार किये होजाय और अपराधी ने कोई अनुचित अवसर पाकर अथवा निर्दयी पन करके अथवा असाधारण रीति से कुछ काम न किया हो ॥

विवेचन--ऐसे मुकद्दमों में यह बात कुछ मुख्य न गिनी जायगी कि कौनसी ओर वाले ने क्रोध कराया अथवा पहिले उठैया किया ॥

छूट ५—ज्ञातवत् घात उस अवस्था में ज्ञातघात न गिनो जायगो जब कि वह मनुष्य जो मारागया हो अठारह बरस से ऊपर की अवस्था का हो और उसने आप अपनी मृत्यु कराई हो अथवा अपनी राजी से मृत्यु की जोखिम उठाई हो ॥

उदाहरण

देवदत्त ने जान बूझकर विष्णुमित्र एक मनुष्य से जिसकी अवस्था अठारह बरस से कमती थी बहकाकर अपघात कराई तो ज्ञातघात में सहायता की क्योंकि यहां विष्णुमित्र अपनी अवस्था के कारण अपनी मृत्यु कराने के लिये अपना राजी देने को असमर्थ था इसलिये देवदत्त ज्ञातघात का सहायी हुआ ॥

ज्ञातवत् घात किसी ऐसे मनुष्य की मृत्यु करानेसे जो उस मनुष्यसे जिसके मारडालने का प्रयोजन था भिन्न हो।

३०१--कदाचित् कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिससे वह किसी मनुष्य की मृत्युहोने का प्रयोजन रखता हो अथवा मृत्यु होनी अति सम्भवित जानता हो उस मनुष्य की मृत्यु करावे जिसकी मृत्यु से न तो उसका प्रयोजन हो और न वह आप उसका होना अति सम्भवित जानता हो तो वह ज्ञातवत् घात उसी प्रकार की गिनी जायगी जैसी कि उस अवस्था में होती जब कि उसने उसी मनुष्य की मृत्यु कराई हो तो जिसकी मृत्यु से उसका प्रयोजन था

अथवा जिसकी मृत्यु होनी उसने आप अति सम्भवित जानली थी ॥

ज्ञात घात का दंड

३०२--जो कोई मनुष्य ज्ञातघात करेगा उसको दंड बध[1] का अथवा जन्म भरके देश निकाले का किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

दंड उस ज्ञातवत् घात का जो कोई जन्म म्यादी बंधुआ करडाले

३०३--जो कोई मनुष्य दंड जन्मभर के देशनिकाले का पाकर ज्ञात घात करेगा उसको दंड बध का दिया जायगा ॥

दंड ऐसी ज्ञातवत्घात का जो ज्ञातघातके तुल्य नहो

३०४--जो कोई मनुष्य करनेवाला किसी ऐसी ज्ञातवत् घात का होगा जो ज्ञातघात के तुल्य नहो उसको दंड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा दोनोंमें से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्यहोगा कदाचित् वह काम जिस्से मृत्युहुई मृत्यु करने के प्रयोजन से अथवा ऐसा शारीरिक दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से जिस्से मृत्यु का होना अति सम्भवित हो किया गया हो अथवा जब वह

१—बधको फांसी और देशनिकालेको कालापानी भी कहतेहैं ।

काम जिससे मृत्यु हुई यह बात जान बूझ कर कि इससे मृत्यु होनी अति सम्भवित है परन्तु बिना प्रयोजन मृत्यु कराने अथवा ऐसा शारीरक दुःख पहुंचाने के जिससे मृत्यु का होना अति सम्भवितहो किया गया हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्मानेका अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बालक अथवा सिड़ी म नुष्य को अपघात करने में सहायता पहुंचानी

३०५—कदाचित् अठारह बरस से कमती अवस्थाका कोई मनुष्य अथवा कोई सिड़ी मनुष्य अथवा कोई उन्मत्त मनुष्य अथवा कोई जन्म मूर्ख अथवा ऐसा मनुष्य जो नशा पिये हो अपघात करे तौ जो कोई मनुष्य उस अपघात में सहायता देगा उसको दंड बध का अथवा जन्म भरके देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस से अधिक न होगी किया जायगा और जुर्मानेके भी योग्यहोगा ॥

अपघातमेंसहायता देनी

३०६—कदाचित् कोई मनुष्य अपघात करे तो जो कोई उस अपघात में सहायता देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद

का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

३०७—जो कोई मनुष्य कुछ काम इस प्रयोजन से ज्ञात घातका उद्योग अथवा यह जान बूझकर और ऐसी अवस्था में करेगा कि कदाचित् इस काम से किसी की मृत्यु होजायगी तौ मैं ज्ञातघात का अपराधी हूंगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकारकीक़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और जब उसी काम से किसी मनुष्य को दुःख पहुंच जाय तौ वह अपराधी या तौ जन्मभर के देश निकाले या पहिले कहेहुये दंडके योग्य होगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्रके ऊपर उसके मारडालने के प्रयोजन से ऐसी अवस्था में बन्दूक़ छोड़ी जब कि कदाचित् विष्णुमित्रकी मृत्यु होजाती तौ देवदत्त ज्ञात घात का अपराधी गिना जाता तौ देवदत्तने ज्ञातघातकी और इस दफ़ाके अनुसार दंड पानेके योग्य हुआ ॥

(इ) देवदत्तने थोड़ी अवस्था के एक बालककी मृत्यु करने के प्रयोजन से उसको ऐसे ठौर जहां कोई मनुष्य न जाता था छोड़दिया तौ देवदत्तने इस दफ़ामें लक्षण किया हुआ अपराध किया यद्यपि उस बालक की मृत्यु न भी हुई हो ॥

(ङ) देवदत्तने विष्णु मित्रको मारडालनेके प्रयोजन से एक बन्दूक मोल लेकर भरी तो तब तक देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध नहीं किया फिर देवदत्त ने वह बन्दूक विष्णु मित्र पर छोड़ी तो इस दफ़ा में लक्षण किये हुये अपराध का अपराधी हुआ और कदाचित् उसबन्दूकके छोड़ने से विष्णु मित्र को घायल भी किया तो देवदत्त इस दफ़ा के पिछले भागमें ठहराये हुये दंडके योग्य हुआ ॥

(च) देवदत्तने विष्णु मित्र को विषसे मारडालनेके प्रयोजन से विष मोल लेकर भोजनमें जो उसीके पास रहता था मिला-दिया तो तबतक देवदत्तने इस दफ़ामें लक्षणकिया हुआ अप-राध नहीं किया फिर देवदत्तने वही भोजन विष्णु मित्रके आगे रक्खा अथवा आगे रखने के लिये विष्णु मित्रके नौकरोंको दिया तो देवदत्त इस दफ़ामें लक्षण किये हुये अपराध का अपराधी हुआ ॥

३०८—जो कोई मनुष्य कुछ काम इस प्रयोजन से ज्ञातवत् घात करनेका अथवा यह जान बूझ कर और उद्योग ऐसी अवस्था में करेगा कि कदाचित् उस काम से किसी की मृत्यु हो जायगी तो मैं ऐसे ज्ञातवत् घात का अपराधी हूंगा जो ज्ञातघात के तुल्य नहीं है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥ —*—

उदाहरण

(अ) देवदत्तने एका एकी किसी भारी क्रोध दिलाने वाले कामके कारण विष्णु मित्र के ऊपर ऐसी अवस्थामें पिस्तौलचलाया जब कि कदाचित् विष्णु मित्र की मृत्यु होजाती तो देवदत्तउस ज्ञातवत् घात का अपराधी गिना जाता जो कि ज्ञातघात के तुल्य नहीं है तो देवदत्तने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

अपघात करनेकाउदयोग

३०९—जो कोई मनुष्य अपघात करने का उद्योग करके उस अपराध के मद्दे कुछ काम करेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

ठग

३१०—जो कोई मनुष्य इस क़ानूनके जारी होने से पीछे ज्ञातघात के द्वारा अथवा ज्ञातघात समेत डाका डालने अथवा बालकों के चुराने के लिये किसी दूसरे मनुष्य अथवा मनुष्यों से बहुधा मेल रक्खेगा ठग कहलावेगा ॥

दंड

३११—जो कोई मनुष्य ठग होगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले काकिया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

——※——

पेट गिराने और बिना जन्मे बालकों को हानि पहुंचाने और जन्मे हुये बालकों को बाहर डाल आने और जन्नाछुपाने के विषय में ॥

३१२—जो कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी गर्भवती स्त्री का पेट गिरावेगाउसको कदाचित् वह गर्भपात शुद्ध भाव से उस स्त्रीका जीव बचाने के प्रयोजन से न किया गया हो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा--और कदाचित् गर्भ पक गया हो अर्थात् बालक के जीव पड़गया हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

पेट गिराना

विवेचन—जो कोई स्त्री आप अपना पेट गिरावे इस दफ़ाके अर्थ में अपराधिनी गिनी जायगी ॥

३१३—जो कोई मनुष्य पिछली दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध बिना स्त्री की राज़ी के करेगा चाहे गर्भ

बिना स्त्री की राज़ीपेट गिराना

उस स्त्री का कच्चा हो चाहै पक्का उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

मृत्यु जो किसीऐसे काम के करनेसे होजाय जो पेट गिरानेके प्रयोजन से किया गयाहो

३१४—जो कोई मनुष्य किसी गर्भवती स्त्रीका पेट गिराने के प्रयोजन से कोई ऐसा काम करेगा जिससे उस स्त्री की मृत्यु होजाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह काम बिना स्त्री की राजी के किया जायगा तो दंड या तो जन्म भर के देश निकाले का या जैसा कि ऊपर कहा गया है किया जायगा ॥

कदाचित् वहकामबिना स्त्री की राजीके हो

विवेचन—इस अपराध में कुछ यह अवश्य नहीं है कि अपराधी उस काम से मृत्यु का होना अति सम्भवित जानता हो ॥

३१५—जो कोई मनुष्य किसी बालक के पैदा होने से पहिले उसका जीता हुआ पैदा होना रोकने अथवा पैदा होने से पीछे मरजाने के प्रयोजन से कुछ करेगा औरउससेउस बालक का जीता हुआ पैदा होना रुक जायगा अथवा वह पैदा होकर मर जायगा उसको कदाचित् वह काम शुद्ध भाव से उस बालक की माताका जीव बचाने के निमित्त न किया गया हो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

कोईकामजो इसप्रयोजन से किया जायकिबालक जीताहुआ पैदा न होने पावेअथवा पैदा होनेसे पीछे मरजाय

३१६—जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसी अवस्था में जब कि उसकामसे मृत्यु का होजाना उसको अपराधी ज्ञातवत् घातका बनावेकरेगाऔर उसकामसे मृत्युकिसी बालक की जो जन्मा नहो परंतुजिस में जीव पड़गया हो होजायगी उसकोदंड दोनों में से किसीप्रकारकीक़ैदका जिसकीम्याद दशबरसतकहोसकेगी कियाजायगा और जुर्मानेकेभी योग्यहोगा ॥

मृत्यु करनी किसीबालक की जो पैदा न हुआ हो परंतु गर्भ में जीव पड़गया हो कुछ ऐसा काम करके जो ज्ञातघात केसमान हो

उदाहरण

देवदत्तने यह बात जानबूझकर कि इसकामके करनेसे किसीगर्भवती स्त्रीकी मृत्युहोनी अतिसम्भवितहै कोईऐसाकामकिया कि कदाचित् उससेउसस्त्रीकी मृत्युहोजातीतौ वहकामज्ञातघात के समान गिनाजाता उसस्त्रीको दुःखतौहुआ परन्तु मरीनहींहां उसके गर्भमें जो बालकथा और उसमें जीवभी पड़गयाथा उस बालककीमृत्यु उस दुःखके पहुंचनेसेहोगई तौ देवदत्त इसदफ़ा में लक्षणकिये हुए अपराधका अपराधीहुआ ॥

२१७—जो कोई मनुष्य बारहबरससे कमती अवस्था के किसी बालकका बाप अथवा मा अथवा रक्षक होकर उस बालक को किसीजगह में डाल आवेगा अथवा छोड़ आवेगा इस प्रयोजन से कि यह सदैव को मुझसे छूट जाय उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

बाहर डाल आना अथवा छोड़देना बारह बरस से कमती अवस्था के बालक का उसके मा या बापकी ओरसे अथवा और किसी मनुष्यकी ओरसे जिस की रक्षामें वह हो

विवेचन---इस दफ़ा से यह प्रयोजन नहीं है कि कदाचित् बाहर डाल आने के कारण बालक मरजाय तौ अपराधी पर अपराध ज्ञातघात का अथवा ज्ञातवत् घात का जैसी अवस्था हो न लगाया जाय ॥

३१८—जो कोई मनुष्य किसी बालक की लोथको
जन्मा छिपाना बालक की लोथको गुप चुप अलग करके — गुप चुप गाड़कर अथवा और
किसी भांति अलग करके उस
का पैदा होना जान बूझ कर
छुपावगा अथवा छुपानेका उद्योग करेगा चाहे वह
बालक पैदाहोने से पहिले मराहो चाहै पीछे उस
को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिस
की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का
अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

दुःख केविषय में ॥

३१९—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के शरीर को
दुःख — दर्द अथवा रोग अथवा बलहीन-
तापहुंचावेगा वह दुःख पहुंचाने वाला कहा जायगा ॥

३२०—केवल नीचेलिखे हुए प्रकारों का दुःख भारी
भारीदुःख — दुःख कहलावेगा ॥

प्रथम--हिजड़ा करना ॥

दूसरे-- किसी एक आंखि के देखने से सर्वत्र को
रहित करना ॥

तीसरे--किसी एक कान के सुननेसे सदैवको रहित करना ॥

चौथे--किसी अंग अथवा जोड़से रहित करना ॥

पांचवें--किसी अंग अथवा जोड़ को सदैव का नष्ट अथवा बलहीन करना ॥

छठे--सदैव को सिर अथवा चेहरे को कुरूप करना ॥

सातवें--किसी हड्डी अथवा दांत को तोड़ना अथवा उखाड़ना ॥

आठवें--कोई दुःख जिससे जीव की जोखिम हो अथवा जिससे वह मनुष्य जिसको दुःख दिया जाय बीस दिन तक कठिन शारीरक पीड़ा सहे अथवा अपना साधारण उद्यम न कर सके ॥

३२१—जो कोई मनुष्य कुछ काम इस प्रयोजनसे जानबूझकर दुःख देना करेगा कि इससे किसी मनुष्य को दुःख पहुंचे अथवा यह बात जान बूझ कर कि इससे किसी मनुष्य को दुःख पहुंचना अति सम्भवित है और उस कामसे किसी मनुष्य को दुःख पहुंचजाय तो कहा जायगा कि उसने जानमान कर दुःख पहुंचाया ॥

जान मान कर भारी दुःख पहुंचाना

३२२—जो कोई मनुष्य जानमान कर दुःखपहुंचावेगा और कदाचित् वह दुःख जिसके पहुंचानेसे उसका प्रयोजन हो अथवा जिसका पहुंचना उसने आप अति सम्भवित जान लिया हो भारी दुःख होगा और जो दुःख उसने पहुंचाया हो वह भी भारी होगा तौ कहा जायगा कि उसने जान मान कर भारी दुःख पहुंचाया ॥

विवेचन--कोई मनुष्य जान मान कर भारी दुःख पहुंचाने वाला न कहलावेगा सिवाय इसके कि उसने भारी दुःख पहुंचाया हो और भारी दुःख पहुंचाने का प्रयोजन भी कियाहो अथवा भारी दुःख पहुंचाना आप अति सम्भवित जान लिया हो परन्तु जब एक प्रकार का भारी दुःख पहुंचाना उसका प्रयोजन हो अथवा उसने आप अति सम्भवित जान लिया हो और उससे दूसरे प्रकार का भारी दुःख पहुंचजाय तौ कहलावेगा कि उसने जान मान कर भारी दुःख पहुंचाया ॥

उदाहरण

देवदत्तने विष्णुमित्र का चेहरा सदैव को कुरूप करदेने के प्रयोजन से अथवा कुरूप होना अति संभवित जानकर एक घूंसा

विष्णुमित्र के मारा जिस्से विष्णुमित्र का चेहरा तो न बिगड़ा परंतु उसने कठिन शरीर का दुःख बीस दिन तक पाया यहां देवदत्तने जान मान कर भारी दुःख पहुंचाया ॥

जान मान कर दुःख पहुंचाने का दंड

३२३—जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३४ में लिखी हुई अवस्था के और किसी अवस्था में जान मान कर दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जान मान कर जोखिम के हथियारों से अथवा उपायों से दुःख पहुंचाना

३२४—जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३४ में लिखी हुई अवस्था के और किसी अवस्था में जान मान कर फेंक कर मारने अथवा हूल लगाने अथवा काटने के हथियार से अथवा और किसी औजार से जिसको मारडालने के हथियार की भांति काम में लाने से मृत्यु का होना अति सम्भवित हो अथवा आग से अथवा गरम वस्तु से अथवा किसी विष से अथवा शरीरको गलित करने

वाली वस्तु से अथवा अग्नि की भांति उड़ने वाली वस्तु से अथवा और किसी वस्तु से जिस को श्वासके द्वारा लेने या निगलने या रुधिर में पहुंचाने से मनुष्य के शरीर को अचेतता होती हो अथवा किसी पशु से किसी को दुःखपहुंचावेगा उसकोदंड दोनोंमेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जान मान कर भारीदुःख पहुंचाने का दंड

३२५—जो कोईमनुष्य दफ़ा ३३५ में लिखीहुई अवस्था के सिवाय और किसी अवस्था में जान मान कर भारी दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

जोखिमके हथियारों अथवा उपायों से जानमानकरभारीदुःख पहुंचानेका दंड

३२६—जोकोई मनुष्यसिवाय दफ़ा३३५ में लिखी अवस्था के और किसी अवस्था में जान मान कर फेंक कर मारने अथवा हूल लगाने अथवा काटने के हथियार से अथवा और किसी औज़ार से जिसको मार डालने के हथियार की भांति काम में लाने से

मृत्यु का होना अति सम्भवित हो अथवा आग से अथवा गरम वस्तु से अथवा किसी विष से अथवा शरीर को गलित करने वाली वस्तु से अथवा अग्नि की भांति उड़ने वाली वस्तु से अथवा और किसी वस्तु से जिसको श्वास के द्वारा लेने या निगलने या रुधिर में पहुंचाने से मनुष्य के शरीर को अचेतता होती हो अथवा किसी पशु से किसी को भारी दुःख पहुं-चावेगा उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अ-थवा दोनोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

दबा कर माल लेलेने के लिये अथवा दबाकर अनुचित काम लेनेकेलिये जान मान कर दुःख पहुंचाना

३२७—जो कोई मनुष्य जान मान कर दुःख पहुं-चावेगा इस निमित्त कि उस दुःख सहने वाले से अथवा जो मनुष्य उस दुःख सहने वाले में स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई माल मिलकियत अथवा दस्तावेज लेले अथवा दबाकर कोई ऐसा काम ले जो अनीति हो अथवा जिससे किसी अपराध के करने में सुगमता मिलती हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दश

बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

३२८—जो कोई मनुष्य किसी को कोई विष अथवा अचेत करने वाली या नशा करने वाली या अवगुण करने वाली वस्तु अथवा और कोई वस्तु उस मनुष्य को दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा कोई अपराध करने या अपराध का होना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि इससे दुःख पहुंचेगा खिलावेगा या खिलवादेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दशबरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

दुःख पहुंचाने इत्यादि के प्रयोजन से अचेतकरनेवाली औषधि खिलाना

३२६—जो कोई मनुष्य जान मान कर भारी दुःख पहुंचावेगा इस निमित्त कि उस भारी दुःख के सहनेवाले से अथवा जो मनुष्य उस में स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई माल मिलकियत अथवा दस्तावेज लेले अथवा

दबाकरमाल लेने के निये अथवा दबाकर कोई अनुचित काम कराने के लिये जान मान करभारी दुःख पहुंचाना

दबाकर कोई ऐसा काम ले जो अनीति हो अथवा जिससे किसी अपराध के करने में सुगमता मिलती हो उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

दबाकर इकरार कराने अथवा दबाकर कुछमाल फेर लेनेकेलिये जान मानकर दुःख देना

३३०—जो कोई मनुष्य जान मान कर दुःख पहुंचावेगा इस निमित्त कि दुःख सहने वालेसे अथवा जो मनुष्य उस में स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई इकरार करावे अथवा कोई खबर जिससे पता किसी अपराधका अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराधका लगसके पूछे अथवा इस निमित्त कि दुःख सहने वालेसेथा जोमनुष्य उसमें स्वार्थ रखताहो उससे दबाकर कोईमालअथवा दस्तावेज फेरे या फिरावे अथवा कोईदावा या तगादा चुकावे अथवा ऐसी मुखबरी जिससे किसी माल अथवा दस्तावेज का फेर पाना सुगम हो करावे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्मानेके भी योग्य होगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त एक पुलिस के अहलकारने विष्णु मित्र को इस लिये दुःख दिया कि दबाकर विष्णु मित्र से किसी अपराध के करने का इकरार करावे तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ ॥

(इ) देवदत्त एक पुलिस के अहलकार ने यज्ञदत्त से यह बात दबाकर पूछने के लिये कि चोरी का फलाना माल कहां रक्खा है दुःख दिया तो देवदत्त इस दफ़ाके अनुसार अपराधी हुआ ॥

(उ) देवदत्त एक माल के अहलकार ने विष्णु मित्र को इस लिये दुःख दिया कि उससे दबाकर मालगुजारी की बाकी का वाजिबी रुपया वसूल करे तो देवदत्त इस दफ़ाके अनुसार अपराध का अपराधी हुआ ॥

(ए) देवदत्त एक जिमींदार ने किसी रैयतको इसलिये दुःख दिया कि दबाकर उससे लगान वसूलकरे तो देवदत्त इसदफ़ाके अनुसार अपराध का अपराधी हुआ ॥

दबाकर इकरार कराने अथवा दबाकर कुछमाल फेरलेनेकेलिये जान मान कर भारीदुःख देना

३३१—जो कोई मनुष्य जान मान कर भारी दुःख पहुंचावेगा इस निमित्त कि उस भारी दुःख सहने वाले मनुष्य से अथवा जो मनुष्य उस में कुछ स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई इकरार करावे अथवा कोई खबर जिससे पता किसी अपराधका अथवा चाल चलन सम्बन्धी अपराध का लगसके पूछे अथवा इस निमित्त कि दुःख सहने वाले से या जो

मनुष्य उस में स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई माल अथवा दस्तावेज फेरे या फिरावे अथवा कोई दावा या तगादा चुकावे अथवा ऐसी मुखबरी जिससे किसी माल अथवा दस्तावेज का फेर पाना सुगम हो करावे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दश बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्मानेके भी योग्य होगा ॥

सर्बसम्बन्धी नौकरको जान मानकर दुःख पहुंचाना इसलिये कि वह अपने ओहदे का काम करने से डर जाय

३३२—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जोसर्बसम्बन्धी नौकर हो और अपने ओहदे का काम भुगताता हो जान मान कर दुःखपहुंचावेगा अथवा इसलिये पहुंचावेगाकि वह मनुष्य अथवा और कोईसर्व सम्बन्धीनौकरअपनी नौकरी का काम भुगताने से रुक जाय या डरजाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी का कोई काम क़ानून अनुसार भुगताया अथवा भुगताने का उद्योग किया उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्वसम्बन्धी नौकर को जान मान कर भारी दुःख पहुंचाना इस लिये कि वह अपने ओहदे का काम करने से रुक जाय

३३३—जो कोई मनुष्य जान मान कर किसी मनुष्य को जो सर्वसम्बन्धी नौकर हो और अपने ओहदे का काम भुगताता हो भारी दुःख पहुंचावेगा अथवा इस प्रयोजन से पहुंचावेगा कि वह मनुष्य अथवा और कोई सर्व सम्बन्धी नौकर अपनी नौकरी का काम भुगताने से रुक जाय या डर जाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी का कोई काम क़ानून अनुसार भुगताया अथवा भुगताने का उद्योग किया उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

क्रोध उत्पन्न करने वाले काम के कारण जान मान कर दुःख पहुंचाना

३३४—जो कोई मनुष्य भारी और एकाएकी क्रोध दिलाने वाले काम के कारण जान मान कर किसी को दुःख पहुंचावेगा उसको कदाचित् यह प्रयोजन उसका न हो और न वह आप यह बात अतिसम्भवित जानता हो कि इससे सिवाय उस मनुष्य के जिसने क्रोध दिलाया

दूसरे किसी मनुष्यको दुःख पहुंचेगा दंड दोनोंमें से किसी प्रकारकी क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

क्रोध दिलाने वाले काम के कारण भारी दुःख पहुंचाना।

३३५—जो कोई मनुष्य किसी भारी और एका एकी क्रोध दिलाने वाले काम के कारण जानमानकर किसी कोभारीदुःखपहुंचावेगा उस को कदाचित् यह प्रयोजन उसका न हो और न वह आप यह बात अति सम्भवित जानता हो कि इससे सिवाय उसमनुष्यके जिसने क्रोधदिलाया दूसरे किसी मनुष्य को भारी दुःख पहुंचेगा दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद चार बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

विवेचन—पिछली दोनों दफ़ा उन्हीं नियमों के आधीन होंगी जिनके कि दफ़ा ३०० की पहिली छूट है ॥

दण्ड ऐसे कामका जिससे दूसरेके जीव अथवा शारीरक कुशलकी जोखिम हो।

३३६—जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से करेगा जिससे औरोंके जीव अथवा शारीरक कुशल की जोखिम हो उसको दंड दोनोंमेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो अढ़ाई सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दुःख पहुंचाना किसी ऐसे काम से जिससे औरों के जीव अथवा शारीरक कुशल की जोखिम हो।

३३७—जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से जिससे औरों के जीव अथवा शारीरक कुशल की जोखिम होकरके दुःखपहुंचावेगा उसको दंड दोनोंमेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

भारी दुःख पहुंचाना किसी ऐसे काम से जिससे औरों के जीव अथवा शारीरक कुशल की जोखिम हो।

३३८—जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से जिससे औरों के जीव अथवा शारीरक कुशल की जोखिम होकरके भारी दुःख पहुंचा

वेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

—०—

अनीति रोक और अनीति
वन्धि के विषय में ॥

३३६—जो कोई मनुष्य जानमानकर किसीमनुष्य
अनीति रोक
को इस भांति रोकेगा जिससे वह मनुष्य उस ओर को जिधर जाने का उसे अधिकार हो जाने से रुक जाय उस मनुष्य को अनीति से रोकने वाला कहलावेगा ॥

छूट--रोकना किसी ऐसी गैलका जो सर्व सम्बन्धी नहो चाहै धरती की हो चाहै पानी की और जिस को रोकने का कोई मनुष्य शुद्ध भाव से अपने को क़ानून अनुसार अधिकारी मानता हो इस दफ़ा के अर्थ में अपराध न गिना जायगा ॥

उदाहरण

देवदत्तनेएकरास्ते को जिसमेंचलनेका विष्णु मित्रअधिकार था रोका और देवदत्त काशुद्धभावसे इसबात का निश्चयनथा कि मुझको

इस गैलके रोकने का अधिकार है इस रोकने से विष्णुमित्र वहां होकर निकलने से रुकगया तो देवदत्तने विष्णुमित्रको अनीति रीतिसे रोक पहुंचाई ॥

३४०—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति रोक इस भांति पहुंचावेगा जिससे वह मनुष्य किसी नियत सीमा केबाहर जानेसे रुक जाय वह उस मनुष्य को अनीति बन्धि करने वाला कहलावेगा ॥

अनीति बन्धि

उदाहरण

(अ) देवदत्तने विष्णुमित्र को भीतिसे खिचेहुये किसी मकान में करके ताला लगादिया इस्से विष्णुमित्र उस घेरकी भीति के बाहर किसी ओर जाने से रुक गया तो देवदत्तने विष्णुमित्र को अनीति बन्धिमें रक्खा ॥

(इ) देवदत्तने किसी मकान के द्वारपर बंदूक बांधेहुये मनुष्य बैठादिये और विष्णुमित्र से कहदिया कि जो तू मकान से बाहर निकलने का उद्योग करेगा तो वे लोग तुझपर बंदूक छोड़ेंगे यहां देवदत्तने विष्णुमित्र को अनीति बन्धि में रक्खा ॥

३४१—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति रोक पहुंचावेगा उसको दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांचसो रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अनीति रोक का दंड

अनीति बन्धि का दंड

३४२--जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बन्धि में रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

तीनदिनतक अथवा उस्से अधिक दिनतक अनीति बन्धि में रखना

३४३--जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को तीन दिन तक अथवा उससे अधिक दिन तक अनीति बन्धिमेंरक्खेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दसदिनतक अथवा उस्से अधिक दिनतक अनीति बन्धि में रखना

३४४--जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दश दिन तक अथवा इससे अधिक दिन तक अनीति बन्धि में रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

३४५—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बन्धि में यह बात जानबूझ कर कि इसके छोड़देनेके लिये परवाना यथोचित जारी होचुका है रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी सिवाय उस म्यादकी क़ैद के जो इस अध्याय के किसी और दफ़ा के अनुसार हो सकती हो किया जायगा ॥

अनीति बन्धि में रखना ऐसे मनुष्य को जिसके छोड़देनेके लिये परवाना जारी हो चुका हो

३४६—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बन्धि में इस भांति रक्खेगा जिससे प्रयोजन उसका यह पाया जाय कि उस मनुष्य का बन्धि में होना कोई मनुष्य जो बन्धिकिये हुए मनुष्य से कुछ स्वार्थ रखता हो अथवा कोई सर्वसम्बन्धी नौकर जान न ले अथवा बन्धि की जगह को ऊपर कहे प्रकार का कोई मनुष्य अथवा सर्वसम्बन्धी नौकर जान न सके अथवा खोज न पावे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी सिवाय उस दंड के किया जायगा जिसके योग्य वह उस अनीति बन्धि के कारण हो ॥

अनीतिबन्धि में गुप्तरखना

दबाकर माल लेलेने अथवा कोई अनीति काम दबा कर कराने के प्रयोजनसे नीति बन्धि

३४७—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बन्धि में इस निमित्त रक्खेगा कि उससे अथवा और किसी मनुष्य से जो उस में स्वार्थ रखता हो कुछ माल मिलकियत अथवा दस्तावेज दबाकर लेले अथवा उस बन्धि किए हुए मनुष्य से या उस मनुष्य से जो उसमें स्वार्थ रखता होदबा-कर कोई अनीति काम कराले अथवा कोई ऐसी खबर जिससे किसी अपराधका होना सुगम होता हो पूछे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

दबाकर इकरार कराने अथवा दबा कर माल फिरवानेके लिये अनीति बन्धि

३४८—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बन्धिमें इसनिमित्त रक्खेगा कि उससे अथवा और किसी मनुष्य से जो उस में स्वार्थ रखता हो दबाकर इकरार करावे अथवा कोई खबर जिससे खोज किसी अपराध का अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराध का लग सकता हो पूछे अथवा इसनिमित्त कि बन्धि किये हुए मनुष्य से अथवा और किसी मनुष्य से जो उस में स्वार्थ रखता हो

दबाकर कोई माल मिलकियत अथवा दस्तावेज फेर ले अथवा फिरवाले अथवा कोई दावा या तगादा चुकाले अथवा कुछ ऐसी खबर जिससे कोई माल मिलकियत अथवा दस्तावेज फिरसके पूछले उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥



अनीति बल और ठठैया ॥

३४९—कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य पर बल करने बल वाला कहलावेगा जब कि वह उस दूसरे को चलायमान करे अथवा उसकी चलायमानता को बदले या उसको चलायमानता को ठहरावे अथवा किसी वस्तु को इस भांति चलायमानता में डाले या उसकी चलायमानता को बदले या उसकी चलायमानता को ठहरावे जिससे वह वस्तु उसदूसरे मनुष्य के किसी अंगको छूजाय अथवा और किसी वस्तुको जो वह पहने हुए हो या लिये जाता हो अथवा किसी वस्तु को जो इस प्रकार से रक्खी हो कि उसको छूना उस मनुष्य के त्वचाइन्द्री को खेद पहुंचाता हो छूजाय परन्तु

नियम यह है कि जिस मनुष्य ने उस चलायमानता को किया अथवा चलायमानता को बदला अथवा चलायमानता को ठहराया वह उस चलायमानता के करने को अथवा चलायमानता के बदलने को अथवा चलायमानता के ठहराने को नीचे लिखी हुई तीन भांतों में से किसी एक भांति से करे ॥

प्रथम-- अपने शरीर के बल से ॥

दूसरे-- किसी वस्तु को इस भांति रखकर कि जिससे बिना कुछ और काम उसकी ओर से अथवा किसी दूसरे मनुष्य की ओर से किये जाने के वह वस्तु चलायमान होजाय अथवा उसकी चलायमानता बदल जाय अथवा ठहरजाय ॥

तीसरे-- किसी पशु को चलायमान करके अथवा उसकी चलायमानताको बदलकर या ठहरा कर ॥

अनीति बल

३५०— जो कोई मनुष्य प्रयोजन करके किसी मनुष्य के साथ बिना उस मनुष्य की राजी के बल करेगा इसलिये कि कुछ अपराध करे अथवा इस प्रयोजन से या यह बात अति सम्भवित जान कर कि इस बल के करने से उस मनुष्य को जिस के साथ बल किया जाता है कुछ

हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो कहला-चेगा कि उसने उस मनुष्य के साथ अनीति बल किया ॥

उदाहरण

(अ) विष्णुमित्र किसी नदीमें लंगर पड़ीहुई एक नावपर बैठा था देवदत्तने लंगर खोल दिये और इसभांति जान मानकर नाव को नदी में बहाया तो यहां देवदत्त ने प्रयोजन करके विष्णुमित्र को चलायमानता में डाला और यह काम उसने एक वस्तु को इस प्रकार से रख कर किया कि जिससे बिना उसकी ओर से अथवा और किसी मनुष्य की ओर से कुछ और काम किये जाने के लिये चलायमानता उत्पन्न होगई इसलिये देवदत्त ने जान मान कर विष्णुमित्र के साथ बलकिया और कदाचित् यह उसने विष्णुमित्र की बिना राजी के इस प्रयोजनसे किया हो कि कुछ अपराध करे अथवा यह प्रयोजन करके या यह बात अति सम्भवित जानकर कि इसबलके करने से विष्णुमित्र को हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ अनीति बल किया ॥

(इ) विष्णुमित्र एक रथमें चला जाता था देवदत्तने विष्णुमित्र के घोड़ों को चाबुक मारकर जल्दी चलाया तो यहां देवदत्त ने घोड़ोंसे उनकी चलाय मानता बदलवाकर विष्णुमित्र की चलायमानता को बदला इसलिये देवदत्तने विष्णुमित्र के साथ बल किया और कदाचित् देवदत्त ने यह काम विष्णुमित्र की राजी के बिना इस प्रयोजन से अथवा यह बात अतिसम्भवित जान कर किया हो कि इस्से विष्णुमित्र को हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने अनीति बल किया ॥

(उ) विष्णुमित्र पालकी में चढ़ाजाताथा देवदत्तने विष्णुमित्र के लूटनेके प्रयोजन से बांस पकड़कर पालकी ठहराली तो यहां देवदत्तने विष्णुमित्र की चलायमानता ठहराई और यह काम उसने अपने शरीरके बलसे किया इसलिये देवदत्तने विष्णुमित्र के साथ बलकिया और जो कि देवदत्तने यह बल जानबूझकर बिना विष्णुमित्रकी राजी के एक अपराध करने के प्रयोजन से किया इसलिये देवदत्तने विष्णुमित्रके साथ अनीतिबलकिया ॥

(ए) देवदत्त ने जान बूझ कर गली में विष्णुमित्र को रेला दिया तो यहां देवदत्त ने अपने शरीर को अपने ही बल से ऐसा चलायमानकिया कि वह विष्णुमित्रको छूगया इसलिये उसने जानबूझकर विष्णुमित्र के साथ बलकिया और कदाचित् देवदत्त ने यह काम विष्णुमित्र की राजी के बिना इस प्रयोजन से अथवा यहबात अति संभावित जान कर किया हो किइस्सेविष्णुमित्र को हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो उसने विष्णुमित्र के साथ अनीति बलकिया ॥

(ऋ) देवदत्त ने एक पत्थर इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर फेंका कियह पत्थर विष्णुमित्र से अथवा विष्णुमित्रके कपड़ों से अथवा और किसी वस्तु से जिसे विष्णुमित्र लिये जाता हो मिल जायगा अथवा पानीमें लगकर विष्णुमित्र के कपड़ों पर या और किसी वस्तु पर जो विष्णुमित्र लिये जाता हो छींट डालेगा और कदाचित् उस पत्थर के फेंकने से यह होजाय कि कुछ वस्तु विष्णुमित्र से अथवा विष्णुमित्र के कपड़ों से अथवा और किसी वस्तु से जो विष्णुमित्र लिये जाता हो मिलजाय तो देवदत्तने विष्णुमित्रके साथ बल किया और कदाचित् यहबात उसने विष्णुमित्र की राजीके बिना इस प्रयोजनसे कीहोकि इस्से विष्णुमित्रको हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ अनीति बलकिया ॥

(ल) देवदत्तने जान बूझकर किसी स्त्री का घूंघुट खोल दिया तो यहां देवदत्त ने जानबूझकर बलकिया और कदाचित् यह काम उसने उस स्त्रीकी राजीकेबिना इस प्रयोजनसे किया हो कि इस्से उसको कुछ हानि अथवा डर अथवा क्लेशपहुंचेगा तो उसने उस स्त्रीके साथ अनीति बल किया ॥

(ओ) विष्णु मित्र नहारहा था देवदत्त ने नहाने की जगह में जानबूझकर खौलता पानीडालदिया तो यहां देवदत्तने जान बूझकर अपने शरीर के बल से खौलते पानी को ऐसी चलायमानता में डाला जिस्से उसपानीने विष्णु मित्रके अंगको अथवा और पानी को जो इस प्रकार से रक्खाथा कि उसके छूनेसे अवश्य विष्णु मित्रके ज्ञानेन्द्रियों को चोट पहुंचे इसलिये देवदत्त नेजान बूझकर विष्णु मित्र के साथ बल किया और कदाचित् उसने यहकाम विष्णु मित्रकी राजीके बिना इसप्रयोजनसेअथवा यहबात अति सम्भवित जान कर किया हो कि इससे विष्णुमित्र को हानि या डर या क्लेश पहुंचेगा तो देवदत्तने विष्णु मित्रके साथ अनीति बलकिया ॥

(औ) देवदत्तने विष्णु मित्र की राजीके बिना विष्णु मित्रपर एक कुत्तासुस्कार दिया यहांकदाचित् देवदत्तका प्रयोजनविष्णु-मित्रको हानि या डर या क्लेश पहुंचाने सेहो तो उसने विष्णु-मित्रके साथ अनीति बल किया ॥

३५१—जो कोई मनुष्य कुछ इशारा अथवा उपाय उठैया इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर करे कि इस इशारे अथवा उपाय से कोई मनुष्य जो वहां मौजूद हो

यह समझे कि यह इशारा अथवा उपाय करनेवाला मनुष्य मेरे साथ अनीति बल करने को है तो कहा जायगा कि उसने उठैया किया ॥

विवेचन---केवल बात कहना उठैया न गिना जायगा परन्तु कहने वाले मनुष्य के इशारों अथवा उपायों के अर्थ को बातें ऐसा कर सकेंगी जिससे वे इशारे अथवा उपाय उठैये के बराबर गिने जायें ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की ओर अपना घूंसा हिलाया इस प्रयोजनसे अथवा यहबात अति संभावित जानकर कि इससे विष्णुमित्र निश्चय मानेगा कि देवदत्त मुझको पीटनेकोहै तो देवदत्त ने उठैया किया ॥

(इ) देवदत्त एक कटखने कुत्ते की मगॅरकली खोलने लगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इस से विष्णुमित्र निश्चय मानेगा कि देवदत्त इस कुत्ते को मेरे ऊपर छोड़ने को है---तो देवदत्त ने विष्णुमित्र पर उठैया किया ॥

(उ) देवदत्त ने विष्णुमित्र से यह कह कर कि मैं तुमको पीटूंगा एकलकड़ी उठाई तो यहां यद्यपि वह बात जो देवदत्त ने कही किसी भांत उठैया नहीं हो सकती और न वह उपाय अर्थात् लकड़ी का उठाना उठैया गिना जाता जब तक कि उसके साथ और कोई बात न हो तो परन्तु जब उस उपाय का अर्थ उन बातों के साथ में लगाया जाय तो उठैया हो सकेगा ॥

दंड अनीति बल का सिवाय इसके कि भारी क्रोध दिलानेवाले काम के कारण किया जाय,

३५२—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर उठैया करेगा अथवा उसके साथ अनीति बल करेगा सिवाय इसके कि उस मनुष्य के दिलाए हुए एका एकी और भारी क्रोध में आकर ऐसा करे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

विवेचन—एका एकी और भारी क्रोध का कारण होनेसे इस दफ़ा के अपराध का दंड कमती न होसकेगा कदाचित् वह क्रोध अपराधी ने अपराध करने के मिसके लिये आपही कराया हो अथवा—

जब वह क्रोध किसी ऐसे कामसे हुआ हो जो क़ानून अनुसार किया गया अथवा किसी सर्वसम्बन्धी नौकरने अपनी नौकरीका अधिकार क़ानून अनुसार भुगताने में किया हो अथवा—

जब वह क्रोध किसी ऐसे कामसे हुआ हो जो निजरक्षा के अधिकारको क़ानून अनुसार बर्तनेमें कियागयाहो॥

यह बात देखनी कि क्रोध ऐसा एका एकी और

ऐसा भारी था या नहीं था जो दंड घटाने के लिये काफी हो तहकीकात के आधीन होगी ॥

३५३—जो कोई मनुष्य उठैया अथवा अनीति बल किसी ऐसे मनुष्य पर करेगा जो सर्वसम्बन्धी नौकर हो और अपनी नौकरी का काम भुगताता हो अथवा इस प्रयोजन से कि वह मनुष्य अपनी नौकरी का काम भुगताने से रुक जाय या डर जाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी का काम क़ानून अनुसार भुगताया या भुगताने का उद्योग किया उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसीसर्वसम्बन्धीनौकरके साथ अनीति बल करना इस लिये कि वह अपने ओहदे का काम भुगताने से डरजाय

३५४—जो कोई मनुष्य किसी स्त्री पर इस प्रयोजनसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि इससे इसकी लज्जा बिगड़ेगी उठैया अथवा अनीति बल करेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी स्त्रीपर उसकी लज्जा बिगाड़ने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीति बल करना

किसी मनुष्यको बेइज्जत करनेके प्रयोजनसे उठैया अथवा अनीतिबल करना सिवाय इसकेकि उसमनुष्य के दिलाए हुए एकाएकी और भारीक्रोध में आकर किया जाय

३५५—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की इज्जत बिगाड़नेके प्रयोजनसे उसपर उठैया अथवा अनीति बल करेगा सिवाय इसके कि उस मनुष्य ने उस को भारी और एकाएकी क्रोध होने का कारण कियाहो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

कुछवस्तु जिसे कोईमनुष्य लियेजाताहो छीनलेनेका उद्योग करने में उठैयाअथवा अनीति बल करना

३५६—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यसे कोई वस्तु जिसे वह पहने हो अथवा लिये जाता हो छीन लेने का उद्योग करनेमें उसपर उठैया अथवा अनीति बल करेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अनीति बन्धिमें रखनेका उद्योग करनेमें उठैया अथवा अनीतिबलकरना

३५७—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बन्धिमें रखने का उद्योगकरने में उस पर उठैया अथवा अनीति बल करेगा उसको दंड

दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा

३५८—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर उसके दिलाये हुये एका एकी और भारी क्रोध में आकर उठैया अथवा अनीति बलकरे गा उस को दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

सकायकी और भारी क्रोध में आकर उठैया अथवा बल करना

विवेचन—पिछली दफ़ा उसी विवेचन के आधीन हो गी जिसकी कि दफ़ा ३५२ है

—※—

जबरदस्ती पकड़ले जाने और बहकाले जाने और गुलामी में रखने और बेगार कराने के विषय में॥

३५९—पकड़ लेजाना दो प्रकार का है हिन्दुस्थान के अंगरेज़ी राज्य में से पकड़ लेजाना और नीति पूर्वक रक्षक की रक्षा में से पकड़ लेजाना॥

पकड़लेजाना

३६०—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बिना राज़ी उसकी के अथवा और किसी मनुष्य की के जिस को क़ानून अनुसार उसकी ओर से राज़ी बोलने का अधिकार हो हिन्दुस्थान के अंगरेजी राज्य की सीमा से बाहर पहुंचावेगा तो कहलावेगा कि वह उस मनुष्य को हिन्दुस्थान के अंगरेजी राज्य में से पकड़ ले गया ॥

हिन्दुस्थान के अंगरेजी राज्यमेंसे पकड़ लेजाना

३६१—जो कोई मनुष्य किसी बालक को जिसकी अवस्था लड़का हो तो चौदह बरस से नीचे और लड़की हो तो सोलह बरस से नीचे हो अथवा किसी सिड़ी मनुष्य को उसके नीति पूर्वक रक्षक की रक्षा में से बिना उस रक्षक की राज़ी के ले जायगा अथवा बह-का ले जायगा तो कहलावेगा कि वह उस बालक अथवा सिड़ी मनुष्य को नीति पूर्वक रक्षा में से पकड़ लेगया ॥

नीति पूर्वक रक्षा में से पकड़ लेजाना

विवेचन—इस दफ़ा में नीति पूर्वक रक्षा शब्द में कोई मनुष्य जिसको बालक अथवा सिड़ी मनुष्य की

चौकसी अथवा रक्षा क़ानून अनुसार सौंपी गई हो गिना जायगा ॥

छूट—यहदफ़ा किसी ऐसेमनुष्यके कामसे सम्बन्ध न रक्खेगी जो अपने को शुद्धभाव से किसी कम असल बालक का बाप निश्चय मानता हो अथवा शुद्धभाव से यह जानता हो कि इस बालकको अपनी रक्षा में लेने का मैं अधिकारी हूं सिवाय इस के कि वह काम किसी दुराचार अथवा अनीति काम के निमित्त किया गया हो ॥

बहका लेजाना

३६२---जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को किसी जगहसे चलेजानेके लिये बल से दबावेगा अथवा किसी धोखे से बहकावेगा त कहा जायगा कि वह उस मनुष्यको बहका ले गया ॥

पकड़ लेजाने का दण्ड

३६३---जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को हिन्दुस्थान के अंगरेजी राज्य में से अथवा उसके रक्षककी नीति पूर्बक रक्षा मेंसे पकड़ले जायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मारडालने के लियेपकड़ लेजाना अथवा बहका लेजाना

३६४—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इसलिये पकड़ ले जायगा अथवा बहका ले जायगा कि वह मनुष्य मारा जाय अथवा ऐसी अवस्था में रक्खा जाय जिससे उसके मारे जाने की जोखिम होतो उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवाकठिन क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तकहो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त विष्णुमित्र को हिन्दुस्थान के अंगरेजी राज्य में से इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभावित जान कर पकड़ लेगया कि विष्णुमित्र किसी देवताके सामने बलिदान किया जाय तो देवदत्तने इसदफ़ामें लक्षण कियाहुआ अपराध किया ॥

(इ) देवदत्त यज्ञदत्त को उसके घरमेंसे बल करके अथवा बहकाकर लेगया इसलिये कि यज्ञदत्त माराजाय तो देवदत्तने इसदफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

किसीमनुष्यको छुपाछुपी और अनीति रीति से बन्धिमें रखने के प्रयोजन से पकड़ लेजाना अथवा बहका लेजाना

३६५—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इस प्रयोजन से पकड़ ले जायगा अथवा बहका ले जायगा कि वह छुपा छुपी और अनीति बन्धि में डाला जाय उसको दंड

दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्मानेके भी योग्य होगा ॥

किसी स्त्री को दबा कर ब्याह करानेइत्यादि के लिये पकड़ लेजाना अथवा बहका लेजाना

३६६—जो कोई मनुष्य किसी स्त्री को पकड़ ले जायगा अथवा बहका ले जायगा इस प्रयोजन से कि वह किसी मनुष्य के साथ अपनी राजी के बिना ब्याह करने को दबाई जाय अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह इस भांति दबाई जायगी अथवा इसलिये कि वह व्यभिचार करने के लिये दबाई जाय अथवा बहकाई जाय अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि वह व्यभिचार करने के लिये दबाई अथवा बहकाई जायगी उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने केभी योग्य होगा ॥

किसी मनुष्य को भारी दुःखदेने अथवा गुलामी मेरखनेइत्यादि के लिये पकड़ लेजाना अथवा बहका लेजाना

३६७—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को पकड़ ले जायगा अथवा बहका ले जायगा इस प्रयोजन से कि वह मनुष्य भारी दुःख अथवा गुलामी अथवा किसी मनुष्य को

स्वभाव विरुद्ध कामातुरता सहे अथवा ऐसी अवस्था में रक्खा जाय जहां इन बातों में से किसी के सहने की जोखिम हो अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि वह मनुष्य यह बातें सहेगा अथवा सहने की जोखिम में डाला जायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

पकड़ लेगये हुये मनुष्य का छुपाना अथवा बन्धि में रखना

३६८—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को यह बात जान बूझ कर कि यह पकड़ लाया गया अथवा बहका लाया गया है अनीति रीति से छुपावेगा अथवा बन्धि में रक्खेगा उसको दंड उसी भांति किया जायगा मानों वह आप उस मनुष्य को उसी प्रयोजन और उसी ज्ञान से अथवा उसी निमित्त से पकड़ लेगया अथवा बहका ले गया जिससे कि उसने उस मनुष्यको छुपाया अथवाबन्धि में रक्खा ॥

३६९—जो कोई मनुष्य दश बरस की अवस्था से नीचे के किसी बालक को उस के शरीर पर से कुछ बे धर्मई करके उतार लेने के प्रयोजन से पकड़ ले जायगा अथवा बहका ले जायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

पकड़लेजाना अथवाबहकालेजाना दशबरससेनीचेकेबालक का इस प्रयोजनसे कि उसके शरीर परसेकुछबस्तु लेले

३७०—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को गुलाम की भांति इस देश में लावेगा अथवा इससे बाहर ले जायगा अथवा एक ठौर से दूसरी ठौर पहुंचावेगा अथवा मोल लेगा अथवा बेचेगा अथवा दे डालेगा अथवा किसी मनुष्य को गुलाम की भांति स्वीकार करेगा या लेगा या उसकी राजी के बिना रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

किसीमनुष्यको गुलामकरकेबेचना अथवा अलगकरना

३७१—जो कोई मनुष्य गुलामों को व्यापार के लिये इस देश में लावेगा अथवा इससे बाहर ले जायगा अथवा एक ठौर से

गुलामी का ब्यापार

दूसरी ठौर पहुंचावेगा अथवा मोल लेगा अथवा बेचेगा अथवा बेचने खरीदने का व्यापार या व्यवसाय करेगा उसको दंड जन्म भरके देश निकालेका अथवा दोनों मेंसे किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

बेश्यापनइत्यादि कामोंके लिये किसी बालकको बेचना अथवा किराये पर देना

३७२—जो कोई मनुष्य सोलहबरससे कमतीअवस्थाकेकिसी बालकको बेश्यापन कराने अथवा अनीति और अधर्मका कामलियाजाने के प्रयोजन से अथवा ऐसा काम लिया जाना अति सम्भवित जानकर बेचेगा अथवा किराये पर भेजेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

बेश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी बालकको मोल लेना अथवा अपने पास रखना

३७३—जो कोई मनुष्य सोलह बरस से कमती अवस्था के किसी बालक को बेश्यापन कराने अथवा अनीति और अधर्मका काम लिया जाने के प्रयोजन से अथवा ऐसा काम लिया जाना अति सम्भवित जान कर

मोल लेगा अथवा किराये पर रक्खेगा अथवा और किसी भांति अपने पास रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

अनीति बेगार

३७४—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को उसकी राजी के बिरुद्ध अनीति रीति से दबाकर काम लेगा अर्थात् बेगार करावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

—०—

बलसहित व्यभिचार ॥

बल सहित व्यभिचार

३७५—जो कोई मनुष्य सिवाय आगे लिखी हुई छूट के किसी स्त्री के साथ नीचे लिखे हुये पांच प्रकारों मेंसे किसी प्रकारसे संभोग करेगा तो कहा जायगा कि उसने बल सहित व्यभिचार किया ॥

प्रथम—उसकी राजी के बिरुद्ध ॥

दूसरे—उसकी राजीकेबिना ॥

तीसरे—उसकी राजी से जब कि वह राजी

उसको मृत्यु अथवा दुःख का डर दिखा कर ली-गई हो॥

चौथे—उसकी राजी से जब कि वह पुरुष जानता हो कि मैं इसका पति नहीं हूं और इसके राजी होने का हेतु यह है कि यह मुझको कोई दूसरा पुरुष जानती है जिसको वह नीति पूर्वक ब्याही है अथवा ब्याही हुई मान रहीहै॥

पांचवें—उसकी राजी से चाहे बिना राजी जब कि वह दश बरस से कमती अवस्था की हो॥

विवेचन—प्रवेश का होजाना उस संभोग में जो बल सहित व्यभिचार के अपराध के लिये अवश्य है काफी समझा जायगा॥

छूट—अपनी जोरू के साथ जब कि वह दश बरस से कमती अवस्था की न हो संभोग करना बल सहित व्यभिचार न गिना जायगा॥

बल सहित व्यभिचारका दंड

३७६—जो कोई मनुष्य बल सहित व्यभिचार करेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दशबरसतक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा॥

स्वभावविरुद्ध अपराध ॥

३७७—जो कोई मनुष्य जान मान कर किसी स्वभाव विरुद्ध अपराध पुरुष अथवा स्त्री अथवा पशु के साथ प्रकृति की रचना के विरुद्ध संभोग करेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

विवेचन—जो सम्भोग कि इस दफ़ा में वर्णन किये हुये अपराध के लिये अवश्य है उसमें प्रवेश का हो-जाना काफी समझा जायगा ॥

———※———

अध्याय १७

धन सम्बन्धी अपराधों के विषय में ॥

चोरी

३७८—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के क़ब्ज़े में से कुछ अस्थावर वस्तु उसकी राजी के बिना बे धर्मई से ले जाने के प्रयोजन से

उस वस्तुको इस भांति ले जाने के लिये हटावेगा तो कहाजायगा कि उसने चोरी की ॥

विवेचन १— कोई वस्तु जब तक कि वह धरती से लगी हुई हो अस्थावर नहीं है इसलिये चोरी नहीं जा सकती परन्तु जभी धरती से छुड़ाई जाय चोरी जासकती है ॥

विवेचन २ --हटाना किसी वस्तु का वही काम करके जिससे उसका छुड़ाना होता है चोरी गिनो जा सकेगी ॥

विवेचन ३ —जैसे कोई मनुष्य किसी वस्त काहटाने वाला कहलाता है जब कि वह उस वस्तु को उसकी जगह से हटावे ऐसे हो उस अवस्था में भी कहला-वेगा जब कि वह उस रोक को जिससे वह वस्तु अपनी जगहसे हटने से रुक रही हो हटावे अथवा जब कि उसको किसी दूसरी वस्तु से अलग करे ॥

विवेचन ४—कोई मनुष्य जो किसी पशु को किसी उपाय से हटावे उस पशु का और प्रत्येक वस्तु का जिसे वह पशु अपने इस भांति हटाये जाने के कारण हटावे हटाने वाला कहलावेगा ॥

विवेचन ५—वह राजी जिसका जिक्र इस अपराध के लक्षण में आया है चाहे प्रकट दी गई हो चाहे अ-

प्रकट और चाहे उस मनुष्य नेदी हो जिसके क़ब्ज़े में वह वस्तु हो चाहे और किसी मनुष्य ने जिसको उसके देने का अधिकार प्रकट अथवा अप्रकट प्राप्ति हो ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की धरतीका कोई पेड़काटा इस प्रयोजन से कि बिना विष्णुमित्र की राज़ी के उस पेड़को विष्णुमित्र के क़ब्ज़े में से बेधर्मई करके उठा लेजाय तोयहां जिससमय देवदत्त ने इसप्रकार से लेजानेके लियेपेड़ काटाउसी समय चोर होगया ॥

(इ) देवदत्त ने कुत्तों के पोटने की वस्तुअपनी जेबमें रख-ली और इस प्रकारसे विष्णुमित्र के कुत्तेको अपनेसंगलगालिया यहां कदाचित् देवदत्त का प्रयोजन उस कुत्तेको विष्णुमित्र के क़ब्ज़े में से बिना विष्णुमित्रकी राज़ीके बेधर्मई से लेजानेका हो तो जिस समय विष्णुमित्रका कुत्ता देवदत्तके संगचलाउस समय देवदत्त चोर होगया ॥

(उ) देवदत्त को कोई बैल खजाने के सन्दूक से लदाहुआ मिल गया और उसने उस बैल को किसी ओर इस प्रयोजन से हांकदिया कि खजानेको बेधर्मईसेलेले तो जिससमय बैलहांका उसी समय देवदत्त खजाने का चोर होगया ॥

(ऋ)देवदत्तजो विष्णुमित्रका नौकरथा उसकोचौकसीमेंविष्णु-मित्रने अपने चांदी सोनेके बर्त्तन रखदिये औरउन बर्त्तनों को विष्णुमित्र की राज़ीके बिना देवदत्त लेकर भाग गयातोदेवदत्त चोर हुआ ॥

(ल) विष्णुमित्र ने देशाटन कोजाते समय अपनेचांदीखाने के बर्तन देवदत्तको जो मालिक किसी गोदामका था अपनेलौट आने तकके लिये सौंपदिये देवदत्तने उनबर्तनोंकोकिसीसुनार केपास लेजाकर बेच दियातो यहां बर्त्तन विष्णुमित्रके कब्जे में नथे इसलिये विष्णुमित्र के कब्जे से उनको लेजाना भी नहीं हो सकता औरन देवदत्त चोर हुआ यद्यपि उसनेधरोहर में दंड योग्य विश्वास घात कियाहो ॥

(ए) देवदत्तने विष्णुमित्रकी अंगूठी एक मेजपर उसी घरमें जिसमें विष्णुमित्र रहता था पाई यहां वहअंगूठी विष्णुमित्र के कब्जे में थी और कदाचित् देवदत्त उसको बेधर्मई से उठा लेजाता तो चोर होता ॥

(ऐ) देवदत्त ने एक अंगूठी जो किसी मनुष्य के कब्जे में न थी सड़क पर पड़ी पाई तो देवदत्त उसके उठा लेने से चोर न होगा यद्यपि यह हो सकेगा कि उसने दंडयोग्य तसर्रुफ किया ॥

(ओ) देवदत्त ने विष्णुमित्रकी अंगूठी विष्णुमित्रकेघरमेंएक मेजपर पड़ी देखी परन्तु तलाशी होने और पास निकलआने केडरसे देवदत्तको हियाव न पड़ कितुरन्त उसअंगूठीकोतसर्रुफ करे परंतु उसने उस अंगूठी को ऐसे ठौर जहां कुछ सम्भवित नथा कि विष्णुमित्र उसको कभी पावेगा छुपा दिया इस प्रयोजन से कि जब इस अंगूठी का खोजाना विष्णुमित्र भूल जायगा तब मैं इस ठौर से निकाल कर इसको बेचलूंगा तो यहां देवदत्त उस अंगूठी को पहलेही उठाते समय चोर होगया ॥

(औ) देवदत्तने अपनी घड़ी मरम्मतके लिये विष्णुमित्र किसी घड़ी बनाने वाले को दी और विष्णुमित्र उसे अपनी दुकान पर लेगया और देवदत्त पर विष्णुमित्र का कुछ ऐसा करज नहीं आता था जिसके बदले वह उस घड़ीको क़ानून अनुसार

दबा रखसकता देवदत्त खुलाखुली दुकानमें घुसगया और विष्णु-मित्र के हाथ से जबरदस्ती अपनी घड़ी लेकर चलाआया तो यहां यद्यपि देवदत्तने अपराध मुदाखलत बेजा और उठैया का किया परंतु चोरी नहीं की क्योंकि जो कुछ किया सो बेधर्मई से नहीं किया ॥

(अः) कदाचित् देवदत्त घड़ीकी मरम्मत के बदले विष्णु मित्र का कुछ धराता होता और विष्णु मित्र घड़ी को उस धरातेकी जामिनी की भांति क़ानून अनुसार दबा रखसकता और तब देवदत्त उस घड़ी को विष्णु मित्र के क़ब्ज़े से यह प्रयोजन करके कि विष्णु मित्र के पास उस वस्तु को उसके धराते की जामिनी की भांति न रहने दे लेजाता तो चोर कहलाता क्योंकि तब लेजाना उसका बेधर्मई से होता ॥

(क) और कदाचित् देवदत्त अपनी घड़ी को विष्णु मित्र के पास गहने रखकर विष्णु मित्र के क़ब्ज़े से बिना उसकी राज़ी के और बिना चुकाने उस ऋण के जो घड़ीपर लियाथा लेजाता तो यद्यपि घड़ी उसी का माल था देवदत्त चोर होता क्योंकि तब लेजाना उसका बेधर्मई से होता ॥

(ख) देवदत्त ने विष्णु मित्र की कोई वस्तु विष्णु मित्र के क़ब्ज़े से बिना उसकी राज़ी के लेली इस प्रयोजन से कि जब तक विष्णु मित्र से उसके फिरपाने के बदले कुछ इनाम न पाऊंगा तब तक उसको अपने पास रक्खूंगा तो यहां देवदत्त ने वह वस्तु बेधर्मई से ली इसलिये देवदत्त चोर हुआ ॥

(ग) देवदत्तका व्यवहार विष्णु मित्र के साथ मित्रताकाथा और विष्णु मित्र के पुस्तकालयमें उस समय जब विष्णु मित्रमौजूद न था

गया और एक पुस्तक को बिना विष्णुमित्र की प्रगट राजी के केवल पढ़ने के लिये उठा लाया इस प्रयोजन से कि फिर छोड़दूंगा तो यहां सम्भवितहै कि देवदत्तने यह जाना हो कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिये लेजाने की मुझ को विष्णुमित्र की आज्ञाहै और वह आज्ञा यद्यपि प्रकट नहीं है परंतु समझी गई है और कदाचित् देवदत्त ऐसाही समझा हो तो उसने चोरी नहीं की ॥

(च) देवदत्तने विष्णुमित्र की स्त्री से कुछ खैरात मांगी और उसने देवदत्तको द्रव्य और भोजन और वस्त्र जिनको देवदत्त जानता था कि उसके पति विष्णुमित्रके दियेहैं यहां देवदत्त का यह समझना सम्भवित है कि विष्णुमित्र की स्त्री को खैरात देने का अधिकारथा और कदाचित् देवदत्त ऐसाही समझा हो तो उसने चोरी नहीं की ॥

(छ) देवदत्त विष्णुमित्र की स्त्री का यारथा उसस्त्रीने देवदत्त को कुछ मोलदार वस्तु जिसको देवदत्त जानता था कि उसके पति विष्णुमित्र की है और ऐसी वस्तु के देदेने का अधिकार उस स्त्री को विष्णुमित्र से नहीं मिला है देदी तो कदाचित् देवदत्त ने वह वस्तु बेधर्मई से ली तो चोर हुआ ॥

(ज) देवदत्तने शुद्धभावसे विष्णुमित्रकी किसी वस्तुको अपनी वस्तु जानकर यज्ञदत्त के पास से लेलिया तो यहां देवदत्त ने वह वस्तु बेधर्मई से नहीं ली इसलिये चोर न हुआ ॥

३७६--जो कोई मनुष्य चोरी करेगा उसको दंड
चोरी का दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

३८०—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मकान अथवा

चोरी किसी मकान अथवा तम्बू अथवा नावमें

तम्बू अथवा नाव में जो मनुष्य के रहने की जगह की भांति अथवा माल असबाब रखने के लिये काम में हो चोरी करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

३८१—जो कोई मनुष्य गुमाश्ता अथवा नौकर

जब कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने मालिक के पास से कोई वस्तु चुरावे

होकर अथवा गुमाश्ते या नौकरके काम पर होकर कुछ वस्तु अपने मालिक अथवा कामपर लगानेवाले के पास से चुरावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

३८२—जो कोई मनुष्य चोरी करने के लिये अथवा

चोरी करने के प्रयोजन से किसी को मार डालने अथवा दुःख पहुंचाने का उपाय करके चोरी करना

चोरी करके भागजाने के लिये अथवा चोरी के माल को बचा रखने के लिये किसी की मृत्यु करने अथवा दुःख देने अथवा रोक रखने अथवा मृत्यु या दुःख या रोक का डर दिखाने का उपाय

करके चोरी करेगा उसको दण्ड कठिन क़ैद का जिस-की म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णु मित्र के कब्जे से माल चुराया और चोरी करते समय एक भराहुआ तमंचा अपने कपड़े के नीचेरख लिया इस निमित्त कि कदाचित् विष्णु मित्र रोकेगा तो विष्णु मित्र को इस तमंचेसे मारदूंगा तो देवदत्तने इस दफ़ा में लक्षणकिया हुआ अपराध किया ॥

(इ) देवदत्तने विष्णु मित्र की जेबकाटी और उस समय अपने कई साथियों को विष्णु मित्र के दायें बांयें इसलिये लगारक्खा कि कदाचित् विष्णु मित्र जेबकटतीहुईदेखले और रोकनाचाहे अथवा देवदत्त को पकड़ने का उद्योग करे तो वे उसको रोकलें यहां देवदत्तने इस दफ़ामें लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

—※—

दबाकरलेने के विषय में ॥

३८३ जो कोई मनुष्य प्रयोजन करके किसी मनुष्य को कुछ डर हानि पहुंचाने का दिखावेगा चाहै वह डर उसी मनुष्य की हानिका हो कि जिसे डरदिखायागया चाहै और किसी को और इस उपाय से कुछ वस्तु अथवा दस्तावेज

दबाकर लेना

अथवा मोहर या दस्तखत की हुई कोई वस्तु जिससे दस्तावेज बन सके उस मनुष्य से जिसको डर दिखाया बे धर्मई करके किसी को दिलावेगा दबाकर लेनेवाला कहलावेगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने धमकी दी कि जो विष्णुमित्र इतना रुपया मुझको न देगा तो मैं उसके अपयश की कोई बात प्रकट कर दूंगा और इस उपायसे उसने विष्णुमित्र का दबाकर रुपया लिया तो देवदत्तने दबाकर लेने का अपराध किया ॥

(इ) देवदत्तने विष्णुमित्र को धमकीदी कि मैं तेरे बालक को अनीति बान्धमें रक्खूंगा नहीं तो अपने दस्तखत करके मुझको एक तमस्सुक देदे जिसमें लिखाहो कि विष्णुमित्र देवदत्त को इतना रुपया देगा विष्णुमित्रने दस्तखत करके तमस्सुक उसको देदिया तो देवदत्त दबकार लेने का अपराधी हुआ ॥

(उ) देवदत्तने विष्णुमित्र को धमकी दी कि मैं लठैत भेजकर तेरा खेत जुतवालूंगा नहीं तो तू अपने दस्तखत करके एक तमस्सुक यज्ञदत्त का इस बात का लिखदे कि विष्णुमित्र फलानी पैदावारी यज्ञदत्तको देगा और न दे तो इतने जुर्माने के योग्य होगा—देवदत्तने इस भांति दबाकर तमस्सुक पर विष्णुमित्र के दस्तखत करा लिये तो देवदत्त ने दबाकर लेने का अपराध किया ।

(ऋ) देवदत्तने विष्णुमित्र को भारी दुःख पहुंचानेकी धमकी से दबाकर बे धर्मई से कोरे कागजपर दस्तखत करालिये तो यहां वह कागज जिसपर इसभांति दस्तखत कराये गये दस्तावेज बनसक्ती है इसलिये देवदत्त दबाकर लेनेका अपराधी हुआ ॥

३८४--जो कोई मनुष्य दबा कर लेनेका अपराधी

दबा कर लेनेका दंड होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

३८५--जो कोई मनुष्य दबा कर लेनेका अपराध

दबाकर लेनेकेलियेकिसी मनुष्य को हानिपहुंचाने का डर दिखाना

करनेके लिये किसी मनुष्य को कुछ हानि पहुंचाने का डर दिखावेगा अथवा डर दिखाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

३८६—जो कोई मनुष्य दबा कर लेनेका अपराध

किसीमनुष्यकोमृत्युअथवा भारी दुःखका डर दिखाकर दबा कर लेना

किसी मनुष्य को मृत्यु का अथवा भारी दुःख का डर दिखा कर करेगा चाहे वह डर उसी मनुष्य की मृत्यु या भारी दुःख का हो जिसको डर दिखाया गया चाहे और किसी की उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दश

बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

दबा कर लेनेके लिये किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःखकाडर दिखाना

३८७--जो कोई मनुष्य दबा कर लेनेके लिये किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखावेगा अथवा दिखाने का उद्योग करेगा चाहै वह डर उसी मनुष्य की मृत्यु या भारी दुःख का हो जिसको डर दिखायागया चाहै और किसी की उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

बध अथवा देश निकाले इत्यादिदंड के योग्यकिसी अपराध की तोहमत लगाने का डर दिखाकर दबाकर लेना

३८८--जो कोई मनुष्य दबा कर लेने का अपराध किसी मनुष्य को डर इसबात का दिखा कर करेगा कि मैं तुझ को अथवा और किसी मनुष्य को तोहमत किसीऐसे अपराध के करने की अथवा करने का उद्योग करने की अथवा करने के लिये किसी मनुष्य को बहकाने की लगाऊंगा जिसका दंड बध अथवा जन्मभर का देश निकाला अथवा दश बरस तक की क़ैद है उसको

दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध इस संग्रह की दफ़ा ३७७ के अनुसार दंड योग्य हो तौ दंड जन्मभर के देश निकाले का हो सकेगा ॥

दबाकर लेने के प्रयोजन से किसी मनुष्य का अपराध लगाने की तोहमत का डर दिखाना

३८६—जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध करनेके लिये किसी मनुष्यको डर इस बात का दिखावेगा अथवा दिखाने का उद्योग करेगा कि मैं तुझको अथवा और किसी मनुष्य को तोहमत किसी ऐसे अपराध के करने की अथवा करने का उद्योग करने की लगाऊंगा जिसका दंड बध अथवा जन्मभर का देश निकाला अथवा दश बरस तक की क़ैद है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध इस संग्रह की दफ़ा ३७७ के अनुसार दंड के योग्य हो तौ दंड जन्म भर के देश निकाले का हो सकेगा ॥

जोरी और डकैती के विषयमें ॥

३६०—जोरी में या तो चोरी होती है या

जोरी दबा कर लेना ॥

चोरी कब जोरी गिनी जायगी

कदाचित् चोरी करने के लिये अथवा चोरी करनेमें अथवा चोरी का माल लेजाने या लेजाने का उद्योग करने में अपराधी जान मान कर किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा दुःख अथवा अनीति बन्धि करे अथवा करने का उद्योग करे अथवा डर तत्काल मृत्यु का अथवा तत्काल दुःख का अथवा तत्काल अनीति बन्धि का दिखावे तौ वह चोरी जोरी गिनी जायगी ॥

दबा कर लेना कब जोरी कहलावेगा

कदाचित् दबा कर लेने का अपराध करते समय अपराधी डर दिखाये हुये मनुष्य के सामने हो और उस मनुष्य को डर उस को या और किसी मनुष्य को तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुःख देने का अथवा तत्काल अनीति बन्धि में रखने का दिखावे और इस भांति डर दिखा कर उस डर दिखाये हुये मनुष्य से उसी समय और उसी स्थान पर दबा कर कुछ लले तौ ऐसा दबा कर लेना जोरी गिना जायगा ॥

विवेचन—अपराधी का सामनेही होना कहा जायगा जब कि वह इतना नजीक हो कि उस मनुष्य को डर तत्काल मृत्यु अथवा तत्काल दुःख अथवा तत्काल अनीति बन्धिका दिखासके ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने विष्णु मित्रका दबोचलिया और बिना विष्णु मित्रकी राजीके छलकरके विष्णु मित्र की द्रव्य और गहना उसके वस्त्रोंमसे लेलिया यहां देवदत्तने चोरी की और उस चोरीकेकरने के लिये विष्णु मित्र को जान मान कर अनीति बन्धि में रक्खा इसलिये देवदत्त ने जोरी की ॥

(इ) देवदत्तका विष्णु मित्र सड़कपर मिला देवदत्तने विष्णु मित्र को तमंचा दिखाया और उसको थैली मांगी विष्णु मित्र ने डर के मारे थैली देदी तो यहां देवदत्तने विष्णु मित्र को तत्काल दुःख का डर दिखा कर थैली दबा कर ली और दबाकर लेने का अपराध करनेके समय उसके सामने था इसलिये देवदत्त ने जोरी की ॥

(उ) देवदत्त को विष्णु मित्र और विष्णु मित्र का बालक सड़क पर मिले देवदत्तने उस बालक को पकड़ लिया और विष्णु मित्र को धमकी दी कि तू अपनी थैली मुझे न दे देगा तो मैंइस बालक को खार में फेंक दूंगा विष्णु मित्र ने डर के मारे थैली देदी तो यहां देवदत्तने विष्णु मित्र को उस बालक को जो वहां मौजूद था तत्काल दुःख देनेका डर दिखा कर विष्णु मित्र से थैली दबाकर ली इसलिये देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ जोरी की ॥

(घ) देवदत्त ने विष्णुमित्र से कुछ माल यह कह कर लिया कि तेरा बालक हमारी जमायत के हाथमें है जो तू दशहज़ार रुपये हमको न भेज देगा तो वह बालक मारा जायगा—यह दबा कर लेना हुआ और उसी अनुसार दंड के योग्य है परंतु जोरी नहीं हुई क्योंकि विष्णुमित्र को उसके बालक की तत्काल मृत्यु का डर नहीं दिखाया गया ॥

डकैती

३९१—जब पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्य मिल कर जोरी करें या करने का उद्योग करें अथवा जब गिनती उन मनुष्यों की जो मिल कर जोरी करें या करने का उद्योग करें और उन मनुष्यों की जो वहां मौजूद हों और जोरी करने या करने का उद्योग करने में सहायता दें पांच अथवा पांच से अधिक हों तो उन में से हर-एक मनुष्य डकैती करने वाला कहलावेगा ॥

जोरी का दंड

३९२—जो कोई मनुष्य जोरी करेगा उस को दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् जोरी सूर्य्य ऊगने और सूर्य्य डूबने के बीच में सड़क पर की जाय तो क़ैद की म्याद चौदह बरस तक हो सकेगी ॥

३६३—जो कोई मनुष्य चोरी करने का उद्योग करेगा उसको दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

चोरी के उद्योग का दंड

३६४—कदाचित् कोई मनुष्य चोरी करने में अथवा चोरी करने का उद्योग करने में जान मान कर दुःख पहुंचावेगा तो उस मनुष्य को और हर एक मनुष्य को जो उसका साथी चोरी करने में अथवा चोरी करने का उद्योग करने में हो दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

चोरी करने में जान मान कर दुःख पहुंचाना

३६५—जो कोई मनुष्य डकैती करेगा उसको दंड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

डकैती का दंड

३६६—कदाचित् उन पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्यों में से जो मिलकर डकैती करें डकैती करने में कोई एक भी ज्ञातघात

डकैती के साथ ज्ञात घात

करेगा तौ उन मनुष्यों में से हर एक को दंड बध का अथवा जन्म भर के देशनिकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

जोरी अथवा डकैती के साथ मृत्यु अथवा भारी दुःख करनेका उद्योग

३९७—कदाचित् जोरी अथवा डकैती करते समय अपराधी किसी मृत्यु कारी हथियार को काम में लावेगा अथवा किसी मनुष्य को भारी दुःख पहुंचावेगा अथवा किसी मनुष्य को मृत्यु या भारी दुःख पहुंचाने का उद्योग करेगा तौ जिस क़ैद का दंड ऐसे अपराधी को किया जायगा उस की म्याद सात बरस से कमती न होगी ॥

मृत्युकारी हथियार बांध करजोरी अथवा डकैतीका उद्योग करना

३९८—कदाचित् जोरी या डकैती का उद्योग करते समय अपराधी कुछ मृत्युकारी हथियारबांधे होगा तौ जिस क़ैदका दंड ऐसेअपराधी को किया जायगा उसकी म्याद सात बरस से कमती न होगी ॥

डकैती करने के लिये सामान करना

३९९—जो कोई मनुष्य डकैती करने के लिये सामान करेगा उसको दंड कठिन क़ैद का जिस की म्याददश

बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

४०० — जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने से पीछे कभी ऐसे मनुष्यों की किसी जमायत में रहेगा जो डकैती का उद्यम करनेके लिये मेल रखते हों उसको दंड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

डकैतों की जमायत में रहनेका दंड

४०१ — जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने से पीछे कभी ऐसे मनुष्यों की किसी डांवाडोल जमायतों अथवा और जमायत में रहेगा जो चोरी अथवा ज़ोरी का उद्यम करने के लिये मेल रखते हों और वह जमायत ठगों की अथवा डकैतों की नहो उसको दंड कठिन क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

चोरोंकी डांवाडोलजमायत में रहनेका दंड

४०२ — जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने से पीछे कभी किसी ऐसे पांच अथवा पांचसे अधिक मनुष्यों मे से होगा जो डकैती करने के प्रयोजन से इकट्ठे हुये

डकैती करने के निमित्त इकट्ठा होना

हों उसको दंड कठिन क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

—※—

मालके तसर्रुफ बेजाका अपराध ॥

बेधर्मईसेमालका तसर्रुफ बेजा करना

४०३—जो कोई मनुष्य बेधर्मई से किसी अस्थावर वस्तु को बेजा तसर्रुफ करेगा अथवा अपने काम में ले आवेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने विष्णुमित्र का कुछ माल विष्णुमित्र के पास से शुद्धभावसे लेनेके समय यह निश्चय मानकर कि यह माल मेरा है ले लिया तो देवदत्त चोरी का अपराधी न हुआ परंतु जो देवदत्त अपनी भूल को जान कर भी बेधर्मई से उस माल को अपने काममें लावे तो इसदफ़ा के अपराधका अपराधी होगा ॥

(इ) देवदत्त को विष्णुमित्रसे मित्रताथी इसलिये विष्णुमित्र

१—जिस वस्तुको काममें लानेका अधिकार न हो उसको काम में लाना अथवा ख़र्च करना ॥

की गैरहाजिरी में विष्णु मित्रके पुस्तकालयमें गया और बिना विष्णु-मित्रकी स्पष्ट आज्ञाके एक पुस्तक लेगया तो यहां कदाचित् देवदत्त को यही मालूम रहाहो कि पढ़ने के लिये इस पुस्तकका ले जाने की मुझको समझी हुई आज्ञा है तो देवदत्त ने चोरी नहीं की परंतु जो देवदत्त फिर पीछे उस पुस्तक को अपने काम के लिये बेचडाले तो इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी होगा॥

(ड) देवदत्त और यज्ञदत्त साझे में किसी घोड़के मालिक थे देवदत्त घोड़े को यज्ञदत्त के पाससे अपने काममें लाने के लिये लेगया तो यहां देवदत्त उस घोड़े को काममें लानेका अधिकारी था इस लिये उसने उसका बेधर्मई से तसर्रुफ नहीं किया परंतु जो देवदत्त उस घोड़े को बेचकर सब दाम अपनेही काम में लेआता तो इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी होता॥

विवेचन—तसर्रुफ बेजा जो केवल कुछ समय के लिये बेधर्मई से किया जाय तौभी इसदफ़ाके अर्थ अनुसार तसर्रुफ बेजा गिना जायगा॥

उदाहरण

देवदत्तने एकगवर्नमेंटका प्रामिसरी नोट जो विष्णुमित्रका माल था और जिसकी पीठ पर बिक्री बिना नाम के लिखी थी पाया देवदत्त ने यह बात जान मान कर कि यह नोट विष्णुमित्र का है उसको किसी साहूकार के पास यह प्रयोजन करके गहने रखदिया कि आगे किसी समय इसको विष्णुमित्र को फेरदूंगा देवदत्त ने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया॥

विवेचन२—जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा माल पावे जिस पर किसी और मनुष्य का कब्जा न हो

और उस माल को मालिक के लिये चौकसी में रखने अथवा मालिक के फेर देने के प्रयोजन से उठाले तौ बेधर्मई से लेना अथवा तसरुफ़ बेजा करना न कह लावेगा और न वह किसी अपराध का अपराधी गिना जायगा परन्तु वह ऊपर लक्षण किये हुये अपराध का अपराधी हो जायगा कदाचित् उस माल को उसने यह बात जान बूझ कर अथवा जान लेने का अवसर पाकर कि इस का मालिक फलाना है अथवा मालिक को ढूंढ़ने और इत्तला देने के लिये यथोचित् उपाय करने और जितने समय तक मालिक की ओर से दावा होने के लिये उस माल को अपने पास रखलेना उचित हो उतने समय तक रखलेने से पहिले अपने काम में ले आवे ॥

यह बात कि ऐसे मुकद्दमे में उचित उपाय क्या है अथवा उचित समय कितना है निर्णय करनी होगी ॥

यह कुछ अवश्य नहीं है कि पाने वाला जानता हो कौन इस माल का मालिक है अथवा यह कि फलाना मनुष्य इसका मालिकहै किन्तु इतनाही काफ़ी

होगा कि तसर्रुफ़ करने के समय वह उस माल को अपना न जानता हो अथवा शुद्धभाव से निश्चय न रखता हो कि इसका असल मालिक मिल नहीं सकता है ॥

उदाहरण

(अ)—देवदत्तने एक रुपया सड़कपर पाया और न जाना कि किसका है देवदत्तने उस रुपये को उठा लिया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध नहीं किया ॥

(इ)—देवदत्त ने सड़क पर एक चिट्ठी पाई जिसमें एक हुंडी भी थी सरनामे से और चिट्ठीके लेख से उसने जान लिया कि यह हुंडी फलाने मनुष्यकी है और उस हुंडीको तसर्रुफकरलिया तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ ॥

(उ)—देवदत्तने एक रुक्का जिसका रुपया धनीको मिलसक्ताथा पाया और उसके बिचार में किसी भांति न आया कि इसका खोने वाला कौन है परंतु जिस मनुष्य ने वह रुक्का लिखा था उसका नाम निकल आया और देवदत्त ने जान लिया कि इसका लिखने वाला पता इसके मालिक का बतला सकेगा फिर भी देवदत्त मालिक के ढूंढने का कुछ उपाय किये बिना उस रुक्के को अपने काम में लाया तो इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ ॥

(ऋ)—देवदत्त ने विष्णुमित्र के पास से एक थैली जिस में कुछ द्रव्यथा गिरतेदेखी और देवदत्तने वहथैली यह विचारकर

कि विष्णु मित्र को फेरदूंगा उठाली परन्तु फिर पीछे अपनेकाम में लेआया तो देवदत्तने इसदफ़ाके अनुसार अपराधकिया ॥

(ऌ)—देवदत्तने एक थैली जिसमें रुपये थे पाई और यह न जाना कि किसकी है परन्तु पीछे जानलिया कि विष्णु मित्र की है और फिर भी उसको अपने काम में ले आया तो देवदत्त इस दफ़ाके अपराध का अपराधी हुआ ॥

(ए)—देवदत्तने एक बड़ेमोलकी अंगूठी पाई और न जाना कि यह किसकी है फिर देवदत्तने वह अंगूठा मालिकको ढूंढने का उद्योग किये बिना तुरन्तबेंचडाली तो देवदत्त इस दफ़ाके अपराध का अपराधी हुआ ॥

बेधर्मई से तसर्रुफ़ करना किसी माल का जो किसी मरे हुये मनुष्य के कब्ज़े में उसके मरने के समय रहा हो

४०४—जो कोई मनुष्य बेधर्मई से किसी माल को यह बात जान मान कर कि यह माल फलाने मनुष्य के कब्ज़े में उस मनुष्यकेमरते समय था और तबसे किसी ऐसे मनुष्य के कब्ज़े में नहीं रहा है जो उस परकब्ज़ा पानेका क़ानून अनुसार अधिकारी हो तसर्रुफ़ करेगा अथवा अपने काममें लावेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन बरस तकहो सकेगी किया जाय। और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् अपराधी उस मनुष्य के

मरनेके समय उसका गुमाश्ता अथवा नौकर रहा हो तौ म्याद सात बरस तक हो सकेगा ॥

उदाहरण

मरतेसमय विष्णु मित्रकाक़ब्ज़ा कुछअसबाब और द्रव्यपर था उसका नौकर देवदत्त उस द्रव्य को किसी ऐसे मनुष्य के क़ब्ज़े में जो क़ब्ज़ापाने का अधिकारी था आने से पहिले बेधर्मई से तसर्रुफ कर गया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण कियाहुआ अपराध किया॥



दंड योग्य विश्वास घात

दंडयोग्यविश्वासघात

४०५—जो कोई मनुष्यसुपुर्ददारकिसीभांति किसी माल का अथवा मालकेबन्दोबस्त का होकर क़ानून की किसी आज्ञा को जिस में ऐसी सुपुर्ददारी के बर्तने की रीति ठहराई गई हो अथवा किसी प्रकट या अप्रकट नीति पूर्वक कौल करार को जो उस सुपर्ददारी के मद्दे वह कर चुका हो तोड़ कर उस माल को बेधर्मई से तसर्रुफ करैगा अथवा अपने काम में लावेगा अथवा बेधर्मई से उससे अपना काम निकालेगा या उसको दूर करदेगा अथवा जान मान कर किसी

दूसरे मनुष्य को ऐसा करने देगा दंड योग्य विश्वास-घात का अपराधी कहलावेगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने जो किसी मरेहुए मनुष्य का वसीयत उल्लंघन उस क़ानूनका करके जिसमें उसको आज्ञाथी कि वसीयतनामे के अनुसार माल असबाब को बांट दे बेधर्मई से मालअसबाब को अपने काम में तसर्रुफ किया तो देवदत्तने दंडयोग्य विश्वास घात किया ॥

(इ) देवदत्त एक गोदाम का मालिक था विष्णुमित्र सफर को जाते समय कुछ माल देवदत्त को सौंपगया और यह कौल करारठहरगया कि जब विष्णुमित्रगोदामके भाड़ेका इतनारुपया देदेगा अपना माल फेर लेगा देवदत्तने उस माल को बेधर्मई से बेचलिया तो देवदत्तने दण्डयोग्य विश्वास घात किया ॥

(उ) कलकत्ते का रहने वाला देवदत्त दिल्ली के रहने वाले विष्णुमित्र का अढ़तिया था और उनके आपसमें प्रकट अथवा अप्रकट यह कौल करार था कि जो कुछ रुपया विष्णुमित्र देवदत्त के पास भेजे उसको देवदत्त विष्णुमित्र की आज्ञा के अनुसार लगावे विष्णुमित्र ने एक लाख रुपया देवदत्त के पास इस आज्ञा से भेजा कि इस को कम्पनी के कागज में लगाओ देवदत्तने बेधर्मईसे उस आज्ञाको उल्लंघन करके रुपयेको अपने काममें लगाया तो देवदत्तने दण्डयोग्य विश्वासघात किया ॥

(ऋ) परन्तु जो पिछले उदाहरणमें देवदत्त बेधर्मईसे नहीं शुद्धभाव से यह निश्चय मान कर कि बंक बंगाल में पत्ती लेने

से विष्णुमित्र का अधिक लाभ होगा विष्णुमित्र की आज्ञाको उल्लंघन करके कम्पनी का कागज लेने के बदले बंक बंगालमें पत्ती मोल लेली तौ देवदत्तने कुछ बेधर्मई नहीं की और न दंड योग्य विश्वास घात का अपराधी हुआ यद्यपि विष्णुमित्र को नुक्सान भी पड़ा हो और उस नुक्सानके मद्दे विष्णुमित्र देवदत्त पर दीवानी में नालिश भी कर सक्ता हो॥

(लृ) देवदत्त एक कलेक्टरी के अहलकार के पास सरकारी रुपया रहताथा और कानून की आज्ञानुसार अथवा किसी कौल करार के अनुसार जो प्रकट अथवा अप्रकट गवर्नमेंट के साथ होचुका था उस पर अवश्य था कि जितना सरकारी रुपया उसके पास हो सब फलाने खजाने में जमा करदे—देवदत्तने बेधर्मई से उस रुपये को तसर्रुफ किया तौ देवदत्त दंडयोग्य विश्वास घात का अपराधी हुआ॥

(ए) देवदत्त किसी ढोईदार को विष्णुमित्र ने कुछ माल तरी अथवा खुस्की की राह से पहुंचाने को दिया और देवदत्त ने वह माल बेधर्मई से तसर्रुफ किया तौ देवदत्तने दंडयोग्य विश्वास घात किया॥

दंड योग्य विश्वास घातका दंड

४०६—जो कोई मनुष्य दंड योग्य विश्वास घात करेगा उसको दंड दोनोंमेंसे किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीनबरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

४०७—जो कोई मनुष्य सुपुर्ददार किसी वस्तु

ढोईदार और घटवार इत्यादि की ओरसे दंड योग्य विश्वास घात

का ढोईदारी[1] अथवा घटवारी अथवा गोदामी के विश्वाससे होकर उस वस्तुके मद्दे विश्वास घात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा॥

४०८—जो कोई मनुष्य गुमाश्ता अथवा नौकर

गुमाश्ते अथवा नौकर की ओरसे विश्वास घात

होकर अथवा गुमाश्ता या नौकर के काम पर होकर और उस गुमाश्तगी अथवा नौकरी के कारण सुपुर्दगी अथवा बन्दोबस्त किसी माल का किसी भांति पाकर उस माल के मद्दे विश्वास घात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा॥

१—घटवार उनकोकहतेहैं जो समुद्र अथवा नदीकेघाटपर जहाजों अथवा नावों पर मालचढ़ाने अथवा उतारनेके लिये लकड़ी अथवा पत्थर अथवा मट्टीकीचह बांधलेतेहैं अथवा मकान रखतेहैं और नाववालों या मालवालोंसे भाड़ापाते हैं॥

४०९—जो कोई मनुष्य किसी भांति सुपुर्ददार किसी माल का अथवा माल के बन्दोबस्तका सर्वसम्बन्धी नौकरी के कारण अथवा कोठी वाली या व्यापार या आढ़त या दलाली या मुखतारी या कारिन्दगरी के कारण होकर उस माल के मद्दे दंड योग्य विश्वास घात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक हो-सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

सर्वसम्बन्धी नौकर अथवा कोठीवाल अथवा व्यापारी अथवा आढ़तिये की ओर से दंडयोग्य विश्वासघात

—※—

चोरीका माललेना ॥

४१०—जिस माल का क़ब्ज़ा एक से दूसरे को चोरी से अथवा दबाकर लेने से अथवा जोरी से आया हो और जो माल दंड योग्य रीति से तसरुफ किया गया हो अथवा जिस के मद्दे दंड योग्य विश्वास घात हुआ हो वह चोरी का माल कहलावेगा परन्तु जो पीछे वही माल किसी ऐसे मनुष्य के क़ब्ज़े में आजाय जो क़ानून अनुसार उस के क़ब्ज़े का अधिकारी हो तो फिर चोरी का न रहेगा ॥

चोरी का माल

४११—जो कोई मनुष्य चोरी के माल को यह जान मान कर अथवा जानने का हेतु पाकर कि यह चोरी का है बेधर्मई से लेगा अथवा अपने पास रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बेधर्मई से चोरी का माल लेना

४१२—जो कोई मनुष्य चोरी के माल को यह जान मान कर या जानने का हेतु पाकर कि यह एक से दूसरे के क़ब्जे में डकैती होकर आया है बेधर्मई से लेगा अथवा अपने पास रक्खेगा अथवा किसी माल को चोरी का जान-मान कर अथवा जानने का हेतु पाकर किसी ऐसे मनुष्य से जिसे वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि यह डकैतों की जमायत का है अथवा आगे था बेधर्मई से लेगा उसको दंड जन्म भर के देशनिकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

बेधर्मई से लेना ऐसे माल का जो डकैती में चोरी गया हो

४१३—जो कोई मनुष्य ऐसे माल के लेने देने का
चोरी के माल का व्यवहार रखना — व्यवहार रक्खेगा जिसे वह जानताहोअथवा जाननेकाहेतु रखता हो कि चोरी का है उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

४१४—जो कोई मनुष्य जान मान कर किसी
चोरी के माल को छुपाने में सहायता देना — ऐसे मालको जिसेवह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि चोरी का है छुपाने में अथवा अलग करने में अथवा दूर पहुंचाने में सहायता देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

———०———

छलने के विषय में ॥

४१५—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को धो-
छलना — खा देकर छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से ऐसा फुसलावेगा जिस से वह अपना

कुछ माल किसी मनुष्य को दे दे अथवा कुछ माल किसी मनुष्यके पास बना रहनेदेनेपर राज़ीहो-जाय अथवा उस धोखा दिये हुये मनुष्य को प्रयोजन करके कुछ ऐसा काम करने अथवा करने में चूकने को फुसलावेगा जिस को वह कभी न करता और न चूकता कदाचित् धोखा न दिया गया होता और उस काम अथवा चूक से उस मनुष्य को कुछ ज्यान अथवा हानि शरीर में अथवा चित्त में अथवा यश में अथवा माल में पहुंच जाय अथवा पहुंचनी अति सम्भवित हो तो कहलावेगा कि उसने छल किया ॥

विवेचन— बेधर्मई से किसी बात को छुपाना इस दफ़ा के अर्थ में धोखादेना गिना जायगा ॥

उदाहरण

(अ)—देवदत्त झूठमूठ प्रतिज्ञा कियाहुआ मुल्की नौकर बना और विष्णु मित्र को जान मानकर धोखा दिया और उस धोखे के कारण बेधर्मईसे कुछ माल जिसके फेरदेने की नियत न थी उधार लिया तो देवदत्त ने छलकिया ॥

(इ)—देवदत्तने किसी बस्तुपर झूठाचिह्न लगाकर विष्णु मित्र को जानमान कर इस बातके निश्चय माननेका धोखा दियाकि यह बस्तु फलाने नामी कारीगर की बनाई है और इस भांति बेधर्मईसे वह बस्तु विष्णु मित्रने मोल लिवाई औरदामचुकाये तो देवदत्त ने छल किया ॥

(उ)—देवदत्त ने विष्णु मित्र को किसी वस्तुकी झूठी बानगी दिखलाकर जानमानकर यहधोखा दिया कि यहबस्तु बानगी से मिलतीहै और इसभांति बेधर्मईसे वहबस्तु विष्णु मित्रसे मोल लिवाकर दाम चुकाए तो देवदत्त ने छलकिया ॥

(ऋ)- देवदत्तने किसी बस्तुके मोल के बदले एक बिलकिसी ऐसी कोठी परजिस्से उसका रुपयेकाव्यवहार न था औरजिसके मद्धे उसे निश्चय था कि उसका बिल सकारा न जायगा लिख कर जान मान कर विष्णु मित्र को धोखा दिया और इस भांति विष्णु मित्रसे वह बस्तु बेधर्मईसे औरउसकामोल न देने का प्रयोजन करके लेली तो देवदत्तने छलकिया ॥

(लृ)—देवदत्तने कुछवस्तु जिसे वहजानताथा किहीरानहींहै हीरे के नामसे गहने रखकर विष्णु मित्रको जानमानकर धोखा दिया और इसभांति बे धर्मई करके बिष्णु मित्रसे रुपयाउधार लिया तो देवदत्तने छल किया ॥

(ए)—देवदत्त ने जान मान कर विष्णु मित्र को यह निश्चय मानने का धोखा दिया कि जो रुपया विष्णु मित्र उसको उधार देगा वह सब चुकादेगा और इसभांति बेधर्मई से विष्णु मित्र सेरुपया उधारलिया औरमनमें प्रयोजन करलिया किइसकोकभी नहीं चुकाऊंगा तो देवदत्त ने छल किया ॥

(ओ)—देवदत्तने जान मान कर बिष्णु मित्रको इसबातकेनि-श्चयमानने का धोखादिया कि देवदत्त इतनालाक नीलकादेगा यद्यपि उसके देनेका प्रयोजनदेवदत्तका न था और इस भांति माल मिलने के भरोसे पर विष्णु मित्र ने पेशगी रुपया देवदत्त को देदिया तो देवदत्त ने छलकिया परन्तु जो देवदत्तनेरुपया

लेनेके समय नील का लाक देने का प्रयोजन करलिया हो और फिर पछे अपना कौल करार तोड़ कर न दे तो छलना न कहलावेगा केवल दीवानी में उसके ऊपर कौल करार तोड़ने की नालिश हो सकेगी॥

(आ)—देवदत्त ने जान मान कर विष्णुमित्र को इस बात के निश्चय मानने का धोखा दिया कि देवदत्त ने अपनी ओर से फलाने कौल करार को जो उसने विष्णुमित्र के साथ किया था पूरा करदिया यद्यपि उसने उस कौल करार को पूरा नहीं किया था और इस भांति बेधर्माई करके विष्णुमित्र से रुपया लेलिया तो देवदत्त ने छल किया॥

(अं)—देवदत्त ने कोई मिलकियत यज्ञदत्तको बेचकर उसकी लिखतम् लिखदी फिर देवदत्त ने यह बात जान मान कर कि इसका बिक्री के कारण मुझ को इस मिलकियत में कुछ अधिकार नहीं रहा है वही मिलकियत विष्णुमित्र के हाथबेची अथवा गहने धरी और पहिली बिक्री और लिखतम का हाल प्रकट न किया और बिक्री अथवा गहने का रुपया विष्णुमित्र से ले लिया तो देवदत्त ने छल किया॥

४१६—कदाचित् कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का मिस करके अथवा जान मान कर एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य बना कर अथवा अपने आप को या और किसी को कोई दूसरा मनुष्य प्रकट करके छलेगा तो कहलावेगा कि उसने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया॥

दूसरामनुष्य बनकरछलना

विवेचन—जिस मनुष्य का मिस किया गया वह चाहे सच मुच हो चाहे मन से बना लिया गया हो तौ भी यह अपराध हो सकेगा ॥

उदाहरण

(घ)—देवदत्तने अपने नामके किसी धनाढ्य कोठीवालका मिस करके छल किया तौ देवदत्त ने दूसरा मनुष्य बन कर छल किया ।

(ङ)—देवदत्त ने यज्ञदत्त किसी मरे हुये मनुष्य कामिसकर-के छल किया तौ देवदत्तने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया ॥

छलनेका दंड

४१७—जो कोई मनुष्य छल करेगा उसको दंड दोनोंमेंसे किसी प्रकारकीक़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

छलना यह जान मान कर कि इससे अनीति हानि उस मनुष्य को होगी जिस के स्वार्थकी रचा करनी उस अपराधीपर अवश्यहे

४१८—जो कोई मनुष्य यह जान मान कर छल करेगा कि इससे अनीतिहानि उस मनुष्य को होनी अति सम्भवित है जिसके स्वार्थकी रक्षा करनी उस पर उसी वि-षय में जिससे वह छल सम्बन्ध रखता हो क़ानून

की आज्ञानुसार अथवा किसी क़ानूनी कौल करार के अनुसार अवश्य है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दूसरा मनुष्यबनकर छल नेका दंड

४१६—जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बन कर छलकरेगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छलना और बेधर्मई से माल दिला देना

४२०—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकोछलेगा और इसउपायसे उसमनुष्यकोऐसा फुसलावेगाजिससे वहकुछमाल किसी को दे दे अथवा किसी लिखतमको या और वस्तु को जिसपर मोहर अथवा दस्तखत हो और जिससे कोई लिखतम बन सकता हो पूरी अथवा आधी परधी लिखदे या बदल दे या बिगाड़ दे उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकारकी क़ैद का जिस

कीम्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

छलछिद्र की लिखतमों और छल छिद्र से
माल अलग करने के विषयमें ॥

४२१—जो कोई मनुष्य बेधर्मई से अथवा छलछिद्र से कुछ माल इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि इससे उस माल को अपने ब्योहरों में अथवा और किसी मनुष्य के ब्योहरों में क़ानून अनुसार बटजाने से बचावे बिना वाजिबी मोल लिये अलग करेगा अथवा छुपावेगा अथवा किसी दूसरे को देगा अथवा बेचने गहने धरने इत्यादि के द्वारा दूर कर देगा अथवा दूर-करा देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार को क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

ब्योहरों में बटजाने से बचानेके लिये मालको अलगकरदेना अथवाछुपाना

४२२—जो कोई मनुष्य बेधर्मई से अथवा छलछिद्र से किसी ऋण अथवा तगादे को जो उसीका अथवा और किसी मनुष्यका किसी से मिलना हो अपने ऊपर अथवा उस मनुष्य के ऊपर आते हुये किसी ऋण अथवा तगादे के चुकाने में क़ानून अनुसार लिये जाने से रोकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

अपने किसी ऋण अथवा तगादे को अपने ब्योहरों को मिलनेसे रोकना बेधर्मई करके

४२३—जो कोई मनुष्य बेधर्मई से अथवा छल छिद्र से कोई ऐसी लिखतम लिख देगा अथवा उसपर दस्तखत करदेगा अथवा लिखने लिखाने वालों में से एक बनेगा जिसका आशय किसी मालको अथवा मालके अधिकार को बेचने गहने धरने इत्यादि के द्वारा दूरकरने से अथवा उस पर कुछ लाग लगाने से हो और जिसमें कोई झूठी बात मोल अथवा गहने इत्यादि के बदले के मद्दे अथवा जिस मनुष्य या मनुष्य के काम या

बेधर्मई से लिखना बयनामे इत्यादि लिखतम का जिसमें मोल की तादाद झूठी लिखी हो

लाभ के लिये वह सचमुच हो उस के मद्धे लिखी हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

४२४—जो कोई मनुष्य अपना अथवा और किसी का कुछ माल बेधर्मई से या छल छिद्र से छुपावेगा अथवा अलग करेगा अथवा बेधर्मई से या छलछिद्र से उसके छुपाए जाने या अलग किये जाने में सहायता देगा अथवा बेधर्मई से अपना कुछ वाजिबी तगादा या दावा छोड़ देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

माल को बेधर्मई से अलग करना अथवा छुपाना।

———※———

उत्पात

४२५—जो कोई मनुष्य सबको अथवा किसी मनुष्यको अनीति हानि अथवा नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा पहुंचाना अति सम्भवित जान कर किसी वस्तको बिगाड़ेगा

उत्पात

अथवा उस वस्तुमें या उसके स्थान में कुछ ऐसी हल चल करेगा जिससे वह वस्तु बिगड़ती हो या उसके मोल या गुणमें न्यूनता आती हो अथवा उसको नुकसान पहुंचता हो तो कहा जायगा कि उसने उत्पात किया ॥

विवेचन १— उत्पात के अपराध में यह कुछ अवश्य नहीं है कि जिस वस्तु को बिगाड़ा अथवा नुकसान पहुंचाया उसी के मालिक को हानि अथवा नुकसान पहुंचाने का प्रयोजन अपराधी ने किया हो यही बहुत है कि उसने किसी वस्तुको बिगाड़ने के द्वारा किसी मनुष्य को अनीति हानि अथवा नुकसान पहुंचाने का प्रयोजन किया हो अथवा पहुंचाना अति सम्भवित जाना हो चाहै वह वस्तु उसी मनुष्य की हो चाहै नहो ॥

विवेचन २—उत्पात ऐसे काम के करने से भी हो सकेगा जिससे कुछ हानि लाभ उस वस्तको होती तो जो उस काम के करनेवाले मनुष्य की हो अथवा उसकी और औरों की साझे में हो ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्रकी कोई दस्तावेज जानमान कर विष्णुमित्र को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजन से जलादी तो देवदत्त ने उत्पात किया ॥

(इ)—देवदत्त ने विष्णुमित्र के बर्फ़खाने में पानी काट दिया और इस भांति विष्णुमित्र को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजन से बर्फ़ को पिघलादिया तो देवदत्तने उत्पातकिया ॥

(उ)—देवदत्त ने विष्णुमित्र का नुक्सान करने के प्रयोजन से विष्णुमित्रकी अंगूठी जानमानकर नदीमें फेंकदी तो देवदत्त ने उत्पातकिया ॥

(ऋ)—देवदत्त ने यह जान कर कि जो रुपया मुझपरविष्णुमित्र का आता है उसके चुकाने के लिये मेरा असबाब लियाजाने को है उस असबाबको इस प्रयोजनसेकि विष्णुमित्र अपना रुपया न पासके और इस भांति विष्णुमित्र को नुक्सान पहुंचे बिगाड़ दियातो देवदत्त ने उत्पात किया ॥

(ऌ)—देवदत्त ने किसी जहाज का बीमा देकर बीमे वालों को नुक्सान पहुंचाने के प्रयोजन से उस जहाज को जान मानकर तबाहीमें डाला तो देवदत्त ने उत्पात किया ॥

(ए)—देवदत्त ने किसी जहाज को तबाही में डाला इस प्रयोजन से कि विष्णुमित्र को जिसने उस जहाज पर रुपया उधार दिया है नुक्सान पहुंचे तो देवदत्त ने उत्पातकिया ॥

(ओ)—देवदत्तने जो किसी घोड़े में विष्णुमित्रका साझीथा घोड़े को गोली मारदी इस प्रयोजनसे कि इससे विष्णुमित्रको अनीति हानि पहुंचे तो देवदत्त ने उत्पात किया ॥

(औ)—देवदत्त ने विष्णुमित्र के खेत में पोहे करदिये इस प्रयोजन से और यह बात अति संभवित जान कर कि इससे विष्णुमित्र के खेत की पैदावारी को हानि पहुंचेगी तो देवदत्त ने उत्पात किया ॥

४२६—जो कोई मनुष्य उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उत्पात करने का दंड

४२७—जोकोई मनुष्य उत्पातकरके पचासरुपयेका अथवाउससेअधिकका नुकसान पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उत्पात करना और उसके द्वारापचास रुपये कानुकसान पहुंचाना

४२८—जो कोई मनुष्य दश रुपये के मोल के किसीपोहेको अथवा और पशुओं को मारने अथवा बिषदेने अथवा अंगतोड़ने अथवा निकम्मा करने का उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दश रुपये के मोलके किसी पशु को मारकर अथवा अंगतोड़कर उत्पात करना

४२६—जो कोई मनुष्य किसी हाथी या ऊंट या घोड़ा या खच्चर या भैंस या बैल या गाय या बधिया को जिसका मोल चाहे जितना हो अथवा और किसी पशु को जिसका मोल पचास रुपये या उससे अधिक हो मार कर अथवा विष देकर अथवा अंगतोड़ कर अथवा निकम्मा करके उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी घोड़े इत्यादि को अथवा पचास रुपये के मोलके किसी पशु को मार कर अथवा अंगतोड़ कर उत्पात करना

४३०—जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिससे खेती के कामों अथवा मनुष्यों के खाने पीने के कामों अथवा जो पशु धन गिने जाते हैं उनके कामों अथवा उज्ज्वलता के कामों अथवा कोई कारखाना चलने के कामों के लिये पानी पहुंचना घटाता हो अथवा घटाना अति सम्भवित हो उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से

खेतीके काम इत्यादि के लिये पानी घटा कर उत्पात करना

किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्वसंबन्धी सड़क अथवा पुल अथवा नदी को हानि पहुंचा कर उत्पात करना

४३१—जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिस्से कोई सर्वसम्बन्धी सड़क अथवा पुल अथवा नाव चलने योग्य नदी अथवा नाव चलने योग्य नाला या नहर दुर्घट होजाय अथवा चलने या माल पहुंचाने के लिये उसकी निरजोखिमता कमती होजाय अथवा ऐसा होजाना वह अति सम्भवित जानता हो उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अहला करके अथवा पानी का निकास रोक कर जिस्से नुक़्सानहो उत्पात करना

४३२—जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिससे पानी का अहला अथवा पानी के निकास का रुकना हानि अथवा नुकसान समेत होता हो

अथवा ऐसा होना वह आप अतिसंभवित जानता हो उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

प्रकाश ग्रहको अथवा समुद्र के चिन्ह को मिटा कर अथवा हटा कर अथवा उसका फायदा घटा कर उत्पात करना

४३३--जो कोई मनुष्य किसी प्रकाश ग्रहको अथवा और किसी प्रकाशको जो समुद्र के चिह्नकीभांति काममें आताहो अथवा समुद्रके किसी चिह्न को अथवा बया को अथवा और किसी वस्तु को जो जहाज चलाने वालों को राह दिखाने के लिये काम में आती हो मिटाकर अथवा हटाकर अथवा और कोई ऐसा काम करके जिससे वह प्रकाश ग्रह अथवा समुद्र का चिह्न अथवा बया अथवा ऊपर कहे प्रकार की वस्तु जहाज चलाने वालों के लिये कुछ निकम्मी होजाय उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस

तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

धरती के ठीहे को जो सर्वे संबन्धी अधिकारी की आज्ञा से ठहराया गया हो मिटाने अथवा हटाने इत्यादि के द्वारा उत्पात करना

४३४--जो कोई मनुष्य धरती के किसी ठीहे को जो किसी सर्वे सम्बन्धी नौकर की आज्ञा से ठहराया गया हो मिटा कर अथवा हटा कर अथवा कोई ऐसा काम करके जिससे वह धरती का ठीहा कुछ निकम्मा हो जाय उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक ह सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

आगसे अथवा आगकी भांति उड़नेवाली किसी वस्तु से सौ रुपये का नुकसान करने के प्रयोजनसे उत्पात करना

४३५--जो कोई मनुष्य आग से अथवा आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से सौ रुपये के अथवा उससे अधिकके किसी माल को नुकसान करने के प्रयोजन से अथवा नुकसान होना अतिसम्भवित जानकर उत्पात

करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

आगसे अथवा आगकी भांति उड़ने वाली किसी वस्तुसे मकान इत्यादिको नुक़सान करने के प्रयोजन से उत्पात करना

४३६—जो कोई मनुष्य आग से अथवा आगकी भांति उड़ने वाली किसीवस्तु से किसी मकान को जो पूजा के स्थानकी भांति अथवा मनुष्य के रहने के स्थान की भांति अथवा माल असबाब रखने की जगह की भांति साधारण काम में आता हो मिटाने के प्रयोजन से अथवा मिटाना अति सम्भवित जान कर उत्पात करेगा उसको दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

पटीहुई नावको या बीस टनअर्थात् पांचसौसाठमन बोझ लेजाने वाली नाव को तबाहकरने अथवाजोखिम में डालने के प्रयोजनसे उत्पातकरना

४३७—जो कोई मनुष्य किसी पटी हुई नाव को अथवा पांचसौ साठ मन या उससे अधिक बोझ लेजाने वाली नावको तबाही अथवा जोखिम में डालने के प्रयोजनसे अथवा डालना

अति सम्भवित जान कर उत्पात करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

४३८—जो कोई मनुष्य आग से अथवा आगकी भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से ऐसा उत्पात जैसा कि पिछली दफ़ा में वर्णन हुआ है करेगा अथवा करनेका उद्योगकरेगा उसको दंड जन्मभरके देशनिकालेका अथवा दोनोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकीम्याद दश बरसतक होसकेगी किया जायगा और जुर्मानेकेभी योग्यहोगा ॥

पिछली दफ़ामें वर्णन कियेहुये उत्पात का दंडजब कि वह उत्पात आगके द्वारा अथवा आगकीभांति उड़ने वाली किसी वस्तुके द्वारा कियाजाय

४३९—जो कोई मनुष्य जान मान कर किसी नाव को थोड़े पानी में अथवा किनारे पर टकरावेगा इस प्रयोजन से कि उस नाव में भरी हुई किसी वस्तु को चुरावे अथवा बेधर्मई से तसर्रुफ करे अथवा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु चोरी अथवा तसर्रुफ कीजाय उसको दंड दोनों मेंसे

टकराना नावको किनारे पर चोरी इत्यादि करने के प्रयोजन से

किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

मृत्यु अथवा दुःख करने का सामान करके उत्पात करना

४४०—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मार-डालने अथवा दुःख पहुंचाने अथवा अनीतिबन्धि में रखने अथवा मृत्यु या दुःख या अ-नीति बन्धि का डर दिखाने का सामान करके उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

—०—

दंडयोग्य मुदाखलत बेजा ॥

दंडयोग्य मुदाखलतबेजा

४४१—जोकोई मनुष्य किसीऐसे मालमिलकियत पर जिस पर दूसरे का क़ब्ज़ा हो कुछ अपराध करने अथवा जिस मनुष्य का उस माल मिलकियत पर क़ब्ज़ा हो उस को डराने अथवा उसका अपमान करने अथवा उस को खेद पहुंचाने के प्रयोजन से दखल करेगा अथवा क़ानून अनुसार उस माल मिलकियत पर दखल

करके उस मनुष्य को डराने अथवा अपमान करने अथवा खेद पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा कुछ अपराध करने के प्रयोजन से वहां अनीति रीति से ठहरेगा तौ कहाजायगा कि उसनेदंडयोग्य मुदाखलत बेजा की ॥

४४२—जो कोई मनुष्य किसी मकान अथवा

मकानकी मुदाखलतबेजा

डेरा अथवा नावपर जोमनुष्य के रहने के स्थान की भांति काम में हो अथवा किसी मकान पर जो पूजा के स्थान की भांति अथवा असबाब रखने के स्थान की भांति काम में हो दखल करके अथवा ठहर कर दंड योग्य मुदाखलत बेजा करेगा तौ कहाजायगा कि उसने मकान की मुदाखलत बेजा की ॥

विवेचन—दंड योग्य मुदाखलत बेजा करने वाले मनुष्य का कोई अंग मकान इत्यादि में पहुंचजाना मकान की मुदाखलत बेजा के लिये काफी समझा जायगा ॥

४४३—जो कोई मनुष्य आगे से यह उपाय करके

मकानकी मुदाखलत बेजा करनेके लिये घातलगाना

मकानकी मुदाखलत बेजाकरेगा कि जो मनुष्य उसको उस मकान अथवा डेरे अथवा नाव से जिस में

मुदाखलत बेजा की जाय निकाल देने अथवा रोकने का अधिकारी हो उससे वह मुदाखलत बेजा छुपी रहे तो कहा जायगा कि उसने मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाई ॥

रातके समय मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगानी

४४४—जो कोई मनुष्य सूर्य्य डूबने से पीछे और सूर्य्य ऊगने से पहिले मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावेगा तो कहा जायगा कि उसने रात में मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाई ॥

घर फोड़ना

४४५—कदाचित् कोई मनुष्य मकान की मुदाखलत बेजा करे और मकान में अथवा मकान के किसी खंड में उसका जाना नीचे लिखी हुई छःराहों में से किसी राह से हो अथवा जब वह मकान में या मकान के किसी खंड में कुछ अपराध करने के प्रयोजन से पहुंच कर अथवा कोई अपराध करके उस मकान से अथवा उस के खंड से उन्हीं छःराहों में से किसी राह होकर निकले तो कहा जायगा कि उसने घर फोड़ा ॥

प्रथम—कदाचित् किसी ऐसे रास्ते होकर घुसजाय

अथवा निकल जाय जो उसीने अथवा मकान की मुदाखलत बेजा के किसी सहायी ने मकान की मुदाखलत बेजा करने के निमित्त बनाया हो ॥

दूसरे—कदाचित् किसी ऐसे रास्ते होकर घुसजाय या निकल जाय जो सिवाय उसके अथवा मकान की मुदाखलत बेजा के किसी सहायी के और किसी मनुष्य के नगीच मनुष्य के आने जाने के प्रयोजनसे न बना हो अथवा किसी ऐसे रास्ते होकर जहां वह निसेनी लगाकर अथवा भीतपर या मकान पर चढ़कर पहुंचा हो ॥

तीसरे—कदाचित् किसी ऐसे रास्तेहोकर घुसजाय या निकल जाय जो उसी ने अथवा मकान की मुदाखलत बेजा के किसी सहायी ने मुदाखलत बेजा होने के प्रयोजन से किसी ऐसे उपाय से खोला हो जिससे उस रास्ते को खोलना उस मकान के रहने वाले ने न विचारा हो ॥

चौथे—कदाचित् किसी ताले को मुदाखलत बेजा करने के लिये अथवा मुदाखलत बेजा करके मकान से निकलजाने के लिये खोलकर घुस जाय अथवा निकल जाय ॥

पांचवें—कदाचित् अनीति बल करके अथवा उठैया करके अथवा किसी मनुष्य को उठैया करने का डर दिखाकर घुसजाय या निकल जाय ॥

छठे—कदाचित् किसी ऐसे रास्ते होकर घुसजाय या निकल जाय जिसको वह जानता हो कि इस भांति का घुसना अथवा निकलना रोकने के लिये बन्द किया गया है और यह भी कि उस रास्ते को उसीने अथवा मुदाखलत बेजा के किसी सहायी ने खोला है ॥

विवेचन—कोई शागर्दपेशे का मकान अथवा और मकान जिस में घर के रहनेवाले का दखलहो और जिस में से धरका निरन्तर राह हो इस दफ़ा के अर्थ अनुसार उसी घर का दंड कहलावेगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने विष्णु मित्रके घरकी भीतिमें छिद्रकरके और उस छिद्र में हाथ डालकर मकान की मुदाखलत बेजाकी तो घर फोड़ना कहलावेगा ॥

(इ) देवदत्तने किसी जहाजके पटावके धुंधुयेके रास्ते उतर कर मकानकी मुदाखलत बेजाकी तो यह घरफोड़ना हुआ॥

(उ) देवदत्तने विष्णु मित्र के घर में खिड़की की राहघुसकर मकानकी मुदाखलत बेजाकी तो यह घरफोड़नाहुआ ॥

(ऋ) देवदत्तने विष्णु मित्र के घरमें बन्द किवाड़को खोलकर द्वार के रास्ता मकानकी मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ ॥

(ऌ) देवदत्तने विष्णु मित्रके द्वारकेकिवाड़की बिल्ली एकछिद्रमें तार डालकर उठादी और घरमें घुसकर मकानकी मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ ॥

(ए) देवदत्तने विष्णु मित्रके घर के द्वारकी ताली जो विष्णु मित्र ने खोडाली थी पाई और उसतालीसे द्वार खोलकर और विष्णु मित्र के घर में घुसकर मकानकी मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ ॥

(ओ) विष्णु मित्र अपने द्वार में खड़ाथा देवदत्त उसकोधक्का देकर घर में घुसगया और मकान की मुदाखलत बेजाकी तो यह घर फोड़नाहुआ ॥

(औ) विष्णु मित्र हरिमित्र का पौरिया हरिमित्र के द्वार में खड़ा था देवदत्त विष्णु मित्रको इसबातकी धमकी देकर किजो तू मुझको जानेसे रोकेगा तो पीटा जायगा घरमें घुसगया और मुदाखलत बेजाकी तो यह घरफोड़नाहुआ ॥

रात में घर फोड़ना।

४४६—जो कोई मनुष्य सूर्य्य डूबे से पीछे और सूर्य्य ऊगेसे पहिले घर फोड़ेगा तो कहा जायगा कि रात में घर फोड़ा ॥

दंड योग्य मुदाखलतबेजा का दंड

४४७—जो कोई मनुष्य दण्ड योग्य मुदाखलतबेजा करेगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा

जुर्माने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मकानकीमुदाखलत बेजा का दंड

४४८—जो कोई मनुष्य मकान की मुदाखलतबेजा करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्मानेका जो एकहज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

कोई ऐसा अपराध करने के लिये जिस का दंड बधहो मकान की मुदाखलत बेजा करना

४४९—जो कोई मनुष्य किसीऐसे अपराधकेकरने के लिये जिसका दंड बध हो-सक्ता हो मकान की मुदाखलत बेजा करेगा उसको दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस से अधिक न होगी किया जायगा और जुर्मानेके भी योग्य होगा ॥

जन्मभरकेदेशनिकालेके दंडयोग्य कोइअपराध करनेके लिये मकानकी मुदाखलत बेजाकरना

४५०—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करने के लिये जिस का दंड जन्मभर का देश निकाला होसक्ता हो मकान की मुदाखलत बेजा करेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद

का जिसकीम्याद दश बरस से अधिक न होगी किया जायगा और जुर्मानेके भी योग्य होगा ॥

क़ैदके दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकानकी मुदाखलत बेजा करना

४५१—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करने के लिये जिसका दंड क़ैद हो सक्ता हो मकान की मुदाखलत बेजा करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन हो चोरी हो तौ क़ैद की म्याद सात बरसतक हो सकेगी ॥

किसी मनुष्य को दुःख पहुंचानेका सामानकरके मकानकी मुदाखलत बेजा करना

४५२—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःखपहुंचाने अथवा किसी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति बन्धि में रखने अथवा किसी मनुष्यको दुःख या उठैया या अनीति बन्धि का डर दिखाने का सामान करके मकानकी मुदाखलत बेजा करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

४५३—जो कोई मनुष्य मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावेगा अथवा घर फोड़ेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्यहोगा ॥

मकानकी मुदाखलत बेजाकी घातलगाने अथवा घरफोड़नेका दंड

४५४—जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड क़ैद हो सक्ता हो मकान की मुदाखलत बेजाकी घात लगावेगा अथवा घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन हो चोरी हो तो क़ैदकीम्याद दश बरसतक हो सकेगी ॥

क़ैदके दंडयोग्य किसी अपराधके करनेके लिये मकान की मुदाखलतबेजाकी घात लगाना अथवा घर फोड़ना

४५५—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति बन्धि में रखने अथवा किसी मनुष्य को

किसी मनुष्यको दुःखपहुंचानेका सामान करके मकानकीमुदाखलतबेजाकीघात लगाना अथवा घर फोड़ना

दुःख या उठैया या अनीति बन्धिका डर दिखाने का सामान करके मकान की मुदाखलत बेजा की घातल-गावेगा अथवा घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

रातके समय मकानकी मुदाखलत बेजाकीघात लगानाअथवाघरफोड़ना

४५६—जो कोई मनुष्य रात में मकान की मुदा-खलत बेजा की घात लगावेगा अथवा रात में घर फोड़ेग-उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

क़ैदके दंडयोग्य कोईअ पराधकरने के लियेरात केसमय मकानकी मुदाखलत बेजा की घातलगानाअथवा घरफोड़ना

४५७—जोकोई मनुष्य कुछ ऐसाअपराधकरनेकेलि-ये जिसका दंड क़ैद हो सक्ता हो रात में मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावेगा अथवा रात में घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी

किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन था चोरी हो तो क़ैद की म्याद चौदह बरस तक हो सकेगी ॥

किसी मनुष्य का दुःख पहुंचाने का सामानकर के मकानकीमुदाखलत बेजाकी घातरातकेसमय लगानाअथवाघरफोड़ना

४५८—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति बन्धि में रखने अथवा किसी मनुष्य को दुःख या उठैया या अनीति बन्धि का डर दिखाने का सामान करके रात में मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावेगा अथवा रात में घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद चौदह बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

मकान कीमुदाखलतबेजाकीघातलगाने अथवा घरफोड़ने में भारीदुःख पहुंचाना

४५९—जो कोई मनुष्य मकान की मुदाखलतबेजा की घात लगाते में अथवा घर फोड़ते में किसी मनुष्य को भारी दुःख पहुंचावेगा अथवा किसी मनुष्य को मारडालने अथवा भारी

दुःख पहुंचाने का उद्योग करेगा उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

सबमनुष्य जो मकान की मुदाखलत बेजा इत्यादि करने में साझी हों किसी मृत्यु अथवा भारी दुःख के बदले जो उनमें से किसी एक ने किया हो दंड के योग्य होंगे

४६०—कदाचित् रात में मकान की मुदाखलत बेजाकी घातलगाते अथवा रात में घरफोड़ते समय कोई मनुष्य उसी अपराध का करने वाला जान मान कर किसी मनुष्य को मृत्युकरेगा अथवा भारी दुःखपहुंचावेगा अथवा मृत्युकरने या भारीदुःख पहुंचानेका उद्योगकरेगा तो जितने मनुष्य उसघात लगाने अथवा घरफोड़नेमें साझाहोंगे उनमें से हर एक को दंड जन्म भरके देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

बेधर्मई से किसी बन्द मकान को जिसमें माल भरा हो अथवा भरा होने का अनुमानहोते इना

४६१—जोकोईमनुष्यबेधर्मईसे अथवा उत्पातकरने के प्रयोजनसे किसीबन्दमकान को अथवा सन्दूक इत्यादिको जिस में माल भरा हो अथवा माल भरा होना वह निश्चय जानता हो खोलेगा

अथवा तोड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

४६२—जो कोई मनुष्य जिसको चौकसी किसी माल भरे हुये अथवा ऐसे मकान इत्यादि की जिससे उसको निश्चय हो कि मालभरा है सौंपी गई हो परन्तु उसके खोलने का अधिकार न दिया गया हो बेधर्मई से अथवा उत्पात करने के प्रयोजन से उसको तोड़ेगा अथवा खोलेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दंड उसीअपराध का जब कि उसका करने वाला कोई ऐसा मनुष्य हो जिसको माल की चौकसी सौंपी गई हो

---*---

१८ अध्याय

उन अपराधों के विषय में जो लिखतमों और व्यापार अथवा मालकेचिह्नों से सम्बन्ध रखते हैं ॥

४६३—जो कोईमनुष्यसबलोगोंकोअथवाकिसीमनुष्यकोहानिअथवाज्यानपहुंचानेके प्रयोजन से अथवा कोई दावा या अधिकार सा-

जालसाजी

बित करने के लिये अथवा किसी मनुष्य से कुछ माल छुड़ाने अथवा कोई प्रकट या अप्रकट कौल करार करने के लिये अथवा कुछ छल छिद्र करने अथवा किये जाने के प्रयोजन से कोई झूठी लिखतम अथवा लिखतम का भाग बनावेगा तो जालसाजी करना कहलावेगा।

४६४—वह मनुष्य झूठी लिखतम बनाने वाला कहलावेगा

झूठी लिखतम बनाना

प्रथम—जो बेधर्मई से अथवा छल छिद्र से कोई लिखतम अथवा लिखतम का भाग बनावेगा या उस पर दस्तखत करेगा या मुहर लगावेगा या लिखदेगा अथवा कोई ऐसा चिह्न जिससे लिखा जाना किसी लिखतम का पाया जाय बनावेगा यह बात प्रतीति किये जाने के प्रयोजन से कि इस लिखतम को अथवा लिखतम के भाग को किसी ऐसे मनुष्य ने अथवा ऐसे मनुष्य की ओर से दूसरे ने बनाया है या लिखा है या उसपर मोहर लगाई है या दस्तखत किये हैं जिसको वह जानता हो कि इसने या इसकी आज्ञा से किसी और ने उस लिखतम को या लिखतम के भाग को न बनाया है न लिखा है न उस पर दस्तखत किये हैं न मोहर लगाई है

अथवा यह बात प्रतीति की जाने के प्रयोजन से कि यह लिखतम या लिखतम का भाग उस समय बनाया गया या लिखा गया या दस्तखत किया गया या मोहर लगाया था जब कि वह जानता हो कि ऐसा नहीं हुआ है अथवा--

दूसरे--जो नीति पूर्वक अधिकार पाये बिना बेधर्मई से अथवा छल छिद्रसे किसी लिखतमके किसी मुख्य भागको उसके लिखजाने से पीछे चाहै उसको उसी ने लिखा हो चाहै और किसी ने और चाहै लिखने वाला उस समय जीता हो चाहै मर गया हो काटकर अथवा और किसी भांति बदलदे अथवा--

तीसरे--जो बेधर्मई से या छल छिद्र से किसी मनुष्यसे कोई लिखतम दस्तखत करावे अथवा मोहर लगवावे अथवा लिखावे अथवा बदलावे यह जान बूझकर कि यह मनुष्य उन्मत्तता अथवा नशे के कारण इस लिखतम की बातोंको अथवा बदलने के आशय को नहीं जान सक्ता है अथवा किसी धोखे से जो उसको दिया गया है नहीं जानता है॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तकेपास यज्ञदत्तकेऊपर विष्णुमित्रकालिखाहुआदश हज़ार रुपयेका रुक्काथा देवदत्तने यज्ञदत्तकेसाथ छलछिद्रकरनेके लिये दशहज़ारकेऊपर एकशून्य और बढ़ादिया और उसरुपयेको एकलाखकरदिया इसप्रयोजनसे कि यज्ञदत्त उसरुक्केको विष्णुमित्र का लिखाहुआ निश्चयमाने तो देवदत्तने जालसाज़ीकी ॥

(इ) देवदत्तने विष्णुमित्रकी आज्ञाकेबिना विष्णुमित्रकीमोहर किसीलिखतमपर जो विष्णुमित्रकी ओरसे देवदत्तकेनाम किसी मिलकियतका बयनामाथा इसप्रयोजनसे लगादी कि उस मिल-कियतको यज्ञदत्तकेहाथबेचकर मोलका रुपयाप्राप्तकरे तो देवदत्त ने जालसाज़ीकी ॥

(उ) देवदत्तने किसी कोठीवालके नाम धनीयोग्य एकरुक्का पड़ा पाया जिस पर यज्ञदत्त के दस्तख़त लिखे थे परन्तु रुपये की तादाद नहीं लिखीथी देवदत्तने छल छिद्र से रुपये कीख़ालीजगहको दशहज़ार रुपयालिखकर भरदिया तो देवदत्त ने जालसाज़ीकी ॥

(ऋ) देवदत्तने अपनेगुमाश्ते यज्ञदत्तकेपास किसी कोठीवाल केऊपर अपनादस्तख़ती रुक्का जिसमें रुपयेकी तादाद न लिखी थी छोड़ा और यज्ञदत्तको परमानगी दी कि फलाने चुकाउ के लिये दशहज़ारसेकमती जितना रुपयाचाहो इसरुक्केमें लिखकर लेलेना यज्ञदत्तनेउसरुक्केमें बेधर्मई से बीसहज़ार रुपये लिखलिये तो यज्ञदत्तने जालसाज़ीकी ॥

(ऌ)—देवदत्तने यज्ञदत्तकीओरसे अपनेऊपर एकहुण्डी बिना यज्ञदत्त की आज्ञा के लिख ली इस प्रयोजन से कि उसको सच्ची हुण्डी की भांति किसी कोठीवाल को मिती काट कर बेच दे और मन में यह विचार लिया कि म्यद बीते पर

इस हुंडी का रुपया चुका दूंगा तो यहां देवदत्त ने हुंडी
उस कोठीवाल को इस बातका धोखा देनेके प्रयोजन से लिखा
कि वह समझे कि इसमेंयज्ञदत्तकी ज़ामनोहै और इसीसे मिती
काट कर रुपया उस को दे इस लिये देवदत्त जालसाज़ी का
अपराधी हुआ ॥

(ए)–विष्णु मित्रके वसीयतनामेमें यह बात लिखीथी कि मैं
आज्ञा देताहूं कि मेरा सब बचाहुआ धन देवदत्त और यज्ञदत
और हरदत्त में बराबर बांट दियाजाय देवदत्त ने बेधर्मई से
यज्ञदत्त का नाम इस प्रयोजनसे छीलडाला कि वह सबधन उस
के और हरदत्तके लिये छोड़ा गया समझा जाय तो देवदत्त ने
जालसाज़ीकी ॥

(ओ)–देवदत्त ने एक सरकारी प्रामेसरी नोट की पीठ पर
यह शब्द लिख कर कि इस का रुपया विष्णु मित्र को अथवा
जिस किसीको वह परमानगी दे उसको देदो और उस लेख
पर अपने दस्तख़त करके उसकारुपया यज्ञदत्त को मिलनेयोग्य
किया यज्ञदत्त ने बेधर्मई से इन शब्दों को कि इसका रुपया
विष्णु मित्र को अथवा जिसकिसी को वह परमानगी दे उसको
देदो छील डाला और इससे उस लेख को खोका कर दिया तो
यज्ञदत्तने जालसाज़ीकी ॥

(औ)–देवदत्त ने कोई मिलकियत विष्णु मित्र को बेंच दी
और निखतमलिखदी फिरपीछे देवदत्तने विष्णु मित्रकेसाथ छल
करने के लिये उसीमिलकियतका एकबयनामा विष्णु मित्रकेबय-
नामेकीमितीसे छः महीने पहलेकी मिती का यज्ञदत्त को लिख
दियायहबात प्रतीति होनेके प्रयोजन से कि उसने उस मिल-
कियतको विष्णु मित्रके हाथ बेचनेसेपहले यज्ञदत्तकेहाथ बेच
डालाथातो देवदत्तने जालसाज़ीकी ॥

(अं)—विष्णु मित्र अपनी वसीयत बोलता गया और देवदत्त उसको लिखता गया परंतु जिस अधिकारी का नाम विष्णु मित्र ने लिखाया उसके बदले देवदत्तने जान बूझकर किसी दूसरेका नाम लिखदिया और विष्णु मित्रसे यह कहकर कि जैसा तुमने कहा वैसाही मैंनेवसीयतनामेमें लिखदियाहै विष्णु मित्रसे वसीयत नामेपर दस्तख़त करालिये तो देवदत्तने जालसाज़ी की ॥

(अः)—देवदत्त ने एक चिट्ठीलिखी और उसपर बिनायज्ञदत्त की आज्ञा के यज्ञदत्त के दस्तख़त इस बात की सचाई के लिये लिख दिये कि देवदत्त अच्छे चलन का मनुष्य है और दैवी आपदा से दुर्दशा में पड़ गया है और प्रयोजन इस चिट्ठी से यह किया कि इसके द्वारा विष्णुमित्र से और औरों से भिक्षा पावे—यहां देवदत्तने विष्णु मित्रसे माल लेनेके प्रयोजन से झूठीलिखतमबनाई इसलिये देवदत्तने जालसाज़ीकी ॥

(क)—देवदत्त ने यज्ञदत्त की आज्ञा के बिना एक चिट्ठीलिखकर उसपर यज्ञदत्त के दस्तख़त इस बातकी सचाई के लिये कि देवदत्त भला आदमी है बना लिये और प्रयोजन इससे यह किया कि विष्णु मित्र के नीचे कोई नौकरी पावे तो देवदत्त ने जालसाज़ी की क्योंकि उसने उस जाली चिट्ठी के द्वारा विष्णु मित्र को धोखा देने और अपने साथ नौकरी का कुछकौल करार प्रकट अथवा अप्रकट कराने का प्रयोजन किया ॥

विवेचन—अपने नामके दस्तखत करना भी जालसाजी हो सकेगा ॥

उदाहरण

(अ)—देवदत्त ने किसी हुंडी पर अपने नाम के दस्तख़त इस प्रयोजनसे करदिये कि वह हुंडी उसी नामके किसी दूसरे मनुष्य की लिखीहुई समझीजाय तो देवदत्तने जालसाज़ीकी ॥

(इ)—देवदत्त ने कागज़ के एक टुकड़े पर मंज़ूर है
यही दो शब्द लिख कर नीचे विष्णुमित्र के नाम के दस्तख़त
लिख दिये इस लिये कि पीछे यज्ञदत्त उसी कागज़ पर अपनी
ओर से विष्णुमित्र के ऊपर हुंडी लिखकर इसी भांति सकारले
मानो विष्णुमित्र ने उस हुंडी को स्वीकार कर लिया तो देव-
दत्त जालसाज़ी का अपराधी हुआ और कदाचित् यज्ञदत्त
इस बात को जान कर देवदत्त के प्रयोजन अनुसार उस कागज़
पर हुंडी लिखले तो यज्ञदत्तभी जालसाज़ी का अपराधी होगा ॥

(उ—देवदत्त ने एक हुंडी पड़ी पाई जिसका रुपया उसी
नाम के किसी दूसरे मनुष्य की आज्ञा योग्य लिखा था
देवदत्त ने उस हुंडी की पीठपर अपने नाम से बेची लिख दी
यह प्रयोजन करके कि जिस मनुष्य की आज्ञा योग्य वहहुण्डी
है उसी की बेची समझी जाय तो देवदत्तने जालसाज़ी की ॥

(ऊ)—देवदत्त ने कोई मिल्कियत जो यज्ञदत्त के ऊपर
किसी डिक्रीकेइजरायसे नीलामहुई मोलली यज्ञदत्तने उसमिल-
कियत की कुरकी होजाने से पीछे विष्णुमित्र के साथ मिलावट
करके उसी मिलकियत का ठेका विष्णुमित्र के नाम थोड़ी सी
जमा पर बहुत म्यादका लिखदिया और लिखनेकी मिती कुरकी
की मिती से छःमहीने पहले की लिख दी इस प्रयोजन से कि
इससे देवदत्त के साथ छल करे और यह बात समझी जाय कि
यह ठेका कुरकी से आगे काहे तो यज्ञदत्त ने यदापि ठेका
अपनेही नाम से लिखा फिर भी पीछे की मिती लिख कर उस
ने जालसाज़ी की ॥

(ऋ) देवदत्त एक व्यापारी ने अपना दिवाला निकालने
से पहले कुछ माल अपने लिये यज्ञदत्त को सौंप दिया
इस प्रयोजन से कि अपने ब्योहरे के साथ छल छिद्र करे और

इस काम को छुपानेकेलिये एक प्रामेसरीनोट अर्थात् तमस्सुक इस आशयका लिखदिया कि इतनारुपया यज्ञदत्तको किसीवस्तु के बदले जो मैं पा चुकाहूं दूंगा और उस तमस्सुक पर पीछे की मिती लिख दी इस प्रयोजनसे कि जब देवदत्तका दिवाला निकलनेकोथा उससेआगेका लिखाहुआ समझाजाय तो देवदत्त ने जालसाज़ीके लक्षणके पहले प्रकरणकेअनुसार जालसाज़ीकी ॥

विवेचन २—किसी कल्पना किये हुये मनुष्य के नाम से कोई झूठी लिखतम इस प्रयोजन से लिख देनी कि सच मुच किसी मनुष्य की लिखी समझी जाय अथवा किसी मरे हुये मनुष्य के नाम से लिख देनी इस प्रयोजन से कि उस मनुष्य के जीते जी की लिखी समझी जाय जालसाज़ी होसकेगी ॥

उदाहरण

देवदत्त ने किसी कल्पना कियेहुये मनुष्यके ऊपर एक हुंडी लिखी और छलछिद्रसे उसहुण्डीको उसीकल्पना कियेहुये मनुष्य के नाम से सकारा इसप्रयोजन से कि उसका सौदाकरे तो देवदत्त ने जालसाज़ीकी ॥

४६५—जो कोई मनुष्य जालसाजी करेगा उसको

जालसाज़ी का दंड

दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

४६६ जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखतम को

जालसाज़ी किसी अदालत के काग़ज़ की अथवा उस रोज़नामचे की जिसमें बालकोंका जन्म लिखा जाता हो अथवा मुख़्तारनामे इत्यादि की

जो किसी अदालत का काग़ज़ अथवा रूबकार हो अथवा ऐसा रोज़नामचा हो जिस में जन्म या संस्कार या विवाह या मरण लिखा जाता हो अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के पास नौकरी के अधिकार से रहता हो अथवा कोई सार्टीफिकट या लिखतम हो जो किसी सर्वसम्बन्धी नौकरकी ओर से उसको नौकरी के अधिकार के द्वारा लिखी गई हो अथवा कोई मुक़द्दमा दायर करने या मुक़द्दमे की जवाबद्दिही करने या मुकद्दमे के मद्धे और कुछ काम करने या इक़बालदावा करने की परवानगी की लिखतम हो अथवा मुख़्तारनामाहो जालसाज़ी से बनावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

४६७ जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखतम को

जालसाज़ी किसी दस्तावेज़ की अथवा वसीयतनामे की

जो दस्तावेज़ अथवा वसीयत नामा हो अथवा जिस में लड़का गोद लेनेकी आज्ञा हो अथवा जिसमें किसी

मनुष्य को कोई दस्तावेज़ लिखने अथवा बेचने अथवा उसका मूल या ब्याज या ब्याज का बांट लेने की अथवा रुपया या अस्थावर धन या दस्तावेज़ लेने या देने की परमानगी हो अथवा जो और किसी लिखतम को जो रुपया चुकानेकी फारख़ती या रसीद हो या अस्थावर धन या दस्तावेज़ पाने की फारख़ती या रसीद हो जालसाज़ीसे बनावेगा उसको दंड जन्म-भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिसकी म्याद दश बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

छलने के लिये जालसाज़ी

४६८ जो कोई मनुष्य इस प्रयोजन से जालसाज़ी करेगा कि यह जाली लिखतम किसी को छलने के लिये कामआवे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

किसी मनुष्य के यश को ज्यान पहुंचाने के लिये जालसाज़ी

४६९ जो कोई मनुष्य इस प्रयोजनसे जालसाज़ी करेगा कि इस जाली लिखतम से किसीमनुष्यके यशकोज्यान पहुंचे अथवा यह जानबूझकर कि यह लिखतम उसमनुष्यके यशको ज्यानपहुंचाने

के निमित्त काम में आनी अति सम्भवित है उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्मानेके भी योग्य होगा ॥

जाली लिखतम

४७०--कोई झूठी लिखतम जो सब अथवा आधी परधी जालसाज़ी से बनाई गई हो जाली लिखतम कहलावेगी ॥

छलछिद्रसे किसी जाली लिखतमको सच्ची कीभांति काममें लाना।

४७१--जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से किसी लिखतम को जिसे वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि जाली है सच्ची की भांति काममें लावेगा उसको दंड वैसाही किया जायगा मानों उसने लिखतम की जालसाज़ी की ॥

दफ़ा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य केई जालसाज़ी करनेके प्रयोजनसे झूठी मोहर इत्यादि बनानी अथवा पास रखनी

४७२--जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर अथवा चपरास अथवा और कोई छापने का औजार इस प्रयोजन से बनावेगा कि वह इस संग्रह की दफा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जाल-

साज़ी के करने में काम आवे अथवा इसी प्रयोजन के लिये अपने पास ऐसी मुहर अथवा चपरास अथवा औज़ार को यह बात जान बूझकर कि यह झूठा है रक्खेगा उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्मानेके भी योग्य होगा ॥

कोई झूठी मुहर अथवा चपरास इत्यादि दूसरी किसी भांति दंड होने योग्य कोई जालसाज़ी करनेके प्रयोजनसे बनाना अथवा पास रखना

४७३--जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर अथवा चपरास अथवा और कोई छापने का औज़ार इस प्रयोजन से बनावेगा कि वह इस अध्याय की दफ़ा ४६७ को छोड़ कर और किसी दफ़ा के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जालसाज़ी के करने में काम आवे अथवा इस प्रयोजन के लिये अपने पास ऐसी मुहर अथवा चपरास अथवा औज़ार को यह बात जान बूझ कर कि यह झूठा है रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्मानेके भी योग्यहोगा ॥

कोई लिखतम यहजान बूझ कर कि यहजालसाज़ी से बनी है अपने पास इस प्रयोजन से रखनी कि सच्ची की भांति काममेंलाईजाय

४७४--जो कोई मनुष्य कोई ऐसी लिखतम जिसको वह जानता हो कि जालसाज़ी से बनाई गई है इस प्रयोजन से अपने पास रक्खेगा कि छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से सच्ची की भांति काम मे लाई जाय उसको कदाचित् वह लिखतम इस संग्रह की दफ़ा ४६६ में कहेहुये प्रकारकी हो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्यहोगा ॥

और कदाचित् वह लिखतम दफ़ा ४६७ में कहे हुये प्रकारकी होतो दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

जालसाज़ी सेबनानाकि सोचिन्ह अथवानिशान कानो दफा ४६७ मेंकहे हुये प्रकारकी लिखतमों की सच्चाईके लिये काम आताहो अथवा पासरख नाकिसीबस्तुकोजिसपर झूठाचिन्ह लगाहो

४७५--जो कोई मनुष्य किसी बस्तु पर अथवा किसी बस्तु में कोई चिन्ह अथवा निशान जो इस संग्रह की दफ़ा ४६७ में कहे हुये प्रकार की किसी लिखतम को प्रामाणिक करने के लिये काम में आता हो इस प्रयो-

जन से झूठा बनावेगा कि इस चिन्ह अथवा निशान के होने से कोई लिखतम जो उसी समय उस बस्तु पर जालसाज़ी से बनी हो अथवा पीछे बनाई जाने को हो प्रामाणिक दिखाई दे अथवा जो कोई मनुष्य इसी प्रयोजन से अपने पास कोई बस्तु रक्खेगा जिसपर अथवा जिसमें इसी प्रकार का चिन्ह अथवा निशान जालसाजी से लगाया गया हो उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी मयाद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

४७६--जो कोई मनुष्य किसी बस्तु पर अथवा

जलसाज़ी से बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान का जो दफ़ा ४६७ में कही हुई लिखतमों को छोड़कर और प्रकार की लिखतमों की सच्चाई के लिये काम आता हो। अथवा पास रखना किसी बस्तु का जिसपर झूठा चिन्ह लगा हो।

किसी बस्तु में कोई चिन्ह अथवा निशान जो इस संग्रह की दफ़ा ४६७ में कही हुई लिखतमों को छोड़ कर और प्रकार की किसी लिखतम की प्रामाणिक करने के लिये काम में आता हो इस प्रयोजन से झूठा बनावेगा कि उस चिन्ह अथवा निशान के होने से कोई लिखतम जो उसी समय उस बस्तु पर जालसाज़ी से बनी हो अथवा पीछे

बनाई जाने को हो प्रामाणिक दिखाई दे अथ-
वा जो कोई मनुष्य इसी प्रयोजन से अपने
पास कोई वस्तु रक्खेगा जिसपर अथवा जिस में
इसी प्रकार का चिन्ह अथवा निशान जालसाजी से
लगाया गया हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार
की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी
किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

छल छिद्रसे किसी वसीयतनामे का बिगाडना नष्ट करना इत्यादि

४७७ जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से अथवा सबलोगोंको या किसी मनुष्य को नुक़सान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से किसी लिखतम को जो वसीयतनामा हो अथवा लड़कागोद लेनेकी आज्ञा का लेखहो अथवा दस्तावेज़ हो बिगाड़ेगा अथवा नष्ट करेगा अथवा उसपर क़लम फेरेगा अथवा बिगाड़ने या नष्ट करने या क़लम फेरनेका उद्योगा करेगा अथवा छुपावेगा या छुपाने का उद्योग करेगा अथवा उसके मद्धे कुछ उत्पात करेगा उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

—※—

व्यापार और माल के चिन्हों के विषय में

४७८ कोई चिन्ह जो यह बात जताने के लिये

व्यापार का चिन्ह

लगाया जाता हो कि यह माल फलाने मनुष्य ने बनाया है अथवा तैयार किया है अथवा फलाने समय अथवा स्थानपर बनाया गया है अथवा फलाने प्रकार का है वह व्यापार का चिन्ह कहलावेगा॥

४७९ कोई चिन्ह जो यह बात जताने के लिये

माल का चिन्ह

लगाया जाता हो कि यहवस्तु फलाने मनुष्य की है वह माल का चिन्ह कहलावेगा॥

४८० जो कोई मनुष्य किसी मालपर अथवा संदूक़ अथवा बिदरीपर अथवा और किसी वस्तु पर जिस में

व्यापार का झूठा चिन्ह काम में लाना

माल भरा हो कोई चिन्ह लगावेगा अथवा किसी चिन्ह लगी हुई संदूक़ या बिदरी या और वस्तु को काम में लावेगा इस प्रयोजन से कि जिस माल पर वह चिन्ह लगाया गया है अथवा जो माल उस चिन्हलगी हुई संदूक़ अथवा बिदरी अथवा और वस्तु में भरा है

किसी ऐसे मनुष्य का बनाया हुआ अथवा तैयार किया हुआ समझा जाय जिसने उसको न कभी बनाया और न तैयार किया अथवा यह समझा जाय कि यह माल किसी ऐसे समय अथवा स्थान पर बनाया अथवा तैयार किया गया था जिस पर न वह बनाया गया और न तैयार किया गया अथवा यह समझा जाय कि यह उस विशेष प्रकार का है जिसका कि वह है नहीं तो कहलावेगा कि वह व्यापार के झूठे चिन्ह को काममें लाया ॥

४८१ माल का चिन्ह काम में लाना

जो कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अथवा माल पर अथवा संदूक पर अथवा बिद्रीपर अथवा और किसी वस्तु पर जिसमें कुछ वस्तु अथवा माल भरा हो कोई चिन्ह लगावेगा अथवा चिन्ह लगी हुई किसी संदूक अथवा बिद्री अथवा और वस्तु को काममें लावेगा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु अथवा माल जिस पर वह चिन्ह लगाया गया है अथवा जो वस्तु अथवा माल उस चिन्ह लगी हुई संदूक में अथवा बिद्री में अथवा और वस्तु में भरा है किसी ऐसे

मनुष्य का समझा जाय जिसका कि वह है नहीं तौक़-लहावेगा कि वह मालके झूठ चिन्ह को काम में लाया॥

किसी मनुष्य को धोखा देने अथवा नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से ब्यापार अथवा माल का झूठा चिन्ह काम में लाने का दंड

४८२ जो कोई मनुष्य व्यापार का झूठा चिन्ह अथवा माल का झूठा चिन्ह किसी मनुष्य को धोखा देने अथवा नुक़सान पहुंचाने के प्रयोजन से काम में लावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से ब्यापार अथवा मालका कोई ऐसा चिन्ह जिसको और कोई काममें लाता हो झूठा बनाना

४८३ जो कोई मनुष्य सब लोगोंको अथवा किसी मनुष्य को नुक़सान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से जान बूझ कर व्यापार अथवा माल का कोई ऐसा चिन्ह जिसको और कोई काम में लाता हो झूठा बनावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

४८४—जो कोई मनुष्य सब लोगों को अथवा किसी

मालका कोई ऐसा चिन्ह जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर काममें लाता हो अथवा ऐसा चिन्ह जिसको वह किसी मालका तैयार होना और गुण इत्यादि प्रकट करने के लिये काम में लाता हो झूठा बनाना

मनुष्य को नुक़सान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से जान बूझ कर कोई ऐसा माल का चिन्ह जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर काम में लाता हो अथवा और कोई चिन्ह जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर यह बात जताने के लिये काममें लाता हो कि यह माल फलाने मनुष्य का अथवा फलाने समय का अथवा फलाने स्थान का बना हुआ है अथवा फलाने प्रकार का है अथवा फलाने दफ्तर में होकर आया है अथवा किसी माफी के योग्य है झूठा बनावेगा अथवा झूठा जान बूझ कर सच्चे की भांति काम में लावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

छलछिद्र से बनाना अथवा पास रखना किसी ठप्पे अथवा चपरास अथवा औज़ार का इस लिये कि कोई चिन्ह माल का अथवा व्यापार का चाहे सर्वसम्बन्धी हो चाहे निजका झूठा बनाया जाय

४८५ - जो कोई मनुष्य कुछ ठप्पा अथवा चपरास अथवा औज़ार जो माल का अथवा व्यापार का चिन्ह बनाने अथवा खोटा करने के लिये हो चाहे वह व्यापार अथवा माल सर्वसम्बन्धी हो चाहे निजका इस प्रयोजन से बनावे ॥ अथवा अपने पास रक्खेगा कि उसको ऐसा चिन्ह झूठा बनालेने के लिये काम में लावे अथवा अपने पास इसी प्रकार का कोई चिन्ह व्यापार का अथवा माल का इस प्रयोजन से रक्खेगा कि वह यह बात जताने के लिये काम में आवे कि फलाना माल अथवा सौदागरी की वस्तु फलाने मनुष्य की अथवा फलाने कारखाने की कि जिसको वह बनाई हुई नहीं है बनाई हुई समझी जाय अथवा जिस स्थान अथवा समय पर कि वह बनाई नहीं गई थी उस समय अथवा स्थान पर बनाई गई समझी जाय अथवा जिस प्रकार की कि वह नहीं है उस प्रकार की समझी जाय अथवा जिस मनुष्य की कि वह नहीं है उसकी समझी जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक

हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जानमान कर बेचना किसी माल का जिस पर ब्यापार अथवा माल का झूठा चिन्ह लगा हो

४८६—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माल को जिस पर अथवा जिस सन्दूक़ में या बेठन में या वस्तु में वह माल हो उस पर कोई झूठा चिन्हमालका अथवा व्यापार का लगा हो अथवा छपा हो चाहे सर्व सम्बन्धी हो चाहे निजका किसी को धोखा देने या नुक़सान या हानि पहुंचाने के प्रयोजन से यह बात जान बूझ कर बेचेगा कि यह चिन्ह झूठा है अथवा जालसाज़ी से लगाया गया है अथवा किसी ऐसे माल पर अथवा सौदागरी की वस्तु पर लगाया गया अथवा छापा गया है जो उस मनुष्य की अथवा उस समय की अथवा उस स्थान की जो कि उस चिन्ह से जान पड़ता है बनी हुई नहीं है अथवा यह जान बूझ कर कि जो प्रकार उस चिन्हसे जाना जाता है उस प्रकार की नहीं है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसको म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

४८७—जो कोई मनुष्य छलछिद्र से कोई झूठा चिन्ह किसी बिदरीपर अथवा और बस्तु पर जिसमें माल भरा हो इस प्रयोजन से लगावेगा कि कोई सर्व सम्बन्धी नौकर अथवा और मनुष्य उस बिदरी अथवा माल रखने को बस्तु में ऐसे माल का होना समझे जो कि उस में है नहीं अथवा ऐसे माल का न होना समझे जो कि उसमें है अथवा उस बिदरी या बस्तु में भरेहुये माल को उसके असल प्रकार या गुण से भिन्न दूसरे किसी प्रकार या गुण का समझे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छल छिद्र से किसी बिद री अथवा माल भरी हुई बस्तुपर झूठा चिन्हलगाना

४८८ जो कोई मनुष्य ऐसे झूठे चिन्हको यहबात जानबूझ कर कि यह झूठा है ऊपरकहेहुये प्रयोजन से काम में लावेगा उसको दंड पिछली दफ़ा में लिखे अनुसार किया जायगा ॥

ऐसे झूठे चिन्ह को काम में लाने का दंड

४८९—जो कोई मनुष्य किसी माल के चिन्ह को हटावेगा अथवा बिगाड़ेगाअथवा मिटावेगाइस प्रयोजन से अथवा यहबात अतिसम्भवित

बगाड़ना माल के चिन्ह का नुक़सान पहुंचाने के प्रयोजन से

जानकर कि इससे किसी मनुष्य को नुक़सान पहुंचेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

—*—

अध्याय १९ ॥

नौकरी का क़ौल क़रार दंड योग्य रीति से तोड़ने के विषय में

जल अथवा थल के सफ़र में नौकरी के क़ौल क़रार को तोड़ना

४९०—जो कोई मनुष्य जिसपर किसी नीति पूर्वक क़ौल क़रारके अनुसार किसी मनुष्य को अथवा माल का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अथवा पहुंचाने में अपने शरीर से काम करना अथवा जल या थल के सफ़र में किसी मनुष्य की नौकरी बजाना अथवा जल या थल के सफ़र में किसी मनुष्य अथवा माल की चौकसी करनी अवश्य हो जान मान कर ऐसा करने से चूकेगा उसको सिवाय इसके कि वह कुचैना हो जाय अथवा अच्छे न रक्खा जाय दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने

तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो एकसौ रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त एक पालकी का कहार जिसपर नीति पूर्बक किये हुये कौल क़रारके अनुसार विष्णु मित्रको एक जगहसे दूसरी जगह लजाना अवश्य था अधपर से भाग गया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(इ)—देवदत्त एक कुली जिसपर नीति पूर्बक किये हुये कौल क़रार के अनुसार विष्णु मित्र का असबाब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अवश्य था असबाब फेंक कर चल दिया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(उ)—देवदत्त एक बैलों के मालिक ने जिस पर नीति पूर्बक किये हुये कौल क़रार के अनुसार कुछ माल अपने बैलों पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना अवश्य था ऐसा करने में अनीति रीति से चूका तो देवदत्तने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(ए)—देवदत्त ने यज्ञदत्त कुली को अपना असबाब ले चलने के लिये अनीति रीति से दबाया यज्ञदत्त रस्ते में असबाब रखकर भाग गया तो यहां यज्ञदत्त पर नीति पूर्बक उस असबाब का लेजाना अवश्य न था इसलिये यज्ञदत्तने कुछ अपराध नहीं किया ॥

विवेचन—इस अपराध में कुछ यह अवश्य नहीं है कि क़ौल क़रार उसी मनुष्य के साथ किया जाय जिसकी नौकरी करनी हो इतनाही काफी होगा

कि जो मनुष्य नौकरी करने को हो उसने किसी मनुष्य के साथ नीति पूर्वक क़ौल क़रार किया हो चाहै प्रकट चाहै अप्रकट ॥

उदाहरण

देवदत्तने किसी डाककंपनी के साथ उनकी गाड़ी एक महीने तक हांकने का क़ौल क़रार किया यज्ञदत्त ने सफ़र में जाने के लिये उसी डाककम्पनी की गाड़ी भाड़े की और उस कम्पनी ने यज्ञदत्त को उस महीने के भीतर वही गाड़ी दी जिसको देवदत्त हांकता था देवदत्त ने जान बूझ कर सफ़र में गाड़ी छोड़ दी तो यहां यद्यपि देवदत्त ने यज्ञदत्त के साथ क़ौल क़रार नहीं किया था तो भी इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ ॥

असमर्थ मनुष्यों की टहल करने और जो वस्तु उनके लिये अवश्य चाहिये उसके पहुंचाने के क़ौल क़रार को तोड़ना।

४९१—जो कोई मनुष्य जिसपर किसी नीतिपूर्वक क़ौल क़रार के अनुसार किसी ऐसे मनुष्य की जो कमअवस्था से अथवा बुद्धि की उन्मत्तता से अथवा रोग या शरीर की दुर्बलता से बेबस हो अथवा अपनी रक्षा का उपाय करने अथवा जो वस्तु दरकार हो उसके प्राप्त करने को असमर्थ हो खबरलेना अथवा जरूरी वस्तु पहुंचाना अवश्य हो जान मान कर ऐसा करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा

जुर्माने का जो दोसौ रुपये तकहो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

४९२—जो कोई मनुष्य जिसपर किसी नीति पूर्वक लिखे हुये क़ौल क़रार के अनुसार दूसरे मनुष्य का काम कारीगर अथवा टहलुआ अथवा मजूर की भांति करना तीन बरस से कमती म्याद तक हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य में किसी जगह पर जहां उस क़ौल क़रार के अनसार वह उस दूसरे मनुष्य के खर्चसे पहुंचाया गया हो अथवा पहुंचाया जाने को हो अवश्य हो जान मान कर नौकरी उस दूसरे मनुष्य की अपने क़ौल करार की म्याद के भीतर छोड़देगा अथवा बिना अच्छे हेतु के किसो ऐसे कामके करने से नाहीं करेगा जिसके करने का उसने क़ौल क़रार कर लिया हो और वाजिबी और उचित नौकरी हो उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एक महीने से अधिक न होगी अथवा जुर्माने का जो उस खर्चके रुपये के दूने से अधिक न होगा अथवा दोनों का किया जायगा सिवाय इसके कि जब यह बात पाई जाय कि नौकर रखने वाले ने उसके साथ अनीति की अथवा अपनी ओर से क़ौ क़रार के भुगताने में असावधानी की ॥

तोड़ना क़ौल क़रार का दूर किसी स्थानपर जहां नौकर मालिक के खर्च से पहुंचाया गया हो।

अध्याय २०

विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में

संभोग जो किसी पुरुष ने धोखे से नीतिपूर्वक विवाह होजाने का निश्चय कराकर किया हो

४९३—प्रत्येक पुरुष जो धोखा देकर किसी स्त्री को जिसका ब्याह उससे नीति पूर्वक न हुआ हो निश्चय उसके साथ नीति पूर्वक ब्याही होने का करावेगा और उसी निश्चय में अपने साथ उससे संभोग अथवा मैथुन करावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का किया जायगा जिसकी म्याद दस बरस तक होसकेगी और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

जोरू अथवा खसम के जीतेजी और ब्याह करना

४९४—जो कोई मनुष्य जिसकी जोरू अथवा खसम जीता हो ऐसी सूरत में ब्याह करेगा जब कि वह ब्याह उस जोरू अथवा खसम के जीते[1] जी होने के कारण अनीति समझा जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का किया जायगा जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी और जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

१—हिन्दू मुसल्मानों में पुरुष के लिये जोरू के जीतेजी दूसरा ब्याह करलेना अनीति नहीं है इसलिये यह सज़ा उनको न हो सकेगी ॥

छूट—यह दफ़ा किसी ऐसे मनुष्य से सम्बन्ध न रक्खेगी जिसका ब्याह उस जोरू अथवा खसम के साथ किसी समर्थ अदालत से मंसूख़ हो चुका हो और न ऐसे मनुष्य से रक्खेगी जिसका बिछोह पहली जोरू अथवा खसम से बराबर सात बरस तक रह चुका हो और उसने उन सात बरस के भीतर उस जोरू अथवा खसम के जीते होने की खबर कभी न पाई हो परंतु शर्त्त यह है कि पिछला ब्याह करने वाला अथवा करने वाली ब्याह होने से पहले उस से जिसके साथ ब्याह करे सब हाल सत्य सत्य जहांतक जानता अथवा जानती हो कहदे॥

यह अपराध पहले ब्याह हो उससे जिसके साथ पिछला ब्याह हुआ छिपा कर करना

४९५—जो कोई मनुष्य पिछली दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध उससे जिसके साथ दूसरा ब्याह करे अपने पहले ब्याह का हाल छुपाकर करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जुर्माने के भी योग्य होगा॥

छलछिद्र के प्रयोजनसे बिवाह कर्म करना

४९६—जो कोई मनुष्य बेधर्मई से अथवा छलछिद्र के प्रयोजन से ब्याह के कर्म यह बात जानमान कर करेगा

कि इससे मेरा ब्याह नीति पूर्वक नहीं होताहै उस-
को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी
म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और
जुर्माने के भी योग्य होगा ॥

व्यभिचार

४९७—जो कोई मनुष्य किसी ऐसी स्त्री के साथ
जिसको वह जानता हो अथवा निश्चय
मानने का हेतु रखता हो कि किसी और पुरुष की
जोरू है बिना राज़ी अथवा बिना आनाकानी उस
पुरुष के संभोग करेगा और वह संभोग इस प्रकार
का न होगा कि बल सहित व्यभिचार गिना जाय
तौ वह मनुष्य व्यभिचार के अपराध का अपराधी
होगा और उसको दंड दोनों में स किसी प्रकार की
क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी
अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जाय-
गा परन्तु वह स्त्री उस अपराध में सहायता करने
का दंड न पावेगी ॥

बुरे प्रयोजनसे बहकाना अथवा ले जाना अथवा रोकरखना किसी स्त्री का जिसका ब्याह होगयाहो

४९८—जो कोई मनुष्य किसी स्त्री को जो और
किसी पुरुष की जोरू हो और
जिसको वह जानताहो अथवा
निश्चय मानने का हेतु रखता
हो कि यह और किसी पुरुष

की जोरू है उस पुरुष के पास से अथवा दूसरे किसी मनुष्य के पास से जिसकी रक्षा में वह उस पुरुष की ओर से हो इस प्रयोजन से ले जायगा अथवा बहकावेगा कि उस स्त्री का किसी पुरुष के साथ अनीति संभोग करावे अथवा ऐसी स्त्री को उसी प्रयोजन से छुपावेगा अथवा रोक रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अध्याय २१

अपयश लगाने के विषय में

अपयश लगाना

४९९—जो कोई मनुष्य शब्दों से जो उच्चारण किये गये हों अथवा जो पढ़े जाने के प्रयोजन से हों अथवा चिन्हों से या प्रत्यक्ष चित्र इत्यादि से किसी मनुष्य के मद्धे कोई बात लगावेगा अथवा छाप कर प्रकट करेगा इस प्रयोजन से अथवा यह जान मान कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि इस बात के लगाने से उस मनुष्य के यश

को हानि पहुंचेगी तो सिवाय आगे लिखी हुई छूटों के कहा जायगा कि उसने उस मनुष्य को अपयश लगाया ॥

विवेचन १—किसी मरेहुये मनुष्य को कोई बात लगाने से भी अपयश लगाना होसकेगा कदाचित् उस अपयश के लगाने से उस मनुष्य के यश को जब कि वह जीता होता हानि पहुंचती और प्रयोजन उसके लगाने से यह हो कि उस मनुष्यके वंश वालों अथवा नगीचके नातेदारों को बुरालगे ॥

विवेचन २—किसी कम्पनी अथवा समाज को अथवा मनुष्यों के समुदाय को जो कम्पनी या समाज की भांति इकट्ठे हों कोई बात लगानी यह भी अपयश लगाना हो सकेगा ॥

विवेचन ३—दुअर्थ शब्द कह कर अथवा व्याज-स्तुति करके कुछ बात लगानी यह भी अपयशलगाना हो सकेगा ॥

विवेचन ४—किसी बात के लगाने से किसीमनुष्य के यश को हानि पहुंचनी न कहलावेगी जब तक कि उस बात के लगाने से स्पष्ट अथवा लौट फेर कर औरों के नगीच उस मनुष्य की सुचाल अथवा

बुद्धिमानो नीची न होजाय अथवा उसकी जाति या व्योहार में बट्टा न लगे अथवा उसकी साखि न बिगड़े अथवा यह बात न समझी जाय कि उस मनुष्य का शरीर बिगड़ गयाहै अथवा ऐसी अवस्था में हो गया है जो बहुधा कलंकित गिनी जाती है ॥

उदाहरण

(अ)—देवदत्त ने इसप्रयोजनसे कि विष्णु मित्रका यज्ञदत्तकी घड़ी चुरानाप्रतीतिकियाजाय कहा कि विष्णु मित्र ईमान्दारमनुष्य है उसनेयज्ञदत्तकीघड़ी कभी न चुराईहोगी तो यहअपयशलगाना कहलावेगा सिवायइसके कि छूटोंमेंसे किसीछूटमें आजाय ॥

(इ)—देवदत्तसे पूछागया कि यज्ञदत्तकीघड़ी किसने चुराईहै देवदत्त ने विष्णु मित्र की ओर इशारा किया यह समझे जाने के प्रयोजनसे कि यज्ञदत्तकीघड़ीविष्णु मित्रनेचुराईहै तो यहअपयश लगानाकहलावेगा सिवायइसके कि किसीछूटमेंआजाय ॥

(उ)—देवदत्तने एकचित्र जिसमें विष्णु मित्र यज्ञदत्तकी घड़ी को लिये भागाजाताहै इसप्रयोजनसे बनाया कि यज्ञदत्तकी घड़ी को विष्णु मित्रका चुराना समझा जाय—तो यह अपयशलगाना कहलावेगा सिवाय इसके कि किसीछूटमें आजाय ॥

लगाना किसी सच्ची बात का जो सबके भलेकेलिये लगाईजानी अथवाप्रकट कीजानी उचित हो

छूट पहली—किसी मनुष्यकेमद्दे कोई सच्चीबात लगानी अपयश लगाना न होगा कदाचित् उसका लगाया जाना अथवा प्रकट करना

सबके भलेके लिये उचित हो और यह देखना कि वह बात सबके भलेके लिये थी या नथी उस समयके बर्त्तमान के आधीन होगी ॥

सर्वसम्बन्धी नौकरका सर्व सम्बन्धी चलन

छूट दूसरी—शुद्ध भाव से कुछ बिचारांश किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की कार-रवाई के मद्धे अथवा उसके चलनके मद्धे वहीं तक जहांतक कि वह चलन उस काररवाई से सम्बन्ध रखता हो प्रगट करदेना अप-यश लगाना न होगा ॥

किसी मनुष्य का चलन किसीसर्वसम्बन्धी बातके मद्धे

छूट तीसरी—शुद्ध भाव से कुछ बिचारांश किसी सर्व सम्बन्धी मामलेमें किसी मनुष्य की काररवाई के मद्धे अथवा उसके चलन के मद्धे वहीं तक जहां तक कि वह चलन उस कार-रवाई से सम्बन्ध रखता हो प्रकट कर देना अपयश लगाना न होगा ॥

उदाहरण

कदाचित् देवदत्तअपना बिचारांश चाहे जैसाहो विष्णुमित्रके के मद्धे किसीसर्व सम्बन्धी मामलेकी अर्जीगवर्नमेंटको देने में अथवा किसी सर्वसम्बन्धी मामलेकी सभा होनेके लियेबुलानेके काग़ज़पर दस्तख़त करनेमें अथवा ऐसीसभामें आनेयामुख्यबन्

में अथवा सबसे सहायता मांगनेके लिये किसी समाजके इकट्ठे करनेया उसका साथीहोनेमें अथवा किसी ऐसे ओहदेके लिये जिसकाकाम भलीभांति भुगतनेसे सबका प्रयोजन किसी विशेष उम्मेदवार की ओर रायदेने या वाद करनेमें शुद्धभावसे कहदे तौ यह अपयश लगाना न कहलावेगा ॥

अदालत की कार रवाई की ख़बर छापकर प्रकट करनी

छूट चौथी—किसी अदालत के हाकिम की काररवाई की कोई सच्ची और पक्की ख़बर अथवा उसकाररवाईका परिणाम छापकरप्रकट करना अपयश लगाना न होगा ॥

विवेचन—जब कोई जस्टिस आफदी पीस अथवा और अहलकार खुली कचहरी कोई तहक़ीक़ात करता हो जो अदालत में किसी मुकद्दमे का न्याय होने से पहले होनी चाहिये तौ वह पिछली छूट के अर्थमें अदालत का हाकिम कहलासकेगा ॥

अदालत में निबड़े हुए किसी मुकद्दमेकी अवस्था अथवा उस मुकद्दमे के गवाहों इत्यादि

छूट पांचवीं—शुद्ध भावसे कुछ बिचारार्थ दीवानी अथवा फौजदारी के किसी मुकद्दमे की व्यवस्था के मद्धे जिसको किसी अदालतकेहाकिम ने निबेड़ा हो अथवा किसी मनुष्यकी काररवाई के मद्धे जो उस मुकद्दमे में पक्षपाती अथवा गवाह अथवा मुख्तयार हो अथवा

उस मनुष्य के चलन के मद्धे वहीं तक जहां तक कि वह चलन उसी कारवाई से सम्बन्ध रखता हो प्रकट करदेना अपयश लगाना न होगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने कहाकि मेरेनगीच विष्णु मित्र की गवाहीउस मुकद्दमेमें ऐसी उलटी सीधीहै कि वह यातो मूर्ख होगायाबे-धर्मी होगा—तो देवदत्त इस छूटमें गिना जायगा कदाचित्यह बात उसने शुद्ध भावसे कही हो क्योंकि जो बिचारांश उसने विष्णु मित्र के चलन के मद्धे कहा वहीं तक कहा जहांतककि गवाही में विष्णु मित्र की कारवाई से संबन्ध रखताथा ॥

(इ)—परन्तु जो देवदत्तने यह कहाहो कि विष्णु मित्रनेउस मुकद्दमे में जो कुछ कहाहै उसको मैं सच नहीं मानता हूं क्योंकि मैं जान्ता हूं कि वह सच्चा मनुष्य नहीं है तो देव-दत्त इस छूट में न गिना जायगा क्योंकि जो बिचारांश उसने विष्णु मित्रके चलन के मद्धे कहा वह विष्णु मित्रकी गवाहीकी कारवाई से संबन्ध नहीं रखताथा ॥

किसी सर्बसम्बन्धी काम की व्यवस्था

छूट छठी—शुद्धभाव से कुछ बिचारांश किसी सर्व-सम्बन्धी कामकेमद्धे जिसको उसके करने वाले ने सबके बिचारने के लिये किया हो अथवा कुछ विचारांश उस करनेवाले के चलन के मद्धे वहीं तक जहां तक कि वह चलन उस कामसे सम्बन्धरखताहो प्रकटकरदेना अपयश लगाना न होगा ॥

विवेचन—किसी कामका सबकेविचारकेलिये प्रकट किया जाना कहलावेगा जब कि वह काम स्पष्ट सब के विचारने के निमित्त कियाजाय अथवा उस कामके करने वालेकी ओरसे कोईऐसाकाम हो जिससेउसका सबके विचारके लिये कियाजाना समझाजाय ॥

उदाहरण

(अ) कोई मनुष्य जो पुस्तक छापता है उस पुस्तककोसबके विचार के लिये प्रकट करता है ॥

(इ) कोई मनुष्यजो सबकेसामनेकुछ बर्णन करताहैउसबर्णन को सबके विचारके लिये प्रकट करताहै ॥

(उ)कोई खिलाड़ी अथवा गवय्या जो अखाड़ेमें सबकेसामने आता है वह अपने खेल अथवा गाने को सबके विचारके लिये प्रकट करता है ॥

(ऋ) देवदत्त ने विष्णु मित्र की छापीहुई किसी पुस्तककेमद्धे कहा कि विष्णु मित्र की पुस्तक मूढ़ता की है इस्से विष्णु मित्र कोई तुच्छ बुद्धि मनुष्य होगा अथवा यह कि विष्णुमित्र की पुस्तक निर्लज्जता कीहै इस्से विष्णु मित्र कोई व्यभिचारीमनुष्य होगा तो देवदत्त इस छूट में गिना जायगा कदाचित्यहकहना उसका शुद्धभाव से हो क्योंकि जो बिचारांश उसने विष्णु मित्रके मद्धे कहाविष्णु मित्रके चलनसे केवल वहीं तक संबन्ध रखताहै जहांतक किवह चलन विष्णु मित्र की पुस्तक से जानागया ॥

(ऌ) परन्तु जोदेवदत्तने यहकहा होकि विष्णु मित्रकी पुस्तक मूढ़ता औरनिर्लज्जताकीहै नेका मुझे कुछआश्चर्य नहींहैक्योंकि वहमूर्खऔरलम्पट मनुष्यहै तो देवदत्त इसछूटमें नगिनाजायगा॥

क्योंकि जो विचारांश उसने विष्णु मित्र के चलनके मद्धे कहा वह विष्णु मित्रकी पुस्तकसे संबन्ध नहीं रखता है ॥

शिक्षादोष जो शुद्धभाव से कोई ऐसा मनुष्य दे जिस को क़ानून की रीति से दूसरेपर अधिकार प्राप्त हो

छूट सातवीं—जिस मनुष्य को दूसरे पर क़ानून की रीतिसे अथवा किसीक़ौल क़रार के द्वारा जो उस दूसरे के साथ क़ानून अनुसार हुआ हो कुछ अधिकार प्राप्त हो उसकी ओर से उस दूसरे मनुष्यकी कारखाई के मद्धे किसी बात में जिससे उसका नीति पूर्वक अधिकार सम्बन्ध रखता हो शुद्धभाव से कुछदोष लगाया जाना अपयश लगाना न होगा ॥

उदाहरण

कोई हाकिमजो किसी गवाह अथवा अदालतके अहलकार की कारखाई पर शुद्ध भाव से शिक्षा दोष लगावे और किसी सरिश्तेका मुनीब जो शुद्ध भाव से अपने आज्ञाकारियों को शुद्धभावसे शिक्षादोष लगावे और कोई माता अथवा पिता जो अपने किसी बालक को और बालकों के सामने शुद्ध भाव से शिक्षा दोष लगावे और कोई अध्यापक जो किसी विद्यार्थी के मा या बाप से अधिकार पाकर उसविद्यार्थी कोऔरविद्यार्थियों के सामने शुद्ध भाव से शिक्षा दोष लगावे और कोई मालिक जो अपने नौकर को उसकी नौकरी में असावधानी होने के कारण शुद्ध भाव से शिक्षादोष लगावे और कोई कोठीवाल जो अपनी कोठी के रोकड़ियेको उसके रोकड़िये पनके काम में शुद्धभाव से शिक्षादोष लगावेये सब इसी छूट में गिनेजायगे ॥

छूट आठवीं—शुद्धभावसेनालिशकरना किसीमनुष्य केऊपर उनमनुष्योंमेंसेकिसी केसामने जिनको उसनालिश के विषय में उस मनुष्य पर क़ानून अनुसार अधिकारहो अपयश लगाना न होगा ॥

नालिश करना शुद्धभावसे किसी मनुष्य के सामने जिसको यथार्थ अधिकार उसके सुननेका हो।

उदाहरण

कदाचित् देवदत्त शुद्धभाव से विष्णुमित्र के ऊपर किसीमजिस्ट्रेट के सामने नालिश करे अथवा देवदत्त शुद्धभाव से विष्णु मित्र के कामकी नालिश विष्णु मित्र के मालिक से करे अथवादेवदत्त शुद्ध भाव से विष्णु मित्र किसी लड़के के कामकी नालिशविष्णु-मित्र के बापसे करे तो देवदत्त इस छूटमें गिना जायगा ॥

छूट नवीं—दूसरे के चलन को कुछ बात लगानी अपयशलगाना न होगा कदाचित् लगाने वाले ने वहबात शुद्धभावसे अपने अथवा और किसीके स्वार्थकी रक्षाकेलिये अथवा सबके भलेके लिये लगाई हो ॥

अपने स्वार्थ की रक्षा के लिये अथवा सबके भले के लिये किसी मनुष्य को शुद्ध भाव से कुछ बात लगानी

उदाहरण

(अ)—देवदत्त एक दुकन्दार ने यज्ञदत्त से जो उसका काम काज करता था कहाकि विष्णु मित्र को कुछ मत बेचियो जब तककि वह रोकदाम न दे दे क्योंकि मुझको उसकीसाखनहीं है तो देवदत्त इस छूटमें गिना जायगा कदाचित् उसने यहबुराई शुद्धभाव से अपने स्वार्थकी रक्षाकेलिये विष्णु मित्रको लगाई हो।

(इ)—देवदत्त एक मजिस्ट्रेट ने अपने ऊपर के अफसरको रिपोर्ट करने में विष्णुमित्र के चलन को कुछ बुराईलगाई तो यहां देवदत्त इस छूटमें गिनाजायगा कदाचित् वह बुराईशुद्ध भावसे और सबके भलेकेलिये लगाई हो ॥

छूट दसवीं—एक मनुष्य को दूसरे के भद्दे शुद्ध भाव से सावधान करदेना अपयश लगाना न होगा कदाचित् वह सावधानी की बात उस मनुष्य के भले के लिये हो जिससे वह कही गई हो अथवा और किसी मनुष्य के भले के लिये जिस में उसका कुछ स्वार्थहो अथवा सबके भलेके लिये हो ॥

सावधानीकी बातजोउस मनुष्यकेभलेके लिये हो जिस्सेवह कहीगईहोअ थवासबके भलेके लिये

५००—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अपयश लगावेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अपयशलगानेकादंड

५०१—जो कोई मनुष्य कुछ बात यह जान कर अथवा जानने का अच्छा हेतु पाकर कि यह किसी मनुष्य को अपयश लगाने वाली है छापेगा अथवा खोद कर लिखेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी

छापना अथवा खोदकर लिखनाकिसीबातकायह जानकरकि यह अपयश लगानेवाली है

म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका कियाजायगा ॥

५०२—जो कोई मनुष्य किसी छपी हुई अथवा

बेचना किसी छपी हुई अथवा खुदीहुईबस्तुका जिसमें अपयश लगाने वालीबात हो।

खुदी हुई बस्तु को जिस में कोई अपयश लगाने वाली बात हो यह जान बूझ कर कि इस में ऐसी बात है बेचेगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अध्याय २२ ॥

दंड योग्य धमकी और अपमान और छेड़नेके विषय में

५०३—जो कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के तन को

दंडयोग्यधमकी

अथवा यशको अथवा धन को अथवा जिस मनुष्य में वह दूसरा मनुष्य स्वार्थ रखता हो उसके तन को अथवा यश को हानि पहुंचाने की धमकी इस प्रयोजन से देगा कि उस मनुष्य को घबड़ावे अथवा उससे कोई

ऐसा काम करावे जिसका करना उसपर क़ानून अनुसार अवश्य न हो अथवा कोई ऐसा काम करने से चुकावे जिसके करने का उसको क़ानून अनुसार अधिकार हो तौ कहा जायगा कि इसने दंड योग्य धमकी दी ॥

विवेचन—किसी ऐसे मरेहुये मनुष्य के यश को जिसमें धमकी दियेहुये मनुष्य का कुछ स्वार्थ हो हानि पहुंचाने का डर दिखाना इस दफ़ा के अर्थ में गिना जायगा ॥

उदाहरण

देवदत्त ने इस प्रयोजन से कि यज्ञदत्त उसके ऊपर अदालत दीवानीमें नालिश करनेसे रुकजाय यज्ञदत्तका घर जलादेने का डरदिखाया तो देवदत्त दण्डयोग्य धमकी देनेका अपराधीहुआ ॥

कुशलतामें विघ्नकराने के प्रयोजन से अपमान करना

५०४—जो कोई मनुष्य जानमानकर किसी मनुष्य का अपमान करेगा और इस उपाय से उसको क्रोध करावेगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि इस क्रोध के होने से वह मनुष्य सर्व सम्बन्धी कुशलता में विघ्न डालेगा अथवा और कुछ अपराध करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

५०५—जो कोई मनुष्य कुछ वृत्तान्त अथवा अफ़वाह अथवा ख़बर जिसको वह जानता हो कि झूठ है इस प्रयोजन से उड़ावेगा अथवा प्रकट करेगा कि श्री मती महारानी की सेना अथवा जहाज़ी फौज के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा मांझी से बग़ावत करावे अथवा इस प्रयोजन से कि सबको डर में अथवा घबराहट में डाले और इस उपाय से किसी मनुष्य से कुछ अपराध राज्यके विरुद्ध अथवा सर्व सम्बन्धी कुशलता के बिरुद्ध करावे उसको दंडदोनोंमें से किसीप्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

बग़ावतकराने अथवा सर्व संबन्धी कुशलता के विरुद्ध कोई अपराध कराने के प्रयोजन से झूठे अफ़वाह इत्यादिका उड़ाना

५०६—जो मनुष्य दंड योग्य धमकी देनेके अपराध का अपराधी होगा उसको दंड दोनोंमें से किसीप्रकार कीक़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तकहो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् धमकी वह धमकी मारडालने अथवा भारी दुःख पहुंचाने की हो अथवा आगके द्वारा किसी माल को नष्ट करदेने की अथवा कोई

दंड योग्य धमकी देने का दंड

कदाचित् धमकी मारडालने अथवा भारी दुःख पहुंचानेइत्यादि की हो

ऐसा अपराध करने की जिसका दंड बध अथवा जन्मभर का देश निकाला अथवा सात बरस तक की क़ैद हो अथवा किसी स्त्री को व्यभिचार लगाने की हो तौ दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बिना नामकी मुख़बरी के द्वारा दंड योग्य धमकी देना

५०७—जो कोई मनुष्य बिना नाम की मुख़बरी करके अथवा धमकी देनेवाले का नाम अथवा रहने का स्थान गुप्त रखने की सावधानी करके दंड योग्य धमकी देने का अपराधी होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी सिवाय उस दंड के जो उस अपराध के लिये पिछली दफ़ा में ठहराया गया है किया जायगा ॥

काम जो किसी को बहकाकरदेवीकोपका निश्चय कराने से कियाजाय

५०८--जो कोई मनुष्य जान मानकर किसी मनुष्य से कोई काम जिसका करना उस पर क़ानून अनुसार अवश्य न हो करावेगा अथवा कोई काम जिसके करने का वह क़ानून अनुसार अधिकारी हो करने से चुकावेगा अथवा कराने या चुकाने का उद्योग करेगा इस उपाय से कि उसको यह बात निश्चय करने के लिये बहकावे अथवा बहकाने का उद्योग करे

कि जो तू ऐसा न करेगा अथवा करने से न चूकेगा तो तुझपर अथवा फलाने मनुष्य पर जिसमें तू स्वार्थ रखता है ईश्वर का कोप होगा अथवा मैं कुछ कर्म करके दैवीकोप कराऊंगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

(अ)—देवदत्त विष्णुमित्र केद्वारपर धरने बैठाइसप्रयोजन से कि विष्णुमित्र निश्चय माने कि उसकायह बैठना विष्णुमित्र पर दैवीकोप लावेगा तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(ब)—देवदत्तने विष्णुमित्र को धमकी दी कि जो तूफलाना काम न करेगातो मैं अपने बालकों में से एक बालककोइसभांत मारडालूंगा जिस्से निश्चय मानाजायकितूदैवी कोपकेयोग्यहुआ तो देवदत्त ने इसदफामें लक्षण कियाहुआ अपराधकिया ॥

किसीस्त्रीकी लज्जाका अपमानकरनेके प्रयोजनसेबचनकहना अथवा सेनदेना

५०६--जो कोई मनुष्य किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने के प्रयोजन से कोई बचन कहेगा अथवा सेन देगा अथवा शब्द करेगा अथवा कुछ वस्तु दिखावेगा इस प्रयोजन से कि वह स्त्री उस बचन अथवा शब्द को सुने अथवा उस सेन या वस्तु को देखे अथवा उस स्त्री के परदे में घुस जायगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी

म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

५१०—जो कोई मनुष्य नशेमें किसी सर्वसम्बन्धी स्थान पर अथवा और किसी स्थान पर जहां उस का जाना मुदाख़लत बेजा हो जायगा और वहां कोई काम ऐसा करेगा जिस से किसी मनुष्य को ग्लानि हो उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद चौबीस घंटे अर्थात् आठ पहर तक होसकेगी अथवा जुर्माने का जो दश रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

कुचलनकिसीनशाकिये हुये मनुष्य का सबके सामने

———※———

अध्याय २३

अपराध करने के उद्योगके विषय में ॥

५११—जो कोई मनुष्य उद्योग किसी ऐसे अपराध के करने या कराने का करेगा जिस का दंड इस संग्रह के अनुसार देश निकाला अथवा क़ैद हो और उस उद्योग में कोई काम उस अपराध के लिये जाने के निमित्त करेगा तो जहां ऐसे उद्योग के दण्ड के लिये इस संग्रह में कुछ स्पष्टलेख नहींहै वहां उसको दंड

अपराधकेउद्योगकादंड

देश निकाले का अथवा उसी प्रकार की क़ैद का जो उस अपराध के लिये ठहराई गई हो उतनीही म्याद के देश निकाले अथवा क़ैद के लिये जितनी कि उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद के आधे तक हो सकेगी अथवा जुर्माने का जो उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्तने संदूक तोड़कर गहना चुरानेका उद्योगकिया और जब उससंदूक कोतोड़चुका तबजानाकि उसमें कुछ गहना नहींहै तो यहां देवदत्तने चोरी करनेके निमित्त एककामकिया इसलिये इस दफाके अनुसार अपराधीहुआ ॥

(इ) देवदत्त ने विष्णु मित्र की जेबमें हाथ डालकर जेब काटनेका उद्योग किया परन्तु विष्णु मित्र की जेब से कुछ न होनेके कारण उसका वह उद्योग न चला तो देवदत्त इसदफाके अनुसार अपराधी हो चुका ॥

समाप्तः



ऐक्ट नम्बर ३--बाबतसन् १८६७ ई०॥

—o—

बईं मुराद् कि मुमालिक मग़रबी व शुमाली प्रेज़ीडन्सी फोर्ट विलियम और मुल्क पंजाब और अवधऔर मुमालिक मुतवस्सित और बृटिशबूह्मा में बजमाआम क़मारबाज़ी करने और क़मारबाज़ी के मकानात आम रखनेकी सज़ा के लिये क़वायद मुन्ज़बित किये जायँ मज़ारियह जनाब नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुरहिन्द इजलास कौंसल २५—जनवरी सन् १८६७ ई० ॥

हरगाह नव्वाब लफ्टिनेण्ट गवर्नर मुमालिक मग़रबी व शुमाली प्रेज़ीडन्सी फोर्टविलियम और नव्वाब लफ्टिनेण्ट गवर्नरपंजाब और चीफकमिश्नर अवधऔर चीफकमिश्नर मुमालिक मुतवस्सित और चीफकमिश्नर बृटिश बूह्माके मुमालिक तहत हुकूमत बमजमाआम क़मारबाज़ी करने और क़मारबाज़ी के मकानात आम रखनेकी सज़ा के लिये क़वायद मुंज़बित करनाक़रीन मसलहतहै लिहाज़ा हस्बज़ैल हुक्म होताहै ॥

दफ़ा १—ऐक्टहाज़ा में लफ्ज़ लफ्टिनेण्ट गवर्नरसे लफ्टिनेण्ट गवर्नर मुमालिक मग़रबी व शुमाली मज़कूर या मुल्क पंजाब यानी जैसी कि सूरत हो मुरादहै लफ्ज़ चीफकमिश्नर यानी चीफकमिश्नर मुल्क अवध या मुमालिक मुतवस्सित या बृटिश बूह्मा के रखताहै

यानी जैसी कि सूरत हो क़मारबाज़ी के मकान आम से हर मकान या अहाता महदूद बदीवार या कमरा या जगह मुराद है जिसमें ताश या पांसा या तख़्ताया और आलात क़मारबाज़ी वास्ते मुन्फ़अत या फ़ायदा शख़्स मालिक या दख़ील या इस्तेमाल करनेवाले या रखनेवाले मकान या अहाता या कमरह या जगह के रक्खेहुये या मुस्तेमिल हों आम इससे कि वह मुन्फ़अत या फ़ायदा बतौर मुआविज़ा इस्तेमाल आलात क़मारबाज़ी या मकान या अहाता या कमरह या जगहके हो या और किसी नेहज पर ॥

अल्फ़ाज़ सीग़ा वाहिद हावी मानी सीग़ा जमा है और बिल अक्स इसके ॥

अल्फ़ाज़ मानी तज़कीर हावी मानीतानीसके हैं ॥

दफ़ा २—ऐक्टहाज़ा की दफ़आत १३ व १७व १८ कुलमुमालिक मज़कूरहबालासे मुतअल्लिकहोंगी और नव्वाब लफ्टिनेण्ट गवर्नर या चीफ़कमिश्नर को यानी जैसी कि सूरत हो अख़्तियार होगा कि जबवह मुनासिब जाने अज़रूय एक इश्तिहारके जो गज़ट सर्कारी के तीन नम्बर मुतवातिर में दर्ज किया जाय जुम्लह दफ़ात या बाक़ी दफ़ात ऐक्ट हाज़ा में से किसी को ममालिक मातहत उनके गवर्नमेण्ट चीफ़कमिश्नरी के किसी शहर और क़सबा और सवाद शहर और मकान इस्टेशन रेलवे और किसी मुक़ाम से जो वाक़े माबैन फ़ासिला तीन मील के किसी जुज़्व मकान इस्टेशन

मज़कूर से हो मुतअ़ल्लिक़ करें और इश्तिहार मज़कूर में वास्ते अग़राज़ ऐक्टहाज़ा के हुदूद इस शहर या क़सबा या सवाद शहर या मकान इस्टेशन के मुक़र्रर करदें और वक़्तन् फवक़्तन् उन हुदूद मुश्तहरनाको बदलतेरहें हर ऐसी तौसीअ़की तारीख़ से वहक़ायदह जो नम्बर १० किसी क़ानून मजारिया इन मुमालिक के हो जिनसे तौसीअ़ मज़कूर मुतअ़ल्लिक़ कीजाय जिस क़दर कि ख़िलाफ या मुनाफी किसी ऐसी दफ़ा के होगा जिसकी तौसीअ़ इस नेहजपर अमलमें आये मुमालिक मज़कूरमें साक़ितुल असर होजायगा ॥

दफ़ा ३—जो शख़्स मालिक या दख़ील या इस्तेमाल करने वाला किसी मकान या अहाता महदूदबदीवार या कमरह या जगह वाक़े उन हुदूद का जिनसे यह ऐक्ट मुतअ़ल्लिक़ हो उस को क़मारबाज़ो के मकान आमके तौर पर खोले या रक्खे या इस्तेमाल में लाये और जो शख़्स मुमालिक या दख़ील किसी मकान या अहाता महदूद बदीवार या कमरह या जगह मज़कूरह बाला का दीदह व दानिस्ता या अमदन् किसी और शख़्सको क़मारबाज़ी के मकान आमके तौर पर उसे खोलने या दख़्ल करने या रखने या इस्तेमाल में लाने वाले और जो शख़्स किसी ऐसे मकान या अहाते महदूद बदीवार या कमरह या जगह मज़कूरह बालाके कारोबारमें जो बग़र्जमज़्कूरा सदरखोला गया या दख़्ल में लायागया या रक्खागया या इस्ते-

माल में लाया गया हो ख़बरगीरी या एहतमाम या किसी नेहजपर उसके इजरायमें मदद करता हो और जो शख्स उन अशखास के साथ क़मारबाज़ीके एवज़ से जो ऐसे मकान या अहाता महदूद बदीवार या कमरह या जगह में आया करतेहों रुपयादे या बहम पहुंचादे वह मुस्तौजिब जुर्माना का जो दो सौ रुपया से ज्यादा न हो या किसी क़िस्मकी क़ैदका इक़साम दोगाना मसुर्रहा मजमूआ ताज़ीरातहिन्द से वास्ते किसी म्यादके होगाजो तीन महीनेसे ज़ियादहनहो ॥

दफ़ा ४—जो शख्स किसी ऐसे मकान या अहाते महदूद बदीवार या कमरह या जगहमें ताश या पांसा या गोटर यानीआलह क़मारबाज़ी या सिक्का या और आलाबाज़ी क़मारसे जुवा खेलते या क़मारबाज़ी करतेहुये पायाजाय या वहां बग़रज़ क़मारबाज़ी मौजूद हो आम इससे कि किसी क़दर ज़र नक़द याशर्त या बाज़ीपर या और नेहजपर खेलता हो वह मुस्तौजिब जुर्माने का जो सौ रुपया से ज़ियादह न हो या क़ैद के इक़साम दोगाने मुसर्रहा मजमूआ ताज़ीरात हिन्दमें से किसी क़िस्मका होगा जिसकी म्याद एक महीने से ज़ियादह न हो और जो शख्स किसीमकान क़मारबाज़ी आममें दर असनाय क़मारबाज़ी याजुवा खेलने के पायाजाय वह ऐसा मुतसव्विर होगा कि वहां बग़रज़ क़मारबाज़ी के मौजूद था तावक्ते कि नक़ीज़ इसका साबित न हो ॥

दफ़ा ५—अगर मजिस्ट्रेट ज़िलअ़ या और ओहदह-दार मुफ़व्विज बइख़्तियारात कामिल मजिस्ट्रेट या ज़िलअ़ का सुपरिन्टेण्डण्टपुलिस बरवक़्इत्तलाअ़ याबी मोतबिर और बाद ऐसी तहक़ीक़ात के जो इसके नज़दीक ज़रूरी हो वजह इस अम्र के बावर करनेकी पावे कि कोई मकान या अहाता महदूद बदीवार या कमरह या जगह बतौर मकान क़िमारबाज़ी, आमकेमुस्तैमिल है तो उसको अख़्तियार है कि मय उस क़दर मदद के जो ज़रूरी तसव्वर की जावे रात या दिन में बजब्र अगर जब्र की ज़रूरत हो हर ऐसे मकान या अहाता महदूद बदीवार या कमरह या जगह में खुद दाख़िल हो या बज़रिये अपने वारण्ट के किसी ओहदेदार पुलिस को जो उस रुतबा से कमतर न हो जैसे नव्वाब लफ्टन्ट गवर्नर बहादुर या चीफ़कमिश्नर उस काम के लिये मक़र्रर करें दाखिल होनेकी इजाज़त दे और जायज़ है कि तमाम अशख़ास को जिनको वह या ओहदहदार मज़कूर वहांपाये खुद गिरफ्तार करे या उस ओहदेदार को गिरफ्तार करने की इजाज़तदे आम इससे कि वह उसवक्त फ़िलवाक़ै मसरूफ़ब क़िमारबाज़ी हों या नहों और तमाम आलात क़िमारबाज़ी और तमाम ज़रनक़द और अशियाय कफ़ालत ज़र नक़द और अशियाय मालियतीजिनकीनिस्बतगफ़लन् इश्तिबाह होताहो कि बग़रज़ क़िमारबाज़ी मुस्तैमिल

होतेहैं या इस्तेमाल करनेकी नीयत कीगईहै और जो वहांपायेजायें उनको खुद गिरफ्तार करे याओहदह-दारमज़कूरको इजाज़त गिरफ्तार करने कीदे और जबखुद उसके या ओहदेदार मज़कूर के नज़दीक व-जह बावर करने इसअम्रकी नहो कि कोई आलात क़िमारबाज़ी मख़्फ़ी किये गयेहैं तो उस मकान या अहाता महदूद बदीवार या कमरह याजगहके तमाम हिस्सोंके जिसमेंवह खुदया ओहदहदार मज़कूर दाख़िल हुआहो और नीज उनअशख़ासके जिनकोखुद उसने या ओहदहदार मज़कूरने इस निहज़पर गिरफ्तार किया हो तलाशी करके तमाम आलात क़िमारबाज़ी जो उस तलाशी सेदस्तियाब हों गिरफ्तारकरे और अपने क़ब्ज़ा में लाये या उस ओहदहदारको इजाज़त इस अम्रकीदे ॥

दफ़ा ६—जब कोई ताश या पांसा या तख़्ता क़िमारबाज़ी या बिसात या और आलात क़िमार-बाज़ी किसी मकान या अहाता महदूद बदीवार या कमरह या जगहमें जिसके अन्दर हस्बअहकाम दफ़ा मासबक मुतसिलहदख़ल किया गयाहो या जिसकी तलाशी कीगईहो या उन अशख़ास मेंसे जो वहां पाये जाये किसी के पास निकलें तोजबतक किनकी ज़ुज़ा-हिर न कीजाय यहबात शहादत इस अम्रकीहोगी कि वह मकान या अहाता महदूद बदीवार या कमरह या

जगह बतौर मकान क़िमारबाज़ी आमके मुस्तअमिल है और जो अशख़ास वहां पायेगये वह उस जगह बग़रज़ क़िमारबाज़ी मौजूद थे गो वाक़ै में कोई खेल मजिस्ट्रेट या ओहदेदार पुलिस या उसके मददगारों मेंसे किसी ने नदेखाहो ॥

दफ़ा ७—अगर कोई शख़्स किसी मकान क़िमारबाज़ीआममेंजहां कोई मजिस्ट्रेट या ओहदेदारपुलिस बमूजिब अहकाम ऐक्टहाज़ा दाख़िलहो उस ओहदेदारके हाथसे गिरफ्तार होनेया किसी मजिस्ट्रेटके रूबरू लायेजाने पर उस वक़्त जबकि वह ओहदेदार या मजिस्ट्रेट उसकानाम व निशान पूछे नामवनिशान बताने में इन्कार या ग़फ़लत करेया झूठा नाम या निशान बताये तो वह बवक़्त सुबूतजुर्म रूबरू उसी या किसी और मजिस्ट्रेट के मुस्तौजिब अदाय किसी क़दरजुर्मानाकाहोगा जो५००) रु०से ज्यादा नहोअलावह इस क़दर ख़र्चा के जो मजिस्ट्रेट मौसूफ़ मुनासिबतसव्वर करे और दरसूरत अदाहोने उस जुर्माना और ख़र्चा के मर्त्तबा अव्वलमें अगर उस मजिस्ट्रेट की दानिस्तमें मनासिब मालूमहो किसी म्याद तक जो एक महीनासे ज़ियादह नहो क़ैद कियाजायेगा ॥

दफ़ा—८ जबकिसी शख़्सपर जुर्मरखने याइस्तैमालमें लाने किसी ऐसे मकान क़िमारबाज़ी आमका या उसमेंबग़रज़ क़िमारबाज़ी मौजूद होने का साबित हो

तोमजिस्ट्रेट मुजव्विज मुक़द्दमह हुक्म देसकाहै कि तमाम आलात क़िमारबाज़ी जो वहां पाये जायँ तलफ़ किये जायें और उसको यह हुक्म देनेका भी अख़्तियार है कि अशियाय क़िफ़ालत ज़र नक़द और दीगर अशियाय गिरफ्तार शुदह जो अज़ क़िस्म आलात क़िमारबाज़ी न हों कुल्लन् या ज़ुज़न् एवज ज़र नक़द के फ़रोख़्त किये जायँ और उनकी क़ीमत मयतमाम ज़र गिरफ्तारशुदह के ज़ब्त सर्कारकीजावे या अपनी तजवीज़के बमूजिब यहहुक्म दे कि कोईजुज्व उसका उन अशख़ास को जो मुस्तहक़ उसके मुतसव्विर हों वापिस किया जाय ॥

दफ़ा९---वास्ते असबात जुर्म किसी शख़्स के बइल्लत रखने मकानक़िमारबाज़ीआम या अहलशरीक़ होनेके एहतिमाम में किसी ऐसे मकान के साबित करना इसअम्र का ज़रूरी नहींहै कि जो शख़्स किसी क़िस्म का जुवा खेलता हुआ पायागया वहवास्तेकिसी क़दर ज़र नक़द या बाज़ी या शर्त के खेलता था ॥

दफ़ा१०—जिसमजिस्ट्रेटके रूबरू कोई ऐसे अशख़ासलायेजायँ जो किसीमकान या अहाता महदूद ब दीवार या कमरह या जगहमें जिसके अन्दर बमूजिब एहकाम ऐक्ट हाज़ा दख़्ल किया गया हो पाये गये थे उसको जायज़ होगा कि उन अशख़ास में से किसी को यह हुक्म दे कि निस्बत किसी नाजायज़ क़िमार-

बाज़ी के जो उस मकान या अहाता महदूद बदीवार या कमरह या जगह में होती थी या निस्बत किसी फेलके जो किसी मजिस्ट्रेट या ओहदेदार मजाज़ महस्व मरकूमे बाला को इस मकान या अहाता महदूद ब दीवार या कमरह या जगह में या उसके किसी जुज्व में जानेदेने की इम्तना या मज़ाहिमत या ताखीर के लिये वक़ूअ़ में आया हो व हल्फ़ या इक़रार सालह इज़हार और शहादत अदाकरें और जिस शख्स को कि इसनेहज पर इज़हार देने का बतौर गवाह के हुक्म दिया गया हो वह इस बिना पर कि उसकी गवाही खुद उसके मुजरिम होनेपर दालहोगी इसबातसे बरी न होगा कि रूबरूमजिस्ट्रेट मज़कूरह बाला के लाये जानेकेवक़ किसी कार्रवाई या तजवीज़ को बाबत जो ऐसी क़िमारबाज़ी नाजायज़याऐसे फेल मुतज़क्किरह बालासे किसी तरह मुतअ़ल्लिक़ हो बतौर मज़कूर उसकाइज़हार नलियाजाय या किसी ज़माना माबादमेंवहीमजिस्ट्रेट या कोईऔर मजिस्ट्रेटयाकोई अदालतउसीनेहजपर उसकाइज़हारनले याउसके रूबरू नलियाजायया निस्बतउमूर मज़कूरहबाला जोसवालउससेकियाजाय उसकाजवाब न दे और ऐसा हर शख्स जिसकी निस्बत बतौर गवाह उसीनेहजके इज़हार लिये जाने का हुक्म हुआ हो अगर हल्फ़ या इक़रार सालहके अदा करने में या किसी सवाल मज-

कूर हवाला के जवाब देनेमें इन्कारकरे बहमहनेहज़ मुस्तौजिब इसका होगा कि इसकी निस्बत वैसाही अमल कियाजाय जैसा कि निस्बत किसी शख्स मुत्त-किब जुर्म मुसर्रह दफ़ा १७८ या दफ़ा १८६ मजमूआ ताज़ीरातहिन्दके (यानी जैसीकि सूरत हो) अमल में होना चाहिये ॥

दफ़ा११—जो शख्स खिलाफ़ एहकाम ऐक्टहाज़ा क़िमारबाज़ी से तअल्लुक़ रखताहो और उसकाइज़-हार बतौर गवाह रूबरू किसी मजिस्ट्रेट के बरवक्त तजवीज़ किसी शख्स के जो बइल्लत खिलाफ़ वरज़ी किसीहुक्म मिन्जुम्ला एहकाम ऐक्टहाज़ा मुतअल्लि-क़ह क़िमारबाज़ी के अमल में आई हो लियाजाय और वह उस इज़हार पर मजिस्ट्रेट की रायमें रास्त रास्त और हस्ब इतमीनान उन तमाम अमूरात का कि जिनकी निस्बत इज़हार लिया गया हो बहद गायत अपने इल्मके इज़हार हालकरे तो उसकोमजिस्ट्रेट मज़कूर सार्टीफ़िकट तहरीरी इसी मज़मून का अता-करेगा और उसज़माने से पहिले निस्बतक़िमारबाज़ी मज़कूर जो फ़ेल उससे सरज़दहुआ हो उसके बाबत जुम्ला मवाखिज़ह हाय ऐक्टहाज़ा से वह शख्स मु-ज़हिर माफ़ किया जायेगा ॥

दफ़ा१२—कोई इबारत अहकाम मासबकमुन्दर्जह ऐक्ट हाज़ा की किसीबाज़ी से कि महज़ हिकमतन् किसी जगहपर कीजाय मुतअल्लिक़ न होगी ॥

दफ़ा १३—ओहदेदार पुलिस को अख्तियार है कि जो शख्स ज़र नक़द या किसी और शैमालियती पर ताश या पांसा या कौटर या और आलातक़िमारबाज़ी से जिनका इस्तेमाल किसी ऐसीक़िमारबाज़ीमें होता हो कि बाज़ी महज़ हिकमत की नहीं है किसी शारियामुक़ाम या गुज़रगाह आम वाक़ेहुदूद मुतज़क्किरेबालाके अन्दर क़िमारबाज़ी करता हुआ पाया जाय या जो शख्स किसी शारिया मुक़ाम या गुज़रगाह आम वाक़े हुदूद मज़कूर तुस्सदर में किसी परिन्दा या हैवानात को लड़ानेके लिये मौजूद करे या जो शख्स वहां मौजूद होकर परिन्दह और हैवानात की लड़ाई में बमजमा आम मुमिदूवमुआवनहो उसे बिला वारंट गिरफ्तार करे शख्स मज़कूर बाद गिरफ्तारी बिला तवक्कुफ़ रूबरू मजिस्ट्रेटके लाया जायगा और मुस्तौजिब जुर्माने का जो ५००) से ज़ियादह न होगा क़ैद महज़ या क़ैद सख्तका उस म्याद तक होगा जो एक महीने कलन्दरह से तजावीज न करे और उस अहल्कार पुलिसको अख्तियारहैकि तमामआलातक़िमारबाज़ी जो उस जगह मजमा आम या अशखास गिरफ्तार शुदह केपास पायेजायँ गिरफ्तार करेऔरसाहब मजिस्ट्रेट को जायज़ है कि ब वक्त सुबूत जुर्म मुजरिम उन आलात के फ़ौरन् तलफ़ करदेनेकाहुक्मदे ॥

दफ़ा १४—तजवीज़ इनजरायम की जो क़ाबिल

सज़ाय हस्बऐक्टहाज़ामें हर मजिस्ट्रेटकरसकेगाजिसे अख्तियारमजिस्ट्रेटी उसमुकाममें जहांकिवहजुर्म सरज़द हुआहो हासिलहोलेकिनमजिस्ट्रेटमज़कूर निस्बत तादाद जुर्माना या म्यादक़ैद के जिसका किवह हुक्म दे पाबन्द हुदूद अपनेअख्तियारकाबमूजिब मजमूआ ज़ाबिता फ़ौजदारीकेरहेगा ॥

दफ़ा १५—जोशख्स जुर्म क़ाबिलसज़ाय महकूमह किसीदफ़ा ३ यादफ़ा ४ ऐक्टहाज़ाका मुजरिम साबित होकर मर्तबासानी मुजरिम किसीजुर्म क़ाबिल सज़ाय महकूमह किसी दफ़ाका उनदोनोंदफ़ातमेंसे हो वहवास्तेपर ऐसेजुर्म माबादके मुस्तौजिबदोचन्द उस सज़ाका होगा जो उसपर उसीक़िस्मके किसीजुर्मके इर्तिकाब अव्वलकेलिये आयदहोती मगर शर्त यह है कि वह किसी हालमें छःसौ रुपयासे ज्यादह जुर्माना या एक बरससे ज्यादहम्यादकोक़ैदका सज़ावारनहोगा॥

दफ़ा १६—मजिस्ट्रेट मुजव्विजह मुक़द्दमहक़ को अख्तियार है कि मिन्जुम्ला उस जुर्माना के जो हस्ब दफ़ात ३ व ४ ऐक्ट हाज़ाके वसूल हुआहो या मिन्जुम्ला उस ज़रनक़द या क़ीमत उन अशियाय के जिनकी गिरफ्तारी के बाद हस्ब ऐक्ट हाज़ा ज़ब्ती काहुक्म हुवाहो किसी क़दर मुखबिरको दियेजानेका हुक्म सादिर करे ॥

दफ़ा १७—तमाम जुर्माने कि हस्ब ऐक्ट हाज़ा

आयद किये गये हों बक़ायदा मुआयना दफ़ा ६१ मजमूये ज़ाबिता फ़ौजदारी के वसूल किये जासक्ते हैं और वह जुर्माने (बक़ैद अहकाम मुन्दर्जे दफ़ा मुलहिका बाला) उस तौर पर सर्फ किये जायेंगे जो नव्वाब लफ्टण्ट गवर्नर या चीफ़कमिश्नर (यानी जैसी कि सूरत हो) वक़्तन् फ़वक़्तन् हिदायतकरें ॥

दफ़ा १८—हर अम्र कि बज़रूय ऐक्टहाज़ा क़ाबिलसज़ा गरदाना गयाहै हस्बमुराद मजमूआ ताज़ीरात हिन्द जुर्म मुतसव्विर होगा ॥

—※—

ऐक्ट नम्बर ६ सन् १८६४ ई० ॥



लेजिस लेटिफ कौंसलहिन्द से सादिर होकर १९ फ़रवरी सन् १८६४ ई० को जनाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलासकौंसलकी पेशगाहसे मंजूरकियागया॥

ऐक्ट जिसकी यह मुरादहै कि बाज़ मुक़द्दमात में सज़ाय ताज़ियाना जायज़ कीजाय॥

हरगाह यह अम्र मसलहत है कि बाज़ मुक़द्दमात में हस्ब शरायत मजमूये ताज़ीरातहिन्द के मुजरिम मुस्तौजिब सज़ाय ताज़ियानह कियेजायँ लिहाज़ाहस्ब ज़ैल हुक्महोताहै॥

दफ़ा १—अलावह ताज़ीरात मुतज़क्किरे दफ़ा ५३ मजमूये ताज़ीरातहिन्द के अशख़ास मुजरिम हस्ब शरायत मजमूये मज़कूर मुस्तौजिबसज़ाय ताज़ियानह भी हैं॥

दफ़ा २—जो शख़्स किसी जुर्म मिन्जुमले जरायम मुफ़स्सिले ज़ैल का मुर्तकिब हो जायज़है कि उसको बएवज़ किसी सज़ाके जिसका वह बइल्लत जुर्ममज़कूर बमूजिब अहकाम मजमूयेताज़ीरातहिन्दके सज़ावार हो सज़ाय ताज़ियानह दीजाय और वह जरायम यह है॥

१—सरक़ा जिसतरह मजमूये मज़कूरकी दफ़ा३७८ में उसकी तारीफ़ हुईहै ॥

२—इमारत या खेमा या मरकबतरी में सरक़ा करना जिसतरह मजमूयेमज़कूरकीदफ़ा३८० मेंउसकी तारीफ़ हुईहै ॥

३—इर्त्तिकाब सरक़ेका बज़ानिब मुतसद्दी या नौकरके जिसतरह मजमूये मज़कूरकी दफ़ा ३८१ में उसकी तारीफ़ हुईहै ॥

४—किसी शख़्सकी हलाकत या ज़रर पहुंचानेकी तैयारी करके सरक़ा करना जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ३८२ में उसकी तारीफ़ हुईहै ॥

५—धमकीदेकर मालबिलजब्र हासिलकरना जिस तरह मजमूये मज़कूरकी दफ़ा ३८८ में उसकी तारीफ़ हुईहै ॥

६—इसतहमाल बिलजब्रकी नीयत से किसीशख़्स को इत्तहाम की तख़वीफ़ देना जिसतरह मजमूयेमज़कूरकी दफ़ा ३८६ में उसकी तारीफ़ हुईहै ॥

७—माल मसरूक़ा को जानबूझकर बददियानती से लेना जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ४११ में उसकी तारीफ़ हुईहै ॥

८—माल मसरूक़ा को बावस्फ़ इसइल्मके किवह डकैती से हासिलहुआ बददियानतीसेलेना जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ४१२में उसकी तारीफ़हुईहै॥

९—मदाखिलत बेजा बख़ाने या नक़बज़नी जिस तरह मजमूये मज़कूर की दफ़ात ४४३ व ४४५ में उसकी तसरीह हुईहै बिल्इरादह इर्त्तिकाब ऐसेजुर्म के जिसकी सज़ा बमूजिब दफ़ा हाज़ा ताज़ियाना हो सक्ती है ॥

१०—मदाखिलत बेजा बखाने या नक़बज़नी वक्तशब जिस तरह मजमूये मज़कूर की दफ़ात ४४४ व ४४६ में उसकी तारीफ़ हुई है यह इरादेह इर्त्तिकाब ऐसे जुर्मके जिसकी सज़ा बमूजिब दफ़ा हाज़ा ताज़ियाना होसक्ती है ॥

दफ़ा ३—अगर कोईशख्स जिसपर कोई जुर्मर्मिजुमले जरायम मुफ़स्सिलै दफ़ा मासबक़ एक मर्त्तबा साबित हुआ हो उसी जुर्ममें माखूज़ होकर उस पर जुर्म साबित किया जाय तो जायज़ है कि एवज़ या ब इज़ाफ़ा किसीऔर सज़ाके जिसकावह मजमूयेताज़ीरात हिन्द के बमूजिब बइल्लत जुर्म मज़कूर सज़ावार हो उसकोसज़ाय ताज़ियाना दीजाय ॥

दफ़ा ४—अगर कोई शख्स जिस पर कोई जुर्म मिंजुमलै जरायम मुफ़स्सिलै आइन्दह पहिले साबित हुआ हो इसी जुर्ममें फिर माखूज़ होकर उसपर जुर्म साबित क़रारपायेतो जायज़ है कि अलावहकिसी और सज़ाके जिसका वह मजमूये ताज़ीरात हिन्दके बमूजिब सज़ावार हो उसको सज़ाय ताज़ियाना दी जाय यानी ॥

१—झूठी शहादत अदा करना या बनाना उसतरीक़ पर किवह मजमूये ताजीरातहिन्द की दफ़ा १६३ के बमूजिब लायक़ सजा हो॥

२—जुर्म क़ाबिल सजाय फांसी के साबित कराने की नीयत से झूठी गवाही देना या बनाना जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा १६४ में उसकी तारीफ़ हुई है॥

३—जुर्म क़ाबिल सजाय हब्स बउबूर दरियायशोर याक़ैदकेसाबित करानेकीनीयतसे झूठीगवाही देनाया बनाना जिसतरहमजमूये मज़कूरकीदफ़ा १६५ में उसकी तारीफ़ हुई है॥

४—किसीको झूठा इल्ज़ाम लगाना इर्तिकाबजरायम खिलाफ़ बज़ाफ़ितरीका जिसतरह मजमूयेमज़कूर की दफ़ात २११ व ३७७ में उसकी तारीफ़ हुईहै॥

५—किसी औरतकी उफ्त में खलल डालने की नीयत से हमला या जब्र मुजरिमाना करना जिस तरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ३५४ में उसकी तारीफ़ हुई है॥

६—ज़िनाबिल जब्र जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ३७५ में उसकी तारीफ़ हुईहै॥

७—जरायम खिलाफ़ वज़ाफ़ितरी जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ३७७ में उसकी तारीफ़ हुईहै॥

८—सरक़ाबिलजब्र या डकैती जिसतरह मजमूये

मज़कू की दफ़ात ३६ व ३६१ में उसकी तारीफ़ हुई है ॥

६—सरक़ा बिलजब्र का इक़दाम करना जिसतरह मजमूये मज़कूरकी दफ़ा ३६३ में उसकी तारीफ़ हुईहै ॥

१०— सरक़ा बिलजब्र के इर्तिकाबमें क़सदन् किसीको ज़रर पहुंचाना जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ३६४ में उसकी तारीफ़ हुई है ॥

११—आदतन् माल मसरूक़ा का लेना या ब्योहार करना जिसतरह मजमूयेमज़कूर की दफ़ा ४१३ में उसकी तारीफ़ हुई है ॥

१२—जालसाज़ी जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ४६३ में उसकी तारीफ़ हुई है ॥

१३—जालसाज़ी दस्तावेज़ की जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ४६ में उसकी तारीफ़ हुई है ॥

१४—जालसाज़ी दस्तावेज़ की जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ४६७ में उसकी तारीफ़ हुई है ॥

१५—दग़ादिहीकी ग़रज़ से जालसाज़ी करना जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ४६८ में उसकी तारीफ़ हुई है ॥

१६—किसी शख्सकी नेकनामी में खललडालनेकी ग़रज़ से जाली दस्तावेज़ बनाना जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ा ४६६ में उसकी तारीफ़ हुई है ॥

१७—मदाखिलतबेजाबखाने या नक़बज़नी जिसतरह मजमूये मज़कूर की दफ़ात ४४३ व ४४५ में

उसकी तसरीह हुई है बिल्इरादह इर्तिकाब ऐसे जुर्मके जिसकी सज़ा बमूजिब दफ़ाहाज़ा ताज़ियाना होसक्ती है ॥

१८—मदाख़िलतबेजा बख़ाने या नक़बज़नी वक़्शब जिसतरह मजमूये मज़्कूर की दफ़ात ४४४ व ४४६ में उसकी तारीफ़ हुई है व इरादह इर्तिकाब ऐसे जुर्मके जिसकी सज़ा बमूजिब दफ़ाहाज़ा ताज़ियाना होसक्ती है ॥

दफ़ा ५—जायज़है कि किसी मुजरिम कमसिन् को जो ऐसे जुर्मका मुर्तकिबहो जिसकी सज़ा बमूजिब मजमूयेताज़ीरातहिन्द के फांसी नहो आम इससे कि वह जुर्म उससे इब्तिदा या मुक़र्रर सरज़द हुआ हो बएवज़ किसी और सज़ा के जिसका वह मजमूये मज़्कूर के बमूजिब बइल्लत जुर्म मज़्कूर सज़ावारहो सज़ाय ताज़ियाना दीजाय ॥

दफ़ा ६—जब किसी लोकल गवर्नमेण्टने बज़रिये इश्तिहार मुन्दर्जै गज़ट सरकारी इस दफ़ाकी शराइत को किसी ज़िला सरहद या मुल्कके इत्तिराफ़ जंगलमें जो अन्दरून इलाक़े हुकूमत गवर्नमेण्ट मौसूफ़ के हो नाफ़िज़ क़रार दिया हो तो जो शख्स बाद मुश्तहरी इश्तिहार मज़्कूर ज़िला या इत्तिराफ़ मज़्कूर में मिंजुम्लेजरायम मुफ़स्सिले दफ़ा ४-ऐक्ट हाज़ा किसी जुर्म का मुर्तकिब होजायज़ है कि बएवज़ किसी औरसज़ा

के जिसका वह मजमूये ताज़ीरातहिंदके बमूजिबसज़ावार हो उसको सज़ाय ताज़ियाना दीजाय ॥

दफ़ा ७—सज़ाय ताज़ियाना किसी औरतको नदीजायेगी औरनउसशख़्सको दीजायेगी जिस्केनाम हुक्म सज़ाय फांसी या क़ैद ब उबूर दरियायशोर या क़ैद ब मशक़्क़त ताज़ीरीया क़ैद बमीआद ज़ायद अज़पंजसाल सादिर हुआहो ॥

दफ़ा ८—किसी ओहदेदारको जो मजिस्ट्रेट मातहतदर्जाअव्वलसे कमरुतबारखताहो अख़्तियार तजवीज़सज़ाय ताज़ियानाहासिल नहोगा इल्लाउससूरत में कि उसको अख़्तियारतजवीज़ सज़ायताज़ियानाबिल्तसरीह लोकल गवर्नमेंट से मफ़ूज़ हुआहो ॥

दफ़ा ९—अगर हुक्म सज़ाय ताज़ियाना बालाय सज़ाय क़ैद ऐसी अदालत से सादिर हो जिसकीतजवीज़पर किसी अदालत अकबर से नज़रसानी होसक्ती है तो सज़ाय ताज़ियाना उस वक़्तक न दी जायेगी कि तारीख़ हुक्म मज़कूर से पन्द्रहदिन न गुज़रजायँ या अगर उसम्यादके अन्दरअपील होतोजबतक हुक्म मज़कूर हाकिम अदालतआलाको तजवीज़ से बहाल न किया जाय लेकिन सज़ायताज़ियानाब मुजर्रदइन्क़ज़ाय म्याद पन्द्रहरोज़हदीजायगी या अगर अपील हुई होतो बग़ौरहसूल तजवीज़ अदालत अपील मशअरब हालीहुक्म मज़कूरबहालके कि वह तजवीज़ उसपन्द्रह रोज़के अन्दरन पहुंचजाय दीजायेगी ॥

दफ़ा १०—अगर मुजरिम शख्स कामिल अलसन होतो सज़ाय ताज़ियाना बज़रिये उस आला औरबमूजिब उस तरीक़ाके और जिस्मके उस मुक़ामपर जो लोकल गवर्नमेण्ट की तजवीज़से मुक़र्ररहो दीजायेगी और अगर मुजरिम शख्स कमसिन होतो सज़ाय मज़कूर बतरीक़ ताढीब मकतबी बज़रिये बेद सबुकके दीजायेगी और अगर सज़ा के लिये नोफुंदनेका बेत मुस्तैमिल किया जाय तो किसी हालत में १५ ज़रब से ज़ियादह और अगर बेद मुस्तैमिल किया जाय तो ३० ज़रबसे ज़ियादह न दीजायेगी और लाज़िमहै कि सज़ाय मज़कूर बहाज़िरी किसी जस्टिस आफ़दीपीस या किसीओहदेदारके जोजुज्वउलअख्तियारात मजिस्ट्रेटी अमलमें लायेगा मजाज़ हो और नीज़ब मवाजह डाक्टर अगर अदालत मुजव्वरसज़ा और तरहपर हुक्म न देदीजावे ॥

दफ़ा ११—किसी हुक्मसज़ाय ताज़ियानाकीतामील न की जायेगी इल्ला उससूरतमें कि डाक्टर अगरवह हाज़िरहो इसअम्रकी तसदीक़ करे कि मुजरिम इस क़द्र तन्दुरुस्त हालहै कि सज़ाय मज़कूर बरदाश्तकरसके याखुदजस्टिसआफ़दीपीसयादीगर ओहदेदार हाज़िर वक़्को अम्र मज़कूर मालूमहो और अगर असनायतामीलसज़ाय ताज़ियानामें डाक्टर इसबात की तसदीक़ करे या ओहदेदार हाज़िरवक़्कोमालूमहो

किमुजरिम उसक़द्र तन्दुरुस्त हाल नहींहै कि ज़रब-बाक़ी मुन्दह की बरदाश्तकरसके तोसज़ाकीतामीलमौक़ूफ़ कीजायेगी और जायज़नहींहै किसज़ाय ताज़ियानाकी तामील बदफ़ातकीजाय ॥

दफ़ा १२—जिसहालमें कि ऐक्टहाज़ाकी दफ़ामासबक़के बमूजिबकुछ भीतामीलहुक्म सज़ाय ताज़ियाना नहुईहोतो लाज़िमहै किजबतक अदालतसादिर कुनिन्दाहुक्म मज़कूर उसकी इसलाहन करसके मुजरिम हिरासतमें रक्खा जाय और अदालत मज़कूरको अख़्तियारहै किहरम्र सिवाबदीद अपने मुजरिम कीरिहाईका हुक्मदे ख़्वाह ताज़ियानाके एवज़किसी म्याद तक अलावह उससज़ाके जो मुजरिमकी निस्बत उसीजुर्मकी इब्तदामें तजवीज़ हो चुकीहोक़ै दतजवीज़ कर बशर्ते किक़ैदकी कुलम्याद उससे तजावीज़ न करे जो बमूजिब अह काम मजमूये ताज़ीरातहिन्द मुजरिम के लियेतजवीज़ होसक्तीहै या जिसकी तजवीज़का अदालतमज़कूर को अख़्तियार हो ॥

—※—

ऐक्ट नम्बर १६ बाबत सन् १८७२ ई०

क़ानून ब तरमीम तारीफ़ सिक्के मुन्दरजे मजमूये ताज़ीरातहिन्द हरगाह यह करीन मसलिहत है कि तारीफ़ सिक्के की जो मजमूये ताज़ीरातहिन्द की दफ़ा २३०में लिखी गईहै उसकी तरमीम कीजायलिहाज़ा हस्ब ज़ैल हुक्म होताहै ॥

दफ़ा १—बजाय फ़िक़रै अव्वल दफ़ामज़कूरतुस्सदर के इबारत मुन्दरजे ज़ैल क़ायम करनी चाहिये ॥

दफ़ा—२३० सिक्का वह धातुहै जो कि बवक़्त मौजूदह बतौर ज़रनक़्द के रायजहो और बहुक्म किसी सर्कार या बादशाहवक़्त के इसतौर पर रायज होनेकी ग़रज़ से मन्क़ूश और जारी कियागयाहो ॥
